खण्ड-443, अंक-4
मंगलवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(27 अगस्त, 2002 ई0)

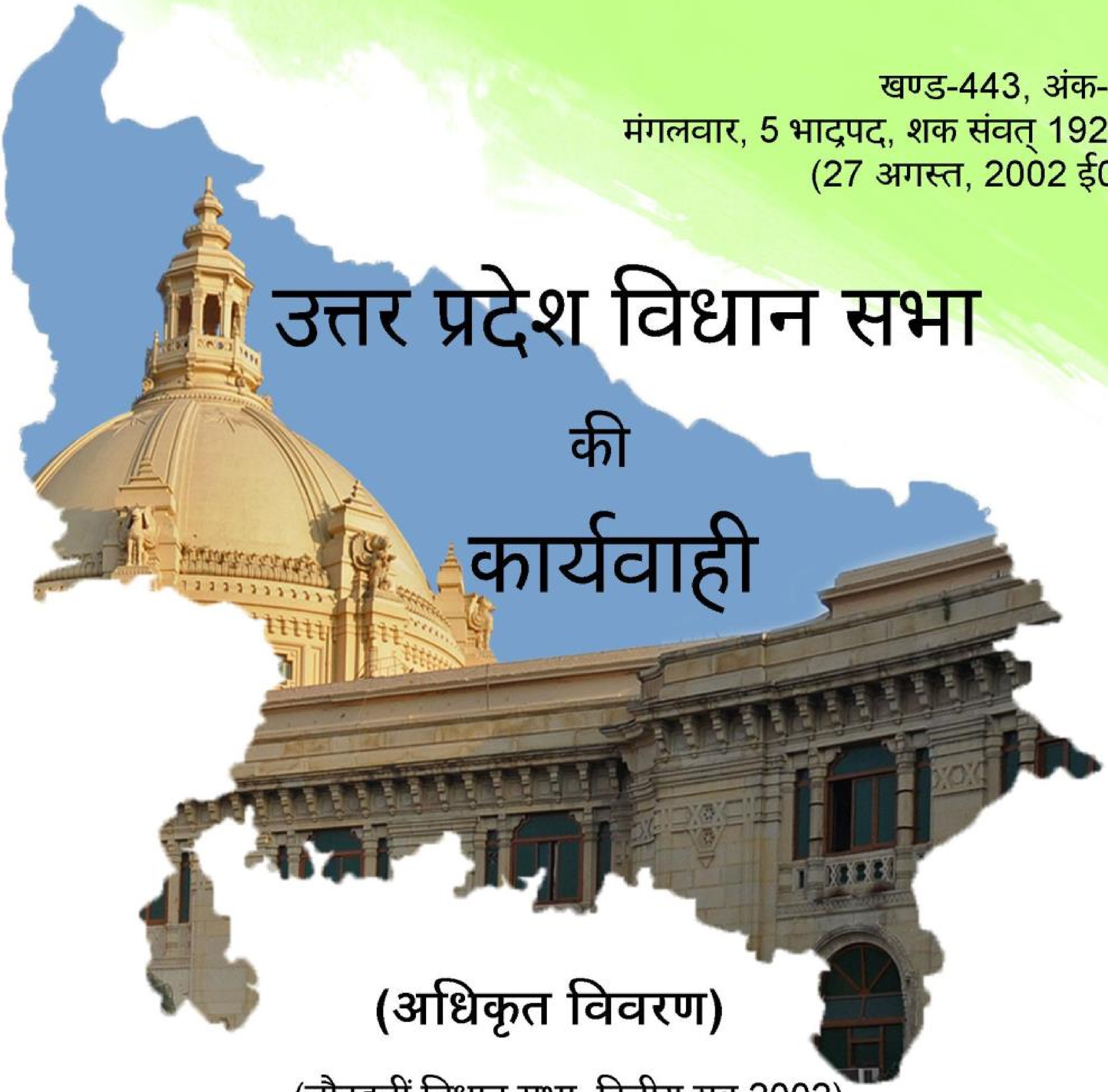

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2002

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	– क
— जनपद गोण्डा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या विषयक सूचना को उठाने का प्रयास	1
— प्रश्नोत्तर	1—16
— तारांकित प्रश्न संख्या 2 को स्थगित किये जाने का अनुरोध	16—79
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	79
— जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
— जनपद सहारनपुर के थाना बड़गाँव क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख सीमेन्ट व्यापारी की हत्या एवं लूट का पर्दाफाश कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
— जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक फूलवेहड़ स्थित इन्दिरा मनोरंजन पार्क वन विहार का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
— मेरठ के गंगा नहर आवासीय योजना क्षेत्र में निर्मित बिजलीघर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
— जनपद इटावा में निचली गंगा प्रणाली शाखा से निकलने वाले घाटमपुर राजवाहा की जल परिवहन क्षमता पुर्नस्थापना हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
— जनपद आजमगढ़ के कतिपय क्षतिग्रस्त राजमार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के अन्तर्गत सूचना ...	81
— इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के काफी पद रिक्त होने के कारण पठन पाठन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
— औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	82
— विधान सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	82—84
— विधान सभा सदस्यों द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्ताव, दिये जाने के बावजूद विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	84—86
— विधान सभा में बजट कमेटियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	86—93

विषय	पृष्ठ-संख्या
— पूर्वांचल निधि को अम्बेडकर गाँवों के विकास पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	94
— गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... (जारी)	95
— पूर्वांचल निधि को अम्बेडकर गाँवों के विकास पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	95—96
— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002 (जैसाकि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	96
— गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	96—97
— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	97
— उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	97
— मेरठ महानगर में जल निगम/नगर निगम द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए अवशेष धनराशि मुक्त किये जाने विषयक श्री राजीव कुमार तायल निवासीगण जनपद मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका... (उपस्थित की गई)	98
— मेरठ नगर में घंटाघर से कोटला जाने वाले नाले पर स्थापित बिजलीघर को टाउन हाल में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार निवासीगण जनपद मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	98
— लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के विकास नगर सेक्टर-8 की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद सहगल निवासीगण जनपद लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	98
— जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तहबर तहसील निजामाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री शिव मूरत यादव निवासीगण जनपद आजमगढ़ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गई)	98
— जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री सगीर अहमद निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99
— जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के शाहपुर सिंगारजोत से पिपरा कानूनगो आदि मार्गों पर पूर्व में लगे खड़ंजे पर पिच कराने विषयक श्री सगीर अहमद उर्फ बब्बर निवासीगण जनपद-सिद्धार्थनगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई)	99

विषय	पृष्ठ-संख्या
— प्रथम सत्र 2001 के तीसरे सोमवार दि० 14 मई, 2001 को स्व० श्री राम औतार शाक्य के अतारांकित प्रश्न संख्या–108 का संशोधित उत्तर....	99—100
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	101—115
— कानपुर के डी०बी०एस० कालेज के छात्रसंघ चुनाव में श्री प्रदीप यादव की मौत से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना....	116
— वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-15 (–) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या–16 (–) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या–17 (–) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ... (जारी)	117
— वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-76 (–) श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 (–) श्रम विभाग (सेवायोजन) ... (जारी)	117
— वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या-88 (–) संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या-89 (–) संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या-90—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ... (जारी)	118
— वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या-22 (–) खेल विभाग, अनुदान संख्या–40 (–) नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-92 (–) संस्कृति विभाग.... (जारी)	118—119
— वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या –16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या–17 (–), कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ... (स्वीकृत)	119—149
— वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर चर्चा एवं मतदान, 4 अनुदान संख्या —76 (–) श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या- 77 (–) श्रम विभाग ... (स्वीकृत)	149—171
— वित्तीय वर्ष 2002—2003 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या - 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या—89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या-90 (–) संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या—91 (–) संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ... (स्वीकृत)	171

विषय	पृष्ठ-संख्या
— वित्तीय वर्ष 2002—2003 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या- 22 (–) खेल विभाग, अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग, अनुदान संख्या – 92 (–) संस्कृति विभाग.....(स्वीकृत)	172
— उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 ... (पारित)	173—221
— कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	221
— श्री चन्द्रभद्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	222
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ....	222—224
— उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, सीतापुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गेहूँ को पहुँचाने का कार्य बिना टेण्डर लिए कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	224—225
— आजमगढ़ मण्डल बनने के उपरान्त गोरखपुर मण्डल में लम्बित मुकदमों को आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य....	225
— जनपद वाराणसी में दालहट्टा मोहल्ले में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप को ठीक कराये जाने के सम्बंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य...	225—226
— जनपद बाराबंकी में पुलिस की गोली से किसान की मृत्यु के दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन....	226
— जनपद शाहजहाँपुर के 94 राजस्व गाँवों को कर्मचारियों सहित जनपद पीलीभीत तहसील पूरनपुर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य..	226
— विधायक निधि को स्वतंत्र रूप से विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन....	227
— जनपद बलिया में नया ब्लाक भीमपुरा बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री शारदानन्द अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन.....	227

विषय	पृष्ठ-संख्या
— गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि०, गाजियाबाद के सचिव द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य...	227
— ग्यारहवें वित्त आयोग की धनराशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन...	228
— प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य....	228—230
— प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लकड़ी की नक्काशी का कार्य करने वाले लाखों दस्तकारों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य...	230
— जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द, ग्राम-मरौली के मजरा क्योटरा में जनता द्वारा केन नदी का गंदा पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन....	231
— जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरण राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	231
— कानपुर में कुख्यात बावरिया गिरोह द्वारा अमरजीत सिंह जनसेवक, सदस्य विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य.....	231—232
— जनपद ज्योतिबा फूलेनगर अमरोहा क्षेत्र में पानी की निकासी न होने के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	232
— जनपद गाजीपुर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि०, गाजीपुर द्वारा किसानों के लाखों रूपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दुग्ध विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	232—233

विषय	पृष्ठ-संख्या
— उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सहायक अभियंता, अवर अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने एवं उनको नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य....	234—236
— प्रदेश के कई जनपदों में विद्युत तारों की लगातार हो रही चोरी की स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य...	236
— उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक एसोसिएशन द्वारा अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को अनौपचारिक शिक्षा विभाग में समायोजन न किये जाने को लेकर धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वंशीधर राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य....	237
— जनपद बांदा के टाउन एरिया मटौन्ध व तिन्दवारी में रोड पर बैरियर लगाकर जबरदस्ती अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सुश्री आशा किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य....	237
— जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम-मुखलिसपुर में कुआनों नदी पर पथ्कर वसूली समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री शंखलाल माँझी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	238
— जनपद आजमगढ़ के वर्ष 1998-99 के बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य...	238
— जनपद बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों पर फर्जी बोर्डों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण वीर सिंह आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य स्थगन...	239
— राजकीय पुरुष चिकित्सालय, शाहगंज, जनपद-जौनपुर में तैनात डा० यशवन्त सिंह, सर्जन द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव, 'ललई' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य....	239—240
— जनपद बदायूँ की तहसील गुन्नौर में बाढ़ की विभिषिका से बचाव हेतु बाँध या ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य...	240
— जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर के शेष ग्रामों को विद्युतीकृत करने के सम्बन्ध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य...	240

विषय	पृष्ठ-संख्या
— जनपद मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म कालेज के प्रधानाचार्य पर गोली चलाये जाने एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चितरंजन स्वरूप द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य....	241
— प्रदेश में कतिपय वर्षों में धान की खरीद हेतु नीति निर्धारण एवं धान क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन स्तर पर समीक्षा करने विषयक श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर चर्चा..	241
— प्रदेश में विद्युत उत्पादन, माँग एवं आपूर्ति के अन्तर को दूर करने विषयक दिनांक 20 अगस्त 2002 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा....	242—248
— प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक दिनांक 14 अगस्त, 2002 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा.....	248—251
— सदन में कोरम का अभाव...	251
— नत्थियाँ..	252—254

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मदन भैया, श्री	बागपत
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	मायावती, सुश्री	सहारनपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवंर	कुशीनगर/पडरौना
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी	राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत	लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

जनपद गोण्डा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या विषयक सूचना को उठाने का प्रयास

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री राम विशुन आजाद–

जनपद गोण्डा के किसानों के साथ धोखा किया गया है...

श्री राम करन आर्य–

पुलिस के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई...

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये, कृपया स्थान ग्रहण करिये। आजाद जी, आप दुबारा सूचना दीजियेगा।

यह लिखा नहीं जायेगा, जो आप लोग बोल रहे हैं। (व्यवधान)

(मद संख्या-1, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

(श्री राम विशुन आजाद, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री बैजनाथ दुबे एवं श्री राम करन आर्य सहित समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये, यह लिखा नहीं जा रहा है।

(डा० वकार अहमद शाह के प्रयास से श्री राम विशुन आजाद को छोड़कर, अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये तथा श्री राम विशुन आजाद जी सदन के वेल में बैठकर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मा० सदस्य आपके दल के हैं, कृपया आप इन्हें शान्त करें।

नियमों में प्राविधान नहीं है, नियमों में अगर प्राविधान होता तो इस बात की व्यवस्था की जाती कि ऐसे सदस्यों की सूचना किसी दिन किसी भी नियम में नहीं ली जाती क्योंकि यह व्यवहार ठीक नहीं है और जो नियमों में प्राविधान है, उसका हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम लागू करने की माँग

**1–श्री संजय गर्ग–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को कब से लागू कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं जो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे यथा अनुसंधान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना। शासन द्वारा समय-समय पर आयोजित कुलपति सम्मेलन में कुलपतियों को रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाने हेतु परामर्श दिया गया है।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नियम 7(1) के अधीन प्रदत्त अधिकार एवं कुलपति सम्मेलन में शासन द्वारा दिये गये निदेश के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगार पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को चलाने के सम्बन्ध में जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नियम 7(1) के अधीन प्रदत्त अधिकार एवं कुलपति सम्मेलन में शासन द्वारा दिये गये निदेश के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगार पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए इन विश्वविद्यालयों में आपके निर्देशानुसार जो सुझाव आपने दिए तो कौन-कौन से पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं? दूसरा, इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए रोजगारपरक शिक्षा के संदर्भ में क्या नीति अपनाई गई है? मान्यवर, जो पाठ्यक्रम चलाये भी जा रहे हैं उनका शिक्षण शुल्क इतना ज्यादा है कि उसमें गरीबों के लिए उनका शिक्षण शुल्क दे पाना असम्भव है, अतः अधिक फीस के कारण वह उसमें प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, क्या आप इन शिक्षण शुल्कों को कम करके उनके प्रवेश की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वह रोजगार परक तो जरूर हैं, लेकिन वह रोजगारपरक के रूप में नौकरी को दिलाने वाले ज्यादा हैं, जैसे बी०बी०ए०, एम०बी०ए०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड०, बी० एड०, एम०एड०, कम्प्यूटर साइंस आदि-आदि, लेकिन आज की परिस्थिति में शासन इसको पर्याप्त नहीं मानता, क्योंकि हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती, यह हम जानते हैं, इसलिए मान्यवर, कुलपति सम्मेलन में हमने एक अलग तरह का विषय तैयार करके उसका पाठ्यक्रम तैयार करके लागू करने का परामर्श दिया था क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्र पढ़ते हैं उसमें से 70-80 प्रतिशत छात्र गांवों के हैं लेकिन उस आज के पाठ्यक्रम में यह कहना कि वह अपने आप में पर्याप्त है, उचित नहीं क्योंकि ज्ञान के रूप में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि वह अपने गाँव में लौटकर अपनी खेती में ही नया कार्य कर सकें या उस क्षेत्र में जो उद्योग-धन्धें चल रहे हैं, उसमें कुछ नया कर सकें। उन्हें इस पाठ्यक्रम में ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाय कि लड़का अगर डिग्री प्राप्त करके अपने घर लौट कर जाता है तो वह अपने वातावरण में, कृषि में ऐसा क्या करे जिससे उसके जो पुश्तैनी खेत हैं, उसमें वह और ऐसा क्या कर सके? जैसे उसे हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, फिशरीज आदि का ज्ञान दें। एक तो यह पाठ्यक्रम है जैसे मुरादाबाद का ब्रास इण्डस्ट्री, फिरोजाबाद का ग्लास इण्डस्ट्री, भदोही में कालीन इण्डस्ट्री तथा लखनऊ में चिकन व्यवसाय है। ये क्षेत्रीय उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्थान रखते हैं उनके बारे में पाठ्यक्रमों में क, ख, ग भी नहीं पढ़ाया जाता, यह नहीं जानते कि मार्केटिंग कहाँ होगी, शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें किस उद्योग को, कुटीर उद्योग को चलाने के लिए दी जाती हैं यह ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। इन सारे

विषयों को शामिल करके उसका नाम आर्थिक स्वावलम्बन का विषय रखा गया है। यह बात सही है कि इस दिशा में सहमति तो सभी ने दिया लेकिन पाठ्यक्रम तैयार नहीं हो पाया। आर्थिक स्वावलम्बन का एक पाठ्यक्रम शासन और विश्वविद्यालयों के सहयोग से बनाया जाये और इसको अगले वर्ष से अनिवार्य रूप से हर विश्वविद्यालय में लागू किया जाये जिससे डिग्री प्राप्त करने वाला हर लड़का कुछ न कुछ आर्थिक स्वावलम्बन के बारे में भविष्य की दिशा सुनिश्चित कर सके और उस ज्ञान का लाभ उठा सके।

तीसरा प्रश्न आपने किया फीस की। यह बात सही है कि फीस ज्यादा है। सरकार द्वारा पोषित जो संस्थायें हैं उनमें फीस शासन द्वारा निर्धारित है। स्व-वित्त पोषित संस्थाओं में फीस का निर्धारण न होने से ये संस्थायें मनमानी फीस ले रही हैं। जो हमारे पास शिक्षा के 3 विभाग हैं प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इनके प्रमुख सचिव और निदेशक की एक कमेटी बनायी है और इसका शासनादेश भी हो गया है। उससे यह कहा गया है कि वह 30 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट दें कि छात्रों से अधिकतम क्या फीस ली जायेगी और हमने यह भी परामर्श दिया है कि अगर उससे ज्यादा कोई फीस लेता है तो उस संस्था के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है, इसका भी प्रस्ताव दें। इसके आधार पर छात्रों से जो मनमानी फीस ली जा रही है, उनका शोषण हो रहा है उस पर कड़ाई से अंकुश लगाना चाहते हैं और व्यवहारिक बनाना चाहते हैं कि छात्र फीस भी दें और निजी क्षेत्र में जो संस्था चल रही है उसको लाभ भी हो, दोनों का समन्वय बनाकर प्रस्ताव दें, फिर हम निर्णय लेंगे। उस कमेटी को यह भी कहा है कि जो निजी क्षेत्र में संस्थायें चल रही हैं उसमें शिक्षक को न्यूनतम वेतन क्या दिया जाय, क्योंकि हम छात्र और शिक्षक दोनों का शोषण रोकना चाहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ाना चाहते हैं और निजी क्षेत्र का उपयोग करके अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है लेकिन विशेष रूप से जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वह कुछ विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। विश्वविद्यालयों और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या विश्वविद्यालय जो ऐसे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वहाँ पर प्लेसमेंट की व्यवस्था के बारे में सरकार कोई दिशा निर्देश देगी? दूसरा प्रश्न है कि आज आवश्यकता है इन्फारमेशन टेक्नॉलोजी और कम्प्यूटर शिक्षा की, हमारे पत्रकार बन्धु बैठे हैं। आज जर्नलिज्म के कोर्सेज बहुत कम स्थानों पर हैं जर्नलिज्म के पाठ्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छे पत्रकार निकलेंगे, तो क्या इस पर सरकार कोई निर्णय लेगी ? पिछली सरकार ने इलाहाबाद के अन्दर राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय खोला था और उसमें कुछ रोजगारपरक पाठ्यक्रम चल रहे हैं तो क्या उच्च शिक्षा मंत्री जी उसमें विस्तार कर कोई नवीन पाठ्यक्रम शमिल करेंगे जिससे और लोगों को रोजगार मिल सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आज उच्च शिक्षा की दिशा मैं समझता हूं कि किसी भी व्यवस्था में जितने प्रकार की अनियमिततायें हो सकती हैं, प्रक्रिया के संबंध में कठिनाइयां हो सकती हैं, उस संबंध में किसी भी तरह से जो भी सुझाव आयेंगे मुझे उस व्यवस्था को समाज के हित में लागू करने में कोई हिचक नहीं होगी। जो भी सुझाव माननीय सदस्यों या पूर्व माननीय मंत्री गौर साहब से मिले हैं उसको कार्यान्वित करने में हम कोई विलंब नहीं करेंगे। लाइब्रेरी साइंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी, कम्प्यूटर साइंस और पत्रकारिता के कोर्स जगह-जगह चल रहे हैं। मैं उन कुलपतियों से आग्रह करूँगा जिनके यहां कोर्स नहीं चल रहे हैं वह भी उसका विस्तार करायें जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों की बात है, जो कोर्स वह चलाना चाहते हैं शासन उसमें सहयोग देने के लिये तैयार है। मैं चाहता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर कार्य करें और उनमें अधिक से अधिक छात्र रजिस्टर्ड हों। इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने रोजगार परक शिक्षा के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं कि ज्योतिष को एक विषय के रूप में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शुरू किया गया है। क्या ज्योतिष शास्त्र को रोजगार परक मानकर शुरू किया गया है यदि हां तो इससे बेरोजगारी दूर करने का प्रारुप क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, देखा जाय तो पूरी शिक्षा ही रोजगार परक है। छात्रों को डिग्री मिलने के बाद रोजगार मिलता है। ज्योतिष तो रोजगार परक है ही। ज्योतिषयों सम्पन्न क्लास और राजनीतिक लोगों की पसंद है। अगर इसको पढ़ने के बाद राजनीतिज्ञों के साथ विश्वास बन गया तो इससे रोजगार तो मिल ही जायेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आज पढ़े लिखे लड़कों को आगे रोजगार मिलने की संभावनायें बहुत सीमित हो गयी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक के दबाव में 2 प्रतिशत पद प्रतिवर्ष कटौती करने पर सहमत हो गयी है। आज जो हमारे प्रदेश की प्रतिभायें हैं वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये सरकार को कार्यवाही करना चाहिये। आज पढ़े लिखे लड़कों के लिए कोई विकल्प रोजगार के संबंध में नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चस्तरीय एक्पर्ट कमेटी बनायी चाहिये जो कम से कम दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार रोजगार परक शिक्षा के संबंध में रोजगार परक नीति और पाठ्यक्रम बनाये तभी शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। मान्यवर, सरकार के संसाधन सीमित हैं और अगर सरकार रोजगार परक शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ करना चाहें तो जब तक वह वित्त पोषित नहीं बनाये जायेंगे तब तक शासन न तो इतने पद सृजित कर सकता है और न इतने संसाधन जुटा सकता है। मान्यवर, जब तक संशाधन नहीं होंगे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम चालू करना कठिन होगा। आज जिस तरह से तमाम विश्वविद्यालयों ने वित्तपोषण के नाम पर लंबी चौड़ी फीस गरीब विद्यार्थियों से लेना प्रारम्भ किया है उसको देखते हुये सरकार को कोई नीति, दिशा-निर्देश और गाइडलाइंस इस दिशा में बनायी चाहिये। क्या एक एक्सपर्ट कमेटी शिक्षा विदों की गठित करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में भविष्य में उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सके। वह एक्सपर्ट कमेटी अध्ययन करके सुविचारित नीति बनाए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए योजना बना सके।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए।)

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं वह सभी रोजगारपरक। शिक्षा देने के प्रयास की दिशा में हैं। ज्यों ज्यों समस्याएं आती हैं उसके समाधान का रास्ता खोजा जाता है। विश्वबैंक को दो प्रतिशत कटौती का आश्वासन दिया गया है। उनके दबाव में दो प्रतिशत कटौती नहीं की गई। यह तो पहले का निर्णय है।

डा० अशोक बाजपेई–

यह तो पूरी दुनियां जानती है कि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है प्रतिवर्ष दो प्रतिशत सरकारी पदों में कटौती का। यह कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। संसदीय कार्यमंत्री जी भी सदन में स्वीकार कर चुके हैं। यह आश्वासन दिया है।

श्री ओमप्रकाश सिंह–

मान्यवर, किसी को आश्वासन दे देना एक प्रक्रिया का अंग होता है। शासन ने निर्णय तो उस आश्वासन से पहले ही ले रखा है। जिससे हम समझौता कर रहे हैं उस समझौते से पहले ही निर्णय ले

रखा है। यह आश्वासन उस कारण नहीं बल्कि शासन की पूर्व नीति के कारण है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सभी विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है तो जो उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा परिषद् में एक सलाहकार समिति विश्वविद्यालयों के कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जो अभी भारतीय विज्ञान परिषद् की साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वैज्ञानिकों के पद में सबसे बड़ा पद है। वह उसके अध्यक्ष हैं। मैं इस मसले को उस समिति को रेफर करुँगा उसके सामने रखूँगा। चूंकि उसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हैं समाज के अन्य विद्वान सदस्य हैं। वह छात्रों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कोई नए कोर्स का प्रस्ताव कर सकते हैं। उस परिषद् को मामला रेफर कर दूँगा। उनसे कहूँगा कि वह दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे दें। ताकि शासन उस पर विचार करके सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह करे कि वह इस दिशा में अपने सार्थक प्रयास करे।

डा० अशोक बाजपेयी–

क्या अगले वर्ष से उस पाठ्यक्रम को लागू करेंगे? जो एक्पर्ट कमेटी की रिपोर्ट आए उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित करके अगले वर्ष से लागू किया जा सकता है। क्या इस संबंध में कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैं अभी उनको मामला रैफर कर दूँगा। तो तीन महीने में वह अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उस पाठ्यक्रम की रूप रेखा तैयार करके अगले वर्ष के पाठ्यक्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों से आग्रह करेंगे व प्रयास करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने अनुपूरक उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि जो उत्तर प्रदेश में दो व्यवस्थाओं से महाविद्यालय चल रहे हैं एक तो शासन द्वारा वित्त पोषित और दूसरे स्ववित्त पोषित महाविद्यालय चल रहे हैं। स्ववित्त पोषित विद्यालयों में छात्रों से हजारों रुपये मासिक लिया जा रहा है जिसके कारण छात्रों का शोषण हो रहा है। क्या इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों का भी शोषण न होने पाए तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को खोलने के लिये, जिसमें आपने कुछ शर्तें लगा रखी हैं। महाविद्यालयों को खोलने के लिये 55 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत आज के समय में कम से कम 20 लाख रुपये आयेगी। इनडाउमेन्ट के लिये 4 लाख रुपये और लाइब्रेरी में कुछ पुस्तके रखने के लिये डेढ़ दो लाख रुपये की आवश्यकता होगी। 7 कमरे उस महाविद्यालय के लिये मिनिमम हैं। एक महाविद्यालय कोई भी निजी क्षेत्र में खोलता है तो उसके लिये 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। आज जब ग्राम समाज की जमीन नहीं मिल सकती है जब किसी क्षेत्र में कोई महाविद्यालय खोलने के लिये यह सारी व्यवस्था कर लेता है तो आप उनसे जो शुल्क लेते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि क्या वो इन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को अनुदानित करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी एक बात यह कहनी है कि इन महाविद्यालय में जो विषय दिये जाते हैं उनमें व्यवसाय परक विषय भी होने चाहिए आपने कहा कि महाविद्यालय को मान्यता दी जाती है वहां शुरू में 7 विषय मिलते हैं। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन सातों विषयों में से कोई भी विषय रोजगार पाठ्यक्रम की श्रेणी में नहीं आता है। इस सम्बन्ध में शासन निर्देश करे कि जो नये महाविद्यालय को मान्यता देते हैं उनमें वर्तमान समय के जो पाठ्यक्रम हैं व्यवसाय परक जैसे बी०सी०ओ० एम०सी०ओ० चाहे कम्प्यूटर कोर्सेज हों, होम साइन्स हो, फाइन आर्ट हो, होटल मैनेजमेंट हो, इस तरह के विषय उन सात विषयों में से कोई एक होना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अगर सरकार की आर्थिक स्थिति और क्षमता सहायता देने की होती तो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय और विद्यालय खोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसीलिये तो वह किसी भी क्षेत्र की भागीदारी से शिक्षा का प्रसार किया जा सके, यह व्यवस्था कर रही है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही यह नीति बनाई गई है। पाल जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है और निश्चित रूप से वह सुझाव स्वीकार करने योग्य भी है कि सात विषयों में से एक विषय रोजगार परक भी वहाँ खोला जाय। यह गम्भीर रूप से विचार करने योग्य बात है। यह निजी क्षेत्र में जो महाविद्यालय खुल रहे हैं उनसे परामर्श करके उन पर एक दबाव देकर उसकी व्यहारिकता को दिखाकर यह नीति लागू हो जाय तो प्रदेश के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा। इस अच्छे सुझाव को हम देखेंगे कि निश्चित रूप से कैसे कार्य रूप दिया जाय। इसका सकारात्मक पक्ष क्या हो? इस पर भी जरूर प्रयास करेंगे। जहाँ तक महाविद्यालय के खोलने के सम्बन्ध में तमाम शर्तों की बात कही। यह सही है कि उसमें पैसा जरूर लग रहा है लेकिन फिर भी लाइन लगी है। ऐसा संकट नहीं है कि खोलने वाले कम हों। गाजीपुर में 41 स्ववित्त पोषित और जौनपुर में 40 स्व वित्त पोषित महाविद्यालय/विद्यालय हैं। पूर्वी इलाका जो कि गरीब क्षेत्र है, इसमें ज्यादा खुल रहे हैं और आज भी लाइन लगी है। बुन्देलखण्ड का क्षेत्र ऐसा है, जिसमें इस तरफ लोगों का रुझान नहीं है। इसलिये पिछले वर्ष हमने पूरे प्रदेश के लिये जो शर्तें हैं उनको बुन्देलखण्ड के लिये 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक कम कर दिया इनडाडमेन्ट विषय बार कम कर दिया लेकिन तकलीफ का विषय है कि वहाँ सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए भी जागृति नहीं आई है।

(नत्थी-ख तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने एवं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के अनुपस्थित रहने पर तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया)

श्री संजय गर्ग–

मेरा मूल प्रश्न है मान्यवर, मुझे पूछ लेने दें। अध्यक्ष महोदय जी भी कहकर गए थे अन्त में प्रश्न करने के लिए मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आधा घंटा हो गया है।

श्री संजय गर्ग–

स्वपोषित और वित्त पोषित संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ वित्त पोषित संस्थाओं में कौन-कौन से कोर्सेज चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठें मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया है।

श्री संजय गर्ग–

जैसा कि आपने जिक्र किया हार्टिकल्चर आदि के बारे में तो इसमें जो एडमीशन लेंगे...

श्री अधिष्ठाता–

समय खत्म हो गया है।

श्री संजय गर्ग–

जो शर्तें आपके द्वारा निर्धारित होंगी जो खर्चा आएगा इसमें स्ववित्त पोषी संस्थाओं का खर्चा कम होगा जिससे कम शिक्षण शुल्क के आधार पर शिक्षा उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे गरीब बच्चों को रोजगार करना है।...

श्री अधिष्ठाता–

समय समाप्त होने के बाद माननीय सदस्य को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नों पर शासन को उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम तैयार कराए गए हैं अधिक से अधिक संस्थाओं में रोजगार परक विषयों का शिक्षण कार्य कराया जाएगा। नीतिगत रूप से सदन के सामने दो प्राथमिकतायें स्वीकार करते हैं इन दोनों के प्रारुप सामने आ जाएं तो इसको कम फीस पर कैसे लागू किया जाएगा इसकी भी रूप रेखा तभी तैयार की जा सकती है, लेकिन प्रदेश के छात्रों को ग्रामीण और मध्यम वर्गीय छात्रों को वर्तमान परिस्थिति और निजी क्षेत्र में शिक्षा के सहयोग को ध्यान में रखते हुए कम से कम फीस में कैसे पढ़ाया जाए इसकी रूप रेखा तैयार करने पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार विचार करेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण की मांग

*1–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 14 साल तक के बच्चों में शिक्षा जागृति हेतु "स्कूल चलो अभियान" में मिलने वाली निःशुल्क किताब कापियों को केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को ही देने का निर्णय शासन ने लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करते हुए सभी वर्गों के 14 वर्ष तक के बच्चों को उक्त सुविधा प्रदान करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 5 तक में अध्ययनरत सभी वर्गों के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2002-03 में की गई है। कक्षा 6-8 के सामान्य वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की व्यवस्था सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं पायी गयी।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु विशेष योजना की माँग

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पूर्व से संचालित है।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं पूरे प्रदेश को चिन्ता है आज जो बुनियादी सवाल है उत्तर प्रदेश के विद्यालय चाहे वह पब्लिक स्कूल हों, मांटेसरी स्कूल हों चाहे सरस्वती विद्या मंदिर हों इनके चलते बुनियादी शिक्षा चरमरा गई है। मैंने कहा बुनियादी शिक्षा के लिए कोई कार्ययोजना है, सरकार ने कहा जी नहीं, मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिक विद्यालयों के सुधार की भविष्य में कोई योजना नहीं है.....

आज उत्तर प्रदेश के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ कई अध्यापक होने चाहिए वहाँ एकल संचालन से विद्यालय चल रहे हैं। एक अध्यापक एक से पाँच तक के कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकता है पाँच कक्षाएं तो न्यूनतम होंगी, तो कम से कम पाँच टीचर होने चाहिए अगर पाँच नहीं तो चार या फिर तीन टीचर होने चाहिए। लेकिन यह विडम्बना है कि पूरे प्रदेश में ऐसे उन तमाम प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक द्वारा संचालन हो रहा है उन प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता, शैक्षिक वातावरण एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए क्या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे? दूसरी बात इन्होंने कही है कि हम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पूर्व से संचालित है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस सर्व शिक्षा अभियान को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं और वर्तमान समय में आपरेशन ब्लैक बोर्ड या ई० पी० डी० पी० योजना है क्या वह योजनाएं बंद हो गयी हैं?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, पाल साहब ने जो प्रश्न किया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है? मान्यवर, पहले से सुधार के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं नये नहीं किये गये हैं इसलिए उत्तर नहीं में आया है। जहाँ तक पाल साहब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या सर्व शिक्षा कार्यक्रम...

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक अध्यापक कैसे विद्यालय में सबको पढ़ा सकता है। तो तीन चार तो अध्यापक होने चाहिए इसके संबंध में क्या करने जा रहे हैं यह पहले सदन को पता दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसी से संबंधित एक प्रश्न आगे आने वाला है मैं उसमें उत्तर दे दूँगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप कह रहे हैं कि आगे आने वाला है उत्तर दे दूँगा। आप तो वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं आपसे ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते।

श्री लाल जी वर्मा–

जहाँ तक एक शिक्षा अध्यापकों की बात है प्रदेश में अध्यापकों की कमी है प्राथमिक विद्यालयों में इस बात को हम स्वीकार करते हैं। प्रदेश में कुल स्वीकृत पद अध्यापकों के दो लाख साठ हजार इक्यासी है और उसके सापेक्ष दो लाख चार हजार चार सौ सात कार्यरत हैं। जो इन अध्यापकों की सेवा नियमावली है उसके अनुसार बी० टी० सी० की नियुक्ति का प्राविधान है। कुल 56 डाइट हैं। पाँच हजार छः सौ अध्यापकों की ट्रेनिंग की बात है और लगभग नौ, दस हजार अध्यापक सेवा निवृत्ति हो चुके हैं जिसके कारण अध्यापकों की कमी है। जो बी० टी० सी० प्रशिक्षित हैं उनको भर्ती करने का काम गतिमान है। इस काम को पूरा करने के लिए 1998 में विशेष बी० टी० सी० की नियुक्ति करने का प्राविधान चलाया था। 23 हजार अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है। 2001 में बीस हजार अध्यापकों का चयन किया परन्तु हाईकोर्ट में अपील दायर हुई जिसमें हाईकोर्ट ने रोक लगायी, बाद में निरस्त कर दिया। फिर गये हैं, जैसे ही उच्च न्यायालय का फैसला होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

बीस हजार अध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी फिर खारिज कर दिया। यह फिर एस० एल० पी० में चले गये बीस हजार अध्यापकों की नियुक्ति खटाई में पड़ गयी है। आपने कहा कि शिक्षा मित्र, आचार्य मित्र नियुक्त करेंगे। हम रेग्यूलर प्राइमरी टीचर की व्यवस्था करायेंगे तो क्या हुआ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो चयन हुआ था उसे माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अभी पाल साहब कह रहे थे कि उसमें नियुक्ति का आदेश है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, उसको फिर से कराने के लिए हमने विशेष अपील की है। यह विचाराधीन है। जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसी के अनुसार शासन कार्रवाई करेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

श्री अधिष्ठाता जी अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षा विभाग को कृपा पूर्वक अपने पास ले लिया। लगा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें न तो शासन की रुचि है और न सरकार की। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया है क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा में सुधार के लिए कोई योजना बनायी जा रही है यह प्रश्न था और उत्तर आया कि–जी नहीं। इसका सीधा अर्थ यही है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है उससे पूर्णतः संतुष्ट है। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि आपने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए तमाम प्रयोग किये हैं लेकिन क्या उनका कभी मूल्यांकन किया है? चाहे आपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, चाहे आपका सर्व शिक्षा अभियान हो। क्या आपको जानकारी है कि स्कूल चलो अभियान के फर्जी आंकड़े आपके पास आ रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत कितने बच्चे स्कूल जाने लगे? जब विश्व बैंक से इतनी बड़ी योजनाएं संचालित होती हैं तो सर्वशिक्षा अभियान का मूल्यांकन भी कराना चाहिए था। आज हालत यह है कि प्राथमिक स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है। एक भी शिक्षा मित्र की नियुक्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस सबके चलते प्राथमिक शिक्षा कैसे चलेगी? गुणवत्ता तो दूर की बात रही क्या न्यूनतम शिक्षा भी बच्चों को मिल सकेगी या नहीं, यह पूरे सदन की चिन्ता का विषय है। आज प्राथमिक शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं बल्कि मतदान कराना, जनगणना कराना, विद्यालय की मरम्मत कराना रह गया है मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि इन सब विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा चरमरा रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए और सर्वशिक्षा कार्यक्रम का प्रदेश में कितना असर हुआ है इसका मूल्यांकन कराया जाये। यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सर्वशिक्षा अभियान की क्या उपलब्ध रही इसका सवाल है तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या एक करोड़ 63 लाख 40 हजार है। जबकि स्कूल चलो अभियान के पहले स्कूल न जाने वालों की संख्या केवल बालकों की संख्या 2 करोड़ 96 लाख 80 हजार थी। स्कूल न जाने वालों की संख्या 21 लाख 80 हजार थी। सर्वशिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा से 21–7–2002 तक स्कूल जाने वालों की संख्या 39 लाख 70 हजार, इसी तरह से दिनांक 31-7-2002 तक कुल नामांकन हुए 3 करोड़ 36 लाख 50 हजार। मान्यवर, अब नामांकन हेतु शेष बच्चों की संख्या 12 लाख 10 हजार है। तो मान्यवर, इस सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह उपलब्धि हुयी है। मान्यवर, इसमें दो चरणों में योजनाएं बनी हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय पेज पर और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तीसरे पेज पर है। प्रथम पेज पर वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2003 तक का कार्यक्रम है। परियोजना की कुल लागत 629.97 करोड़ रुपये की लागत थी। इसमें 85 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का था और 15 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा था।

मान्यवर, उसमें जो दोनों कार्यक्रमों में जो योजना है जो अप्रैल, 2000 से 2005 तक लागू की गयी है इसकी कुल लागत 804 करोड़ रुपया है और इसमें भी 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 15 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। मान्यवर, इसमें जो उद्देश्य है वह नामांकन सम्प्राप्ति और ड्राप आउट में लैंगिक तथा सामाजिक वर्गों के अन्तर को 5 प्रतिशत से कम करना, सभी विद्यार्थियों के लिये

प्राथमिक कक्षाओं में ड्राप आउट की दर 10 प्रतिशत से कम करना, प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्रों की औसत सम्प्राप्ति के वेसलाइन सर्वेक्षण में मापित स्तरों में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि करना और भाषा और गणित की दक्षताओं की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा अन्य दक्षताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत सम्प्राप्ति स्तर सुनिश्चित करना। मान्यवर जो सर्व शिक्षा अभियान शुरु किया गया है इसमें जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति होगी उसमें है–शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार।

मान्यवर, प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम लागू किया गया है जो प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम था और जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम था, वह 1-5 तक की कक्षाओं में विगत वर्ष सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जिसमें 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1-8) और अभी पहले चरण में 10 जिलों में यह शुरू हो गया है। सत्रह जिलों में लागू किया जा रहा है। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन, 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें, गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा पर बल, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालक बालिका एवं सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है कि इसमें आप कोई विशेषज्ञ समिति बनाकर मूल्यांकन करायेंगे? इसमें 1200 करोड़ से अधिक का विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त हुआ। मान्यवर जो इसमें आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं उनकी सत्यता का पता लगाने का काम भी करना जरूरी है। दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव है उससे गुणवत्ता का सुधार नहीं हो सकता उसके लिए आपने क्या निर्णय लिये हैं?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जहाँ तक जो यह कार्यक्रम लागू है प्रदेश स्तर पर मान्यवर, शिक्षा विभाग समय-समय पर इसमें परीक्षण भी करता रहता है और उसके अनुसार अगर कहीं कोई विशेष कमियाँ रहती हैं माननीय डाक्टर साहब अवगत करायेंगे तो उसके अनुसार भी कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जहाँ तक दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि जो प्राथमिक अध्यापकों की कमी है इसके लिए शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गयी है इसके लिए उनको मानदेय पर रखेंगे ताकि शिक्षा मित्रों के माध्यम से जहाँ पर अध्यापकों की कमी है, पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। मान्यवर, प्रदेश में लगभग 34 हजार शिक्षा मित्रों को मानदेय पर रखने का काम किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो।

मान्यवर, सभी बच्चों को हम जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सकें इसके स्तर पर काफी प्रयास किया जा रहा है जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार हम निश्चित रूप से प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के सहयोग से इस अभियान में पूरी तत्परता से लगी हुई है जिससे सभी बच्चों की गुणवत्ता को सुधार कर के उसके प्राथमिक के स्तर को सुधार सकें।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मान्यवर, मंत्री जी प्रश्न दूसरा होता है और उत्तर दूसरा देते हैं। बार-बार कह चुके हैं कि अध्यापकों की कमी है। जब अध्यापकों की कमी है तो बिना अध्यापक के पढ़ाई नहीं हो सकती। सर्व शिक्षा अभियान आपका चल रहा है। ऋणं कृत्वा, घृतम् पीवेत्। की राह पर मंत्री जी चल रहे हैं विश्व बैंक से कर्जा लो फिर उसका खाओं कमाओं, व्यवस्था करो। मान्यवर, जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या होगी? मैं जानना

चाहूँगा कि प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें एकल व्यवस्था है और कितने ऐसे हैं जिसमें कोई अध्यापक नहीं है? क्या अध्यापकों की तादात को पूरी करने के लिए शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करेंगे? जब तक बी० टी० सी० के लोग नहीं आ जाते तब तक क्या शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करेंगे?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अंचल जी फिर से प्रश्न पूछ लें?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक आप बी० टी० सी० का विधिवत चयन नहीं करते हैं तब तक शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करेंगे? और कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ एकल व्यवस्था है और कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ अध्यापक हैं ही नहीं?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश के कुल एकल विद्यालयों की संख्या इस समय 6182 है।

श्री राकेश सचान–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस गम्भीर प्रश्न पर हमको बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो आज माननीय जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न उठाया है यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आज अध्यापकों की कमी है माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। हमारी समझ में यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सब लोग जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाते होंगे तो एक अध्यापक से ज्यादा किसी विद्यालय में मिलता ही नहीं होगा और वह अध्यापक भी चाहे मतगणना हो, चाहे जनगणना हो, चाहे जो भी कार्यक्रम हो सब अध्यापक की जिम्मेदारी पर रहता है आज सभी की चिन्ता का विषय है, प्राथमिक शिक्षा पर जिस तरह से सरकार ने जवाब दिया है जी नहीं, कहीं अध्यापक नहीं हैं, अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक आध गांव में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किया है दूसरा सबसे गम्भीर मामला है कि आजादी के 54 वर्ष बाद भी आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ही नहीं हुई। प्राथमिक स्कूल नहीं बने हैं तो जो गांव छूट गये हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं बने हैं क्या उनको बनवाने का काम सरकार करेगी और यहाँ जितने अध्यापकों की कमी है उन अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए बी० एड० या और डिग्रीधारी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको चयनित करके उसको पूरा करने का काम करेगी?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत असेवित का मानक रखा गया है किन्तु प्राइमरी विद्यालय के लिए डेढ़ किमी० की दूरी और 300 की आबादी के लिए 3 किमी० की दूरी और 800 की आबादी के हिसाब से 3688 प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पड़ेगी और 6,700 जूनियर हाईस्कूल के विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसके सापेक्ष 1433 विद्यालय खुले हैं और 18,773 जूनियर हाईस्कूल के विद्यालय हम अलग से खोल रहे हैं। इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस अभियान के तहत सभी बच्चों की पहुँच में हम विद्यालयों की स्थापना कर सकें और इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सभी बच्चों की पहुँच में प्राथमिक शिक्षा को पहुँचाने का हमारा संकल्प है इसके आधार पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर और सन् 2010 तक प्राइमरी स्तर पर लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। एक और जो इसमें व्यवस्था की गयी है दो प्राइमरी विद्यालय पर एक जूनियर हाईस्कूल। इसके आधार पर भी हमें पूरा विश्वास है कि प्राथमिक शिक्षा को सही स्थिति में लाने का काम कर पायेंगे।

श्री राधेन्द्र सिंह राणा--

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों की कमी है और मान्यवर, उसके लिए क्या सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है और दूसरा प्रश्न यह है कि शिक्षा मित्र और आचार्य मित्रों की नियुक्तियों में व्यापक धांधलियां हुई हैं क्या उसके लिए जाँच हो रही है? क्या उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को दूर करने के लिए इसलिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा नीति जिन अधिकारियों द्वारा बनायी जा रही है उनके बच्चे इंगलिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत लोग पढ़ते हैं सभी लोगों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। आज जितनी जमीन शिक्षकों की है उतनी किसी और की नहीं है इसको दूर करने का कोई प्राविधान है।

श्री लाल जी वर्मा--

अध्यापकों की जितनी कमी है उसको पहले ही बता दिया गया है। मैं पुनः बता रहा हूँ इस समय वर्तमान में जो अध्यापकों की कमी है वह 55,674 है।

श्री लाल बहादुर यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आज चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के हों, प्राथमिक विद्यालय की जो हालत हो चुकी है, मजदूरों और गरीबों के बच्चे ही इन स्कूलों में पढ़ते हैं। सक्षम लोगों के बच्चे तो मांटेसरी में जाते हैं। ऐसी दशा में सरकार आंकड़े पेश कर रही है। उस दशा में मैं जानना चाहूँगा कि जो अनौपचारिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसका एक गठन हुआ था 80,820 इनकी नियुक्तियां हुई थीं। आज वह मारे-मारे फिर रहे हैं। यह अपने तरीके से विद्यालय चला रहे हैं, बार-बार अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। उनके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रख लिया गया है। उनके और साथियों को रखने का काम क्या सरकार करेगी? उनकी शर्तें हैं। सरकार कहती है, हमारे पास पैसा नहीं है। वह क्वालीफाइड हैं और निःशुल्क सेवा करने के लिये तैयार हैं। क्या सरकार उनकी नियुक्ति करेगी और गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करेगी?

श्री लाल जी वर्मा-- -

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से तो अलग है, अनुदेशकों का मामला, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र रखने के लिये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसमें ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उसका चयन किया जाता है। जो अनुदेशक क्वालीफाइड हैं, शिक्षा मित्र के लिये एप्लाई करेंगे वह यदि मेरिट में आयेगें तो उनको मानदेय के आधार पर रखा जा सकता है यदि मेरिट में नहीं आयेंगे तो निश्चित रूप से नहीं रखा जायेगा।

श्री राम करन आर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा की बात की जाती है और दो अध्यापक भी नहीं हैं, 50 फीसदी प्राथमिक विद्यालयों में। अधिकांश में एक-एक हैं। इसके साथ ही साथ प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को स्कूल बनाने का काम भी दे दिया जाता है, वह स्कूल बनाने के काम में फँसे रहते हैं, सामान लाते हैं, विद्यालय बंद रहता है और सरकार प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ठेकेदार बना रही है। यह ठेकेदारी का कार्य करें या अध्यापन का काम करें। यह भी होता है कि अध्यापक यदि चालाक है तो वह पैसा निकाल लेता है और यदि प्रधान चालाक है तो वह पैसा निकाल

लेता है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जहाँ से पैसा निकाल लिया गया है और प्राइमरी पाठशाला नहीं बने हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को भवन निर्माण के काम से अलग करके सरकार उनसे केवल पठन-पाठन का काम करवायेगी ?

श्री लाल जी वर्मा–

कृपया प्रश्न तो फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री रामकरन आर्य–

माननीय मंत्री जी चालाकी की भाषा बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों से भवन निर्माण का काम न करवाकर केवल अध्यापन का काम करवायेगी और भवन निर्माण का काम किसी और विभाग से करवायेगी ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक शासनादेश 29 सितम्बर, 2000 को जारी हुआ है, जिसमें अध्यापक को किन कार्यों में लगाया जा सकता है, यह दिया हुआ है। उसके अनुसार स्कूल भवन निर्माण, साक्षरता अभियान, जनगणना, पल्स पोलियो, वोटर लिस्ट तैयार किया जाना, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य। प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। यह सभी कार्य पूर्णकालिक नहीं हैं, केवल 2-4 दिन के काम हैं, इसमें कोई ठेकेदारी का सवाल नहीं है।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की माँग

श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक पढ़ने वाले बच्चों को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी नहीं !

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था कक्षा-1 से कक्षा-8 तक पढ़ने वाली समस्त बालिकाओं व अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान) के अर्न्तगत की गई है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद कक्षा-1 से कक्षा-5 के सामान्य वर्ग में बच्चों हेतु भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था कर दी है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, ये सवाल ऐसा है कि जिसमें पूछा था सरकार से कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कक्षा-एक से लेकर कक्षा-आठ तक सभी बच्चों को यह सरकार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराएगी ? उत्तर आया जी नहीं, फिर दूसरा आया कि कक्षा-एक से कक्षा-पाँच तक बालिकाओं के लिए है लेकिन बालकों के लिए नहीं है। श्रीमन् इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भेद-भाव बच्चों के बीच में, उनके ऐसा करने से बच्चों का मन टूटता है और जब बच्चों का मन टूटता है तो देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि मंत्री जी के सामने ऐसी कौन सी कठिनाई है कि कक्षा–एक से कक्षा-आठ तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने में कोई कठिनाई है और उस कठिनाई को क्या यह अपनी फिजूल खर्ची को रोक कर के उसको विचार करेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, लगता है कि माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी ने इस उत्तर को पढ़ा नहीं है। मान्यवर, कक्षा–एक से पाँच तक के लिए सभी बच्चों के लिए यह सुविधा दी गई है। कक्षा-6 से कक्षा-8 तक केवल अनुसूचित जाति के बालकों और समस्त बालिकाओं के लिए यह सुविधा दी गई है और मान्यवर, यह केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। उसमें केवल कक्षा–एक से कक्षा–आठ तक सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए यह योजना थी। उसके बावजूद भी कक्षा–एक से कक्षा–पाँच तक के लिए सभी के लिए यह व्यवस्था कर दी है और इससे ज्यादा वित्तीय संसाधनों के कमी के कारण कुछ कर पाना संभव नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद–

इन्होंने केन्द्र पोषित योजना बताया तो मान्यवर, केन्द्र सरकार की कृपा से इनकी सरकार बनी है, तो क्या यह कक्षा–एक से कक्षा–आठ तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने के लिए जल्दी–जल्दी से प्रयास करेंगे?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया, केन्द्र सरकार जैसा निर्णय लेगी, वैसा ही होगा चूँकि केन्द्र के सहयोग से योजना है और 85 प्रतिशत पहले केन्द्र का हिस्सा था और दसवीं पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र का और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है। जैसा भारत सरकार द्वारा निर्देश समय-समय पर दिया जाएगा, उससे ऊपर हम नहीं जाएगें। फिर भी अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बाबजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा-एक से पाँच तक के लिए सभी के लिए यह व्यवस्था कर दी है।

श्री कपिलदेव यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो ये मान्यता प्राप्त अम्बेडकर विद्यालय जो पूरे प्रान्त में संचालित हैं, उसमें भी दलितों और शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं, इसके साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें, प्राथमिक पाठशालाओं और इण्टर कालेजों में भी यह पढ़ते हैं, उसमें भी दलितों, शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके साथ ऐसी नाइन्साफी क्यों होती है, उन्हें निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें नहीं दी जाती है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है?

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अवधेश प्रसाद जी ने बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में कक्षा-1 से लेकर कक्षा-8 तक पढ़ने वाले बच्चों को समान रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने पर क्या सरकार विचार कर रही है? जो उत्तर आया उसमें यह कहा गया कि कक्षा–1 से कक्षा -8 तक समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों हेतु निःशुल्क व्यवस्था की गयी है जबकि बालकों के लिए कक्षा–1 से कक्षा–5 तक ही निःशुल्क व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे तमाम पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लोग रह रहें हैं तो क्या सरकार उसकी गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा-1 से कक्षा–8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करेगी? दूसरा प्रश्न है कि कक्षा-5 से कक्षा–8 तक सामान्य और पिछड़ी जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने पर कितना व्यय भार पड़ेगा? क्या मंत्री जी ने इसका कोई अध्ययन कराया है? इसमें 75 प्रतिशत योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और केवल 25 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को देना है। आठवीं तक सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें देने में क्या कठिनाई है ? केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या सर्व अभियान हों इन योजनाओं के माध्यम से पुस्तकें मिल रही हैं। क्या मंत्री जी इसको देखते हुए 25 प्रतिशत अनुदान देकर कक्षा-1 से कक्षा-8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायेंगे?

श्री लालजी वर्मा

मान्यवर, मैंने इसका उत्तर दे दिया, भारत सरकार की योजना है, उस योजना में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों के लिए व्यवस्था है। इसमें हमारे 25 प्रतिशत अंश पर ही सहयोग मिल रहा है। हमने अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बाबजूद कक्षा-1 से कक्षा-5 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें देने का काम किया है, उसमें भारत सरकार का कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है।

जहाँ तक माननीय बाजपेयी जी ने पूछा कि कक्षा-6 से कक्षा-8 तक सभी बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने में कितना व्यय आयेगा, इसमें लगभग साढ़े सात करोड़ रूपये से अधिक का व्यय भार पड़ेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, छोटी सी रकम है, सभी बच्चों को दिया जा सकता है। अगर अम्बेडकर उद्यान में 4 हाथी न लगायें जाय तो सभी बच्चों को पुस्तकें दी जा सकती हैं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री आलमवदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, अम्बेडकर पार्क में जो करोड़ों रूपये की फिजूलखर्ची हो रही है, उसको रोककर किताबें बॉटने का काम करें।

श्री आलमवदी–

माननीय अधिष्ठाता जी, सदन में बड़ी देर से बेसिक एजुकेशन पर चर्चा हो रही है। बेसिक एजुकेशन किसी देश की उन्नति का एक पैमाना माना गया है, आज दुनिया में वह देश आगे हैं, वहाँ की सरकार कामयाब है, एक पैमाना मान लिया गया है, वहाँ पर कैपिटा इन्कम कितनी है तथा एजुकेशन कितनी प्रतिशत है।

हम रो रहे हैं हमारे यहां बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि बेसिक एजुकेशन सरकार के इंतजाम के काबू के बाहर की चीज बन चुकी है इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव है संविधान में लिखा गया है कि सरकार बेसिक एजूकेशन फ्री देगी लेकिन सरकार नहीं दे सकी। हमें खुद ही आगे की राह तलाश करनी चाहिए मेरा सुझाव है कि मुसलमान अपने गांव में रहते हैं और वहां लोगों के सहयोग से मदरसे चलाते हैं और मदरसों में एजुकेशन अच्छी तरह से दिया जाता है। मेरा इस सिलसिले में सुझाव है कि दर्जा 5 तक के विद्यालय टोटल ग्राम सभाओं को दे दिये जायं। ग्राम सभायें दो हजार प्रति महीने वेतन देकर 3 अध्यापक रख लेगीं और शिक्षा दिलवायेगें और जो सरकारी अध्यापक पढ़ाते नहीं है, नेतागीरी करते हैं उनको डिजाल्व कर दें और दूसरे जूनियर हाई स्कूलों में भेज दें और टोटल बेसिक एजुकेशन प्रधानों को दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, फिर से प्रश्न पुछवा दें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों के लिये राजाज्ञा जारी हुयी है वह कब जारी हुयी है और जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिये कब जारी हुयी है। सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थियों को कितनी निशुल्क पुस्तकें दी गयीं हैं ?

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए)

श्री लालजी वर्मा –

मान्यवर, मैं इसकी सूचना सदन और माननीय सदस्य को दे दूँगा।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री लालजी वर्मा–

स्थगित काहे कर दें, मैं सूचना दे रहा हूँ। मान्यवर, जो सामान्य वर्ग के लाभार्थी हैं उनकी संख्या 46 लाख 47 हजार है और इसके लिये जो बजट में रूपया रखा गया है, तो 16 करोड़ 44 लाख का प्राविधान इसके लिये किया गया है। मान्यवर, इसके लिये सभी स्कूलों में व्यवस्था की जा रही है। अगर कहीं पर शिकायत पायी जाती है तो उसको मेरे संज्ञान में लायें, उसकी जांच करवाकर कार्यवाही की जायगी।

नत्थी–'ग'

*श्री संजय गर्ग–

[4 थे शुक्रवार के तारां अ०स० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार की जानकारी

*2—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

1—शिक्षकों के कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।

2—शिक्षकों की मासिक बैठक में अकादमिक मार्ग-दर्शन।

3—विद्यालयों का श्रेणीकरण।

4—शिक्षण हेतु सहायक सामग्री बनाने हेतु शिक्षक अनुदान।

5—व्यापक मूल्यांकन पद्धति का विकास।

6—पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण कर उन्हें अधिक आकर्षक एवं उपयोगी बनाना।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या–2 को स्थगित किये जाने का अनुरोध

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ। आजादी के 55 साल बाद भी शहरों में अध्यापक हैं, छात्र नहीं हैं और देहातों में छात्र हैं अध्यापक नहीं हैं। मंत्री जी ने पाल साहब के तारांकित प्रश्न–2 में जबाब दिया था कि जी नहीं कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है। मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जी हाँ प्रश्न एक ही है उत्तर अलग है। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह अतारांकित प्रश्न–6 में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। अतारांकित प्रश्न-47 में कहा कि जी हाँ, रिक्त पदों को भरने की 15 सितम्बर, 2003 तिथि निर्धारित की गई है। तो यह अलग-अलग उत्तर दे रहे हैं।

---

* नोट :-नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री वंशीधर राज एवं श्री कौशल किशोर के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए इसकी जाँच कराई जाए। इस प्रश्न को स्थगित किया जाए। मंत्री जी यह बताएंगे कि सभी विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक, नहीं करेंगे तो क्यों?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अगर मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खाँ)

मान्यवर, आप सदस्यों की बेचैनी देख रहे हैं। जब प्रश्न का सही जवाब नहीं आएगा एक प्रश्न के दो जवाब आएंगे। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से कुछ ऐसा कह दिया जाएगा कि मंत्री जी को बल मिल जाए। आपने कहा कि मंत्री जी से जबरदस्ती जवाब नहीं दिलवा सकते हैं। लेकिन यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दिलवाने का प्रयास करें। सरकार पर दबाव डालें। मंत्री जी से इस बात को कहें कि वह सही जवाब दें। जहाँ दबाव नहीं डाल सकते वहाँ कम से कम सही जवाब देने के लिए बाध्य करना चाहिए। मंत्री जी एक प्रश्न के दो जवाब दे रहे हैं आपको इस पर व्यवस्था देनी चाहिए। मंत्री जी अभी फाइल ही देखते रहे जवाब नहीं दिया। इस प्रश्न को स्थगित होना चाहिए। इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता तो मंत्री इस तरह से जवाब नहीं देंगे। और इस सत्र में खास तौर से देखने को मिल रहा है कि प्रश्नों के सही जवाब नातर्जुवेकारी की वजह से, कोई नये सदस्य मंत्री बने, एक दिन दो दिन, तीन दिन जवाब नहीं दे तो ठीक लगता है लेकिन मंशा किसी बात को छिपाने की है, टालने की है तो ठीक नहीं। सूचना नहीं है तो फिर नियमों में और आपके अधिकार में है कि ऐसे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, या उस पर चर्चा कराई जाय। मान्यवर, इधर पाँच माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे थे, उसमें से कुछ सीनियर मेम्बर भी हैं। उनके बोलने की वजह से आपको सिर झुकाकर पढ़ना पड़ा। मैं भी डेढ़ मिनट तक खड़ा रहा, आप सिर झुकाकर पढ़ रहे थे। मैं भी चुप खड़ा रहा इस ख्याल से कि आप पढ़ने में लगे हुए हैं, आपकी वर्जिश हो जायेगी। मान्यवर, यह जो माहौल बेवजह खड़ा हो जाता है इस पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप व्यवस्था दें कि जिन प्रश्नों के सही जवाब न आयें, दो दो जवाब आयें, मंत्री जी फाइल देखते रहें, जवाब न दे पायें, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। ऐसे प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका था इसलिये मैंने कहा कि मंत्री जी की बाध्यता नहीं है, जवाब देने के लिए।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

निषाद जी आप लिखकर दे दीजिये।

प्रदेश के एकल अध्यापकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की मांग

*3—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकतर प्राथमिक पाठशालाओं में एक ही अध्यापक नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी पाठशालाओं में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

कपितय विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं।

एकल अध्यापकीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र/प्रशिक्षित बी० टी० सी० की नियुक्ति का प्राविधान है। जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना की मांग

*4—श्री राम विशुन आजाद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय न होने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्राओं को दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। देवीपाटन मण्डल का मुख्यालय गोण्डा में स्थित है और गोण्डा जनपद में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुल 06 महाविद्यालय संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के स्थान पर असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मद में कोई प्राविधान नहीं है।

*5—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्याज उत्पादन में वृद्धि हेतु विशेष कार्य योजना

6—श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्याज का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यो?

सुश्री मायावती –

जी हाँ, पूर्व से ही कार्यक्रम संचालित है।

(1) अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 1999-2000, 2001-2002 तक प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संकर/परम्परागत प्याज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 40 जनपदों में राज्य सहायता दी गयी है।

(2) कृषि विविधीकरण परियोजना (उद्यान घटक) द्वारा वर्ष 2001-2002 से प्याज की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रदर्शन तथा वर्ष 2002-2003 से प्याज भण्डारगृह के अस्थाई निर्माण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(3) केन्द्र पोषित मैक्रो मैनेजमेन्ट मोड के अन्तर्गत प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्याज के अस्थाई भण्डारगृह निर्माण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों/पार्कों में नये पेड़ लगाने हेतु कार्य योजना

* 7–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरी क्षेत्रों में वृक्ष निरन्तर कम होते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों के किनारे एवं पार्कों में नये पेड़ लगाने की कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)–

शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के कारण पुराने वृक्षों की संख्या में कमी आयी है परन्तु वृक्षारोपण कार्य भी समांतर रूप से किया जा रहा है।

प्रदेश में शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आयोजनागत जिला सेक्टर के अन्तर्गत जिला योजना "शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना" कार्यान्वित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में संलग्न अनुपुरक सूचना के अनुरूप पौध रोपण, पौध अनुरक्षण, पौध उगान, अग्रिम मृदा कार्य एवं ब्रिक गार्ड निर्माण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त आपरेशन ग्रीन अभियान के अन्तर्गत भी विकास प्राधिकरणों, सेना छावनियों, शिक्षण संस्थानों एवं नागरिकों की सहभागिता में उनके क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 252 पर)

जनपद बलिया, तुर्तीपार श्रीनगर के बीच के ग्रामों को घाघरा नदी के कटान से बचाने के सम्बन्ध में जानकारी

* 8–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तुर्तीपार श्रीनगर बांध के कि०मी० 67.00 से 68.00 के बीच ग्राम गोपालपुर पूर्वी के निकट घाघरा नदी के कटान से इस ग्राम में बसे 90% मल्लाह, विन्द तथा अनुसूचित जाति के लोग प्रभावित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के कटान से बचाने के लिए कोई उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

गोपालपुर पूर्वी (जिसका सही नाम भोपालपुर पूर्वी है) घाघरा नदी के कटान से आबादी की दूरी लगभग 80 से 250 मीटर है।

जी नहीं।

यह ग्राम घाघरा नदी एवं तुर्तीपार श्रीनगर बाँध के मध्य फ्लड जोन में स्थित है। शासन की नीति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन में स्थित ग्रामों को कटान से सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद सोनभद्र कनौरिया केमिकल्स द्वारा उत्सर्जित जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय

* 9—श्री विजय सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कनौरिया केमिकल्स द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल बिना ट्रीटमेन्ट किये ही रिहन्द जलाशय में छोड़ा जा रहा है जिससे रिहन्द जलाशय का पानी प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो जलाशय के प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

जी नहीं। मैसर्स कनोरिया केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकृत करने के उपरान्त ही मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जा रहा है जो अन्ततः रिहन्द जलाशय में मिलता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० की गन्ना मिलों पर 14 दिनों से अधिक समय तक गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष रहने पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

*10–डा० विनोद तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गन्ना मिलों पर 14 दिनों से अधिक समय तक गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष रहने पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार 14 दिनों के बाद अवशेष मूल्य पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

उ०प्र० गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद (अधिनियम) 1953 की धारा 17 एवं शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 की धारा 3 (ए) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना आपूर्ति किये जाने के 14 दिनों के अन्दर कर दिया जाना चाहिये यदि वह इस सीमा के अन्दर भुगतान नहीं कर पाती है तो उन पर अवशेष गन्ना मूल्य पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना आपूर्ति के बाद 14 दिनों से अधिक विलम्बित भुगतान पर ब्याज दिये जाने का विधिक प्राविधान है, जिसे निजी चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा चुनौती दी गयी है, जो मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001-2002 में विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि का सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं पर हुए व्यय सम्बन्धी जानकारी

*11–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 में विश्व बैंक से कितने करोड़ रुपये सिंचाई विभाग की किन-किन योजनाओं हेतु प्राप्त हुआ और उसे किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना खर्च किया गया? क्या यह सत्य है कि विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि को उन योजनाओं पर खर्च न कर अन्य योजनाओं पर खर्च कर लिये जाने के कारण विश्व बैंक ने मदद रोक दी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 2001-2002 में विश्व बैंक से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाट माप विभाग में जिला स्तर पर 'राजपत्रित अधिकारी' की तैनाती की मांग

*12–श्री मानपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाट माप विभाग में जिला स्तर पर कोई "राजपत्रित अधिकारी" तैनात है? यदि नहीं, तो क्या सरकार घटतौली पर नियंत्रण रखने हेतु जिला स्तर पर अन्य की तरह जिला बाट माप अधिकारी के राजपत्रित पद सृजित कर उन्हें प्रत्येक जनपद में तैनात करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०—)

जी हां। बाट माप विभाग में जिला स्तर पर कोई "राजपत्रित अधिकारी" तैनात नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

घटतौली पर नियंत्रण रखने हेतु जिलास्तर पर बांट माप विभाग में वरिष्ठ निरीक्षक के अराजपत्रित पद सृजित है जिनके पदधारकों द्वारा संभागीय सहायक नियंत्रक एवं उप नियंत्रक के पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित किया जाता है।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में ड्रेन का सर्वेक्षण/सफाई की मांग

*13–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक नहर महमूदाबाद, सीतापुर की सीपेज की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि की बुवाई नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्या उक्त सीपेज से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है। यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में शारदा सहायक पोषक नहर के बायीं पटरी पर रामद्वारी ड्रेन के कैचमेंट क्षेत्र में निचली जमीन होने के कारण लगभग 360 एकड़ क्षेत्रफल में जल जमाव की समस्या है।

उक्त ड्रेन का सर्वेक्षण कर सफाई की कार्य योजना तैयार की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*14–कुँवर रेवती रमण सिंह –

[10वें शुक्रवार के तारां० प्र० सं०–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनरों पर नया शासनादेश लागू करने की माँग

*15–श्री कमाल युसूफ मलिक तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को शासनादेश सं० 3147/70-4-2001, दिनांक 24-11-2001 के अन्तर्गत पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनरों पर भी लागू किया गया है? यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं। अभी मामला विचाराधीन है।

उ० प्र० सरकार द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

* 16–कुं० भरतेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, इकाई बिजनौर में सत्र 2001-2002 के अन्तर्गत चीनी बन्धक की मार्जिन मनी 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने से किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में लगभग 3 करोड़ रुपये की कमी हुई है? यदि हां, तो सरकार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु क्या व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ०प्र० सहकारी बैंक द्वारा बिजनौर चीनी मिल की उत्पादित चीनी पर मार्जिन मनी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई जिससे मिल की आहरण क्षमता रु० 2.93 करोड़ कम हो गयी।

दिनांक 31-7-2002 को बिजनौर चीनी मिल में चीनी का कुल स्टाक 3,69,838 कुन्तल है, जिसके विक्रय मूल्य से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था भारत सरकार से अतिरिक्त रिलीज आदेश प्राप्त कर की जा रही है। चीनी मिल में उपलब्ध अन्य आन्तरिक संसाधनों का उपयोग भी गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जा रहा है।

प्रदेश की आबकारी नीतियों में परिवर्तन की माँग

* 17–श्री आनन्द सेन—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या वर्तमान सरकार आबकारी नीतियों में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। वर्तमान आबकारी नीति में सरकार कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं कर रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु नयी नीति के निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

*18–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रदेश के संबंध में कोई नयी नीति बनायी है? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा इस नई नीति से मेधावी एवं निर्धन छात्रों के हित प्रभावित होंगे? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु कोई नयी नीति नहीं बनायी गयी है।

एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में कतिपय विषयों की कक्षाएं प्रारम्भ कराने की माँग

* 19–श्री रियाज अहमद—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में बी०ए० उर्दू की कक्षायें एवं एम०ए० समाज-शात्र, एम०ए० संस्कृत व एम० काम० की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसी भी अशासकीय महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जाता है। उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में बी०ए० उर्दू विषय में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से कोई प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। एम०ए० समाजशास्त्र, संस्कृत एवं एम०काम० में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासन में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त निर्धारित नीति के अनुसार दो विषयों एम०काम० एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत में शासन की संस्तुति के आधार पर कुलाधिपति कार्यालय के पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2002 द्वारा अस्थायी सम्बद्धता के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

दिनांक 01-07-2002 से उपर्युक्तानुसार अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबद में कार्यरत नलकूपों की जानकारी

1–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कितने राजकीय नलकूप कार्यरत हैं और कितने बन्द हैं? क्या सरकार विद्युत मैकेनिकल या बोरिंग फेल होने के कारण बन्द नलकूपों को चालू करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद में 291 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। दिनांक 21-8-2002 को यांत्रिक दोष से 8 नलकूप व विद्युत दोष से 17 नलकूप बन्द हैं। इनके अतिरिक्त जनपद फर्रुखाबाद में 33 राजकीय नलकूप फेल एवं 8 राजकीय नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं।

33 फेल नलकूपों में से 15 राजकीय नलकूप जो अति दोहित ब्लाक कमालगंज एवं राजेपुर में स्थित हैं को पुनः निर्माण कराया जाना लाभकारी नहीं है। शेष 18 नलकूपों का पुनः निर्माण जनपद योजना में धन उपलब्धता पर निर्भर है।

यांत्रिक व विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को शीघ्र ही दोषमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला मिर्जापुर में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में जाँच की माँग

2—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री का पत्र संलग्नक सहित क्रमांक 420/वी०आई०पी०/मं० ग्रा० अ० से० दिनांक 21-6-2002, जो महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, रैपुरिया (चुनार) जिला मिर्जापुर में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी अवैध नियुक्ति की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने विषयक है, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र पर जाँच करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मिर्जापुर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बलिया, रसड़ा के दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० के किसानों को बकाया भुगतान कराने की माँग

3—श्री राम इकबाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रसड़ा के किसानों का गन्ना भुगतान सिर्फ 44 प्रतिशत ही किया गया है? यदि हां, तो शेष किसानों के बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० रसड़ा (बलिया) द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान रु० 390.35 लाख (44.20 प्रतिशत) कर दिया गया है। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु विगत वर्षों की परम्परा के अनुसार शासकीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।

जनपद चन्दौली के ग्राम सभा मिलकीपुर से लेकर ग्राम रौना तक बसे गाँवों की गंगा नदी के कटान से बचाने की योजना।

4—श्री राम किशुन—

क्या सरकार बतायेगी कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र, जनपद चन्दौली के ग्राम सभा मिल्कीपुर से लेकर ग्राम रौना तक, गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को कटान से बचाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह —

जी नहीं। नदी के फ्लड प्लेन जोन में ग्रामों को नदी के कटान से बचाने की सामान्यतः शासन की नीति नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र उतरौला अन्तर्गत राजकीय बालिया उ०मा० विद्यालय को इण्टरमीडिएट कालेज में परिवर्तित करने की मांग

5—श्री अनवर महमूद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राजकीय बालिका उ०मा० विद्यालय को इण्टरमीडिएट कालेज में परिवर्तित किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक उक्त विद्यालय में इण्टरमीडिएट की कक्षाएं प्रारम्भ कर दी जायेंगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ—

जिला योजनान्तर्गत परिव्यय की उपलब्धता पर नियोजन एवं वित्त विभाग की अनुमति से राजकीय बालिका उ०मा० विद्यालय उतरौला जनपद बलरामपुर को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया जा सकेगा।

जनपद सहारनपुर के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों एवं रिक्त पदों सम्बन्धी जानकारी

6—श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में प्राइमरी पाठशालाओं में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं एवं कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर सरकार द्वारा कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

2720 अध्यापक कार्यरत हैं।

2051 रिक्त हैं।

बी०टी०सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। इसके बाद भी पूरे प्रदेश में रिक्त पद बचेंगे जिन पर विशिष्ट बी० टी० सी० की नियुक्ति हेतु 2001 में श्रेष्ठता के आधार पर सूची तैयार की गयी थी। मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं पर मा० न्यायालय द्वारा 21-3-2002 को चयन की समस्त कार्यवाही निरस्त कर दी गयी है जिसके विरुद्ध शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की गयी है जो अभी विचाराधीन है। मा० न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठोर में सिंचाई विभाग के अधीन नालों के रख-रखाव में व्यय की गयी धनराशि

7—श्री शहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठोर में सिंचाई विभाग के अधीन कितने नाले हैं? इन नालों के रख–रखाव व सफाई पर विगत पांच वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है? क्या अनुपयोगी नालों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठोर में सिंचाई विभाग के अधीन 10 नाले हैं।

इन नालों के रख रखाव व सफाई पर विगत पांच वर्षों में कुल रु० 102.69 लाख व्यय हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मेरठ/टाउन एरिया किठोर में सिंचाई विभाग की अनूप शहर के निकट सैंकड़ों भूमि पर अवैध कब्जे को अवमुक्त करने की माँग

8—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के टाउन एरिया किठोर में सिंचाई विभाग की नहर शाखा अनूप शहर से निकटवर्ती सैकड़ों बीघे भूमि पर अवैध कब्जा है? क्या सरकार उक्त जमीन को अवमुक्त कराने के लिये कोई कदम उठा रही है ? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उक्त क्षेत्र में अनूपशहर शाखा के निकटवर्ती सिंचाई विभाग की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज राजकीय इण्टर कालेज, उर्मदा में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान वर्ग की कक्षाओं की व्यवस्था

9—श्री विजय बहादुर पाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज के राजकीय इण्टर कालेज, उर्मदा में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा न होने से छात्र-छात्राओं को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इण्टर विज्ञान की कक्षायें खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जिले द्वारा विद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित करने हेतु समुचित परिव्यय की व्यवस्था होने और प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में हैण्डपम्पों की व्यवस्था

10—श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कितने प्राइमरी तथा जू० हाई स्कूल ऐसे हैं जहां पर हैण्डपाइप की व्यवस्था कर दी गयी है तथा कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हैण्डपाइप स्थापित नहीं किये गये हैं ? सरकार अवशेष विद्यालय में हैण्डपम्प की स्थापना कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बलिया जनपद के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 1330 प्राइमरी तथा 152 जू० हा० स्कूलों में हैण्डपम्पों की व्यवस्था कर दी गयी है तथा 224 प्राइमरी एवं 41 जू० हा० स्कूल ऐसे हैं जहां हैण्डपम्प अभी स्थापित नहीं किये गये हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रामपुर में राजकीय इण्टर कालेज, शाहाबाद में अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही

11—श्री काशी राम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 23, शाहाबाद, जनपद रामपुर में राजकीय इण्टर कालेज, शाहाबाद में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई अवरुद्ध हो गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शिक्षण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित।

नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान की मांग

12—श्री दीना नाथ कुशवाहा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल की कौन-कौन सी चीनी मिलें बन्द हैं? वर्ष 2001-2002 का किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है? सरकार किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गोरखपुर मण्डल की घुघली, छितौनी, धुरियापार, आनन्दनगर, पडरौना, कठकुइयाँ और गौरीबाजार चीनी मिलें बन्द हैं।

गोरखपुर मण्डल की चीनी मिलों पर दिनांक 21-8-2002 की स्थिति के अनुसार निम्नवत् गन्ना मूल्य बकाया है :–

(लाख रुपये में)

चीनी मिल	देय	भुगतान	अवशेष
पिपराईच	539.84	75.00	464.84
सिसवाबाजार	2846.56	1710.30	1136.26
बैतालपुर	930.14	329.07	601.07
देवरिया	274.98	15.60	259.38
भटनी	223.15	4.59	218.56
खड्डा	1992.17	1188.72	803.45
लक्ष्मीगंज	719.39	240.41	478.98
रामकोला–के	873.76	277.80	595.96
सरदारनगर	1341.74	1279.22	62.52
गड़ौरा	4670.86	4510.58	160.28
प्रतापपुर	2091.03	1758.07	332.96
कप्तानगंज	5334.91	4591.93	742.98
रामकोला–पी	4231.93	3247.21	984.72
सेवरही	4548.43	3712.47	835.96

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु विभागीय स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है। प्रदेश शासन कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने के प्रति दृढ़ संकल्प एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में गोरखपुर-सोनपुर रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ नहर बनाने की योजना

13—श्री दीना नाथ कुशवाहा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गोरखपुर-सोनपुर रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ नहर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

नहर निर्माण हेतु आवश्यक जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण योजना बनाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

सात अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण के शिकायती–पत्र पर कृत कार्यवाही की माँग

14—श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 01-02-2000 द्वारा सात अवर अभियन्ताओं को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण स्थायीकरण से अतिक्रमित किया गया है? क्या इस संबंध में नागरिक अधिकार मंच, लखनऊ का कोई शिकायती-पत्र प्रमुख अभियन्ता (अधि-2 ख) मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) को प्राप्त है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी हां।

श्री दयाशंकर लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न किये जाने के कारण उन्हें स्वीकृत की गयी तीसरी एवं अनुवर्ती समस्त वेतनवृद्धि तथा समय-समय पर स्वीकृत समस्त उच्चतर वेतनमान निरस्त करके उनके परिणाम स्वरूप अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कर दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विकास खण्ड सोरों के ग्राम अल्लीपुर तथा हजारा को गंगा की कटान से बचाने हेतु पत्थर की ठोकरें बनाने की जानकारी

15—श्री मानपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड सोरों के ग्राम अल्लीपुर तथा हजारा की जमीन गत वर्ष गंगा नदी की बाढ़ से पूरी तरह से कट चुकी है और इस वर्ष उक्त ग्रामों के अलावा ग्राम बरबारा में भी गंगा का कटान जारी हो चुका है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों को गंगा की कटान से बचाने हेतु पत्थर की ठोकरें बनाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित है, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी तक कोई धनावंटन नहीं हो सका है।

जनपद कुशीनगर में खजुनिया माइनर के क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

16—श्री राधे श्याम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नहर पिच योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में निर्मित खजुनिया माइनर पर 10 किमी० पिच निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 22 मई, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, उक्त सन्दर्भ में दिनांक 15 मई, 2002 का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला–सोनभद्र के भाऊ राव देवरस राजकीय महाविद्यालय दुद्धी में स्नातकोत्तर विद्यालय प्रारम्भ कराने की मांग

17—श्री विजय सिंह—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं०—शि०म०—368/सत्तर—5-98-4(10)/94, दिनांक 25 जुलाई, 1998 द्वारा भाऊ राव देवरस राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी (सोनभद्र) को, स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों में अस्थाई सम्बद्धता हेतु अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुमति प्राप्त विषयों हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त न होने तथा प्रश्नगत विषयों के अध्यापन हेतु आवश्यक पदों के सृजन न होने के कारण राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी सोनभद्र में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की गयी हैं।

जनपद मैनपुरी में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी जानकारी

18—श्री जयवीर सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज नौनेर, जनपद मैनपुरी में कार्यरत अध्यापकों का दिनांक 19-3-2002 से 2-4-2002 तक का वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी के आदेश दिनांक 18-6-2002 का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी का आदेश दिनांक 18-6-2002 मा० शिक्षा परिषद उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त निर्देशों के विनियम 109 के अनुकूल न होने के कारण।

जनपद बांदा ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निरस्त/निलम्बित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

19—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में कुल कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं? गत एक वर्ष में कितनी राशन की दुकानों को निरस्त/निलम्बित किया गया है? क्या नयी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उन पर कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी?

श्री बाबू राम, एम०काम०—

जी हां।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में कुल 170 उचित दरों की दुकानें कार्यरत हैं।

गत वर्ष में 9 उचित दरों की दुकानों को निलम्बित तथा 3 दुकानों को निरस्त किया गया है।

शासनादेश सं०—2714/29-खा-6-2002, दिनांक 17-8-2002 तथा शासनादेश सं०—2715/29-6-2002 दिनांक 17-8-2002 के द्वारा, नई आरक्षण नीति के तहत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त सस्ता गल्ला के दुकानों के चयन हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

जनपद मेरठ के ब्लाक—माधरा, ग्राम—कैलीरामपुर से ग्राम—राधना, विकास खण्ड परीक्षितगढ़ के नाले की सफाई की मांग

20—श्री शाहिद मंजूर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के ब्लाक माधरा, ग्राम–कैलीरामपुर से ग्राम–राधना, विकास खण्ड परीक्षितगढ़ के नाले के सफाई का कार्य करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त नाले की सफाई का कार्य कब तक करा जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नाले की सफाई पर विचार किया जा सकता है।

जनपद गोण्डा के रामगढ़ टिकरी रेन्ज के प्राथमिक विद्यालय के श्री अनवर अली टांगिया अध्यापक के वेतन का प्रकरण

21—श्री राम विशुन आजाद—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के रामगढ़ टिकरी रेन्ज में प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ कक्ष सं०—7 में बच्चों को पढ़ाने हेतु टांगिया टीचर के रूप में श्री अनवर अली टांगिया अध्यापक वर्ष 1996 से विद्यालय में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक को वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा उक्त विद्यालय को अब बन्द करवा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह—

श्री अनवर अली ने रामगढ़ कक्ष—7 में टांगिया बच्चों को पढ़ाने का कार्य 1996 से नवम्बर, 2001 तक दैनिक पारिश्रमिक के रूप में किया है।

श्री अनवर अली दैनिक पारिश्रमिक कर्मी को उनके सम्पूर्ण कार्य अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। अब वह कार्यरत नहीं हैं, अतः पारिश्रमिक देय नहीं है।

रामगढ़—7 में वर्तमान में कोई विद्यालय नहीं चल रहा है। टांगिया बच्चों की सुविधा हेतु दैनिक श्रमिक लगाकर एक अस्थाई व्यवस्था नवम्बर, 2001 तक की गयी थी। अब टांगिया बच्चों को पढ़ाने हेतु रामगढ़—6 में स्थित स्थाई पाठशाला में सुविधा उपलब्ध है, जिसमें नियमित अध्यापक कार्यरत हैं। यह विद्यालय रामगढ़—7 से केवल 1 कि०मी० दूरी पर स्थित है।

नगर क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

22—श्री महेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुये स्थानों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है जिससे छात्रों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां। अध्यापकों की सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से अध्यापकों की संख्या में कुछ कमी आयी है किन्तु इस कमी के कारण नगर क्षेत्र में छात्रों की संख्या न्यून होने के कारण छात्रों का अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

जी हां।

अध्यापको को 40:1 मानक के अनुसार आवश्यकता होने पर स्वीकृत पदों के अन्तर्गत नियुक्तियां की जायेगी।

जनपद मिर्जापुर के महाराणा प्रताप इन्टर कालेज, रैपुरिया (चुनार) में फर्जी प्रमाण-पत्रों पर की गई नियुक्ति की जांच कराने की मांग

23—श्री रामजीत राजभर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम सिंह ''वागीस'' निवासी ग्राम—धरवासपुर, पोस्ट—कोलना (चुनार), जनपद मिर्जापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-6-2002 जो महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, रैपुरिया (चुनार), मिर्जापुर में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गयी अवैध नियुक्ति की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक है, जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

उप जिलाधिकारी, चुनार को जांच के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक के पदों के सृजन के विषय में जानकारी

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक के कुल कितने पद सृजित हैं उनमें अनुसूचित जाति के कुल कितने पद हैं? क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति के कोटे के रिक्त पदों को सामान्य कोटे से भरा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक के कुल 6 पद सृजित हैं, जिनमें 2 पद अनुसूचित जाति के हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक स्तर के कुल पदों के सृजन की जानकारी

25—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक स्तर के कुल कितने पद सृजित हैं और रोस्टर के अनुसार कितने पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक स्तर के मौलिक रूप से 5 पद तथा एक पद (नि:संवर्गीय) शासन स्तर पर सृजित है जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

(2) निदेशक, बेसिक शिक्षा

(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।

(4) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

(5) निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं

(6) विशेष सचिव, शिक्षा, उ०प्र० शासन

रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 2 पद आरक्षित हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों सम्बन्धी जानकारी

26–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों व मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में 30 जून, 2002 तक कुल कितने कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं और उनको कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ, 5 पद रिक्त हैं।

शासनादेश संख्या 20-4-2001का-2/2001, दिनांक: 20-8-2001 के अनुसार कुल पदों में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कटौती के निर्देश हैं, जिसके कारण रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद कानपुर नगर के प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्णोद्धार हेतु अवमुक्त धनराशि सम्बन्धी जानकारी

27—सुश्री अरुणा तोमर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कानपुर नगर के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 10 जुलाई, 2002 तक शासन द्वारा कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? उक्त अवमुक्त धनराशि से कितने विद्यालयों की मरम्मत करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

रु० 21,34,000.00

24 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत कराई गई, जिस पर रु० 2,40,000.00 व्यय हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मेरठ के ग्राम-सौलदा, ब्लाक-माछरा में वर्षा के पानी निकासी के सम्बन्ध में जानकारी

28—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–सौलदा, ब्लाक–माछरा, जिला–मेरठ में वर्षा का पानी निकासी के लिए एक सम्पर्क नाला माघरा नाला से जोड़ा गया था जो अवरुद्ध है? यदि हां, तो सरकार पानी निकासी के लिए क्या उपाय कर रही है तथा इसके अवशेष भाग को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मेरठ के ब्लाक परीक्षितगढ़ चप अकबरपुर राजवहा की सफाई न होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई न होने का कथित प्रकरण

29—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–मेरठ के ब्लाक–परीक्षितगढ़ चप अकबरपुर राजवहा सफाई न होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो उक्त राजवहा की सफाई कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

आगामी 1410 रवी फसल में प्रदेश की नहरों की सिल्ड सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राजबहे की सिल्ट सफाई का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मेरठ, ब्लाक–माछरा, ग्राम–सधना से निकलने वाले नाले की सफाई कराने की मांग

30—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ, ब्लाक–माछरा, ग्राम–राधना के जंगल से निकलने वाले नाले की सफाई विगत कई वर्षों से न होने के कारण इस क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि की फसलें वर्षा के पानी से जलमग्न हो जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सफाई करायेगी? यदि नहीं,, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। अधिक वर्षा में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

जी नहीं।

प्रश्नगत नाला सामान्य नाले की श्रेणी में आता है। वर्तमान में केवल बड़े नाले अर्थात् ट्रंक ड्रेनों को ही चयनित कर सफाई करायी जाती है।

प्रदेश में कृषकों के निजी शीशम के सूखे वृक्ष को काटने सम्बन्धी जानकारी

31—श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषकों के निजी शीशम के सूखे वृक्ष को काटने हेतु नियमों को शिथिल करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

प्रदेश में कृषकों के निजी शीशम के सूखे वृक्ष को काटने हेतु पालन अनुज्ञा दिये जाने का अधिकार प्रमुख वन संरक्षक स्तर से विकेन्द्रीकृत कर अस्थायी रूप से राजि अधिकारी को भी दे दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर के सुहेलवां वन प्रभाग के बनकटवा रेन्ज में 4 जनवरी, 2000 को दो बाघ के शावक मृत पाये जाने पर जाँच की मांग

32—श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के सुहेलवां वन विभाग के बनकटवा रेन्ज में 4 जनवरी, 2000 को दो बाघ के शावक मृत पाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रकरण की जांच कराई? यदि हां, तो उसमें दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

जनपद बलरामपुर के सुहेलवा वन प्रभाग के बनकटवा रेन्ज में 4 जनवरी, 2000 को नहीं, बल्कि बाघों के शवकों के मृत शव दिनांक 4–1–99 को पाये जाने की घटना प्रकाश में आयी थी। मृत शावकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भूख से मृत्यु होना इंगित किया गया है। मृत्यु के कारणों के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है तथा अभी इस संबंध में किसी कर्मचारी का हाथ होने का प्रमाण नहीं है। प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के कोटेदार श्री देवनरायन सिंह की दुकान को अन्य कई दुकानों से सम्बद्ध होने विषयक जानकारी

33—श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत सिसहनी के कोटेदार श्री देवनरायन सिंह की दुकान से वर्तमान समय में अन्य ग्राम पंचायतों की कई दुकानें सम्बद्ध हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बाबूराम (एम० काम०)–

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत बेलहरी बुजुर्ग के कोटदार श्री देव नरायन सिंह के दुकान से वर्तमान समय में ग्राम पंचायत खमहरिया बुजुर्ग व ग्राम पंचायत पिपरा खुर्द तथा ग्राम पंचायत सिसहनी के केवल राजस्व ग्राम सिसहनी की दुकानें संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर सम्बद्ध है। इन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर इनका कोटा श्री देवनरायन सिंह के कोटेदार की दुकान से सम्बद्ध किया गया है।

जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना की दुद्धी स्थित आवासीय कालोनी में अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की मांग

34—श्री विजय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना की दुद्धी स्थित आवासीय कालोनी में अवैध कब्जा है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अवैध कब्जेदारों की बेदखल करने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल स्थित राजकीय नलकूप कार्यालय को पुनः बाराबंकी से फैजाबाद स्थानान्तरित करने की मांग

35—श्री अवधेश प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल स्थित राजकीय नलकूप कार्यालय को फैजाबाद से स्थानान्तरित कर जनपद बाराबंकी में कर दिया गया है जिससे किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त कार्यालय को पुनः बाराबंकी से फैजाबाद स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ। वर्ष 1999-2000 में किये गये पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विकास खण्ड सोहावल के 47 नलकूपों का अनुरक्षण कार्य प्रथम उपखण्ड, फैजाबाद, नलकूप खण्ड, फैजाबाद के बजाय द्वितीय उपखण्ड, रूदौली, जनपद फैजाबाद, नलकूप खण्ड, बाराबंकी के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है। परन्तु इससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है क्योंकि सोहावल से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर रूदौली में विकास खण्ड, सोहावल के नलकूपों की देखरेख के लिए उपखण्डीय कार्यालय स्थित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद–बलिया के तहसील सिकन्दरपुर बसुलहा ड्रेन व कोथताल ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई की जानकारी

36—श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत बसुलहा ड्रेन एवं कोथताल ड्रेन की खुदाई न होने से हजारों एकड़ जमीन में जल-भराव के कारण किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। जनपद बलिया की कथित दोनों ड्रेंस हेतु धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी खुदायी एवं सफाई कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद–गाजीपुर के ब्लाक देवकली ग्राम–देवचन्दपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

37—श्री बीजू पटनायक–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मादात विधान सभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ब्लाक देवकली ग्राम देवचन्दपुर, जो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है, में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवकली नहर पर पहलवानपुर पट्टी से पतरासी गांव तक खड़न्जा को लेपन स्तर तक सड़क निर्माण की मांग

38—श्री बीजू पटनायक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के जनपद सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवकली नहर पर पहलवानपुर पट्टी से पतरासी गांव तक नहर की पटरी जिसकी लम्बाई 3.5 कि०मी० है, पर लगाया गया खड़न्जा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को आने-जाने में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो उक्त खड़न्जा को लेपन स्तर तक सड़क बनाई जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, पटरी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

लेपस का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है।

कानपुर रजवहा कि निवली राम गंगा नदी नहर इटवा शाखा से घाटमपुर की खुदाई एवं पुर्नस्थापना हेतु सरकार से धन की माँग।

39— श्री राकेश सचान–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि निवली राम गंगा नदी नहर इटवा शाखा से घाटमपुर, कानपुर रजवाह जिसकी क्षमता 579 क्यूसेक की पानी की थी लेकिन तल्ली में सिल्ट जमा हो जाने के कारण वर्तमान में क्षमता 150-175 क्यूसेक ही रह गई है? क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता सिंचाई कानपुर द्वारा नहर की खुदाई एवं पुर्नस्थापना हेतु 489510 घन मी० मिट्टी का कार्य सफाई वर्ग कटिंग एवं भुल्ढीकरण आदि का सम्मिलित प्रस्ताव रुपया 92 लाख शासन को प्रेषित किया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि सरकार द्वारा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

तली में सिल्ट जमा होने के कारण नहर की वर्तमान क्षमता 229 क्यूसेक रह गयी है।

जी हाँ।

389510 घन मीटर मिट्टी के कार्यहेतु रु० 92.37 लाख की मांग की गयी है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण धन की उपलब्धता की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ के रजवहा किठोर से निकली हुई माइनर बहरोड़ा के क्षतिग्रस्त होने से टेल तक पानी न पहुँच पाने के सम्बन्ध में जानकारी

40—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के रजवहा किठोर से निकली हुई माइनर बहरोड़ा को अप्रैल/मई, 2002 में अवांछनीय तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बहरीड़ा माइनर रजबहा किठौर से नहीं निकलती है। यह माइनर रजबहा अपर परीक्षितगढ़ के कि०मी० 12.6 पर पटरी दांयी से निकलती है। इस माइनर की कुल लम्बाई 3.62 कि०मी० है तथा उसे अवांछनीय तत्वों द्वारा माह अप्रैल/मई, 2002 में क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, इसकी टेल पर सुचारु रूप से पानी पहुंच रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ में राधना नवल मार्ग पर गंगा नहर शाखा अनूप शहर का मुख्य पुल निर्मित कराने के सम्बन्ध में जानकारी

41—श्री शाहिद मंजूर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में राधना नवल मार्ग पर गंग नहर शाखा अनूप शहर का मुख्य पुल विगत 5-6 वर्षों से टूटा हुआ है? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

वर्ष 2001–2002 में उक्त पुल निर्मित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-देवरिया के उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई बैतालपुर द्वारा गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान की जानकारी

42—श्री अब्दुल कलाम तथा श्री कैलाश यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य चीनी निगम इकाई बैतालपुर, जिला–देवरिया द्वारा सीजन वर्ष 1999-2000 में अप्रैल 1 से 9 अप्रैल के मध्य उक्त चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान केन यूनियन बैतालपुर जि० देवरिया को कर दिया गया है? यदि हां, तो गन्ना किसानों को केन यूनियन द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, इकाई बैतालपुर, जिला–देवरिया द्वारा सीजन 1999-2000 में 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य रुपये 39.88 लाख का भुगतान गन्ना समिति, बैतालपुर को किया गया। शेष के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-मेरठ के किठौर व ब्लाक–परीक्षितगढ़ आदि ग्रामों के सार्वजनिक स्थानों को जानवरों की हड्डियों से हो रहे प्रदूषण से मुक्त कराने की योजना

43—श्री शाहिद मंजूर–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के किठौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक-परीक्षितगढ़ व ब्लाक माछरा के ग्राम–गावड़ा व ग्राम–राधना तहसील मवाना बस स्टैण्ड माछरा में सड़क के किनारे मरे हुए जानवरों की हड्डी एकत्रित की जाती है जिससे कि सड़क के किनारे व आस-पास का क्षेत्र प्रदूषित रहता है? यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं।

44—श्री राम विशुन आजाद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गन्ना विकास विभाग में क्षेत्रीय सहायक लेखाकारों के वेतनमान उच्चीकरण का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

45—श्री इकबाल महमूद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में क्षेत्रीय सहायक लेखाकारों के वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

सहायक लेखाकारों के वेतनमान उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास विभाग में कार्यरत लिपिक/लेखा संवर्ग की नियमावली पर शासन से कार्यवाही की मांग

46—श्री बंशीधर राज–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में कार्यरत लिपिक/लेखा संवर्ग की कोई नियमावली शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

लेखा संवर्ग की पृथक सेवा नियमावली गठन का प्रस्ताव शासन के परीक्षणाधीन है। नियमावली को समस्त प्रक्रिया पूर्ण होते ही अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा।

जनपद लखनऊ के बेसिक शिक्षा अन्तर्गत प्रा० पाठशालाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण

47—श्री सरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रा० पाठशालाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु दिनांक 7-7-2002 की तिथि निर्धारित की गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त तिथि को साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था जिससे बाहर से आये अभ्यर्थियों को असुविधा हुई थी? साक्षात्कार स्थगित करने का कारण क्या है? क्या सरकार पुनः कोई तिथि साक्षात्कार के लिये निर्धारित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

शासन स्तर पर कतिपय नीतिगत निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में साक्षात्कार स्थगित किया गया था।

जी हाँ। 15 सितम्बर, 2002 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ आलमनगर में जल प्रदूषणकारी उद्योगों को बन्द कराने की माँग

48–श्री मिथिलेश कुमार–

क्या सरकार की जानकारी में है कि आलमनगर, लखनऊ में चल रहे उद्योगों का प्रदूषित पानी नालियों में बहने से वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है? क्या सरकार ऐसे उद्योगों को बन्द करायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि आलमनगर, लखनऊ में जल प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं हैं।

जनपद घाटमपुर में निचली गंगा नहर इटवा शाखा से घाटमपुर रजवहा की परिकल्पित क्षमता की जानकारी

49–श्री राकेश सचान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर रजवाहा की क्षमता की पुरुस्थापना हेतु निचली गंगा नहर इटवा शाखा से घाटमपुर रजवाहा पर पूर्व में कुल क्षेत्रफल 61109 हे० शीर्ष पर परिकल्पित क्षमता 579 क्यूसेक थी, परन्तु बाद में विभिन्न कारणों से परिकल्पित डिस्चार्ज 469 क्यूसेक निर्धारित कर 44328 हे० कृषि योग्य क्षेत्रफल को ही नहर के कमांड में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु नहर की क्षमता 579 क्यूसेक पर ही रखने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, लखनऊ के विक्रय अधीक्षक के निलम्बन एवं पुनः सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

50–श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, लखनऊ के विक्रय अधीक्षक को दिनांक 17-8-99 को संघ के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा गम्भीर आरोपों एवं अनियमिततायें बरतने के आरोप में बरखास्त किया गया था? यदि हां, तो उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने का क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

सेवा समाप्ति आदेश के क्रम में श्री ए० के० सिंह से प्राप्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक सम्यक विचार करते हुए सेवा से पदच्युति के दण्ड को तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरावलोकित करते हुए संघ के आदेश दिनांक 4-2-2000 द्वारा सेवा में पुनः पद स्थापित किया गया है।

गन्ना विकास विभाग में पृथक रूप से लेखा संवर्ग बनाये जाने की मांग

51–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास विभाग में शासनादेश सं० बे०आ०–1–1802/दस–34(एम)÷83, दिनांक 11-8-1983 के अनुपालन में पृथक से लेखा संवर्ग बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक लेखा संवर्ग बना दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

लेखा संवर्ग की पृथक सेवा नियमावली गठन का प्रस्ताव शासन के परीक्षणाधीन है। नियमावली को समस्त प्रक्रिया पूर्ण होते ही अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा।

जनपद बलिया के कोल्ड स्टोरेज बाँसडीह में किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान

52–श्री भरत सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वजीत कोल्ड स्टोरेज, बांसडीह, जनपद बलिया पर किसानों का विगत तीन वर्षों से आलू का बकाया लगभग 45 लाख रुपये है? यदि हां, तो उक्त बकाया धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रश्नगत बकाया के भुगतान के विरुद्ध मै० सर्वजीत कोल्ड स्टोरेज, बांसडीह, बलिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद दायर करने के फलस्वरूप प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन होने के कारण।

जनपद बलिया के परासर मुनि का आश्रम ग्राम–परलिया के सौन्दर्यीकरण हेतु कराये गये कार्यों की जाँच

53–श्री भरत सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के परासर मुनि का आश्रम ग्राम-परलिया के सौन्दर्यीकरण हेतु वन विभाग द्वारा सन्, 2001 में 10,000,000 (दस लाख) रु० स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? क्या यह सत्य है कि सौन्दर्यीकरण हेतु जो कार्य कराये गये हैं, वह निर्धारित मानक के अनुरूप नही हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

जी हाँ।

स्वीकृत धनराशि से वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य, घाट का निर्माण, तालाब की खुदाई, समरहट का निर्माण, कुएं का जीर्णोद्धार, यज्ञशाला की मरम्मत कार्य, तालाब से पानी एवं कचड़ा निकलवाई, जलीय पौधों की निकलवाई, भीटों का समतलीकरण कार्य तथा साइफन का निर्माण कार्य कराया गया।

किये गये कार्य मानक के अनुरूप है अथवा नहीं इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, इलाहाबाद द्वारा जाँच कराई जा रही है।

जनपद गोण्डा के नगर पंचायत, मनकापुर के ग्रामीण क्षेत्र के कोटेदार की दुकान से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में जानकारी

54–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के कोटेदार सतीश कुमार पुत्र राम लोचन की दुकान से ग्रामीण क्षेत्रों की कई दुकानें वर्ष 2000 से सम्बद्ध हैं? क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों को शहरी क्षेत्र के कोटेदार से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है? यदि हां, तो सम्बद्ध करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबूराम एम०काम०–

वर्तमान समय में जनपद गोण्डा के नगर पंचायत, मनकापुर के कोटेंदार श्री सतीश कुमार पुत्र श्री राम लोचन की दुकान से ग्रामीण क्षेत्र की कोई दुकान सम्बद्ध नहीं है। वर्ष 2000 से मई 2002 तक ग्रामीण क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायत, बैरीपुर रामनाथ ग्राम पंचायत, भिटौरा, ग्राम पंचायत अशरफपुर, ग्राम पंचायत मनकापुर, ग्राम पंचायत पेरी पोखर के कार्ड विशेष परिस्थितियों में इन ग्राम पंचायतों के प्रधानों के अनुरोध/संस्तुति पर जनहित में श्री सतीश कुमार नगर पंचायत, मनकापुर की दुकान से सम्बद्ध किया गया था।

नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों से शहरी क्षेत्र के कोटेदार को सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

55–श्री राम विशुन आजाद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मेरठ में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किठोर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की माँग

56–श्री शाहिद मंजूर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या उ०मा० विद्यालय किठोर, जनपद-मेरठ के निर्माण के लिये मार्च, 1995 में रु० 64,56,000/- स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किठौर जनपद मेरठ के भवन निर्माण हेतु सितम्बर 1994 में रु० 64.56 लाख का आगणन अनुमोदित किया गया था तथा निम्न वर्षों में भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किया गया :–

धन राशि स्वीकृत किया गया –

वर्ष 1994	रु० 7.86 लाख
वर्ष 1996	रु० 20.00 लाख
वर्ष 2001	रू० 23.55 लाख
कुल राशि	रू० 51.41 लाख

जी नहीं।

आगणन के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अभी स्वीकृत नहीं हो सकी है। आगणन के सापेक्ष परिव्यय उपलब्ध होने पर अवशेष धनराशि स्वीकृत कर अवशेष कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद मेरठ, तहसील मवाना के ग्राम फिटकरी में फैक्ट्रियों के निकले प्रदूषण युक्त पानी से ग्राम साधारण पुरवा तहसील मवाना, मेरठ में जल भराव के कारण पीने वाले पानी को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय।

57—क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ की तहसील–मवाना के ग्राम–फिटकरी में फैक्ट्रियों के निकले प्रदूषण युक्त पानी से ग्राम–साधारण पुरवा, तहसील–मवाना, मेरठ व उसके आस–पास के ग्रामों में जल भराव के कारण पीने वाला पानी प्रदूषित हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुददीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के आइडियल जू०हा० स्कूल, सण्डीला में वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी

58—डा० विनोद तिवारी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के आइडियल जू० हा० स्कूल, सण्डीला में वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृति हेतु कितनी धनराशि दी गई ? क्या उक्त विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्रों में उसका वितरण किया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण बच्चों को न करके हड़प लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जा रही मनमानी/वित्तीय अनियमित्ताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही

59—श्री जगदीश मिश्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा मनमानी करने तथा वित्तीय अनियमित्ताओं की जांच एवं निगम से तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31 मई, 2002 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम एम० काम०–

जी हाँ–

शिकायती पत्र पर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० से जांच करायी जा रही है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

60—श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा) —

[4 थे सोमवर में अता० प्र० सं०—46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद–बांदा राजकीय जिला पुस्तकालय में मरम्मत कार्य में बरती गयी अनियमितताओं की जाँच की मांग।

61—श्री समर पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा, जनपद–बांदा में 15 मार्च, 1999 को कराये गये मरम्मत कार्य में बरती गयी अनियमित्ताओं से सम्बन्धित राजेश त्रिवेदी पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, जनपद–बांदा का शिकायती पत्र पंजीकृत डाक सं०- 3128, दि० 13-8-99 एवं उसकी पृष्ठांकित प्रतिलिपि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा एवं जिलाधिकारी जनपद–बांदा को क्रमशः पंजीकृत डाक सं० - 3129 एवं 3130 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं ? यदी हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जिलाधिकारी बांदा के आदेशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा द्वारा प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच की गयी। जांच में शिकायती पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ तहसील फूलपुर वि०ख०पवई में सिंचाई हेतु पानी चालू कराने के सम्बन्ध में जानकारी

62—श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–खंन्डौरा, वि०ख०–पवई, तह०–फूलपुर, जनपद–आजमगढ़ में शिवपुर माइनर में सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त माइनर में कब तक पानी चालू कर दिया जायेगा? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसके लिए कौन–कौन से अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं तथा उनके विरूद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

ग्राम खण्डौरा शिवपुर माइनर के कि० मी० 5.167 से 7.206 के मध्य स्थित है। शिवपुर माइनर में सिंचाई हेतु पानी कि०मी० 4.60 तक ही जा रहा है। माइनर के इस भाग को काश्तकारों द्वारा जगह-जगह पाट दिया गया है।

धन उपलब्धता के आधार पर पाटे गये भाग में माइनर के पुनर्निर्माण के पश्चात् पानी चालू किया जायेगा।

जांच की जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जिला–बलिया के डी०ए०वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड के प्रबन्ध समिति प्रकरण में उप शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मण्डल के विगत वर्ष में दिये गये निर्णय की जांच की मांग

63—श्री छोटे लाल यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डी०ए०वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया के प्रबन्ध समिति प्रकरण में उपशिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के वर्ष 1997 में दिए गये निर्णय की जांच प्रदेश शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक इलाहाबाद द्वारा की जा रही है? क्या यह सही है कि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जांच आख्या शासन को अब तक नहीं सौंपी गई है? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या कब तक शासन को प्रस्तुत कर दी जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के आदेश दिनांक 14-1-99 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक आजमगढ़ के निर्णय दिनांक 16-6-97 तथा 7-7-97 की जांच करने के आदेश अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक इलाहाबाद को दिये गये हैं।

जांच गतिमान है।

शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 24-8-2002 द्वारा एक माह में जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश जांच अधिकारी को दिये गये हैं।

शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के चिकित्सीय अवकाश के सम्बन्ध में प्राप्त आदेश

64—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा अनुभाग–2 के आदेश संख्या–ज०प०–23/15-2-2002, दिनांक 23 मई, 2002 जोकि कर्मचारियों के चिकित्सीय अवकाश से सम्बन्धित है? क्या शासन द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद से प्रथम/द्वितीय चिकित्सा प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन नं० सहित प्राप्त कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद से चिकित्सा प्रमाण-पत्र/रजिस्ट्रेशन नं० प्राप्त कर कर्मचारियों का चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं।

अवकाश नियमों से आच्छादित न होने के कारण चिकित्सा अवकाश अस्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के रोडवेज बस स्टैण्ड को अधिक सुविधा सम्पन्न करने की माँग

65—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के रोडवेज बस स्टैण्ड को अधिक सुविधा सम्पन्न करने की कोई योजना क्या सरकार में विचाराधीन है? क्या यह सही है कि वर्तमान में वहां पर यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

जी नहीं। बांदा बस स्टेशन पर पेयजल हेतु 2 हैण्ड पम्प चालू हालत में, शौचालय तथा पक्का प्रतीक्षालय उपलब्ध है।

जनपद-बांदा के केन नहर की बांदा ब्रान्च के मवई अलोना तथा जमालपुर माइनर में सिल्ट जमा होने से किसानों को हो रही असुविधा को दूर कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

66—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के केन नहर की बांदा ब्रान्च के मवई अलोना माइनर तथा जमालपुर माइनर में सिल्ट जमा होने के कारण किसानों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता? यदि हां, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। ये नहरें बांदा ब्रांच की टेल की नहरे होने के कारण पानी की उपलब्धता कम रहती है जिसका कारण जलाशयों में जल की उपलब्धता सीमित होना है।

सिल्ट सफाई का कार्य वर्षाकाल के पश्चात् कराया जाता है, इन माइनरों पर सिल्ट सफाई का कार्य धन उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गाजियाबाद में नहर विभाग की पूर्वी यमुना नहर की दोनों ओर पटरियों पर अवैध कब्जे का प्रकरण

67—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद में नहर विभाग की दोनों ओर पटरियों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त कब्जे को खाली कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद में नहर विभाग की पूर्वी यमुना नहर की दोनों ओर पटरियों पर वर्तमान में कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० शासन द्वारा कक्षा 7 से 12 तक अनुसूचित जाति की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था

68—श्री आशुतोष मौर्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा कक्षा 7 से 12 तक अनुसूचित जाति की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-बदायूं के बिल्सी कस्बे में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने का प्रकरण

69—श्री आशुतोष मौर्य–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूँ जिले के बिल्सी कस्बे में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो डिपो की स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिल्सी से निकलने वाले अधिकांश मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने एवं बदायूं में डिपो होने के कारण, बिल्सी में डिपो की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा के कार्यालय में सम्बद्ध परिचारक कमलेश कुमार धुरिया द्वारा जाली अंक-पत्र बनाने के सम्बन्ध में जांच व कार्यवाही की मांग

70—श्री समर पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा के कार्यालय में सम्बद्ध परिचारक कमलेश कुमार धुरिया द्वारा जाली अंक-पत्र बनाने के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा का पत्रांक 87-91, दि० 22-12-2001, जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा, शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उ० प्र० लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक इलाहाबाद, संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक झांसी मण्डल झांसी तथा आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा द्वारा प्रकरण की जांच प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज मटौंध, जनपद बांदा से कराई गयी। जांच में श्री कमलेश कुमार धुरिया, परिचारक को निर्दोष पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

71—श्री समर पाल सिंह–

[4 थे सोमवार के अता०प्र०सं० - 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत सेवा संवर्गों में आरक्षण प्राविधानों के उल्लंघन की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72—श्री उदय राज–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 में नवगठित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के विभिन्न सेवा संवर्गों में सृजित पदों के सापेक्ष आरक्षण से सम्बन्धित प्रभावी रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों एवं सामान्य के लिये कितने-कितने पदों का कोटा बनता है? क्या निर्धारित कोटा के अनुसार आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी तैनात किये गये? क्या यह सही है कि नियुक्तियों में रोस्टर प्रमाण का पालन न करते हुए लेखा सहायकों के आरक्षित पदों को भी सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति से भर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षण प्राविधानों के उल्लंघन की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सुश्री मायावती–

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल सृजित पदों के समक्ष आरक्षण के कोटे की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है–

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर 253)

73—श्री उदय राज–

[दिनांक 20-8-2002 को तारां प्र०सं०–13 द्वारा उत्तरित]

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के स्थापना सहायकों के अनियमित कृत्यों की जाँच कराने की मांग

74—श्री उदय राज–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 2-7-2002, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के स्थापना सहायकों के अनियमित कृत्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जाँच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुआनों पम्प नहर, बखिरा पम्प नहर तथा जनपद सन्त कबीर नगर के राजकीय नलकूप को चलाने हेतु अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था

75—श्री शंखलाल मांझी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूखे से प्रभावित पूर्वांचल के जनपदों में कुआनों पम्प कैनाल व बखिरा पम्प कैनाल तथा जनपद सन्तकबीरनगर के राजकीय नलकूप को चलाने हेतु अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुआनो पम्प नहर, बखिरा पम्प नहर तथा जनपद सन्तकबीरनगर के नलकूपों को चलाने हेतु अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु यू०पी० पावर कारपोरेशन से अनुरोध करके प्रयास किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-सन्त कबीर नगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद सृजन की मांग

76—श्री शंखलाल मांझी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नव सृजित जनपद–सन्तकबीर नगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समान अल्पसंख्यक छात्रों को भी स्नातक शिक्षा तक छात्रवृत्ति देने की मांग

77—श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक छात्रों को हाई स्कूल कक्षा तक ही छात्रवृत्ति दी जाती है? जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इण्टर व डिग्री तक छात्रवृत्ति मिलती है? यदि हां, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को भी स्नातक शिक्षा तक छात्रवृत्ति देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं।

राज्य की विषम वित्तीय स्थिति के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ मुख्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात निदेशक, उप निदेशक को उनके मूल विभाग भेजे जाने का प्रकरण

78—श्री रामजीत राजभर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ मुख्यालय पर कितने अधिकारी सहायक निदेशक, उप निदेशक स्तर के तैनात है? उनमें से कितने प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से आये हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें उनके मूल विभाग में वापस करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम एम०काम०–

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय पर एक सहायक निदेशक एवं एक उप निदेशक स्तर के कुल 02 अधिकारी तैनात हैं। सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत एक अधिकारी हैण्डलूम कारपोरेशन से प्रतिनियुक्ति पर आये थे, जिनका प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। फलस्वरूप उक्त सहायक निदेशक अभी भी निगम में कार्यरत हैं। मा० उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही प्रकरणों में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला बांदा के राजकीय जिला पुस्तकालय के समुचित रख-रखाव व उसके संचालन हेतु मदवार व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

79—श्री नरेश अग्रवाल–

क्या माध्यमिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा के समुचित रख-रखाव एवं उसके संचालन हेतु मदवार व्यय वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी व्यय हुई? क्या वास्तविक व्यय की मासिक रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद बांदा गीता अग्निहोत्री द्वारा पुस्तकालय कोष्ठक, शिक्षा विभाग तथा मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी, हाँ

विवरण संलग्न है।

शासनादेश में प्रत्येक माह व्यय संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा द्वारा मासिक रिपोर्ट नियमित उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिनांक 26-3-02 को वित्तीय वर्ष 2001-2002 से संबंधित व्यय की वार्षिक रिपोर्ट उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 254 पर।)

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा समूह 'ग' के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की जानकारी

80—कुं० रेवती रमण सिंह तथा

डा० अशोक बाजपेयी—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा समूह "ग" के अन्तर्गत उप आबकारी निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पदों को विज्ञापित कराया गया था? क्या चयन की औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शासन स्तर पर परीक्षण में उप-आबकारी निरीक्षक संवर्ग के लिये की गई रिक्तियों की गणना विसंगतिपुर्ण तथा विज्ञापित रिक्तियाँ उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3 की उप धारा (4) के प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-18/8/95-का-2-1995, दिनांक 03 जनवरी, 1996 की व्यवस्था के प्रतिकूल पाई गयी। उक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर अग्रेतर कार्यवाही का निर्देश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त को दिया गया, जिसके क्रम में आबकारी आयुक्त ने उक्त विज्ञापित पदों की चयन सम्बन्धी कार्यवाही को विधि सम्मत नहीं पाया। अतः आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग हेतु उक्त चयन सम्बन्धी कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

जनपद महाराजगंज से जनपद रायबरेली को जाने वाली बस के पुनः संचालन की माँग

81—श्री राम लाल अकेला–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजगंज से नगर बछरावां जनपद रायबरेली को जाने वाली बस का क्या इस समय संचालन बन्द है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त बस पुनः संचालित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस संचालन पहले से ही हो रहा है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में सिकन्दरपुर रजवाहा एवं पन्दहपुर रजवाहा में टेल तक पानी न पहुंच पाने से किसानों को हो रही क्षति की जानकारी

82—श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में विगत 2 वर्षों से सिकन्दरपुर रजवाहा एवं पन्दहपुर रजवाहा में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है? क्या यह सत्य है कि एक वर्ष में सिकन्दरपुर रजवाहा में ग्राम खटंगी से आगे किसानों द्वारा सिंचाई नहीं की गयी और किसानों से सिंचाई की वसूली की जा रही है? क्या मंत्री जी उक्त की जांच कराकर सिंचाई माफ करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिकन्दरपुर रजवाहा पर वर्ष 2000-2001 (1408 फसली) में खरीफ तथा रबी में टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। वर्ष 2001-2002 (1409 फसली) में खरीफ में टेल पर पानी नहीं पहुंचा है, परन्तु रबी में पहुंचा है।

पन्द्रह रजवाहा पर 2000-2001 (1408 फसली) में खरीफ तथा रबी में टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। वर्ष 2001-2002 (1409 फसली) में खरीफ में टेल पर पानी नहीं पहुंचा हैं परन्तु रबी में पहुंचा हैं।

पुर रजवाहा पर वर्ष 2000-2001 (1408 फसली) में खरीफ तथा रबी में पानी नहीं पहुंचा है। वर्ष 2001-2002 (1409 फसली) में खरीफ तथा रबी में दोनों में पानी पहुंचा है।

जी नहीं।

सिंचित भूमि से सींच की वसूली की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया के दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० रसड़ा में क्रय किये गये गन्ने के भुगतान का प्रकरण

83—श्री जियाउद्दीन रिज़वी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा बलिया पर पेराई वर्ष 2001 व 2002 में किसानों से क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने किसानों की धनराशि बकाया है? शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० रसड़ा (बलिया) द्वारा पेराई वर्ष 2001 में क्रय किये गये कुल गन्ने का भुगतान कर दिया गया है।

वर्ष 2002 में क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का रू० 492.82 लाख अवशेष है।

कुल 10, 472 किसानों का भुगतान शेष है। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु विगत वर्षों की परम्परा के अनुसार शासकीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।

जिला मैनपुरी के क्रिश्चियन इण्टर कालेज में चयन समिति द्वारा नियुक्त अध्यापकों व लिपिकों के वेतन प्राप्त न होने का प्रकरण

84 —श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्रिश्चियन इण्टर कालेज, मैनपुरी में वर्ष 2000-2001 में अध्यापकों व लिपिकों का चयन समिति द्वारा चयन कराकर नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी द्वारा उक्त पदों का अनुमोदन न होने के कारण अध्यापकों व लिपिकों को वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को अनुमोदित किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रबन्धतंत्र द्वारा चयन का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी को प्रस्तुत किया गया है।

जी हाँ।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा को जाँच के निर्देश दिये गये हैं। जाँचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर नलकूप खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

85—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–174415, दि० 2-7-2002 जो नलकूप खण्ड शाहजहाँपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप शाहजहाँपुर को दि० 6-7-02 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य) के कार्यालय ज्ञाप सं० 9662, दिनांक 23-8-2002 द्वारा शिकायतों की जाँच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड जैतीपुर से शाहजहाँपुर तक चलने वाली परिवहन निगम की बस के पुनः संचालन सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

86—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-5-2002 जो विकास खण्ड जैतीपुर से शाहजहाँपुर तक चलने वाली परिवहन निगम की बस पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

मा० विधायक का पत्र दिनांक 28-5-2002 नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि प्रश्नगत मार्ग पर बस संचालन से संबंधित मा० मुख्य मंत्री जी को संबोधित पत्र दिनांक 16-5-2002 प्राप्त हुआ है।

अपेक्षित बस सेवा दिनांक 16-7-2002 से पुनः संचालित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी चीनी मिलों में संघ द्वारा नियुक्त कर्मियों को समान पद व समान वेतन की मांग

87—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सहकारी चीनी मिलों में उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा नियुक्त कर्मियों तथा चीनी मिलों द्वारा नियुक्त कर्मियों को समान पद के लिये समान वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस भेदभाव का औचित्य क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

सहकारी चीनी मिलों में चीनी मिल संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ कर्मचारी सेवा नियमावली से संचालित हैं, इन्हें चीनी मिल संघ द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुमन्य है तथा इनकी नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक चीनी मिल संघ है। इसके विपरीत चीनी मिलों के स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं शुगर वेज बोर्ड द्वारा संचालित हैं तथा इन्हें शुगर वेजबोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतनमान व सुविधाएं अनुमन्य है। इन पदों की नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक होते हैं। इस स्थिति में भिन्न-भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भिन्न सेवा शर्तों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं की आपस में तुलना किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को शुगर बेजबोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप समान सेवा शर्तें लागू करने की मांग

88—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को, जो उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा एवं मिल मालिकों द्वारा नियुक्त किये गये हैं, को शुगर बेजबोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप समान सेवा शर्तें लागू हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

सहकारी चीनी मिलों में चीनी मिल संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ कर्मचारी सेवा नियमावली से संचालित हैं, इन्हें चीनी मिल संघ द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुमन्य है तथा इनकी नियुक्ति प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक चीनी मिल संघ है। इसके विपरीत सहकारी चीनी मिलों के स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं शुगर बेजबोर्ड द्वारा संचालित हैं तथा इन्हें शुगर बेजबोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतनमान व सुविधाएं अनुमन्य है। इन पदों की नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक होते हैं। इस स्थिति में भिन्न-भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भिन्न सेवा शर्तों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं की आपस में तुलना किये जाने का औचित्य नहीं है।

जिला संतकबीरनगर में मुखलिसपुर, मठिया, भैसहिया आदि ग्रामों के किसानों की जलमग्न भूमि का मुआवजा वितरित करने के सम्बन्ध में जानकारी

89—श्री शंख लाल माझी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला संतकबीरनगर (खलीलाबाद) में मुखलिसपुर में कुआनों पम्प कैनाल पर 10 वर्ष पूर्व बने वाटर रेजिंग बियर के निर्माण में मुखलिसपुर, मठिया, भैसहिया, गाजिमपुर आदि ग्रामों के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि स्थाई रूप से जलमग्न हो जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसानों को उसका मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिला संतकबीरनगर के अन्तर्गत मुखलिसपुर में कुआनों पम्प कैनाल पर वाटर रेजिंग बीयर के निर्माण से मुखलिसपुर, मठिया (जिसकी सही नाम अतरौलिया उर्फ महतिया है) भैसही जोत (भैसहिया) आदि ग्रामों के किसानों की 44.51 एकड़ व ग्राम समाज की 21.61 एकड़ अर्थात् कुल 66.12 एकड़ भूमि प्रभावित है। ग्राम गाजिमपुर (जिसका सही नाम गालिमपुर है) की भूमि प्रभावित नहीं है।

ग्राम मुखलिसपुर के आठ किसानों की 7.62 एकड़ भूमि का मुआवजा दिया गया है।

अवशेष कृषकों के मुआवजा हेतु रु० 6.20 लाख धनावंटन अपेक्षित है। धनावंटन के सापेक्ष मुआवजा वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद हरदोई के राजा हाता नगर क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

90—श्री मस्तराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय, राजा हाता नगर क्षेत्र, सण्डीला जनपद हरदोई की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य करा लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों।

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा में स्वीकृत कुल नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी

91—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में 2001 व 2002 में कुल कितने नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा कितने नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं? क्या उनका निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों। क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम–माटा, कुम्हरिया डेरा, रैपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी०ए०सी० जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों।

सुश्री मायावती—

जनपद बांदा में वर्ष 2001-2002 में कुल 25 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 39 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए।

जी नहीं।

समय से स्थल चयन एवं ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण न होना। जाँच करायी जा रही है।

निर्माण कार्य मानक से विपरीत होने पर टी०ए०सी० से जाँच करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा के इण्टर कालेज तिन्दवारी में वर्ष 1994-95 में अनियमित ढंग से की गयी नियुक्तियों पर कार्यवाही की माँग

92—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के इण्टर कालेज तिन्दवारी में वर्ष 1994-95 में 6 सहायक अध्यापक, एक (1) सहायक लिपिक, तथा एक (1) परिचारक की अवैधानिक नियुक्तियाँ की गयी थी जिसका अनुमोदन तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनियमित ढंग से किया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालयों के इण्डिया मार्का 2 हैंड पम्पों को ठीक कराने की माँग

93—श्री आलोक कुमार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें इंडिया मार्का 2 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं? क्या यह सही है कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनके हैंड पम्प अन्य तकनीकी खराबी के कारण बन्द हैं? यदि हां, तो उनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों।

सुश्री मायावती—

1255 विद्यालयों में इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पम्पों को स्थापित किया जा चुका है। 138 विद्यालय शेष है।

जी हां। उनसठ हैण्ड पम्प खराब हैं।

खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा शुगर बेजबोर्ड की परिधि के अन्दर आने वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगति की जानकारी

94—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा शुगर बेजबोर्ड की परिधि के अन्दर आने वाले पदों को दो भागों में बांट कर पृथक वेतनमान सुविधाएँ तथा सेवा-नियमावलियाँ बना दी है? क्या यह सही है कि उक्त विभाजन से एक ही मिल में कार्यरत कर्मचारियों में वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो उक्त वेतन विसंगति को दूर किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में दो तरह के कर्मचारी हैं। प्रथमतः वह कर्मचारी जो उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और उनकी नियुक्ति प्राधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ है। इन कर्मचारियों पर संघ की सेवा नियमावली एवं वेतनमान प्रभावी है। दूसरी श्रेणी के वह कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित सहकारी चीनी मिलों द्वारा की जाती है और उनकी नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धक हैं। चीनी मिलों के स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें शुगर बेजबोर्ड द्वारा संचालित हैं तथा इन्हें शुगर बेजबोर्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतनमान व सुविधायें अनुमन्य हैं। इस स्थिति में भिन्न-भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भिन्न सेवा शर्तों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं की आपस में तुलना किये जाने का औचित्य नहीं है और इसमें कोई विसंगति नहीं है।

राष्ट्रीय डिग्री कालेज महरेवँ, पुरेवँ, जौनपुर के प्रबन्धक द्वारा फर्जी आय प्रमाण-पत्र पर कार्यवाही की माँग

95—श्री शाकिर अली—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डिग्री कालेज महरेवँ, पुरेवँ, जौनपुर के प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में 6 लाख रुपये का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो क्या वह प्रमाण-पत्र तहसीलदार–केराकत जनपद–जौनपुर द्वारा जारी किया गया था? यदि नहीं, तो क्या उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्र दिनांक 27-4-98 द्वारा आय प्रमाण-पत्र की सत्यता की जांच आख्या जिलाधिकारी–जौनपुर द्वारा दिनांक 18-9-98 को उच्च शिक्षा अनुभाग–6 को प्रेषित कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या आय प्रमाण-पत्र फर्जी था? यदि हां, तो क्या फर्जी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी जौनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 18-9-98 में उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय डिग्री कालेज के नाम कोई भूखण्ड/सम्पत्ति अभिलेखों में अंकित नहीं है। महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता की अवधि का दिनांक 30-6-2002 तक विस्तरण श्री कुलाधिपति के द्वारा इस प्रतिबंध के साथ किया गया है कि छः माह में पूरी भूमि महाविद्यालय के नाम करा ली जायेगी, अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता विस्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा। दिनांक 30-6-2002 के पश्चात् सम्बद्धता की अवधि का विस्तरण नहीं किया गया है।

जनपद रायबरेली की शारदा सहायक खण्ड दक्षिण में क्षतिग्रस्त रजबहे को ठीक कराने की मांग

96—श्री राम लाल अकेला—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड दक्षिणी, रायबरेली के द्वारा संचालित राजामऊ रजबहा में बालू इकट्ठा हो गई है तथा रजबहा की पट्टी भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो उसे ठीक कराकर हेड से टेल तक पानी पहुँचाने का काम कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

टेल तक पानी न पहुंचने का कारण रजबहे की पटरियों का क्षतिग्रस्त होना नहीं है वरन् सूखे की स्थिति से शीर्ष रीच में पानी की अत्यधिक मांग होना एवं अवैध कटिंग आदि का होना है। इस माइनर की लम्बाई 32.70 कि०मी० में से खरीफ फसली 1410 में पानी 31.50 कि०मी० तक पहुंचा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली ग्राम जड़ावगंज के आस-पास के जलमग्न तालाब की जल निकासी हेतु ड्रेन के निर्माण की मांग

97—श्री राम लाल अकेला—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड शिवगढ़ जनपद रायबरेली के ग्राम जड़ावगंज के आस-पास की लगभग 90 एकड़ भूमि नंदा बाबा के तालाब में जल भराव के कारण जलमग्न रहती है? यदि हां, तो उक्त तालाब में जल निकासी हेतु क्या सरकार ड्रेन बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जड़ावगंज के आस-पास बड़ी झील है। जिसमें जल भराव में पानी को निकालने के लिए असहन जगतपुर ड्रेन का निर्माण कराया गया था। गत वर्ष उक्त ड्रेन की सफाई ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत कराई गई है जिससे प्रभावित क्षेत्र का जल निकास हो रहा है।

परिवहन विभाग में चालकों को परिचालक के पद पर स्थापित करने के सम्बन्ध में जानकारी

98—श्री राजेन्द्र सिंह राणा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–159सी०ई०एन०टी०/96-800/निगम/4(1), दिनांक 12 जनवरी, 1996 के अनुपालन में हरिद्वार डिपों में वर्ष 1994 से अब तक कितने चालकों को परिचालक के पद पर स्थापित किया गया है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

प्रश्न में संदर्भित पत्र शासन का पत्र नहीं है, बल्कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ का है, उनके परिपत्र संख्या–159सी०ई०एन०टी०/ 96-800/निगम/91(11) दिनांक 12 जनवरी, 1996 के अन्तर्गत हरिद्वार डिपो में एक चालक को परिचालक पद पर पदस्थापित किया गया था, परन्तु उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उन्हें पुनः चालक पद पर तैनात कर दिया गया।

जनपद मऊ में छोटी सरयू नदी की सफाई पर खर्च की गयी धनराशि की जानकारी

99—श्री समरपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊ जनपद में छोटी सरयू नदी की खोदायी एवं खरपरतवार की सफायी हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कितनी-कितनी धनराशि बाढ़ खण्ड आजमगढ़ द्वारा खर्च की गयी? क्या यह सही है कि उक्त धन से की गयी कम खुदायी के कारण नदी में पानी रुक गया है? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद मऊ में छोटी सरयू ड्रेन (नदी) की खुदायी आदि पर बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित धनराशि खर्च की गयी है:–

मद सं०—4711	रु० 24.75 लाख
मद सं०—8443 (विधायक निधि)	रु० 28.90 लाख
	योग रु० 53.65 लाख

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के बड़राव ब्लाक मुख्यालय में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराने की मांग

100—श्री समरपाल सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद के बड़राव ब्लाक मुख्यालय पर किराये के भवन में राजकीय कन्या इण्टर कालेज संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्कूल भवन का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर प्रश्नगत विद्यालय के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की प्राइमरी पाठशाला टिकैतनगर, विकास खण्ड पूरे डलई में कार्यरत श्रीमती जनक दुलारी के देयों के भुगतान सम्बन्धी पत्र

101–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला टिकैतनगर, विकास खण्ड पूरे डलई जनपद-बाराबंकी में कार्यरत श्रीमती जनक दुलारी, सहायक अध्यापिका जो दि० 30-6-1997 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुकी है? क्या उन्हें पेंशन, बीमा राशिकरण, उपादान की धनराशि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त देयों का भुगतान उन्हें कब तक करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

1–अनन्तिम पेंशन का भुगतान रु० 843/- की दर से बाराबंकी ग्रामीण बैंक शाखा कस्बा इचौली के माध्यम से लेखाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

2–अवशेष पेंशन रु० 63627.00 का भुगतान चेक संख्या–ए०एम०–648016 दिनांक 20-6-2002 खाता संख्या 420 के माध्यम से किया जा चुका है। बीमा की धनराशि का भुगतान ग्रामीण बैंक शाखा रानीकटरा के बचत खाता संख्या 1716 धनराशि रु० 4773/- मात्र चेक सं०–0291595 दिनांक 10-8-99 के माध्यम से पूर्व में ही किया जा चुका है।

3–केवल अन्तिम पेंशन एवं पेंशन राशिकरण शेष है।

सेवा पुस्तिका पुलिस अभिरक्षा से प्राप्त न हो पाने के कारण।

सेवा पुस्तिका प्राप्ति के एक माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

जनपद सीतापुर की चीनी मिल महमूदाबाद में बगैर गन्ना आयुक्त की अनुमति के गन्ना मूल्य का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में करने विषयक जानकारी

102–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल महमूदाबाद जनपद सीतापुर में विगत पाँच वर्षों में शासन नीति के तहत बगैर गन्ना आयुक्त की अनुमति के गन्ना मूल्य का डाइवर्जन किसी दूसरे मदों में किया गया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, महमूदाबाद (अवध) हेतु विगत पांच वर्षों में गन्ना उत्पादकों द्वारा आपूर्ति गन्ने से उत्पादित चीनी उत्पादन पर बैंक से प्राप्त अग्रिम धनराशि का 85 प्रतिशत भाग गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग की गई थी। वर्ष 1999-2000 एवं 2001-2002 में कोई धनराशि व्यावर्तित नहीं की गई। वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं वर्ष 2000-2001 में कुछ धनराशि चीनी मिल कार्य हेतु व्यावर्तित की गई।

वर्ष 2001-2002 में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग की गई धनराशि में से व्यावर्तन की गई धनराशि के लिए महमूदाबाद चीनी मिल के मुख्य लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। तथा तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रकरण नियुक्ति विभाग को सन्दर्भित किया गया है।

जनपद सीतापुर, शुकलनपुरवा विकास खण्ड मथुरा में विद्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

103–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुकलनपुरवा विकास खण्ड मथुरा जनपद सीतापुर का वर्ष 1993-94 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण हो गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

ग्राम शुकलनपुरवा हेतु वर्ष 1995-96 में प्राथमिक विद्यालय भवन स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण अभी नहीं हुआ है।

दलदली, बलुवर एवं नदियों से घिरी जमीन होने के कारण उपलब्ध कराये गये स्थल पर आवंटित धन के अन्तर्गत भवन निर्माण में कठिनाई है, जिसके निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। कठिनाई दूर होने पर शीघ्र भवन निर्माण करा दिया जायेगा।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर वन क्षेत्र के किसानों की फसलों को जंगली पशुओं द्वारा हो रहे नुकसान को रोकने के उपाय की जानकारी

104–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत वन सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की फसल का नुकसान जंगली पशुओं द्वारा हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत वन सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की फसल को जंगली जीवों द्वारा नुकसान पहुँचाये जाने की संभावना रहती है। प्रदेश में वन क्षेत्र अत्यन्त सीमित मात्रा में शेष बचे हैं। कृषि को अधिकांश क्षति वनों के बाहर रहने वाले वनरोज (नीलगाय) नामक वन्य जीव द्वारा पहुंचाई जाती है। वनरोज (नीलगाय) से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को यह अधिकार प्रदान किये गये हैं कि कृषकों की मांग पर कृषि के लिये हानिकारक वनरोज (नीलगाय) को नष्ट कराने की अनुमति प्रदान करें।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह व डीह के रजबहों, माइनारों व अल्पिकाओं की सफाई करने की मांग

105–सुश्री आशा किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड छतोह, डीह जनपद रायबरेली के रजबहों, माइनरों व अल्पिकाओं की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता है? यदि हां, तो उक्त रजबहों की कब तक सफाई करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह, डीह की नहरों में सिल्ट के कारण अधिकांश नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

इन रजबहों के क्षमता पुनर्स्थापना कार्य को विश्व बैंक द्वारा पोषित वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, मौरावां में डिग्री कालेज खोलने का प्रकरण

106–श्री उदयराज–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव के मौरावां में वर्तमान में कोई डिग्री कालेज संचालित न होने के कारण वहां के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा, हेतु बीस पच्चीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार मौरावां जनपद उन्नाव में डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनपद-उन्नाव में 06 महाविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय के स्थान पर असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मद में कोई प्राविधान नहीं है।

सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक श्री के० एन० सिंह के विरूद्ध सी०बी० आई० से जॉच की मांग

107–श्री राम किशुन

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेवा निवृत्ति प्रमुख वन संरक्षक श्री के०एन०सिंह के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या–19462/02 ए० बी० में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-5-2002 को सी०बी०आई० जाँच कराने का आदेश सरकार को दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार सी०बी०आई० जाँच करा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की महरेवँ, पुरेवँ राष्ट्रीय इण्टर कालेज व डिग्री कालेज को हटाने का प्रकरण

108– श्री शाकिर अली—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेवँ, पुरेवँ, जौनपुर की भूमि एवं भवन राष्ट्रीय डिग्री कालेज महरेवँ, पुरेवँ, जौनपुर और एक सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महरेवँ, पुरेवँ जौनपुर की भूमि एवं भवन पर से राष्ट्रीय डिग्री कालेज और इण्टर कालेज से सम्बद्ध कथित प्राथमिक विद्यालय को हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेवँ, पुरेवँ, जौनपुर की भूमि एवं भवन पर राष्ट्रीय डिग्री कालेज एवं प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है।

हटाने हेतु सम्बन्धित प्रबन्धकों को नोटिस दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-सहारनपुर सहकारी चीनी मिल सरसांवा में सामान्य श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

109-श्री संजय गर्ग तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में स्थित सरसावां चीनी मिल में क्लास–1, क्लास–2, क्लास–3, क्लास–4 के कितने कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं? उनमें से अलग-अलग सामान्य श्रेणी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिशत कितना है?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

सहकारी चीनी मिल सरसावां (सहारनपुर) में क्लास–1के कुल 9 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से सामान्य जाति के 7 जिनका प्रतिशत 77.78, पिछड़ी जाति के 2, जिनका प्रतिशत 22.22 है। क्लास–1 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

क्लास–2 में कुल 14 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं जिनमें सामान्य जाति के 10 जिनका प्रतिशत 71.43, पिछड़ी जाति का। जिसका प्रतिशत 7.14, अनुसूचित जाति के 3 जिनका प्रतिशत 21.43 है। क्लास–2 में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

क्लास–3 में कुल 214 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से सामान्य जाति के 72 जिनका प्रतिशत 33.64, पिछड़ी जाति के 109 जिनका प्रतिशत 50.94, अनुसूचित जाति के 33 जिसका प्रतिशत 15.42 है। क्लास–3 में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

क्लास–4 में कुल 395 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं जिनमें सामान्य जाति के 41 जिनका प्रतिशन 10.38 पिछड़ी जाति 194 जिनका प्रतिशत 49.11, अनुसूचित जाति के 160 जिसका प्रतिशत 40.51 है। क्लास–4 में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

जनपद-जौनपुर स्थित सिंचाई विभाग के खण्ड 36 को जनपद-वाराणसी से पुनः जौनपुर स्थानान्तरित करने की माँग

110- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर स्थित सिंचाई विभाग के खण्ड-36 को जनपद-वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त खण्ड को स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या है? क्या सरकार उक्त खण्ड को जनपद-जौनपुर में बने रहने हेतु आदेशित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी नहीं, सिंचाई विभाग के शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर को वाराणसी स्थानान्तरित नहीं किया गया है। बल्कि इस खण्ड को विश्व बैंक पोषित वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के कार्य के निष्पादनार्थ समर्पित खण्ड घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सहरानपुर में स्थित दया शुगर मिल को गन्ना विकास हेतु एस०डी०एफ० ऋण के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की जानकारी

111–श्री संजय गर्ग—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सहारनपुर में स्थित दया शुगर मिल को गन्ना विकास हेतु एस०डी०एफ० से प्राप्त धन का उपयोग विकास कार्य में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1999 से जून, 2002 तक उक्त धनराशि से कहाँ-कहाँ क्या-क्या विकास कार्य कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी नहीं। दया शुगर मिल, गांगलहेडी जनपद सहारनपुर को एस०डी०एफ० ऋण के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-मऊ नगर सुरक्षा बांध में ग्राम भदेसरा एवं खेदूपुरा के बीच वाला क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के मरम्मत की मांग

112– श्री समर पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद नगर सुरक्षा बांध में ग्राम भदेसरा एवं खेदूपुरा के बीच वाला रेगुलेटर नदी की तरफ टूट कर गिर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेगुलेटर की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी हां।

रेगुलेटर पुराना होने के कारण नदी की तरफ क्षतिग्रस्त हो गया था।

मरम्मत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, मऊ, देवकली, जमानिया, गाजीपुर, नरायनपुर आदि में पम्प कैनालों की स्थापना एवं उनके अनुरक्षण पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

113—श्री समर पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दोहरीघाट जनपद मऊ, देवकली व जमानियां, जनपद गाजीपुर एवं नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में पम्प कैनाल की स्थापना की गयी थी? वित्तीय वर्ष 1997-98 से अब तक उपरोक्त चारों पम्प कैनालों के अनुरक्षण पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या दोहरीघाट कैनाल के पम्प इस समय खराब हैं? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी हाँ।

समस्त पम्प कैनालों पर वर्षवार व्यय निम्नवत् है:—

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)
1997-1998	319.83
1998-1999	322.67
1999-2000	231.152
2000-2001	454.70
2001-2002	299.967
योग	1598.319

जी हां, दो पम्प खराब हैं।

पम्प ठीक कराने के लिए इम्पेलर की आवश्यकता है। पम्प ठीक कराने की तिथि, कार्यवाही धन की उपलब्धता तथा इम्पेलर की प्राप्ति पर निर्भर होगी।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मियों को उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरित करने की माँग

114- श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मियों को निर्धारित अवधि से ऊपर प्रतिनियुक्ति पर बनाएं रखकर भत्ता व अतिरिक्त लाभ देकर शासनादेश सं०–जी–1-176/दस–99-534(46)/7 टी०सी०, दिनांक 16-3-1999 का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जिन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक हो गयी थी उन्हें सिंचाई विभाग में वापिस बुला लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा अभिलेखों में की गयी हेरा-फेरी सम्बन्धी प्रकरण

115–श्री शिवपाल सिंह यादव

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बाल कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा अभिलेखों में हेरा-फेरी करके स्वयं के जी०पी०एफ० खाता से 5 लाख रुपये की धनराशि निकाल ली गयी है। तथा अपनी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि में हेरा फेरी कर ली गयी है? क्या यह सही है कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं० 4534 दि० 5-6-2002 द्वारा उन्हें पदावनत कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसी गम्भीर अनियमितताएं एवं धनराशि में हेरा-फेरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा अंकित न कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ। परन्तु आहरित की गयी धनराशि रु० 3,85,500/- है।

जी हाँ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को शासन स्तर से निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद हरदोई के स्वामी भगवान दास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मन्दिर में पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा अवैध कब्जा करने विषयक जानकारी

116–श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या सरकार की जानकारी में है कि श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद् द्वारा अपने पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 के द्वारा स्वामी भगवान दास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्या मंदिर जाहिदपुर जनपद–हरदोई में पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा अवैध रूप से कमरे का कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्रेषित किया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

विद्यालय प्रबंधक को सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित नवयुग कन्या इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं का वेतन व अवशेष देयों के भुगतान की मांग

117–श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित नवयुग कन्या इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की समस्त शिक्षिकाओं को माह जनवरी तथा फरवरी, 2000 का वेतन तथा वर्ष 1997, 1998 व 1999 का बोनस व संशोधित वेतनमान के समस्त अवशेष देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

अवशेष देयों के भुगतान हेतु निर्देश दे दिए गये है।

जनपद लखनऊ के अधीन खण्ड शारदा नहर को वित्तीय वर्ष 2001–2002/2002–2003 के लिये विद्युत देय हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण

118–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सप्तम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन खण्ड, शारदा नहर लखनऊ को 2001–2002 तथा 2002–2003 विद्युत देय के अन्तर्गत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और वर्षवार व्यय की गई धनराशि क्या है? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त मद में कितनी धनराशि विद्युत सामग्री के क्रय में व्यय की गयी है? क्या उक्त क्रय की गयी सामग्री नियमानुसार अधिकृत विक्रेताओं से की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के लिए विद्युत देय हेतु आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2001–2002	55.84	55.18
2002–2003	15.00	08.66 (माह 7/2002 तक)

वर्ष 2001-2002 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष रु० 14.05 लाख ट्रान्सफार्मर हेतु उ०प्र० विद्युत निगम को भुगतान किया गया था।

प्रश्नगत ट्रान्सफार्मर उ०प्र० राज्य विद्युत निगम द्वारा स्थापित किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा यह ट्रान्सफार्मर क्रय नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में ऊसर खण्ड नाले के निर्माण कार्य का कथित प्रकरण

119–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में ऊसर खण्ड नाले का निर्माण कार्य भूमि अध्यापित किए बिना प्रारम्भ कराये जाने से सरकार को 156 करोड़ रुपये की क्षति हुई? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सही है कि 63.95 लाख रुपये की धनराशि विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के पास विगत 8 वर्षों से अनुपयोगी अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। ऊसर खण्ड (अतरसण्ड) नाले से संबंधित भूमि प्रतिकर की धनराशि रु० 63.35 लाख विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को वर्ष मार्च, 1994 से वर्ष मार्च 1996 के मध्य दी गयी। प्रश्नगत भूमि अब आपसी समझौते के अन्तर्गत क्रय की जा रही है। अतएव इस धनराशि को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी प्रतापगढ़ से वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

ज्ञानपुर पम्प कैनाल प्रोजेक्ट को बन्द करने सम्बन्धी जानकारी

120–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (सोन) के अधीनस्थ ज्ञानपुर पम्प कैनाल प्रोजेक्ट को बन्द करने का क्या कारण है? क्या इस प्रोजेक्ट हेतु दो करोड़ की धनराशि कृषकों के प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटित होने के बावजूद कृषकों को वितरित न करके अन्य कार्यों में व्यय की गई है? क्या यह सही है कि वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग द्वारा अप्रैल, 2001 में मामला शासन को संदर्भित किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परियोजना के प्राविधान के अनुसार अधिकांश कार्यों के पूर्ण हो जाने के कारण परियोजना पूर्ण मानकर बन्द कर दी गयी है।

जी नहीं।

कृषकों को प्रतिकर भुगतान हेतु मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि संबंधित भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को एवं मा० जिला न्यायालयों के आदेश के अनुपालन हेतु उपलब्ध कराई गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–2000 में भू-प्रतिकर हेतु रु० 1242.00 लाख आवंटित धनराशि के विरुद्ध रु० 1412.39 लाख अर्थात् 170.30 लाख रु० अधिक भुगतान भू-प्रतिकर के रूप में किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2000–2001 में आवंटित रु० 1316.00 लाख के विरुद्ध 1154.64 लाख भू-प्रतिकर के रुप में वितरित किये गये हैं। इस प्रकार इन दोनों वर्षों में भू-प्रतिकर हेतु आवंटित रु० 2558.00 लाख के विरुद्ध रु० 2568.00 लाख भू-प्रतिकर का भुगतान किया गया।

वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग ने अप्रैल, 2001 में ज्ञानपुर पम्प कैनाल के संबंध में कोई पत्र शासन को नहीं भेजा था। अपितु जुलाई 2001 में प्रेषित पत्र में इस परियोजना के कार्यान्वयन में की गयी, अनियमितताओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा गार्डेन परियोजना परिवर्तित नाम सिंचाई संग्रहालय परियोजना के निर्माण कार्यों में दर्शायी गयी वित्तीय अनियमितता की जानकारी

121–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई अनुभाग-10 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–572/आई० एम० 97–27–सिं–10-421/97, दिनांक 18-12-97 के प्रस्तर-5 के अनुसार शारदा गार्डेन परियोजना परिवर्तित नाम सिंचाई संग्रहालय परियोजना के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता दर्शायी गयी है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली शिवगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज खोलने की मांग

122–श्री राम लाल अकेला–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवगढ़ जनपद रायबरेली में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई इण्टर कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्या शिवगढ़ में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज सीधे खोलने की कोई योजना शिक्षा विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली शिवगढ़ ड्रेन के ग्राम आइमापुर व पूरेलाल बहादुर के बीच पुल के निर्माण की मांग

123–श्री राम लाल अकेला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवगढ़ ड्रेन, जनपद-रायबरेली के ग्रा० आइमापुर व पूरे लाल बहादुर के बीच ड्रेन पर पुल न होने के कारण आवागमन में घोर कठिनाइयाँ होती है? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन पर पुल बनवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम–आइमापुर व पूरेलाल बहादुर शिवगढ़ ड्रेन के कि०मी० 17.00 के पास स्थित है। इस ड्रेन के कि०मी० 15.20 पर एवं कि०मी० 19.20 पर आवागमन हेतु पुल निर्मित है।

जनपद रायबरेली वि०खं० छतोह में बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की माँग

124–सुश्री आशा किशोर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० खं० छतोह, जनपद रायबरेली में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई इण्टर कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार छतोह में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

राजकीय बालिका इंटर कालेज की सीधे स्थापना की कोई योजना शिक्षा विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद बालिका इण्टर कालेज सिरसा में हिन्दी प्रवक्ता पद पर अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री मानपाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को संबोधित श्री शिव चरन प्रजापति स०वि०स० का पत्र दि० 18/19–7–2002 जो जिला पंचायत बालिका इण्टर कालेज, सिरसा, इलाहाबाद में हिन्दी प्रवक्ता पद पर अनियमित नियुक्ति के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ–

अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार) को जाँच के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं० 30468/2001 सुशीला गुप्ता बनाम शिक्षा निदेशक (मा०) व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-8-2001 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) इलाहाबाद के पत्र सं० 600–604/02–03 दिनांक 24-6-02 द्वारा प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के गौतमनगर ग्राम में महाविद्यालय की स्थापना की मांग

126–श्रीमती विद्या चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद–आजमगढ़ में कोई महाविद्यालय न होने के कारण विद्यार्थियों को अन्यत्र महाविद्यालय में जाकर अध्ययन करना पड़ता है? यदि हां, तो वर्तमान शिक्षा सत्र में जनपद-आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के गौतम नगर ग्राम में महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं।

उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनपद–आजमगढ़ में कुल 27 महाविद्यालय संचालित हैं। प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालयों के स्थान पर असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–03 के आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना मद में कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के कटान से ग्राम सभा अंगरौरा के ग्रामीणों की जलमग्न जमीन की कटान को रोकने हेतु बोल्डर लगाकर पिचिंग का कार्य कराने की मांग

127–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर में घाघरा नदी के कटान से ग्राम सभा अंगरौरा के ग्रामीणों की जमीन जलमग्न व मकान नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कटान को रोकने के लिए बोल्डर लगाकर पिचिंग का कार्य करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। सामान्यतः घाघरा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित जमीन व मकान प्रभावित होते हैं।

जी नहीं। शासन की नीति के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा किसी ग्राम की कटान रोकने के लिए बोल्डर की पिचिंग नहीं करायी जाती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

128–कुँ० भरतेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? जिला उपभोक्ता फोरम, बिजनौर में रिक्त दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री बाबू राम (एम०काम०)–

जिला उपभोक्ता फोरमों में अध्यक्ष/सदस्य के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थियों का चयन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–10(1)(ए) में प्राविधानित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को आहूत चयन समिति की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त पुरुष के सदस्य के 29 तथा महिला सदस्य के 19 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। जिला उपभोक्ता फोरम, बिजनौर के पुरुष व महिला सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2002 तथा 20 जुलाई, 2002 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्यों के पद रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे-जैसे पद रिक्त होते हैं, चयन समिति की बैठक आहूत करके उन्हें भरने की कार्यवाही शासन द्वारा की जाती है।

जिला उपभोक्ता फोरम, बिजनौर के पुरुष व महिला सदस्य पद पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे-आर्डर) होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। इन पदों पर नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के अपास्त (वैकेट) होने के उपरान्त ही संभव हो सकेगी।

जनपद बिजनौर स्थित चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान की माँग

129–कुँ० भरतेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में स्थित चीनी मिलों पर 30 जून, 2002 तक गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है? उक्त मूल्य का भुगतान करने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया मूल्य ब्याज सहित अदा करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बिजनौर स्थित चीनी मिलों पर दिनांक 30-6-2002 की स्थिति के अनुसार निम्नवत् गन्ना मूल्य बकाया था :–

(धनराशि लाख रु० में)

नाम चीनी मिल	देय	भुगतान	अवशेष
स्यौहारा	14417.60	11666.42	2751.18
बुन्दकी	6849.53	5650.82	1198.71
धामपुर	12985.60	11009.97	1975.67
बिजनौर	4276.02	3051.27	1224.75
चाँदपुर	3894.11	3193.77	700.34
स्नेहरोड	4554.95	4305.57	249.38
योग :–	46977.81	38877.82	8100.03

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु विभागीय स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है। प्रदेश शासन कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के प्रति दृढ़ संकल्प एवं प्रयासरत है।

गन्ना आपूर्ति के बाद 14 दिनों से अधिक विलम्बित भुगतान पर ब्याज दिये जाने का विधिक प्राविधान है, जिसे निजी चीनी मिल एसोसियेशन द्वारा चुनौती दी गयी है, जो मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्र बढ़नी चापा द्वारा किसानों के गन्ना क्रय तथा उनके बकाया मूल्य के भुगतान की माँग

130—श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्र बढ़नी चापा द्वारा माह अप्रैल, 2002 में किसानों का कुल कितना गन्ना क्रय किया गया तथा उसके सापेक्ष कितना भुगतान किया गया? क्या सरकार शेष किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्रय केन्द्र बढ़नी चापा पर माह अप्रैल, 2002 में 38362.45 क्विंटल गन्ने की खरीद की गयी है। इस खरीद के सापेक्ष गन्ना मूल्य की देयता 24,79,954.55 रुपये के सापेक्ष 10,71,583.20 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु विभागीय स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा रही है। चीनी मिल पर पूर्ण भुगतान हेतु निरन्तर दबाव बनाये रखा जा रहा है।

चीनी मिल द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार उनके द्वारा अपेक्षित टर्म लोन शीघ्र ही स्वीकृत हो जाने के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आधारित गेहूँ खरीद के लक्ष्य का निर्धारण

131—श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूँ खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? गेहूँ की खरीद किन-किन एजेन्सियों द्वारा की गयी? तथा कुल कितना-कितना गेहूँ प्रत्येक एजेन्सियों ने क्रय किया?

श्री बाबू राम (एम० काम०)–

रबी विपणन वर्ष 2002-2003 में गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 25.00 लाख मी० टन निर्धारित किया गया था।

गेहूँ की खरीद निम्नलिखित एजेन्सियों द्वारा उनके सम्मुख अंकित मात्रा में की गयी है:–

क्रय एजेन्सी का नाम	गेहूँ की खरीद (मी० टन में)
1—खाद्य विभाग की विपणन शाखा	5,65,502
2—उ० प्र० सहकारी संघ	8,09,298
3—उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ	2,46,151
4—उ० प्र० राज्य कृषि एवं औद्योगिक विकास निगम	2,95,323
5—उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	1,17,290
6—उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम	73,195
7—आलू विकास संघ	3,414
योग	21,10,173

132—श्री राम नरेश यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में गेहूँ क्रय करने हेतु खोले गये केन्द्रों द्वारा गेहूँ खरीद का प्रकरण

133—श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में गेहूँ क्रय करने के लिए वर्ष 2002-2003 में कुल कितने केन्द्र खोले गये हैं तथा उनसे कुल कितना गेहूँ खरीदा गया? कितनी धनराशि किसानों की बकाया है? बकाया गेहूँ मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बाबू राम (एम० काम०)–

रबी वर्ष 2002-2003 में जनपद आजमगढ़ में गेहूँ क्रय हेतु कुल 50 क्रय केन्द्र खोले गये। खोले गये क्रय केन्द्रों पर कुल 4917.5 मी० टन गेहूँ क्रय किया गया ।

कोई धनराशि बकाया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आजमगढ़ में खराब नलकूपों को ठीक करवाने की माँग

134—श्री राम नरेश यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा उनमें कितने काम कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं? खराब नलकूपों को सरकार कब तक ठीक करायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ। जनपद आजमगढ़ में कुल छिद्रित राजकीय नलकूपों की संख्या 499 है। इनमें से 101 राजकीय नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं तथा 1 नलकूप फेल हैं। इस प्रकार से जनपद में चलित राजकीय नलकूपों की संख्या 397 है। चलित 397 राजकीय नलकूपों में से 47 नलकूप दिनांक 15-8-2002 को अस्थाई रूप से खराब हैं। जिसमें से यांत्रिक दोष से बन्द 12 नलकूपों को दिनांक 25-8-2002 तक ठीक करा दिया जायेगा तथा विद्युत दोष से बन्द 35 नलकूपों को शीघ्र ठीक कराने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पत्राचार, बैठक एवं सम्पर्क किया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कस्तूरी चीनी मिल द्वारा फरवरी, 2002 के पश्चात क्रय किये गये गन्ने की कीमत के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

135—श्री किरन पाल कश्यप–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कस्तूरी चीनी मिल द्वारा फरवरी, 2002 के बाद क्रय किये गये गन्ने की कीमत का भुगतान किसानों को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कस्तूरी चीनी मिल, ऊन द्वारा 15 मार्च, 2002 तक खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से कर दिया गया है। इसके पश्चात् की अवधि का गन्ना मूल्य बकाया है।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है।

जनपद सहारनपुर स्थित दया शुगर मिल द्वारा नगद गन्ना खरीदने व चोरी करने के सम्बन्ध में जाँच की माँग

136—श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–सहारनपुर में स्थित दया शुगर मिल द्वारा किसानों का कम मूल्य पर नगद गन्ना खरीदने एवं गन्ना चोरी करने के सम्बन्ध में गन्ना विभाग, सहारनपुर द्वारा थाना गागलहेड़ी में माह नवम्बर, 2001 में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी थी? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक किस-किस की गिरफ्तारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सचिव, गन्ना समिति, सहारनपुर द्वारा अध्यासी, दया शुगर मिल, सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक 6-12-2001 को एक एफ० आई० आर० थाना–गागलहेड़ी में दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी।

साक्ष्य एवं सबूत पर्याप्त न होने के कारण पुलिस द्वारा मामले में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 15-4-2002 को न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम अन्तर्गत सीनियर फोरमैन के कुल सृजित पदों की जानकारी तथा आरक्षित पदों को यथाशीघ्र भरे जाने की माँग

137—डा० सियाराम सागर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत सीनियर फोरमैन के कितने पद सृजित है? उसमें अनुसूचित जाति के कितने पद आरक्षित हैं? आरक्षित पदों के विरुद्ध कितने सीनियर फोरमैन अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं? क्या सरकार आरक्षित पदों को यथाशीघ्र भरे जाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

परिवहन निगम के अन्तर्गत सीनियर फोरमैन के कुल 139 पद सृजित हैं।

इनमें 29 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

आरक्षित पदों के विरुद्ध कुल 29 सीनियर फोरमैन अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि कोई आरक्षित पद रिक्त नहीं हैं।

जनपद एटा में फर्रुखाबाद नहर की पटियाली क्षेत्रान्तर्गत माइनरों की सफाई कराये जाने की मांग

138—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में फर्रुखाबाद नहर की पटियाली तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी माइनर है? क्या इनकी सफाई न होने के कारण सिल्ट जमा होने से पानी टेल तक नहीं पहुंचता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की सफाई करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

21 माइनर है।

21 माइनरों में से केवल 2 माइनरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

सिल्ट सफाई का कार्य वर्षाकाल के पश्चात कराया जाता है। इन माइनरों पर सिल्ट सफाई का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सेंगर पत्रकार द्वारा दिये गये राज्य मुख्यालय के संवाददाताओं की मान्यता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच की माँग

139—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बृजेन्द्र प्रताप सेंगर पत्रकार द्वारा 23 मार्च, 2002 को व 28 जून, 2002 को मुख्य मंत्री तथा निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश को राज्य मुख्यालय के संवाददाताओं की मान्यताओं में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

श्री सेंगर का पत्र दिनांक 28 जून, 2002 मा० विधायक श्री विनोद कुमार यादव (कक्का) भरथना (इटावा) के पत्र दिनांक 31-7-2002 के साथ इस विभाग में दिनांक 5-8-2002 को प्राप्त हुआ है। पत्र दिनांक 23-3-2002 को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ तथा पीलीभीत के जिलापूर्ति कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

140—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलापूर्ति कार्यालय, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं तथा पीलीभीत में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं जो विगत दस वर्षों से ज्यादा एक ही जनपद में कार्यरत हैं? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बाबू राम, एम० काम०—

जी हाँ। जिलापूर्ति कार्यालय बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ तथा पीलीभीत में कोई अधिकारी दस वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात नहीं है परन्तु जिलापूर्ति कार्यालय बरेली में 29, शाहजहाँपुर में 05, बदायूँ में 08 एवं पीलीभीत में 06 लिपिक वर्गीय कर्मचारी दस वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। खाद्य विभाग की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्राविधान नहीं है। अतः लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली रोड पर एस०जी०पी०जी०आई के आगे बायें किनारे पर बने संगीतमय फौव्वारें के निर्माण में व्यय की गई धनराशि की जानकारी

14—श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम व द्वितीय, लखनऊ द्वारा रायबरेली रोड पर एस०जी०पी०जी०आई० के आगे बायें किनारे पर निर्माणाधीन सिंचाई संग्रहालय परियोजना के अन्तर्गत संगीतमय फौव्वारा के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या उक्त संग्रहालय के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

संगीतमय फौव्वारे के निर्माण में कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० द्वारा समाचार एजेंसियों यू०एन०आई०/वार्ता, पी०टी०आई०/भाषा को बकाये धन के भुगतान की जानकारी

142—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2000-2001/ 2001-2002 तथा 2002-2003 में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समाचार एजेंसियों यू०एन०आई०/वार्ता, पी०टी०आई०/भाषा को कितना धन भुगतान किया है तथा कुल कितना धन भुगतान हेतु बकाया है? बकाये धन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

वर्ष 2000-2001 में यू०एन०आई०/वार्ता को रुपये 9,72,000/-, वर्ष 2001-2002 में रुपया 11,88,000/-, वर्ष 2002-2003 में अब तक रुपया 2,99,000/- का भुगतान किया गया। इसी प्रकार पी०टी०आई०/ भाषा को वर्ष 2000-2001 में रुपया 5,42,000/- तथा वर्ष 2001-2002 में रुपये 6,18,000/- तथा वर्ष 2002-2003 में अब तक रुपये 88,000/- का भुगतान किया गया।

उक्त तीनों वित्तीय वर्षों में यू०एन०आई० का वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रुपये 1,79,000/- के बीजकों का भुगतान बजट के अभाव में नहीं किया जा सका। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पी०टी०आई० का रुपये 7,000/- का भुगतान बीजक के अभाव में नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में रुपये 50,000/- एवं वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रुपये 1,40,000/- का भुगतान बीजक अप्राप्त होने के कारण नहीं किया जा सका।

समाचार एजेंसियों के बीजकों का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। अतः जैसे-जैसे बजट प्राप्त होता है तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती है उसी के अनुसार बीजकों का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जमुना नहर तथा सहायक नहरों में पानी की कमी के कारण फसलों को हुई हानि की जानकारी

143—श्री किरन पाल कश्यप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जमुना नहर के अधिकांश पानी को हरियाणा प्रदेश में छोड़ने के कारण मुजफ्फरनगर की जमुना नहर तथा सहायक नहरों में पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ने की व्यवस्था करायेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

यमुना नदी के बेसिन स्थित पांच राज्यों की बीच समझौते के तहत पूर्वी यमुना नहर के शीर्ष पर पानी का बंटवारा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बीच होता है तथा दोनों राज्य अपने हिस्से का जल लेते हैं। हरियाणा को अधिक पानी छोड़े जाने का प्रश्न नहीं है।

वर्तमान में पूर्वी यमुना नहर तथा सहायक नहरों में प्रदेश के जल भाग की उपलब्धतानुसार पानी चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में मछली के ठेकेदारों जलाशय का पानी निकाल लिये जाने के कारण सिंचाई में हो रही असुविधा की जानकारी

144—श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली में विधान सभा क्षेत्र चकिया के चन्द्रप्रभा मटिहनी व मूखाखाड़ जलाशय का पानी जो किसानों को सिंचाई के काम आता है, को मछली पकड़ने के ठेकेदारों द्वारा मछली पकड़ने के लिए जलाशय का पानी निकाल लिए जाने के कारण सिंचाई में असुविधा उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मछली के ठेकेदारों द्वारा चन्द्रप्रभा जलाशय से पानी निकालने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मूसा खण्ड बांध जलाशय से मछली के ठेकेदार द्वारा माह मई में कुछ पानी बहाने की घटना प्रकाश में आयी थी, जिसपर नियमानुसार कार्यवाही की गयी, इससे कोई सिंचाई में असुविधा उत्पन्न नहीं हुई।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में चन्द्रप्रभा नदी पर स्थित मटिहनी बांध की मरम्मत कराने की मांग

145—श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली में चन्द्रप्रभा नदी पर स्थित मटिहनी बांध में दरार पड़ जाने के कारण जलाशय का पानी बहता रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार पानी रोकने के लिये उक्त बांध की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चन्द्रप्रभा नदी पर कोई मटिहनी बांध नहीं है। चन्द्रप्रभा नदी पर चन्द्रप्रभा बांध निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के अकौना बाबा इण्टरमीडिएट कालेज, ग्राम चिन्ताखेड़ा में नई कमेटी का पंजीकरण कराने की मांग

146—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के अकौना बाबा इण्टर-मीडिएट कालेज, ग्राम-चिन्ताखेड़ा की पुरानी प्रबन्ध समिति को भंग करके नई कमेटी का पंजीकरण कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

रायबरेली के ग्राम-चिन्ताखेड़ा में अकौना बाबा इण्टरमीडिएट कालेज नाम का कोई विद्यालय संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में पुरवा से चली खजूरगांव रजवहा एवं पुरवा ब्रांच में टेल तक पानी न पहुंच पाने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में जानकारी

147—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी जनपद रायबरेली में पुरवा से चली खजूरगांव रजबहा एवं पुरवा ब्रान्च नहरें पूर्ण क्षमता से चलायी जा रही हैं? क्या यह सही है कि उक्त नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है? यदि हां, तो सरकार टेल तक पानी पहुंचाने हेतु क्या उपाय कर रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुरवा शाखा रोस्टर के अनुसार पूर्ण शीर्ष क्षमता से एवं खजूर गांव रजवहा शीर्ष पर आंशिक क्षमता से चलाई जा रही है।

जी हां। नहरों के टेल भाग की सिंचाई प्रभावित होती है।

नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हेतु डलमऊ "बी" पम्प कैनाल तथा पुरवा शाखा की क्षमता में सुधार की परियोजनायें बनायी गयी हैं। इन परियोजनाओं का तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाना अब प्रस्तावित है।

जनपद रायबरेली में शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में विगत वर्ष में पेंशन तथा जी०पी०एफ० के अन्तिम निष्कासन का प्रकरण

148—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली में वर्ष 1999-2002 में शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में कुल कितने पेंशन सम्बन्धी तथा जी०पी०एफ० के अन्तिम निष्कासन के प्रकरण उच्च शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुए? प्राप्त प्रकरणों में से कितने पेंशन तथा जी०पी०एफ० के अन्तिम निष्कासन के आदेश निदेशालय द्वारा जारी हुए व शेष कब तक जारी किये जायेंगे? निस्तारण समय से न किये जाने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

15 पेंशन तथा जी०पी०एफ० प्रकरण निस्तारित हैं। शेष 3 पेंशन एवं 4 जी०पी०एफ० का प्रकरण शीघ्र निस्तारित कर दिया जायेगा।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के विश्वविद्यालयों के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50% पेंशन स्वीकृत करने की मांग

149—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–3147/70–4/2001, दिनांक 24-11-2001 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के 1-1-96 से पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को 1-1-96 से लागू संशोधित वेतनमान के 50% से कम पेंशन न होने सम्बन्धी लाभ 1-1-96 से न देकर 1-7-2001 से स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50%, 1-1-96 से स्वीकृत करेगी यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

विचाराधीन है।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिड़ियाघरों में हिरनों की अस्वाभाविक मृत्यु की जांच की मांग

150—श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 से माह जुलाई, 2002 तक प्रदेश के चिड़ियाघरों में कितने हिरनों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है? क्या हिरनों के मरने के कारणों की जांच की गई है? क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई उपाय किये गये? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ठाकुर जयवीर सिंह–

प्रदेश में दो चिड़ियाघर यथा लखनऊ प्राणि उद्यान एवं कानपुर प्राणि उद्यान हैं। इन प्राणि उद्यानों में वर्ष 1996 से माह जुलाई, 2002 तक अस्वाभाविक कारणों से क्रमशः 27 एवं 17 हिरनों की मृत्यु हुई है।

जी हाँ, जांच में प्रमुख कारण प्रजनन काल में नर व मादा हिरनों की आपसी लड़ाई होना पाया गया।

प्रजनन काल में मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :–

(क) आक्रामक स्वभाव वाले नर हिरनों को अलग बाड़े में रखने की व्यवस्था की गयी है।

(ख) घायल हिरनों का उपचार प्राणि उद्यान के पशु चिकित्सकों से कराया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इज्जतनगर, बरेली से भी सहयोग लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या व उन्हें अनुदान सूची में लाने के लिए शासन से कार्यवाही की मांग

151—श्री संजय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है? उन्हें अनुदान सूची में लाने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में प्रदेश में मान्यता प्राप्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या–6607 है।

दिनांक 14-10-86 के पूर्व के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से कतिपय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रकरण विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है तथा दिनांक 14-10-86 के बाद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता प्रदान की गयी है जिन्हें अनुदानित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला मेरठ के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवपुरम को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

152—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ का अनुस्मारक पत्र सं० नियोजन/4236/2002–2003, दिनांक 30-7-2002 जो देववती देवी, वीरेन्द्र कुमार राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधव पुरम, मेरठ को कक्षा 11, 12 हेतु उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण नहीं करता है।

प्रदेश की नदियों को बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाली तबाही को रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

153—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों की बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाली तबाही को रोकने के लिये विभिन्न बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर ग्रिड बनाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अभी विचाराधीन नहीं है।

बाढ़ से प्रतिवर्ष तबाही को रोकने के लिए बड़ी नदियों को आपस में जोड़कर ग्रिड बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा जब तक कि इन नदियों पर बड़े-बड़े जलाशय न बनाये जाय।

कई प्रमुख नदियाँ नेपाल से आती हैं अतैव इनकी अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, भारत सरकार के बाढ़ सुरक्षा की विभिन्न संस्तुतियों में बड़ी-बड़ी नदियाँ एक-दूसरे से जोड़ने की योजना को तकनीकी दृष्टिकोण से उपयोगी न होने के कारण संस्तुति नहीं किया गया है।

जिला देवरिया के बाबा राघव दास महिला विद्यालय आश्रम, बरहज व दीन दयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान की मांग का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

154—श्री राधेश्याम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के 5वें मंगल हेतु निर्धारित श्री अक्षयवर लाल, सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–74 के उत्तर के संदर्भ में क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास महिला महाविद्यालय आश्रम, बरहज, देवरिया की दीन दयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्धता एवं मान्यता दिनांक 13 नवम्बर, 2000 की कार्य परिषद् के निर्णय द्वारा सम्बद्धता एवं मान्यता समाप्त कर दी गयी है? क्या यह भी सही है कि बी० ए० भाग–2 और भाग–1 की छात्राओं का शुल्क बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम, बरहज, जिला देवरिया के खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं। याचिका संख्या 47433/2000 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2001 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में केवल परीक्षा शुल्क स्थानान्तरित किया गया है।

प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य मुख्यालय लखनऊ से प्रसारित हिन्दी दैनिक जनसत्ता एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के संवाददाताओं की मान्यताएं निरस्त करने की मांग

155—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य मुख्यालय लखनऊ पर संवाददाताओं की मान्यताओं हेतु प्रतिनिधि मान्यता नियमावली, 1978 (2001 तक संशोधित) की धारा 12 के (ग) के (3) में रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स आफ इण्डिया का न्यूनतम 20,000 ग्राहक प्रतिदिन का प्रसार संख्या प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो लखनऊ से प्रसारित हिन्दी दैनिक जनसत्ता एक्सप्रेस और इण्डियन एक्सप्रेस ने क्या उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया? यदि नहीं, तो उक्त प्रमाण-पत्र के बगैर इन समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को मान्यताएं दिये जाने का आधार क्या है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तथा उक्त पत्रों के संवाददाताओं की मान्यताएं तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ, किन्तु यह प्राविधान सन्दर्भित नियमावली के नियम 12 (ग) (3) के अन्तर्गत नहीं वरन नियम 12 (ग) (4) के अन्तर्गत है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आर० एन० आई० द्वारा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष का प्रसार प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित समाचार पत्र द्वारा सी० ए० से प्रमाणित प्रसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, जांच कराने के उपरान्त लगभग 2-3 वर्ष पश्चात जारी किया जाता है। नये समाचार पत्र को आर० एन० आई० प्रमाण-पत्र प्राप्त होने में विलम्ब तथा उसकी ख्याति को दृष्टिगत रखते हुए प्रेस मान्यता समिति द्वारा डी० ए० वी० पी० /सी० ए० के प्रसार प्रमाण-पत्र के आधार पर भी अपने विवेकानुसार इस शर्त के अधीन प्रेस मान्यताएं स्वीकार कर दी जाती है कि आर० एन० आई० का प्रसार प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसे तत्काल प्रस्तुत किया जाये।

समाचार पत्र द्वारा आर० एन० आई० का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु सी० ए० प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।

बिन्दु–1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मान्यता दी गई।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के जनपदीय मुख्यालयों, राज्य मुख्यालयों तथा सभी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में इण्टरनेट, फैक्स, ई-मेल की सुविधायें के सम्बन्ध में जानकारी

156—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदीय मुख्यालयों, राज्य मुख्यालयों तथा सभी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में इंटरनेट, फैक्स, ई-मेल की सुविधाएं उपलब्ध होने पर समाचार एजेन्सियों पी० टी० आई०, भाषा यू० एन० आई०, वार्ता की टेली प्रिंटरों की सेवाएं लेने का क्या औचित्य है? क्या सरकार प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन की फिजूलखर्जी रोकने के लिए इन एजेन्सियों की टेली प्रिंटर तत्काल बन्द करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

फैक्स तथा ई-मेल समाचार प्रेषण के तकनीकी माध्यम हैं, जबकि समाचार एजेन्सियां पी० टी० आई०/भाषा तथा यू० एन० आई०/वार्ता समाचार का कवरेज उपलब्ध कराने के माध्यम हैं। अतः यह अभी भी उपयोगी हैं।

उपयोगिता को देखते हुए यह सेवा बन्द किया जाना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

यह सेवा अभी भी उपयोगी है।

जिला हमीरपुर के जी० आर० पी० इण्टर कालेज राठ की प्रबन्ध समिति द्वारा निलम्बित प्रधानाचार्य को पुनः कार्य-भार ग्रहण कराने की माँग

157—डा० सियाराम सागर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जी० आर० पी० इण्टर कालेज, राठ, जिला हमीरपुर की प्रबन्ध समिति द्वारा निलम्बित प्रधानाचार्य जिनका निलम्बन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त किया जा चुका है, को शासन के पत्रांक 3400/15-12-2001—1600(429) 2001, दिनांक 30-1-2002 तथा 2126/15-12-2002—1600(429)01, दिनांक 10-7-2002 सामान्य (1) तृतीय/3694/2001-02, दिनांक 5-12-2001 तथा पृ० सं० सा० (1) तृतीय/4030—31/2001-2002, दिनांक 9-1-2002 और शिक्षा निदेशालय लखनऊ के पत्रांक सा० शि०/मा०–3/157/24530-32/2001-2002, दिनांक 18-3-02 द्वारा प्रधानाचार्य को योगदान कराने के आदेश निर्गत किये गये थे? यदि हां, तो क्या कार्यभार ग्रहण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया। प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है।

158—श्री जगदम्बिका पाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें :–

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राहय को छोड़ते हुए इलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की, दूसरी सूचना श्री चितरंजन स्वरूप की, तीसरी सूचना श्रीमती माया प्रसाद, चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, पाँचवीं सूचना श्री राकेश सचान, छठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की और सातवीं सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :–श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री कैलाश चौरसिया, श्री कालीचरन राजभर, श्री सुरेश खन्ना, डा० वकार अहमद शाह, श्री छोटे लाल यादव, श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री राजेन्द्र यादव, श्री कौशल किशोर, श्री वंशीधर राज, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, डा० विनोद तिवारी, श्री रामवीर सिंह यादव, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रेम पाल सिंह यादव। जिन सात माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं वे पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया पार्क–2 हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व का मामला लाते हुए अपने क्षेत्र सीयर जनपद बलिया में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये उचित समाधान की करता हूँ। मान्यवर बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में पिछड़ापन का आलम है। पीने के शुद्ध पानी का संकट है। पानी का स्तर नीचे चले जाने के बाद छोटे-छोटे हैण्डपम्प अक्षम हो गये हैं। केवल इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प ही रह गये हैं। लेकिन क्षेत्र की आबादी के लिहाज से हमारे क्षेत्र में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प बहुत कम हैं विधायक कोटा से केवल 50 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गयी है। और वह भी 1870 रुपया लाभार्थियों के भुगतान के बाद, जबकि सूखे के विकराल प्रकोप के बाद पैसा लेने की क्षमता किसी किसान मजदूर के पास नहीं रह गयी है। अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूँ कि सीयर क्षेत्र के लिये सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कम से 200 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्वीकृत करने के लिए शासन को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख सीमेन्ट व्यापारी की हत्या एवं लूट का पर्दाफाश कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चितरंजन स्वरूप

[महोदय, जनपद सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र में वसूली करके लौट रहे प्रमुख सीमेन्ट व्यापारी रवीन्दर कुमार की दिनांक 9-7-02 को दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई व पाँच लाख रुपये लूट लिये गये। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही बदमाश पकड़े गये। अतः उक्त प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक फूलबेहड़ स्थित इन्दिरा मनोरंजन पार्क (वन विहार) का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[आपके माध्यम से जनपद–खीरी के क्षेत्र 55–श्रीनगर की अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना सदन में लाते हुये, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरे विधान सभा श्रीनगर, क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक-फूलबेहड़ स्थित ''इन्दिरा मनोरंजन पार्क'' (वन विहार) जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उजड़ा हुआ एवं अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। इस पार्क का यदि जीर्णोद्धार हो जाय तो पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा। देशी-विदेशी पर्यटक दुधवा नेशनल पार्क घूमने आते हैं। यहाँ से अधिक दूरी न होने के कारण यदि मेरे क्षेत्र के उक्त पार्क का भी सौन्दर्यीकरण जीर्णोद्धार हो जाय तो लोग इस क्षेत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं।]

मेरठ के गंगा नगर आवासीय योजना क्षेत्र में निर्मित बिजली घर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

[मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगा नहर आवासीय योजना मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण कालोनी है यहां पर आपूर्ति व लो वोल्टेज का संकट था काफी दबाव के बाद एक करोड़ रुपया लगाकर 33 के० वी० ए० का बिजली घर बनाया गया। खेद का विषय है कि एक वर्ष से बिजली घर तैयार खड़ा है लेकिन उसे चालू नहीं किया गया है विडम्बना यह है कि जनता का पैसा लग चुका है जनता कष्ट में है लेकिन बिजली घर चालू नहीं है मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा में निचली गंगा प्रणाली शाखा से निकलने वाले घाटमपुर राजवाहा की जल परिवहन क्षमता पुनर्स्थापना हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश सचान–

[महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि राजवाहा की जल परिवहन क्षमता पुनर्स्थापन हेतु विशेष अनुरक्षण मद धनावंटन हेतु धन की आवश्यकता है निचली गंगा प्रणाली की इटावा शाखा से घाटमपुरा राजवाहा निकलता है राजवाहा पर पूर्व में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 61109 हेक्टेयर शीर्ष पर परिकल्पित क्षमता 579 क्यूसेक थी परन्तु बाद के विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को जल उपलब्ध कराने हेतु परिकल्पित डिस्चार्ज 469 क्यूसेक निर्धारित कर 44320 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल को ही नहर के कमाण्ड में सम्मिलित माना जाय। इस राजवाहे की पूर्ण जल परिवहन क्षमता 479 क्यूसेक पुनर्स्थापित करने हेतु 389510 घन मी० मिट्टी का कार्य जिसमें सफाई वर्ग कटिंग एवं सुदृढ़ीकरण आदि का कार्य सम्मिलित है कराने की आवश्यकता होगी जिसकी कुल लागत रुपया 92.37 लाख आंकी गयी है यह समस्त कार्य यदि एक साथ करा दिया जाय तो इसका प्रभावी लाभ होगा। अतः सदन के समक्ष इस विषय को रखकर मैं माँग करता हूँ कि इस पर तत्काल कार्यवाही सरकार द्वारा कराए जाने का निर्देश देने का कष्ट करें।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय क्षतिग्रस्त राजमार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[महोदय, इस लोक महत्व के संदर्भित विषय के माध्यम से सदन का ध्यान जनपद—आजमगढ़ के राज मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न समस्याओं की तरफ आकृष्ट करते हुये यह बताना चाहता हूँ कि कुछ सड़कें पूर्ण रूप से टूट गयी है। जनता के आवागमन में प्रायः बाधा उत्पन्न हुआ करती है। जिसकी मरम्मत करानी अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः उक्त सड़कों पर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे जनता में रोष व्याप्त है। प्रशासन के खिलाफ जनता कभी भी सड़कों पर उतर सकती है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं जिला प्रशासन की होगी। वह सड़के निम्न है :—

1—सोफीपुर मसलम पट्टी बसही मार्ग

2—तहबरपुर—धरमपुर मार्ग

3—औरा गौरा मार्ग

4—भंवर नाथ से तहबरपुर मार्ग

5—आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से ककरहटा तक

6—शहर बाईपास से आहोपट्टी होते हुए मनचोभा मार्ग

7—सोफीपुर से दासो पट्टी मार्ग

8—निजामबाद रोड पर किरतपुर मार्ग से खोजापुर घाट तक उक्त सड़कों के संदर्भ में यह भी बताना चाहूँगा कि यह सड़कें विशेष रूप से ग्रामीण आबादी से जुड़ी हुई हैं जिससे जनता का शहर आना जाना होता है। यह एक मात्र आवागमन हेतु उपलब्ध सड़के हैं जिसकी मरम्मत होना अनिवार्य है। अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि उक्त कार्य की ग्राह्यता को स्वीकार करने का कष्ट करें जिससे जनता को आवागमन की परेशानियों से मुक्ति मिल सके।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के काफी पद रिक्त होने के कारण पठन-पाठन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7—डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

[महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना गौरवशाली उच्च शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय के कई विभागों में काफी शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण उन विभागों में छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। इससे छात्रों में असंतोष व्याप्त हो रहा है तथा अनेकों अच्छी शैक्षिक योग्यता रखने वालों की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है जो कि चिन्तनीय है अतः सरकार से अपेक्षा है कि उपरोक्त विषय पर ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करवायें। प्रदेश में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया शैक्षणिक सत्र जुलाई/अगस्त से प्रारम्भ हो गया है। उक्त विषय लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय है, अतः नियम–301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

नोट :— [ ] नोट अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27-8-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल की उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर 5-5 गांवों का विद्युतीकरण प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह व डा० अशोक बाजपेयी की आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उ० प्र० विधान सभा में बजट कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की पूर्वांचल विकास निधि की राशि को अम्बेडकर गांवों के विकास पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री श्याम नारायण और श्री शारदा नन्द अंचल की सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

विधान सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने औचित्य के प्रश्न पर बोलने की अनुज्ञा प्रदान की है। इस सम्मानित सदन का जब तक इस सम्मानित पीठ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, जब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस पीठ पर महिमा मंडित होते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यह व्यवस्था है, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में यह प्रक्रिया है यह लिखा है। मंत्रि परिषद् का गठन होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं सभी दलों के नेता होते हैं, इस सदन का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए, अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय का चयन होता है। हमने अध्यक्ष महोदय का चुनाव सर्वसम्मति से किया है आज सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल रही है। प्रदेश की 17 करोड़ जनता की ज्वलन्त समस्याओं के समाधान के लिए सम्मानित सदस्य प्रयास कर रहे हैं इस सदन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की तमाम समितियां हैं जिसमें पदेन सभापति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं।

मान्यवर समिति को भी वही अधिकार हैं जो इस सदन के हैं हम इस सदन की बहुत दिनों तक बैठक नहीं कर पाते हैं इसलिए हाउस की कमेटी होती हैं उनको अधिकार प्राप्त है। हम उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निदान हम उत्तर प्रदेश की कमेटियों के माध्यम से करते हैं, समस्याओं के निदान के लिए सतत् प्रयास करते हैं। उन समितियों में जहां उपाध्यक्ष हैं, उसमें उपाध्यक्ष का चयन न होने से वहां का कार्य बाधित होता है, दूसरे प्रदेशों से कमेटियां आती हैं तो यह आवश्यक है, यह नियमों में है जब तक नया निर्वाचन हो जाए, सत्र आहूत हो जाए तो 30 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष का चयन होना चाहिए। यह औचित्य का प्रश्न है, इससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है इसलिए आप उपाध्यक्ष का चुनाव कराने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह निहायत महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, इस सदन में कुछ संवैधानिक पद हैं, जिस पद पर आप आसीन हैं माननीय अध्यक्ष महोदय का पद है, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय को वही अधिकार होंगे जो अध्यक्ष महोदय को होंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय का निर्वाचन नहीं हुआ है, एक स्थान सदन में उनके लिए स्थायी रूप से आरक्षित है, नेता प्रतिपक्ष की नेता सदन की कुर्सी आरक्षित होती है, नेता प्रतिपक्ष के ठीक बाद माननीय उपाध्यक्ष के लिए कुर्सी आरक्षित होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस पर सिवाए उपाध्यक्ष के कोई नहीं बैठ सकता है। इस सदन की मान्यवर अजीब स्थिति है सदन का गठन पूर्ण नहीं है, अध्यक्ष पद पर कोई विराजमान है, नेता सदन के पद पर कोई विराजमान है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई विराजमान है। लेकिन आज तक उपाध्यक्ष के रूप में कोई विराजमान नहीं है, अब तक सदन का गठन पूरा नहीं हुआ है। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, मान्यवर आप कार्य संचालन नियमावली के नियम-8 को देखने का कष्ट करें। "उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेंगे।" मान्यवर, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है यह संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यवस्था अधिकृत है इसमें है–"यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के" पूर्व रिक्त हुआ नहीं हुआ है। यह तो गठन के समय से रिक्त है। सामान्यतया जितनी विधान सभाएं हैं उनका इतिहास उठाकर देखें आजादी के पहले से, उपाध्यक्ष का आसन भरा रहता है। इससे सदन की गरिमा बढ़ती है। परन्तु किन कारणों से यह पद रिक्त किया जा रहा है यह पता नहीं? परम्परा के रूप में यह पद विपक्ष को मिलता रहा है। मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन न होना यह विपक्ष के अधिकारों की हकतलफी है, यह विपक्ष के अधिकारों की कटौती है और विपक्ष से उस पद को भरा जाय इसमें सत्ता पक्ष की उत्सुकता नहीं दिखायी देती है।

मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं उनके दायित्वों का आप निर्वहन करें और यह घोषणा करें कि अमुक तिथि को निर्वाचन होगा। जब तक निर्वाचन नहीं होता है तब तक इस पीठ का अपमान होता रहेगा और उपाध्यक्ष आसन खाली रहेगा। मान्यवर, इसलिए चयन नहीं होता है कि शायद सत्ता पक्ष को अपनी शक्ति का अहसास नहीं होता है इसलिए निर्वाचित नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय को क्या सम्पूर्ण विपक्ष में एक भी ऐसा व्यक्तित्व दिखायी नहीं देता जिसमें, यह विश्वास कर सकें। यह सरकार की कमजोरी है। आज मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था नहीं चाहता हूँ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री, नेता भारतीय जनता पार्टी टण्डन जी और नेता प्रतिपक्ष सब मिलकर एक तिथि तय करें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

किस बात की तारीख तय कर दें?

श्री प्रमोद कुमार–

उपाध्यक्ष पद के लिए तारीख तय करने के लिए मैं कह रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, हम लोग तैयार हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष भी बल दे रहे हैं। सम्पूर्ण विपक्ष तैयार है तो यह सत्ता पक्ष क्यों नहीं तैयार हो रहा है। मान्यवर यह संवैधानिक पद है और इसको नहीं भरने का अगर कोई गुनाहगार है तो वह सत्ता पक्ष है। सत्तापक्ष अपने में एक संकल्प लाये कि संवैधानिक हत्या नहीं करेगी। अगर यह संवैधानिक पद नहीं भरा गया तो मैं समझूँगा सदन में इनका विश्वास नहीं है। आज ही आप तिथि की घोषणा करें इस सदन में और उपाध्यक्ष पद का चुनाव सुनिश्चित करें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जहाँ तक माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव का सवाल है, माननीय अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। मान्यवर, 20 अगस्त, 2002 को इस पर सूचना माननीय सदस्य श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी जी ने दिया था और माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया था कि एक ग्राम सहमति बन जाय। नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर एक आम सहमति बन जाय और उपाध्यक्ष का पद का चुनाव निर्विरोध हो जाय तो अच्छा होगा। कई बार तारीख तय होती रहीं पिछली बार.....

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

यह तो गलत बयानी हो रही है। कोई तारीख नहीं तय की गयी थी।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुआ था 20 अगस्त, 2002 को सभी दलों के नेता, नेता प्रतिपक्ष यह सब मिलकर एक आम सहमति बना लें तो अच्छा होगा। इस तरह का निर्देश उन्होंने 20 अगस्त दिया था।

मान्यवर, इसमें माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि इस पर आम सहमति बना ली जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव से पीछे नहीं हट रही है। अगर माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो जाता है तो यह ठीक रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और नेता भाजपा और हमारे प्रमोद तिवारी जी और अन्य दलों के माननीय नेतागण बैठकर एक आम सहमति बना लें। मान्यवर, इस पर एक बार नोटिस आ चुका है इसलिए यह ग्राह्य नहीं है।

* श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सत्तापक्ष की तरफ से माननीय अध्यक्ष का पद होता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है। यही परम्परा है। तो आम सहमति बनाने की क्या औचित्य है? जब अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समिति नहीं बनी तो फिर उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि आज आप तिथि घोषित कर दें कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा और सत्तापक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यों में से किसी को उपाध्यक्ष बनाने में सहयोग करेगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, 20 अगस्त को एक सूचना श्री त्रिपाठी जी की आई थी। उस पर श्री अध्यक्ष का निर्देश हुआ था कि इस पर सभी दलों के नेता आपस में एक बैठक कर लें। एक समिति बना दी जाय।

श्री किरनपाल सिंह–

विपक्ष में सर्वसम्मति है आप तिथि घोषित कर दें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसकी सूचना 20 अगस्त को मिली है। मैं मानता हूँ कि बैठक नहीं हुई है लेकिन यह श्री अध्यक्ष जी का निर्देश है इसका पालन तो करना होगा। यदि माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी और श्री प्रमोद तिवारी तथा अन्य दलों के माननीय नेतागण आपस में बैठ लें जिससे आम सहमति बन सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव से सरकार कभी पीछे नहीं हटी है। लेकिन श्री अध्यक्ष जी का निर्देश था कि एक बार बैठ लेना चाहिए। इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी चाहें इस पर बैठ लें। इसमें एक नोटिस पहले आ चुकी है इसलिए यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है।

विधान सभा सदस्यों द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रामबिशुन आजाद–

मान्यवर, प्रदेश में जो भी कल्याणकारी सरकार होती है क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए समय-समय पर विकास की परयोजनाएं चलाती हैं। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विधायक निधि पूर्वान्चल विकास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा कई योजनाएं चलायी गयी हैं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों सबके जनता के प्रति विधायक की जवाबदेही होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 5 साल में क्या किया। जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हमारी भी जवाबदेही होती है लोग पूछते हैं कि आपने 5 साल में क्षेत्र के लिए क्या किया। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से इसी सदन में प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 5-5 गांवों का विद्युतीकरण करने की घोषणा की गयी थी। इसमें सन् 98-99, 99-2000 और 2000-01 में विद्युतीकरण किया जाना था। हम लोगों ने 5-5 गांव के प्रस्ताव दिये लेकिन उनका विद्युतीकरण आज तक नहीं हो पाया है और नहीं हो सकता है यह बार-बार सरकार चिल्लाती है कि वे गरीबों किसानों के प्रति जनता के प्रति संवेदनशील है। परन्तु यह सरकार विकास कार्य के प्रति संवेदनहीन है। मान्यवर, जो 2000-01 में सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव लिये गये थे उन गांवों का तत्काल विद्युतीकरण कराया जाये अगर 2002-03 में माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि 5-5 गांव सभी माननीय विधायकों को विद्युतीकरण के लिए देंगे। पहले यह कहा गया था कि 5 लाख का मानक है और यदि 5 लाख रुपये से अधिक का आगणन बनेगा तो उस गांव का विद्युतीकरण नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इस मानक को 5 लाख रुपये से अधिक का आगणन बनेगा तो उस गांव का विद्युतीकरण नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इस मानक को 5 लाख रुपये से अधिक कर दिया जाये। मान्यवर, एक ग्राम पंचायत में 10-15 पुरवे होते हैं और हमने एक गांव का प्रस्ताव दिया और शेष 4-5 गांव बाकी रह गये तो आरोप लगता है कि माननीय विधायक जान-बूझकर वहां विद्युतीकरण करा दिया और हमारे गांवों को छोड़ दिया है। आप इसमें 2002-03 के लिए 5-5 गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा करें और 2001 और 2002 में जो प्रस्ताव दिये थे उनके विद्युतीकरण कार्य को तत्काल कराये जाने की घोषणा करें।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना 23-8-2002 को प्राप्त हुई है। नियम 300 में नहीं आती इसलिए अग्राह्य की जाती है।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, यह प्रकरण जो है इसमें 2000-01 में घोषणा की थी श्री नरेश अग्रवाल जी ने और [***] घोषणा कर दी गयी धन दिया नहीं। और घोषणा कर दी इसलिए.....(व्यवधान)

(कुछ शेर-शेर की आवाजें)

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा नाम लिया है। मान्यवर, मैंने इस सदन में एक ऊर्जा मंत्री की हैसियत से हर विधायक को 5-5 गांव के विद्युतीकरण की व्यवस्था की थी, उसमें धन की व्यवस्था की थी अब या तो माननीय ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दे दें। मैंने 3 वर्ष घोषणा की थी और तीन वर्षों में पावर कारपोरेशन और यू०पी०एस०ई०बी० में धन की व्यवस्था की थी और सब के 5-5 गांव का विद्युतिकरण हुआ इस तरह गलतबयानी कर आरोप लगा देना उचित नहीं है। आपके जमाने में जो हो रहा है हमसे कहलवाइये नहीं अगर हम एक-एक बात कह देंगे तो मुश्किल हो जायेगी।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

---

* नोट :- [***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी एक औचित्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि यह घोषणा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल जी ने की थी और इसलिये इस घोषणा का परिपालन नहीं हुआ। अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं जानकार हैं और बहुत दिनों से इस सदन की सेवा कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद् का संयुक्त दायित्व होता है और मंत्रिपरिषद् की घोषणा की एक सुचिता होती है, पवित्रता होती है, एक विश्वसनीयता होती है अगर मंत्रिपरिषद् के सदस्य इस तरह का जवाब देंगे कि उस समय माननीय नरेश अग्रवाल ऊर्जा मंत्री थे और नरेश अग्रवाल जी द्वारा की गयी घोषणा उस सरकार की घोषणा थी, मान्यवर, सरकारे परिवर्तनशील हुआ करती हैं लेकिन सरकार की घोषणा का स्थायित्व होता है, उसकी गम्भीरता होती है, उसकी विश्वसनीयता होती है। अगर सरकारों की घोषणा की विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी तो लोकतंत्र से सबका विश्वास उठ जायेगा। मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी इसको बहुत हल्केपन से ले रहे हैं। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने 5 गाँव के विद्युतीकरण की घोषणा की थी और यह कमिटमेन्ट सदन में हुआ है, सदन के बाहर नहीं हुआ है। यह किसी का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं था, पूरे सदन को तत्कालीन ऊर्जामंत्री ने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक माननीय सदस्य के 5 गाँवों को उर्जीकृत किया जायेगा। माननीय मंत्री जी उस वचनबद्धता से नहीं हट सकते हैं। आज संसदीय कार्यमंत्री जी सारे विभागों का जवाब देते हैं कल कोई मंत्री खड़ा होकर कह दे कि सुखदेव राजभर की यह घोषणा थी तब तो लोकतंत्र से जनतां का विश्वास उठ जायेगा। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि जो संयुक्त दायित्व है उसका परिपालन सरकार कराये।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुनी नहीं उसके पहले ही हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया माननीय सदस्यों ने। मान्यवर, यह बात सही है कि मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की और वित्तीय संसाधन कम होने की वजह से आधे से कम ही ग्राम उर्जीकृत हो पाये बाकी रह गये। यह मेरे संज्ञान में है। कहीं लट्ठा पहुँचा, कहीं तार पहुँचा और कहीं लट्ठा और तार दोनों पहुँचे तो ट्रान्सफारमर नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गाँव ऐसे हैं। 5 गाँव दे दिया लेकिन वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 2007 तक उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को उर्जीकृत कर दिया जायेगा। पिछली बार हम माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से मिले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसके तहत हमने धन की माँग की थी। उसके अनुसार कार्ययोजना बनाकर हमने भारत सरकार के ऊर्जामंत्री के पास भेज दिया है। आप 5 गाँव की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसके तहत 2007 तक उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

विधान सभा में बजट कमेटियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में इस सदन के संज्ञान में और मान्यवर, आपकी अनुकम्पा से आपके विचारार्थ विषय प्रस्तुत किया है। मान्यवर, बजट सत्र चल रहा है। अरबों रुपये का बजट जिस तरह से जल्दबाजी के साथ हम लोग बिना विचार किये पास कर रहे हैं। उससे बजट की गंभीरता अपने आप कम हो रही है। एक-एक दिन में आठ-आठ, दस-दस बजट पास हो रहे हैं। मुश्किल से शून्य प्रहर 3 बजे तक चलेगा, उसके बाद 3-4 घंटे में 10-12 विभागों के बजट पारित हो जायेंगे और जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं वह नहीं दे पायेंगे। जो बजट की प्रक्रिया है विभागीय अधिकारियों द्वारा बजट तैयार कर दिया जाता है। हर पार्टी के घोषणा-पत्र होते हैं। जनता को विश्वास में लेकर, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे घोषणा-पत्र, हमारी वचनबद्धता, जनता से जो हमारे द्वारा किये गये वायदे हैं। जो साल भर का लेखा जोखा है। हालांकि न तो जनता की चुनी हुई सरकार है और न उसमें वचनबद्धता है इसलिए मान्यवर, इससे कोई अपेक्षा नहीं है परन्तु मान्यवर मेरी आपसे जरूर अपेक्षा है कि बजट पर गंभीर चिन्तन हो।

जिस तरह से लोक सभा में कमेटियाँ हैं, लोक सभा में समितियां बना दी गयी हैं जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हैं। एक बार बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके बाद निश्चित अवधि के लिए सदन उठ जाता है और यह समितियां विचार करती हैं कि उस पर जो धनराशि दी गयी है वह पर्याप्त है या नहीं। जब पुनः सत्र बैठता है उसमें बजट रखा जाता है उसके बाद पारित होता है। जब लोक सभा में एक पद्धति बनायी गयी है, लोक सभा सारी विधान सभाओं के लिए आदर्श है। अभी तक लोक सभा से ही परम्पराओं को लेने का काम तथा लोक सभा द्वारा मार्गदर्शन होता रहा है। लोक सभा में समितियां अच्छी तरह से काम कर रही हैं। 402 सदस्यों का यह सदन है, दोनों सदनों के सदस्य 500 से ज्यादा हैं। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में न जाने कितने चिकित्सक चुनकर आये हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ आये हैं, शिक्षाविद आये हैं लेकिन उनकी योग्यता का सारा उपयोग हम अपने सरकारी काम-काज में नहीं कर पाते हैं, स्टेट वेलफेयर में नहीं कर पाते हैं। मैं आपका ध्यान पार्लियामेंटरी प्राक्टस एंड प्रासीजर किताब कौल और शकधर की ओर दिलाना चाहूंगा।

मान्यवर, इसके पेज 902 से 913 तक को देखने का कष्ट करें। "गत वर्षों में सरकारी गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाने के कारण, संसद प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपनी प्रमुख भूमिका के निर्वाह में स्वयं को कुछ अशक्त पा रही थी। समय की कमी के कारण विभिन्न मंत्रालयों के बड़े-बड़े बजटीय आवंटन भी संसद में पर्याप्त चर्चा किये बिना पारित किये जा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने इस पर विचार किया और इतना ही नहीं उसके बाद में प्रोसीडिंग्स आफ दि कान्फ्रेंस आफ प्रोसाइडिंग आफीसर्स आफ लेजिस्लेटिव बाडीज इन इंडिया, हेल्ड ऐट कलकटा, 29, 30 अक्टूबर, 1984" कलकत्ता में 1984 में देश भर के पीठासीन अधिकारी थे, इस पर गंभीरता पूर्वक 2 दिन तक विचार किया। इसमें से जो राजस्थान के स्पीकर थे उनका सुझाव था कि "व्हेदर इन आर्डर टू मेक द एनुअल बजट डिबेट इफेक्टिव एण्ड परपस फुल एडहाक बजट कमेटीज आफ द हाउस मे बी कान्सटीट्यूटेड टू क्विच द बजट आफ्टर बीइंग प्रजेन्टेड इन द हाउस बी रिफर्ड फार स्क्रूटनी एण्ड रिपोर्ट विदिन ए स्टिपुलेटेड पीरियेड डयूरिंग क्विच द हाउस मे नाट मीट विद द राईडर दैट सच ए प्रोसीजर विल नॉट करटेल द डिसकशन आन डिमान्डस फार ग्रान्टस इन द हाउस एज इज द प्रैक्टिस एड प्रेजेन्ट"? सारे पीठासीन अधिकारियों ने सारे राज्यों को जो सुझाव दिया उसकी स्वीकृति बैठक में है। और मान्यवर, इसके आधार पर फिर पार्लियामेंट में गंभीरतापूर्वक विचार हुआ, पक्ष और विपक्ष में गंभीर चिन्तन हुआ कि इन समितियों का स्वरूप क्या होगा? समितियों में कितने लोग होंगे और किस तरीके से समितियां फंक्शन करेंगी। पहले 3 विषय समितियाँ बनाने की बात हुई फिर 1993 में नये सिरे से विचार कर 9 समितियां बनाई जायेंगी, ऐसा तय हुआ इसके बाद लोक सभा और राज्य सभा की नियम समितियों की रिपोर्ट 29 मार्च, 1993 को दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किये जाने से इन बजेटरी कमेटियों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनका क्षेत्राधिकार संघ सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग थे, इस प्रकार अगस्त, 1989 में बनी 3 विषय समितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया और संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में 31 मार्च, 1993 को एक समारोह के दौरान राज्यसभा के सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, के द्वारा ओपचारिक रूप से नई स्थायी समितियों का उद्घाटन किया, इस प्रकार 17 स्थायी संयुक्त समितियों का औपचारिक रूप से गठन हुआ, यह समितियां 18 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुयीं। इन समितियों में 45-45 सदस्य रखे गये, जिसमें से 30 लोक सभा से और 15 राज्य सभा से। मान्यवर, हमारे पास भी दो सदन हैं, एक अपर हाउस और दूसरा हाउस आफ कामन्स की भाँति यानि विधान सभा। दोनों सदनों में पर्याप्त सदस्य संख्या है। अतः विभागवार बजटरी कमेटियाँ बनाई जायं जो बजट के संदर्भ में विचार करें और उसके बाद कुछ दिन के लिये सत्र उठ जाय, ताकि जो बजट के प्रस्ताव आये हैं, उन पर विस्तृत विचार सदस्य दे सकें, चिन्तन कर सकें। उसके बाद पुनः सत्र आहूत हो और तब उसका पारण हो। हम लोग यहाँ पर बैठकर अरबों रुपये की स्वीकृति करते हैं। अधिकारियों के मन से बजट बनता है और उसमें हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं रहता हम उसमें एक भी पैसे का संशोधन नहीं कर सकते। भले ही हम कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उसको एक रुपया करने की बात कहते हैं। इसके

अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विधान सभा का सत्र वर्ष में कम से कम 90 दिन चलना चाहिये और जबकि मुश्किल से 40 दिन बैठक हो रही है, इसमें भी लगातार कटौती होती जा रही है। पूरा बजट ऐसे ही पास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बजट लेखों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह व्यवस्था का प्रश्न है और इससे ज्यादा औचित्य का समीचीन विषय और कोई हो नहीं सकता। आप विद्वान व्यक्ति हैं और संसदीय ज्ञाता हैं। ऐसे गंभीर विषय पर आप अपनी व्यवस्था दें ताकि इस तरह की समितियाँ यहाँ भी काम कर सकें। पिछली बार विधान सभा में भी यह मामला उठा था, और इस मामले पर विचार करने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राम नरेश यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने लोक सभा, राज्य सभा जाकर पूरा अध्ययन करने के उपरांत अपना प्रतिवेदन दिया, लेकिन आज तक उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यान्वियन नहीं हुआ। इसे आप औचित्य प्रश्न के रूप में स्वीकार कर, अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें और हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जिस सन्दर्भ में माननीय अशोक बाजपेयी जी ने बताया। पिछली बार इसके लिये एक समिति बनी थी और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन पूर्व सरकार में दिया था और वह प्रतिवेदन सरकार ने खारिज कर दिया, इसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जहाँ तक यहाँ पर इस तरह की समितियाँ गठित करने का प्रकरण है, मैं अशोक बाजपेयी जी, इसको स्वीकार करता हूँ कि परीक्षण तो होते रहने चाहिये, हर चीजों का। लेकिन यह भी बताना चाहता हूँ कि यह समितियाँ बनेंगी तो इनके सभापति होंगे, 50-40 माननीय सदस्य इनके मेम्बर होंगे, जिस तरह वहाँ हैं, इसके साथ अन्य ऐसे स्टाफ होंगे और वह फोल्डर करके जो देगा, वह पास हो जाएगा, लेकिन यहां जब बजट पेश होता है तो सदस्य अपनी-अपनी समस्याएं रखते हैं, यह अधिकार अभी खत्म नहीं हो पाया है, वह अपनी समस्या के बारे में बोलते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बोलते हैं, यह सब बजट के समय ही प्रस्तुत कर देते हैं और अगर यह व्यवस्था खत्म कर दी गई तो जो सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाते हैं, वह नहीं हो पाएगा। पिछली सरकार से जब ऐसी समितियों के गठन के बारे में कहा गया था, कि जिस तरह से लोक सभा में ऐसी बजटीय समितियां गठित की गई, उसी तरह प्रदेश में भी गठित की जायें तो प्रदेश सरकार ने उसके सुझाव को निरस्त कर दिया था, इसलिए मान्यवर, अगर बहुत ही उचित समझा जाय तो माननीय अध्यक्ष जी सभी दलों के नेताओं को बुला लें और एक बैठक कर लें और इस पर विचार कर लें।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इन बजटीय समितियों का कार्य क्षेत्र अलग है और इनका कार्यक्षेत्र अलग है। सदस्यों का जो अधिकार है उस अधिकार को कहीं भी कण्टेन करने की बात हमने नहीं कही। मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि बजट को हम लोग इतनी सतही ढंग से और सरसरी तौर पर विचार करके पास कर देते हैं, यह सही नही है जो हमने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं वह हमारे प्रदेश के लिए हमारी क्षेत्रीय अस्मिता के लिए कहां तक समीचीन है। मान्यवर, प्रदेश सरकार बजट से सम्बन्धित जो साहित्य उपलब्ध कराती है वह भी समय पर नहीं उपलब्ध कराती है कि कोई माननीय सदस्य पूरे वर्ष भर का बजट से सम्बन्धित लेखा-जोखा तैयार कर सके और इतने कम समय में इसे तैयार कर पाना संभव भी नहीं है। कई बार तो मान्यवर, ऐसा होता है कि बजट पास होने वाले दिन ही उसे साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर, इन सबको ध्यान में रखते हुए, हमने जो प्रस्ताव उठाया है मैं चाहूँगा कि आप इस पर कोई निर्णय दे दें मैं यह नहीं चाहता कि आप आज ही इस पर निर्णय दे दें लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सभी दलों को बुलाकर इस पर विचार कर लें और जब विचार हो जाए तो इस पर आप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप इस पर अपना विचार सुरक्षित रखें।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह समय समाप्त हो रहा है और जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अशोक बाजपेयी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि चूंकि माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाते हैं, सुझाव देते हैं। यह कदापि उचित नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो बजट का प्राविजन है उसके अनुसार 70 प्रतिशत पैसा डिस्टिक प्लान में चला जाता है और जो योजनाएं बनती हैं उससे क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन हम लोगों ने आज तक जितने भी बजट में सुझाव दिए हैं उस पर एक भी पैसा नहीं खर्च किया गया है और मंत्री जी को यह भी अधिकार नहीं है कि जो 30 प्रतिशत पैसा अनप्लान्ड है उसे रोके रहें। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा उस पर फिर से विचार कर लें और हमने जो बातें कही हैं उसको देखते हुए इसको स्वीकार कर लें तो एक अच्छी संसदीय परम्परा का निर्वहन हो सकेगा।

*आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसे सदन को गम्भीरता से लेना चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जैसा बताया कि इसके पूर्व भी यह विषय उठा, इस पर एक समिति बनी, उसने जो अनुशंसा की उसे यहाँ व्यवहारिक नहीं पाया गया लेकिन लोक सभा में समिति की जो व्यवस्था है वह सफलतापूर्वक चल रही है। इसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लागू करने की कोशिश की लेकिन वहाँ वह सफल नहीं हुये। एक बार सारे प्रकरण पर अध्ययन करने के बाद अगर वह उस आधार पर हो सकता हो लेकिन वहाँ पर हर विभाग के लिए नियमों में स्थायी समिति की व्यवस्था है। अगर नियम पुनरीक्षण समिति में एक बार इन समितयों का जो गठन है उसके इस संदर्भ में जोड़ दिया जाय, क्योंकि यहाँ स्थायी समितियों की बैठकें नहीं हो पाती हैं। माननीय विधायकगण की रुचि इस तरह की समितियों में कम होती जा रही हैं। लोग रुची ले तो ये यह समितियां ही अलग-अलग विभागों की संयुक्त सभिति हैं, स्टैण्डिंग कमेटी का लघु रूप हैं। नियम में परिवर्तन करके जो आपकी मंशा है उसे लाया जा सकता है या उसी रूप में लागू किया जा सकता है या दूसरे राज्यों में जो प्रतिफल हुआ है उससे अलग बनाया जा सकता है। यह विस्तृत अध्ययन का विषय है। एक बार रिपोर्ट आ जायेगी कि यह यहाँ व्यवहारिक नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर गम्भीरता के साथ विचार करने के लिए आप जब चाहें परामर्श कर लें या उचित समझें तो नियम पुनरीक्षण समिति को यह विषय रिफर कर दें कि क्या स्टैण्डिंग कमेटी इस तरह की कमेटियों का काम करती हैं?

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय टण्डन जी ने इस गम्भीरता को अच्छी तरह से समझा है। "हाउस इज दि मास्टर ऑफ ओन बिजनेस"। समय-समय पर नियमावली में परिवर्तन करते रहे हैं, परिवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने विभागीय स्थायी समितियों की बात कही है तो विभागीय मंत्रियों ने कभी स्थायी समितियों की बैठक नहीं बुलायी, विभागीय मंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं लेकिन कभी बैठक ही नहीं बुलायी जाती।

श्री शारदानन्द अंचल–

मैं एक बिन्दु को सदन के समक्ष.....

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अंचल जी कृपया बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि तमाम विभागीय स्टैण्डिंग कमेटीज हैं। जो बजटरी कमेटियां अन्य राज्यों में बनायी गयीं उनकी सार्थकता नहीं पायी गयी। मान्यवर, बजटरी कमेटीज के जरिये हम बैठ करके सम्पर्क रूप से राजनीति से ऊपर उठकर विचार कर सकते हैं कि इन पैसों का सदुपयोग कैसे हो? यहाँ हम लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूँ कि जो स्टैण्डिंग कमेटीज हैं उनकी मीटिंग केवल विधान परिषद् और राज्य सभा के चुनाव के समय हर दो वर्ष पर होती हैं। अगर स्टैण्डिंग कमेटीज की बैठकें लगातार नियमित रूप से नहीं होती हैं तो उस स्टैण्डिंग कमेटीज की क्या सार्थकता है?

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, इस सदन में पहले भी यह विचार आया था और सर्व-सम्मति से यह निश्चय किया गया था कि पीठ की तरफ से इस तरह की व्यवस्था करायी जाये। एक निर्णय हुआ और सदन की एक कमेटी अध्यक्ष द्वारा भी बनायी गयी। उस पर विचार करने के लिए माननीय हुकुम सिंह तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसमें बाजपेयी जी भी थे माननीय रेवती रमण सिंह उस कमेटी के सदस्य थे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष थे और कुछ कठिनाइयों के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। उसकी बैठक दिल्ली में भी हुयी और आदरणीय बलराम जाखड़ और आदरणीय शिवराज पटिल जो स्पीकर थे उनको भी बुलाकर और जनरल सेक्रेटरी लोक सभा से भी बात करके हम लोगों ने एक अपनी रिपोर्ट दी और उसमें निश्चित किया कि जिस प्रकार से लोक सभा में कमेटियां हैं जिसमें लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य होते हैं उसी तरह की समितियां यहां गठित की जायं। वहां पर 17 कमेटियाँ हैं सन् 1993 में बनायी गयीं और सौभाग्य से पहली कमेटी जो मानव संसाधान विकास मंत्रालय से संबंधित थी मैं उसका चेयरमैन था और उसमें 45 सदस्य थे।

मान्यवर, आप देखते हैं कि किस प्रकार से बजट पास होता है वहां पर गिलोटिन भी हो जाता है और बजट पास हो जाता है तो यहां पर ऐसी कमेटियों की आवश्यकता है। वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जब बजट सेशन में बजट भाषण हो जाता है तो कुछ समय के लिए सत्र बीच में स्थगित हो जाता है तो उसके बीच में जितने सम्मानित सदस्य हैं वह किसी न किसी कमेटी से संबंधित सदस्य हो जाते हैं और वह कमेटियों में बैठकर जिसमें सेक्रेटरीज को भी बुलाया जाता है और उसमें विचार विमर्श होता है और सम्यक् रूपेण विचार विमर्श होता है और उसकी रिपोर्ट सदन में दी जाती है और वह रिपोर्ट संबंधित विभाग को जाती है और सरकार विचार करती है और अपनी आख्या देती है कि क्या कार्य संस्तुतियों के अनुसार किये गये या नहीं किये गये। फिर जब तीन हफ्ते बाद जब सदन बैठता है तो उस रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और माननीय सदस्य उस पर अपनी बात रखते हैं। यह सही है कि उसमें क्षेत्र से संबंधित बातें नहीं आ पाती हैं लेकिन विपक्ष के लोगों को नीतिगत प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिलता है और सारी बातों पर विचार-विमर्श होता है। मेरा अनुरोध है कि उस समय यहां पर सारी बातों पर विचार हुआ था और कुछ कमेटियां भी बनाने की बात की गयी थी। आप लोक सभा की तरह 17 कमेटियां न बना सकें तो कुछ कमेटियां बनाकर प्रयोग करके देखें। जब ऐसा लगे कि कमेटियां ठीक से चल रही हैं तो अन्य कमेटियां भी बनायें। जब लोक सभा में कमेटियां कार्य कर रही हैं जो उत्तर प्रदेश में भी कमेटियां बनायी जा सकती हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी कहेंगे कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है लेकिन वह व्यवस्था की जा सकती है। आपके माध्यम से मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो पहले निणर्य हुआ है, और उस समय जो एक सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है एवं रिपोर्ट दी गयी थी उसके आधार पर पुनः सरकार विचार करे और निर्णय लेकर उसको कार्यान्वित करने का काम करे ताकि बजट और अन्य सारी बातों पर उन कमेटियों में विचार हो सके।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस विषय पर औचित्य के प्रश्न के माध्यम से बाजपेयी जी ने चर्चा प्रारम्भ कराई है उस सम्बन्ध में अपनी बात रखना चाहता हूं। इस सदन में सर्वसम्मति से पीठ द्वारा कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी थी। पक्ष और विपक्ष दोनों की उसमें सहमति थी। बजेटरी कमेटी का फायदा यह होगा कि पूर्णतया विचार विमर्श करके जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बनाया जा सकेगा क्योंकि कभी अव्यवस्थित सदन में जिस तरह से बजट पास होता है उसमें इस तरह की परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। उसमें नुकसान यह था कि कार्यपालिका पर ब्यूरोक्रेसी पर बजेटरी कमेटियों के माध्यम से उनकी मनचाही करतूतों पर प्रतिबन्ध लग जाता। जब सदन की समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की जब सरकार ने उसको अस्वीकारा यह कार्यपालिका के दबाव में। मैं केवल इतनी मांग करना चाहता हूं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सर्वसम्मति से दी गई रिपोर्ट कहीं चली नहीं गई है। वह विधान सभा सचिवालय में है। उस रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार प्रतीक के रूप में एक-दो कमेटी बनाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दे।

लोक सभा में जो कमेटियाँ बनाई गईं उनका पर्याप्त प्रतिफल आ रहा है। लोक सभा में सभी दलों के प्रतिनिधि इन कमेटियों में होने से सभी की भावनाओं के अनुरूप बजट बनता है। इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। यह विधान सभा की सर्वसम्मति से तैयार रिपोर्ट है। इस पर सरकार पुनः विचार करे और कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी के दबाव से मुक्त होकर इस पर विचार करके जनहित में सदन के हित में फैसला लेकर बजेटरी कमेटियों का गठन करे। जैसा कि नगर विकास मंत्री ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी हैं। स्टैंडिंग कमेटी और बजेटरी कमेटी में अन्तर है। बजेटरी कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में सरकार निर्णय ले व अनुकूल निर्णय ले। यह प्रदेश की जनता के हित में होगा। इससे सदस्यों के मन में कुंठा नहीं होगी व सदन के अव्यवस्थित होने से बचा जा सकेगा। इस पर सभी की राय आ गई है आप अपना निर्णय सुरक्षित रखें जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर विचार करके पुनः अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करें।

[समय 1.00 बजकर 20 मिनट]

* नेता विरोधी दल–श्री मोहम्मद, आजम खाँ–

मामले की गम्भीरता का अंदाजा आपको हो गया है। हमारे साथी बाजपेयी जी ने भी काफी तफसील से बताया। पूर्व मुख्यमंत्री जी का लम्बा तजुर्बा आपके सामने आया है। आपने तो वहाँ तक कहा कि ब्यूरोक्रेसी के दवाब में फैसला बदल दिया गया। मुझे थोड़े दिन पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला पार्लियामेंट्री कार्यवाही में इन कमेटियों का बड़ा अहम रोल है। कमेटी उन सारी चीजों पर विचार करके फैसला करके सदन में भेजती हैं जो यहां उठाए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात कही गई। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कभी नहीं हुई। स्टैडिंग कमेटी बना तो दी जाती है लेकिन कभी उसकी मीटिंग नहीं होती। ऐसी कमेटी को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। या तो कमेटी का गठन ही न हो अगर गठन हो तो प्रेक्टिकली अमली तौर पर वह काम करे। इस सिलसिले में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आ गई पूरे सदन ने एक राय से एक मत से फैसला लिया फिर समिति ने-भी यूनानीमस फैसला लिया। इसके बाद समिति की सिफारिश को आउट राइटली टर्न डाउन करने का अधिकार नहीं बनता। क्योंकि सरकारों की तानाशाही अधिकार होते हैं लिहाजा हम उसे टर्न डाउन कर सकते हैं। मंत्री जी आप सरकार का हिस्सा हैं अगर आप सर से हाथ हटा लेंगे तो सर से ताज उतर जाएगा। टण्डन जी आप अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। टण्डन जी अपनी हैसियत को नहीं समझ रहे हैं। आपके बल पर सरकार खड़ी है। आपकी बैसाखियों पर खड़ी है। आप अपनी बात मनवाइये। यह कमजोर लोग हैं, आपकी बात मान जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री को पता नहीं यह मालूम क्यों नहीं रहा कि इस सदन से सबकी राय यूनैनिमसली गई थी। समिति की राय भी यूनैनिमसली आई थी। न तो आपकी पीठ से कोई निर्णय

हो। न ही संसदीय कार्य मंत्री कोई फैसला कर दें जैसा कि आपने कहा कि उसकी जरूरत नहीं रह जाती। अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री, टण्डन जी और जो पहले के लोग हैं, यहाँ पर पूर्व मुख्य मंत्री यादव जी भी बैठे हैं, उन सबके साथ बैठकर फैसला लेने की जरूरत है। इस पर एकदम कोई राय बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमने जो औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें संसदीय कार्य मंत्री का जबाब आ जाये।

श्री अधिष्ठाता–

टण्डन जी और संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह चुके हैं। पाल साहब आप बैठिये। पाण्डेय जी को बुला लिया है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय टण्डन जी ने भी अपनी बात रखी, और सबने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। नेता प्रतिपक्ष ने टण्डन जी को सबल कहा कि आप सबल हैं कमजोर को दबा सकते हैं। मान्यवर, इधर कमजोरों को दबाने का काम नहीं होता, उधर यह लोग दबाते होंगे। हमारा ऐसा चिन्तन नहीं है। हम कमजोर को और उठाते हैं। नरेश अग्रवाल जी बोल नहीं पाते हैं, यह लोग उनको दबा देते हैं। मान्यवर, पूर्व में समिति बनी थी और उसकी राय आई थी लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मैं भी कह रहा हूँ कि इसकी अनिवार्यता और उपयोगिता है जैसे पार्लियामेन्ट सिस्टम में वहाँ चल रहा है। एक अच्छी तरह से बजट आ जाता है। पहले की समिति ने जो प्रत्यावेदन दिया था उस पर विचार कर लें। इस प्रकरण को हम भी हल्का नहीं ले रहे हैं। अच्छा बजट बने। प्रदेश हित में, जन हित में हो। जैसा अग्रवाल जी ने कहा कि बजट के अंश पाते हैं हमारे जिला सेक्टर हो या स्टेट सेक्टर हो। इस तरह के प्रश्न औचित्य के प्रश्न में पहले आ चुके हैं यह ग्राह्य करने की बात नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी सभी दल के नेताओं को बुला लें एक अच्छा उपयोगी राय मशविरा हो जाय। यह नियम - 300 में ग्राह्य योग्य के नहीं है। इस पर काफी लम्बी चर्चा हो गई।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसको निरस्त मत करिये। निर्णय सुरक्षित कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 में नहीं आती है, इसलिये अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री .....

श्री अधिष्ठाता–

नरेश जी बैठ जायं। इस पीठ से निर्णय आ गया अब कृपया बैठ जायं। यादव जी और वाजपेयी जी आप भी बैठ जायं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने एक सुझाव दिया इस पीठ को कि यह पीठ सभी दल के नेताओं की बैठक बुला ले और उस पर विचार कर लें। आपको देना है तो निर्देश दे दीजिये। यह पीठ दोबारा विचार कर ले, सभी को बुला लें, राय बन जाय, विचार हो जाय। बिना निर्णय लिये उसको अग्राह्य करेंगे। मान्यवर, जब हमको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जायेंगे? मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन यदि पीठ से निर्णय गलत हो रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उस गलती को ठीक करने के लिये कहें।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आक्षेप कहीं नहीं है। इसको वह अग्राह्य कर चुके हैं।

श्री लालजी टण्डन–

जो रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है उसमें अध्यक्ष महोदय को अधिकार है सबको बुलाकर विचार–विमर्श कर लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अगर पीठ अपने को सक्षम नहीं समझ रही है तो निर्णय को सुरक्षित कर लें, जजमेंट अध्यक्ष जी बाद में ले लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर –

इन्होंने कहा संसदीय कार्यमंत्री कहें आपने कहा नोटिस अग्राह्य हैं, मैंने सापेक्ष कहा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि सब दलों के सम्मानित नेताओं को बुला लिया जाएगा, बैठक हो जाएगी। हमने सदन के सामने कह दिया है मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर लूँगा।

(व्यवधान)

डा० अशोक बाजपेयी–

पूर्व में मुख्य मंत्री रहे रामनरेश यादव जी, वरिष्ठ सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को सुना, नरेश चन्द्र जी को सुना, सबको सुना एक से एक विचार आए, यह गम्भीर विषय है, पूरे जनहित से जुड़ा प्रश्न है इसमें आप सभी दलों के नेताओं को बुलाकर विचार करलें, ये नियम–56 की सूचना नहीं है इसको आपने अग्राह्य कर दिया। नियम-300 में बहुत महत्वपूर्ण विषय आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप इसमें निर्णय सुरक्षित कर लें कि कक्ष में बुलाकर निर्णय करेंगे जो निर्णय होगा स्वीकार होगा। जल्दबाजी में निर्णय देना विषय की गम्भीरता को समाप्त करना है।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा इस पर निर्णय बाद में ले लिया जाएगा।

पूर्वान्चल निधि को अम्बेडकर गाँवों के विकास पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत नियमों से कुछ परम्पराओं से जनतंत्र चलता है। मान्यवर अभी तक जो बजट पेश होता है इसमें 89 के बाद एक प्राविधान किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक पूर्वांचल निधि की व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को धनराशि आवंटित होती थी। वह राशि वहां के विधायकों के माध्यम से या डी० आर० डी० ए० के माध्यम से सम्पूर्ण विकास के लिए, सम्पूर्ण जिले के लिए जहां आवश्यक होता था खर्चा किया जाता था। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक अरब 50 करोड़ का प्राविधान किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहा गया, जनपद सिद्धार्थ नगर में पूर्वांचल निधि भेजी गई। नियमों के अन्तर्गत होना यह चाहिए था कि वहां के जिलाधिकारी सभी विधायकों को बुलाकर आग्रह करते कि बतायें इस धनराशि को कहां भेजा जाए, बजाए इसके उन्होंने सारी धनराशि अम्बेदकर ग्राम को दे दी यह इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में अम्बेदकर गाँव को चिन्हित किया गया है। अम्बेदकर गाँव वही होंगे जहां मुख्यमंत्री जी की सजातियों की संख्या ज्यादा होगी। विकास की धनराशि है और इसमें यह फैसला लिया गया अम्बेदकर गाँव में खर्चा किया जाए। मैं बहुत से ऐसे गाँव को जानता हूँ जहाँ विद्युतीकरण हो गया है, बढ़िया सड़के हैं, अस्पताल हैं, वहां छोटे–छोटे कामों के लिए धन आवंटित करने का प्राविधान किया जा रहा है। और जहां नालियां नहीं हैं, विद्युतीकरण नहीं है वहां धन नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्णय से राग, अनुराग द्वेष उभरकर सामने आ गया है। .....

मान्यवर, जो संविधान में विहित भावना है उस भावना का उल्लंघन हो रहा है। जब माननीय मुख्य मंत्री बनी थी अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत एक शपथ पत्र का प्रारूप होता है उसके अनुसार शपथ लेनी होती है। वह प्रारूप संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। उसमें यह व्यवस्था है जो मंत्री शपथ लेगे, मैं उसका प्रारूप पढ़ रहा हूँ " मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।" तो मान्यवर, चूँकि यह संविधान का प्रारूप है जिसमें शपथ लिया उसका उल्लंघन हो रहा है और जिसका परिणाम है कि बहुत से गाँव जहाँ विकास होना चाहिए वह विकास से वंचित हो रहे हैं। इस लिए औचित्य के प्रश्न उपस्थित करके मैं आपसे मांग करता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने संविधान के अन्तर्गत शपथ लिया है उसका उल्लघंन हो रहा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप पीठ से निर्देश दें कि जो यह धनराशि विकास पर खर्च होनी चाहिए वह आवश्यकतानुसार उस गांवों में खर्च किया जाय।

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दिया है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, मैंने भी दिया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाकर जिलाधिकारी ने आदेश किया उस आदेश को तुरन्त वापस करायें। जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 27 अगस्त, 1977 को संशोधन अधिनियम बना था। तब से लगातार गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र मिलता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 27-1-94 को स्पष्ट आदेश दिया कि गोंड जाति को प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति का दिया जाय। सन् 1977 से 25-7-2002 तक निरन्तर जिलाधिकारी बलिया द्वारा समस्त तहसीलदारों को गोंड जाति का प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति के रूप में देने के आदेश देते रहे लेकिन कुछ दिनों से गोंड जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने में तहसील स्तर पर व्यवधान हो रहा है जिससे इस विरादरी के लोगों के साथ नाइन्साफी हो रही है। मान्यवर, केन्द्र सरकार के आदेश के चलते प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन ने 27 सितम्बर, 2001 को आदेश पारित किया कि गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाय लेकिन अब वह कहीं पर जारी किया जाता है कहीं पर नहीं किया जाता है। इस समक्ष कई बार तहसील दिवस पर जिलाधिकारी बलिया ने गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण दिये जाने के लिए तहसीलदार विल्थरा रोड पर निर्देशित किया। बैठक में वह तहसीलदार कहता है कि प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है लेकिन वह देने में हीला हवाली कर रहा है इससे शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) –

मान्यवर, मुझे इनकी सूचना पर उत्तर देना है या जो पहले माता प्रसाद पाण्डेय जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर देना है।

पूर्वांचल निधि को अम्बेडकर गाँवों के विकास पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरी सूचना पर सरकार का जवाब नही आया है। पहले उसे दिला दें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोयोग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा कि बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में उल्लिखित संदर्भों के आधार पर हम शपथपत्र लेते हैं इससे उसकी गोपनीयता भंग होती है, बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की अवहेलना हो रही है। मान्यवर, उनके नाम से कई योजनाएं चल रही हैं। उनकी योजनाओं का सही तरीके से विकास हो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी तरह का निर्देश हमारी तरफ से नहीं गया था। हाँ एक शासनादेश जरूर गया था दिनांक 5-7-2000 को कि बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर गाँव, के विकास के लिए, जो 11 बिन्दु हैं। अगर कोई बिन्दु छुट गया है और कोई वित्तीय संसाधन जुटाने का काम रह गया है तो उसके लिए था। चाहे लोक निर्माण विभाग है या अन्य विभाग है अगर कोई वित्तीय कठिनाई हो तो उसमें धन जुटाने का निर्देश दिया गया था। उसमें सांसद निधि या, विधायक निधि अन्य साधनों से ज्यादा से ज्यादा धन जुटाने का शासनादेश दिया गया था। यह शासनादेश जनहित में दिया गया था। मान्यवर, सिद्धार्थ नगर का प्रकरण है। जिलाधिकारी से बात की उन्होंने कहा कि यह जनहित का निर्देश है। इसमें धन एकत्रित करने की बात थी। कई ऐसी एजेंसियाँ हैं जैसे

मण्डी परिषद्, सांसद निधि, तथा विधायक निधि इन सबसे थोड़ा-थोड़ा वित्त एकत्र किया जा सकता है। इसलिए मान्यवर, इसमें कहीं किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है यह जनहित में एक गाइडलाइन के तौर पर किया गया है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो दबाव नहीं डाला जा सकता है। कई स्रोतों से धन एकत्र किया जा रहा है। इसलिए यह नियम 300 में ग्राहय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है अतः अग्राहय हैं।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मेरी सूचना महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में गोंड जाति के लोग प्रभावित हुए हैं। इस जाति के विजयी विधायक भी इस सदन में चुनकर आयें हैं और इस सूचना को.....

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002
जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित

सचिव विधानसभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूँ।

गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

माननीय शारदानन्द अंचल की नियम 300 की सूचना को आपने निरस्त कर दिया था। मान्यवर, यह गोंड जाति पहले कुमांयू मण्डल में रहती थी उसके लिये शासनादेश था कि इनको अनु० जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाये। इसके बाद मांग उठी कि पूरे प्रदेश में जहां भी यह जाति पायी जाती है वहां प्रमाण-पत्र दिया जाय। विभिन्न जगहों पर इसके लिये धरना प्रदर्शन हुए। जो गोंड जाति है उसके आधार पर जिला अधिकारी फिल्टर करते हैं कि गोंड है, गोड़ है। यह शासनादेश अगर पढ़ेगें तो देखलें अंग्रेजी में जी०ओ०एन०डी० गोंड है। इसके लिये शासनादेश जारी है पूरे प्रदेश में कि उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाय। यह बात आयी कि तहसील बेल्थरा रोड पर अनुसूचित जाति के लोगों को गोंड जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है। नोटिस से हटकर मा० अंचल जी लिखकर दे देंगे इसमें व्यक्गित रूप से बातचीत करेंगे, डी०एम० से बात करेंगे उस तहसील में शासनादेश पहुंचा दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, प्रतापगढ़ में भी इसे करा दें मैं लिखकर दे दूँगा।

श्री राधा मोहन दास अग्रवाल—

मान्यवर, गोरखपुर के लिये सम्मिलित करवा लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

पूरे प्रदेश के लिये फिर से शासनादेश जारी करायें।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

हमारे यहां एक तहसील में यह सुविधा है तीन में नहीं है। पूरे प्रदेश में इसका किलयरीफिकेशन जारी करवा दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर—

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि पहले यह केवल कुमांयू मण्डल के लिये था, बाद में लोगों ने अन्य जनपदों को भी चिन्हित कराया। गोंड जाति को डिफाइन किया गया है जहां अनटचेबिलिटी हो उनके काम के बारे में कि यह काम करते हों। मान्यवर, उनको डिफाइन किया कि अनटचेबिलिटी हो, यह लकड़ी वगैरा काटने का काम करते हैं उनको मान लिया जाये। पहले वह चिन्हित एरिया था बाद में यह हुआ है कि अन्य जनपदों में भी उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार है। उसमें जी०ओ०एन०डी० शब्द जोड़ा गया है अगर यह है तो दिया जाय। इसमें स्थिति ऐसी पैदा हुई कहार, धीतर वह भी अपना प्रत्यावेदन दिये कि हमको भी दिया जाय हम भी गोंड हैं। वह पानी भरते हैं, भोजन बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं ऐसे लोग भी जब प्रमाण-पत्र माँगना शुरु किये। (व्यवधान) 1959–60 में खतौनी में जाति लिखी जाती थी।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, जिसके पास जमीन ही नहीं है तो खतौनी कहाँ से लायेगें?

श्री सुखदेव राजभर—

तो 1959-60 में जातियां लिखी जाती थी तो उसके आधार पर चयनित कर लिया कि फला जाति का है। तो जैसा अंचल जी ने कहा कि जब जमीन ही नहीं है तो कैसे करेगें तो मान्यवर, इस अनटचेबिलिटी को आधार मानते हुए गोंड जाति का पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश जारी किया। मान्यवर, शासनादेश जारी है और उसके जो मानक हैं, जो चिन्हित जातियां हैं, जो उसका क्राइटेरिया है उसके आधार पर शासनादेश है पूरे प्रदेश में। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें। पूर्णमासी जी बैठिये।

(श्री पूर्णमासी देहाती के बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव विधानसभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि—

उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002

सचिव विधानसभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूँ कि:—

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कुछ नहीं है।

मेरठ महानगर में जल निगम/नगर निगम द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए अवशेष धनराशि मुक्त किये जाने विषयक, श्री राजीव कुमार तायल निवासीगण जनपद मेरठ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में नगर निगम/जल निगम, मेरठ द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए अवशेष धनराशि मुक्त किये जाने विषयक श्री राजीव कुमार तायल तथा श्री एन० सी० माहेश्वरी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

मेरठ नगर में घंटाघर से कोटला जाने वाले नाले पर स्थापित बिजलीघर को टाउन हाल में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार निवासीगण जनपद मेरठ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ नगर में घंटाघर से कोटला को जाने वाले नाले पर स्थापित बिजलीघर को टाउन हाल में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार तथा श्री चन्द्रकान्त बाजपेयी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के विकास नगर सेक्टर-8 की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद सहगल निवासीगण जनपद लखनऊ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ पश्चिम क्षेत्र के विकास नगर सेक्टर-8 के अन्तर्गत आने वाली सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद सहगल तथा श्री एस० के० कटारा निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तहवर, तहसील निजामाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री शिव मूरत यादव निवासीगण जनपद आजमगढ़ आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक तहवर, तहसील निजामाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री शिव मूरत यादव तथा श्री रघुपति यादव निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नोट—† छापी नहीं गयीं।

(1,2)

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरिया में राप्ती नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री सगीर अहमद उर्फ "बब्बर" निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री कमाल यूसुफ मलिक—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज स्थित राप्ती नदी के बियरिया घाट पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने विषयक श्री सगीर अहमद उर्फ "बब्बर" तथा श्री अब्दुर रहीम निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के शाहपुर सिंगारजोत से पिपरा कानूनगो आदि मार्गों पर पूर्व में लगे खंड्जों पर पिच कराने विषयक श्री सगीर अहमद उर्फ बब्बर निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कमाल यूसुफ मलिक—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज क्षेत्र के शाहपुर–सिंगार जोत से पिपरा कानूनगो, तरहर देवरिया चमन, पैंडरिया जीत, बिलरिया से भरवठिया बाजार तक पूर्व में लगे खड़न्जे पर पिच कार्य कराने विषयक, श्री सगीर अहमद उर्फ बब्बर तथा श्री शमीम खाँ निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 9 व 10 में कुछ नहीं है।

प्रथम सत्र 2001 के तीसरे सोमवार दि० 14 मई, 2001 को स्व० श्री राम औतार शाक्य के अतारांकित प्रश्न संख्या–108 का संशोधित उत्तर

* खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बाबूराम एम०काम०)—

[विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित स्व० श्री राम औतार शाक्य, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अतारांकित प्रश्न संख्या–108 पूछा गया था :–

"'क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जनपद मैनपुरी एवं लखीमपुर खीरी में हुई जाँचों में धान की सरकारी खरीद में भारी अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उक्त अतारांकित प्रश्न का उत्तर निम्नवत् दिया गया है :–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद में जनपद मैनपुरी व लखीमपुर खीरी में कोई वित्तीय अनियमित्ता प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु जनपद लखीमपुर में धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से न करने एवं क्रय कार्य में उदासीनता बरतने के लिये विपणन शाखा के एक विपणन निरीक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तीन विपणन निरीक्षकों का स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरित विपणन निरीक्षकों में से दो को निलम्बित किया गया। इसी प्रकार पी०सी०एफ० के एक क्रय प्रभारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, एक–एक को निलम्बित किया गया।

नोट :- + छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी हाँ, वित्तीय वर्ष नहीं, वरन् खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में धान खरीद में अनियमिततओं की जाँच में श्री एन० के० त्यागी, जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ० को प्रथमदृष्टता दोषी पाये जाने पर विशेष प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि का दंड दिया गया है। जनपद लखीममुर खीरी में धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से न करने एवं क्रय कार्य में उदासीनता बरतने के लिये विपणन शाखा के एक विपणन निरीक्षक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और तीन विपणन निरीक्षकों का स्थानान्तरण एवं स्थानान्तरित विपणन निरीक्षकों में से दो को निलम्बित किया गया। इसी प्रकार पी०सी०एफ० के एक क्रय प्रभारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं एक को निलम्बित किया गया।

स्व० श्री राम औतार शाक्य, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश" के निदेश संख्या 165/166 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनाँक 20-6-2001 के प्राप्त होने पर शासन द्वारा खाद्यायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ से जानकारी किये जाने पर ज्ञात हुआ कि जनपद मैनपुरी में, जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, मैनपुरी के विरूद्ध धान क्रय में अनियमिततओं की जाँच श्री विद्यासागर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मैनपुरी द्वारा की गई थी और दिनाँक 26 फरवरी, 2001 को जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्रस्तुत की गई थी जिसे जिलाधिकारी के पत्र संख्या–1498/एस०टी०, दिनाँक 27-03-2001 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। इस जाँच में श्री एन०के० त्यागी, जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, मैनपुरी को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया था। प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ० द्वारा श्री एन०के० त्यागी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्थापित की गई और जाँच अधिकारी की आख्या दिनाँक 24-8-2001 के परीक्षोपरान्त श्री त्यागी के विरूद्ध कार्यवाही का निर्णय लेते हुये पत्र दिनाँक 22-9-2001 द्वारा श्री त्यागी को विशेष प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है।

2— विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 में स्व० श्री राम औतार शाक्य द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या—108 पर उप संभागीय विपणन अधिकारी, मैनपुरी से उत्तरालेख माँगा गया था जिसके संदर्भ में उप–संभागीय विपणन अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी (धान–खरीद) श्री विद्यासागर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मैनपुरी से दिनाँक 2-5-2001 को सम्पर्क किया गया था परन्तु अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व द्वारा उप संभागीय विपणन अधिकारी को उक्त जाँच और उसके परिणाम से अवगत नहीं कराया गया। फलस्वरूप उप-संभागीय विपणन अधिकारी, मैनपुरी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा तथ्यपरक उत्तरालेख शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया।

3— शासन स्तर पर मा० सदन में त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरादायित्व निर्धारण की कार्यवाही की गई जिसमें उप-संभागीय विपणन अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार को गलत सूचना शासन को भेजने के लिये उत्तरदायी पाया गया है और इस सम्बन्ध में उन्हें भविष्य में सतर्कता बरतने हेतु सचेत किया गया है। श्री विद्यासागर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मैनपुरी को भी उस संभागीय विपणन अधिकारी के सर्म्पक करने पर जाँच की स्थिति से अवगत न कराये जाने के लिये दोषी पाया गया और इस सम्बंध में कार्यवाही हेतु नियुक्ति विभाग से अनुरोध किया गया था, परन्तु नियुक्ति विभाग द्वारा कार्यवाही उपरान्त श्री विद्या सागर प्रसाद, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, मैनपुरी को दोष प्रमाणित न होने के दृष्टिगत किसी कार्यवाही का औचित्य न पाते हुये प्रकरण को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया है।]

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनाँक 27 अगस्त, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की जनपद बलिया की घाघरा नदी में चाँदपुर घाट के सामने नाव के डूबने से दर्जनों लोगों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध है। दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की कस्बों से गाँवों तक जुगाड़ नाक यातायात की सुविधा को चलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध है। तीसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री राम करन आर्य, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार की जनपद फैजाबाद के थाना रौनाही के ग्राम दक्षिण पारा में अकाल एवं भुखमरी से तंग आकर श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा अपने दो पुत्रों एवं दो पुत्रियों सहित कुँये में कूदकर जान देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री राकेश सचान की कानपुर स्थित डी०ए०वी० कालेज के बंद पड़े छात्रावास को खुलवाये जाने के संबंध में है। पाँचवीं सूचना श्री सूरज सिंह शाक्य, श्री अनिल कुमार सिंह यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री अनार सिंह दिवाकर, श्री मोहन देव शंखवार की जनपद एटा के थाना गंज डुंडवारा के ग्राम अखतऊ में ठाकुरों द्वारा शाक्य जाति पर किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो आज कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में ग्राहयता की जो शर्तें हैं, कार्यस्थगन की, उन सभी शर्तों को मेरा प्रस्ताव पूरा करता है। ग्राह्यता की शर्तें है, निश्चित घटना होना चाहिये। यह घटना बिलकुल निश्चित है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह में टी०एस० बंधा के पास चाँदपुर घाट के पास, जो घाघरा नदी पर है, नाव डूब गई है और दर्जनों लोग डूबकर मर गये हैं। दूसरी शर्त है, घटना अविलम्बनीय होनी चाहिये। यह 24 तारीख की घटना है और इस प्रकार घटना अविलम्बनीय भी है। लोक महत्व की होनी चाहिये, चूँकि दर्जनों लोग डूबे हैं, कई लोग लापता हैं, इसलिये यह लोकमहत्व की हैं, वहाँ पूरा हाहाकार मचा हुआ है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लोग जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिये एक नाव पर सवार होकर उस पर खेतों में काम करने के लिये जा रहे थे। नाव जब बीच में पहुँची तो प्राकृतिक कारण से तेज हवा और आँधी के साथ बारिश शुरू हो गई और बीच मझधार में नाव डूब गई, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कितने ही लोग लापता हो गये। केवल 4 लाशें ही अब तक प्रशासन के लोग ढूँढ पाये हैं। यह घटना क्यों हुई, इसे बचाया जा सकता था। मान्यवर, हमारे बलिया जनपद में एक-डेढ़ महीना पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक इस बात के लिये हुयी थी और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव हुआ उस बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव किया गया कि सूखा तो है लेकिन नदियों में जहां बाढ़ है और इससे पहले से सरकारी नावों की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर तत्काल सरकारी नावों की व्यवस्था एक सप्ताह के अन्दर कर दी जाय, लेकिन आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई। 25-30 वर्षों से, जिस घाट पर यह नाव डूबी है, वहां पर सरकारी बड़ी नाव की व्यवस्था की जाती है, अगर बड़ी सरकारी नाव होती तो उसकी व्यक्ति क्षमता अधिक होती है, लेकिन छोटी नाँव पर व्यक्ति क्षमता से अधिक सवार थे, जो अधिकांश

गरीब मजदूर थे, अपने खेत जा रहे थे, वह सब डूब गए और सारे मारे गए। यह सब मेहनत, मजदूरी करने वाले लोग थे और अपने परिवार का स्वयं पालन-पोषण करने वाले लोग थे, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जैसे–ललिता देवी, पत्नी राम लक्षन, यह 25-30 वर्ष की महिला है इसके घर में परिवार चलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है, पूरे परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी इसी पर थी, दूसरी मरने वाली थी कबूतरी देवी पत्नी वीरेन्द्र राय, इसकी उम्र 35-40 वर्ष थी, इसके भी परिवार में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है, तीसरा था सत्येन्द्र पुत्र सुरेश, यह 30 वर्ष का लड़का था। इसके घर में भी कोई अन्य कमाने वाला नहीं है, यह मजदूरी करके पूरे परिवार की जीविका चलाता था। अभी कितनी लाशें हैं जिनका पता नहीं चल सका है। सरकार की तरफ से क्षोभ और आतंक, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है इसलिए इससे अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय कोई नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय ? इस में दर्जनों लोग मारे गए हैं और प्रशासन लापरवाह है, प्रशासनिक लापरवाही से ही यह लोग मारे गए हैं, बड़ी सरकारी नाव की व्यवस्था न करने से ही यह घटना घट गई है। आप इसकी गम्भीरता को लें, और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दें। यह सभी ग्राहयता की शर्तों को पूरा करती है, इस पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, दुर्घटना कोई भी हो, इस पर संवेदना होनी चाहिए और सरकार की इस पर संवेदना है, मान्यवर, यह घटना झारनदुबे हुर के चाकपुर घाट पर घटित हुई।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, एक बात मैं कहना भूल गया, मेरा कहना है कि जितने लोग भी मरे हैं, उनकी असहयता और गरीबी को देखते हुए उन प्रत्येक परिवारों को, जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है, को 10-10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दें जिससे उनका पारिवारिक जीवन चल सके।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर इसमें 30 लोग सवार थे और नांव असंतुलित होने के कारण वह डूब गई, जिस घाट पर यह घटना घटी है वहां का जल स्तर, जितना एक मानक है कि वहां पर एक सरकारी नांव की व्यवस्था की जाएगी, उस खतरे तक उसका जल स्तर था। इसमें जितने लोग मरे हैं, उन सबकी लाशें निकाल ली गई है, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है वह है श्रीमती कबूतरी देवी पत्नी वीरेन्द्र राय, ललिता देवी पत्नी राम लक्षन, उनके पुत्र लल्लन, उम्र 18 वर्ष, सत्येन्द्र पुत्र सुरेश, इन चार लोगों की मृत्यु हो गई है इनके परिवारों को 50-50 हजार रूपये जिलाधिकारी द्वारा भुगतान कराया जा रहा है और साथ ही साथ घटना में जिन लोगों को चोटें आई हैं उनकी मरहम–पट्टी के लिए वयवस्था की गई है और साथ ही साथ खतरे के स्तर का जो मानक बनाये गए हैं, ऐसी जगहों पर सरकारी नावों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रूपये का मुआवजा दे दिया गया है इसलिए यह अग्राह्य है, यह तात्कालिक नहीं है, इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अस्वीकृत की जाती है।

* श्री मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सूचना धारा 56 में मेरी सूचना पर बोलने का मौका दिया।मान्यवर, मैं जुगाड़, जो परिवहन का साधन है, पर बोल रहा हूँ। वैसे तो जुगाड़ का मतलब कानूनी तौर पर कुछ भी हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर अधिक महत्व रखने लगा है। यह परिवहन की समस्या कस्बों से गांवों तक बहुत अस्त–व्यस्त है, मुख्य रूप से जितने भी हमारे गांव पड़ते हैं चाहे वह जिस प्रदेश में हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी परिवहन के साधन हमारी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है।

परिवहन विभाग की जितनी बसें हैं, उनसे घाटा पहले ही मिल रहा है इसलिए परिवहन विभाग की बसें चल नहीं रही हैं। गाँवों से कस्बों तक जाने के लिए जुगाड़ की ही व्यवस्था है। पम्पिंग सेट को सुव्यवस्थित करते जुगाड़ नामक वाहन बना लिया जाता है, जिससे गरीब, असहाय लोग जिनके पास मोटर साइकिल या कार नहीं है गाँव से शहर जाने में प्रयोग करते हैं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और जो गरीब लोग हैं उन्हें गाँव से कस्बे तक आने–जाने की सुविधा मिल जाती है। पिछले लगभग 20 वर्षों से इस जुगाड़ नामक वाहन से लोग आते जाते हैं। पिछली सरकार में श्री राजनाथ सिंह जी ने इसे चालू रखा था। इस वाहन में नम्बर नहीं होता है तो कभी पुलिस वाले इसका उत्पीड़न करते हैं, कभी शासन करता है, कभी आर०टी०ओ० करता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यह भी व्यवस्था नहीं होगी तो कभी कोई बीमार हो जाये, प्रसव पीड़ा हो या कोई दुर्घटना हो जाये और तत्काल शहर जाना पड़े तो कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जुगाड़ न चले तो लोग गाँव से कस्बे तक नहीं जा सकते। हजारों लोगों का प्रतिदिन इस वाहन से आना–जाना होता है। आजकल यह बन्द है, मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा प्राविधान किया जाये ताकि इसको मान्यता मिल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई अन्य साधन न होने के कारण लोगों को बहुत कठिनाई होती है। जिनके पास अपने साधन हैं वह तो गाँव से कस्बे तक आ–जा सकते हैं लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास अपना कोई साधन नहीं हैं उसके लिए केवल जुगाड़ ही एकमात्र साधन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अविलम्बनीय है, तात्कालिक है और लोक महत्व का इसलिए है कि जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। रोज हजारों लोग 2 कि० मी० से लेकर 20 कि० मी० तक की दूरी इसी वाहन से तय करते हैं। जुगाड़ का महत्व वैसे भी बहुत ज्यादा है। .....

(इस समय 2 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

एक माननीय सदस्य–

दिल्ली और प्रदेश की सरकार भी जुगाड़ से ही चल रही है।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, गाँव वासियों के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया है। यह गम्भीर प्रश्न है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसको मान्यता दें ताकि गरीब जनता को आने–जाने का साधन सुलभ हो सके।

श्री किरन पाल सिंह– मान्यवर, यह जो समस्या है, यह बहुत गम्भीर समस्या है.....

श्री अधिष्ठाता–

किरनपाल सिंह जी आपका नाम सूचना पर नहीं है। मदन चौहान जी की सूचना थी उन्होंने सारी बात रख दी है। आप संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लें आपको संतोष हो जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षा नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत गम्भीर समस्या है और आपको भी जानकारी है। मान्यवर, यह टैक्स भी देते हैं लेकिन फिर भी आर०टी०ओ० इन्हें बन्द कर रहें हैं, पुलिस रोक रही है। इसलिए व्यवस्था खराब हो रही है, उनको चलने की अनुमति दी जाय।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जुगाड़ नामक यातायात की सुविधा के बारे में यहां कहा गया। मान्यवर, एक किस्सा है। एक अंग्रेज अपनी गाड़ी लेकर चला आया हिन्तुस्तान में। चूँकि उसके पार्ट यहां नहीं मिलते थे तो जब वह बिगड़ती थी तो लोग उसकी किसी तरह जुगाड़ करके आगे चला देते थे। फिर जब बिगड़ती थी तो उसको ठीक करके फिर आगे चला दिया जाता था। इस तरह से वह 200-250 किलोमीटर चली जाती थी। अंग्रेज कहता था कि हितुस्तान में जुगाड़ नाम का पार्ट बहुत अच्छा लगा देते हैं और गाड़ी चलती रहती है। तो यह जुगाड़ गाड़ी उसी तरह की है।

मान्यवर, स्थिति यह है कि जैसा माननीय चौहान जी ने और किरनपाल जी ने कहा, लोग 5 या 10 हार्सपावर का इंजन ले लेते हैं और उसमें एक ट्राली बना लेते हैं और सवारियां ढोते हैं और सामान ढोते हैं। अगर इससे कहीं कोई दुर्घटना हो जाय तो इस पर मोटर वेकिल एक्ट की व्यवस्थायें लागू नहीं की जा सकती हैं। जो नियमावली है 1989 की उसमें प्राविधान किये गये हैं, जो गाडियां चलेंगी उनमें चेसिस नंम्बर होगा, इंजन नम्बर होगा और उसकी संरचना के बारे में भी नियमावली में हैं कि उसकी संरचना कैसी होगी। इस गाड़ी जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया उसका न तो चेसिस नम्बर होता है न इंजिन नम्बर होता है और न वह मोटर वेहिकिल एक्ट के प्राविधानों से गर्वन होती है। केवल एक इंजन लेकर ट्राली लेकर गाड़ी बना ली जाती है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर भी नहीं होता है। जबकि यातायात के सम्बन्ध में जो 1989 की नियमावली है उसमें गाड़ी के नाम के बारे में संरचना, चेसिस, इंजन आदि के बारे में और निर्माता के बारे में प्राविधान किये गये हैं। माननीय सदस्यों का कहना है कि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाय लेकिन जो नियमावली है उसकी परिधि के अंदर यह गाड़ियां नहीं आती हैं क्योंकि इनकी संरचना दूसरी होती है। यह नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं करती हैं। इन गाड़ियों से कोई दुर्घटना हो गयी, किसी की मृत्यु हो गयी तो आर०टी०ओ० कोई मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सूचना नियम—56 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि यह सदन परपराओं से और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से चलता है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने संभवतः पढ़ा होगा, तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने चुनाव के पहले और चुनावी सभाओं में घोषणा की थी कि जुगाड़ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा वह अनवरत चलते रहेगें। एक निर्वाचित सरकार के निर्वाचित मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की। उस घोषणा पर तमाम बेरोजगार लोगों ने पैसा खर्च करके अपनी मशीन बना ली और सरकार के आश्वासन पर अपना जुगाड़ चला रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नियमावली में प्राविधान नहीं है। यह नियमावली भगवान ने नहीं बनायी है। नियम सदन बनाता है। अगर नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है तो प्राविधान कर लें और पूर्व मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के

अनुसार हजारों लोगों ने जो गाड़ियां बना ली हैं उनको चलने दें। मुझे बताएं 1996 से लेकर 2002 तक यह जुगाड़ से सरकार चला सकते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा की यह सरकार है। टंडन जी और राजभर जी अलग–अलग चुनाव लड़कर बाद में मिलकर सरकार चला रहे हैं किसान जुगाड़ से ट्रैक्टर नहीं चला सकते इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर–

जो हमारे किसान का ट्रैक्टर होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। उनके भी नियम होते हैं। आर०टी०ओ० के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इन्हीं चीजों के नियंत्रण के लिए नियमावली बनी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जुगाड़ पर एक फैसला लिया तो यह एक व्यक्ति का फैसला था या मंत्रि परिषद् का फैसला था। उन्होंने तमाम जगहों पर जाकर कहा था कि मैंने तो आपका जुगाड़ कर दिया अब चुनाव में आप हमारा जुगाड़ करें। उस फैसले का क्या होगा। किसान इस जुगाड़ से अपना अनाज खेत खलियान से भर लाता है जानवरों के लिए चारा भूसा आदि लाता है। किसानों के ऊपर मोटर वैहिकिल एक्ट लगाएगें, उससे रोड टैक्स जमा करवाएंगे ? स्वाभाविक रूप से किसान यह टैक्स नहीं दे सकता है। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि किसान जुगाड़ से खेल खलिहान से सामान अपने घर ला सकें।

* श्री समर पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ जो जुगाड़ का उपयोग किसान लोग करते हैं वह केवल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं है। वह जुगाड़ को शहर में नहीं ले जाते हैं वह केवल उसे अपने खेत तक कृषि कार्य हेतु ले जाते हैं। कृषि सामान लाने ले जाने के लिए जुगाड़ का उपयोग करते हैं। अभी मंत्री जी ने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहीं बैलगाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है? पम्पसेट का रजिस्ट्रेशन होता है? यह शुद्ध रूप से कृषि कार्यो के लिए उपयोग में आता है। उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे उस श्रेणी में न रखें इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं होता है। अगर आप इसे रोकेंगे तो किसान पुलिस वालों को पैसा देकर इसे चलवायेंगे और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे पुलिस वालों को किसानों का उत्पीड़न करने का मौका मिल जाएगा। मेरा निवेदन है कि जुगाड़ जैसे चल रहे थे जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की थी उस आदेश का पालन होना चाहिए। जुगाड़ के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर यह सरकार पहले होती तो राइट बन्धु ने जो हवाई जहाज उड़ाया था उस पर प्रतिबन्ध लगा देती और कहती कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो नियमावली है उसमें संशोधन कर दिया जाए। उसमें इतना लिख लें कि सिवाय कृषि कार्य के इसका उपयोग नहीं होगा। इससे सरकार की आय बढ़ेगी वरना थानों में पैसादेकर जुगाड़ चलते रहेंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

यह जो जुगाड़ चलते हैं यह किसी नेशनलाइज वे पर नहीं चलते हैं। जहाँ परमिट की सुविधा से बसें चलती हैं वहां नहीं चलते, यह गाँव से गाँव चलते हैं। न तो इनको बन्द करने का कोई औचित्य है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि अभी एक शासनादेश गया है उसमें आर० टी० ओ० उनको बन्द कर रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस ऐक्ट में उनको बन्द कर रहा है। जब उन पर मोटर विहिकल ऐक्ट लागू नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर कौन सी धारा में उनको पकड़ रहे हैं और थाने में बन्द कर रहे हैं। मान्यवर, उनका उत्पीड़न हो रहा है। यह समर पाल जी ने सही कहा है इससे पुलिस वालों की चान्दी वन जायेगी। मान्यवर, जुगाड़ आज एक आवश्यकता बन गई है वहां किसानों की। अपना कृषि का कार्य करने और सामान ढोने के लिये उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ कभी उनकी बहिन बेटियां बाजार जाना चाहती हैं तो वह उससे चली जाती हैं और वह भी टाउन एरिया के बाहर जैसे बैलगाड़ी और बुग्गी बगैराह रहती है, उसी तरह से बाहर ही रहता है, अन्दर नहीं जाता है।

* श्री तेज पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस जुगाड़ की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं अगर किसान उसको अपने इस्तेमाल में करता है तो उससे किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है लेकिन यदि वे इससे सवारियाँ ढोते हैं, मान्यवर, सरकार का और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि सबका जीवन सुरक्षित रहे। जब मान्यवर, वे सवारी ढोते हैं और कोई एक्सीडेंट कर देखते हैं, किसी की जान चली जाती है तो रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से, वह बीमा से अनुबन्धित नहीं होता। अगर किसान जुगाड़ का प्रयोग अपने कार्य के लिये करता है तो कोई बात नहीं लेकिन वह उससे हटकर यदि सवारियाँ ढोता है तो इसके लिये बीमा की व्यवस्था हो और उसको परमिट भी तब दिया जाय। बीमा से आच्छादित नहीं होते हैं तो एक्सीडेंट करके किसी की भी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं और उन पर किस ऐक्ट के तहत मामला बने, यह नहीं हो पाता है। पुलिस थाने ले जाये तो पूछा जाता है कि किस धारा में बन्द करें। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऐक्ट लागू नहीं होता है किस धारा में बन्द करें। यह बात सही है कि किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग हेतु इसकी छूट दे दी जाय लेकिन किसी तरह से उसको बिजनेस का रूप लेकर सवारी ढोते हैं तो पूरी मानवता के साथ, मानव जीवन के साथ खेलने का माहौल बन जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूँ कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि मोटर विहिकल ऐक्ट की धारा के अन्तर्गत एक आवश्यक है कि चेसिस का नम्बर हो, इंजन का नम्बर हो, तब ही रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसमें तो कोई नम्बर नहीं होता है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इस पर व्यवस्था भी चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जब माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे जुगाड़ चलेंगे इसके लिये जी० ओ० किया था। जी० ओ० नम्बर बता दें। मोटर विहिकल ऐक्ट की कौन सी धारा में जारी हुआ। या तो वह जारी हुआ या फिर मंत्रि परिषद् में बैठकर तय हुआ था। आपने या तो यह निर्णय किया है कि पिछली सरकार के मुख्य मंत्री के निर्णयों के पलटने का काम करेंगे तो ऐसा किया होगा। हम तो सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं। पिछली सरकार ने जो जी० ओ० मोटर विहिकल ऐक्ट के तहत जारी किया था तो इस सरकार के सामने कौन सी मजबूरी आ गई कि वह उसको वापस लेने जा रही है।

आवास, नगर विकास पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास,

पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री, (श्री लाल जी टण्टन)–

मान्यवर, किसी सरकार को कैबिनेट के द्वारा लिये गये निर्णय, किसी शासनादेश या किसी अधिकारी के एक आदेश जारी करने से खत्म नहीं होता है। जुगाड़ जैसे पहले चलते रहे हैं वैसे ही चलेंगे। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इधर के सदस्यों की और उधर के सदस्यों की भावनाएं आई कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाय या कुछ हो जाय तो उस पर नियंत्रण करने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई व्यवस्था नहीं है, यह बेचारगी न हो। लेकिन यह किसानों के हित में, जिन्होंने अपनी बृद्धि से ऐसा वाहन बना लिया है जिसमें कम खर्चा है, ज्यादा लागत नहीं है उसका वह कृषि कार्य में उपयोग कर रहे हैं उनके लिये वह व्यवस्था जारी रहेगी अगर उसका दुरुपयोग करते हैं, या उसका प्रयोग व्यवसायिक कार्य में करते हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा अगर नियमों में प्राविधान की आवश्यकता होगी तो इसको किया जाएगा।

(व्यवधान)-

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कैबिनेट में यह तय हुआ था कि जुगाड़ की छूट दी जाएगी। डिस्कशन में यह भी आया था कि जुगाड़ विलेज रोड पर चलेंगे। टण्डन जी दुरुपयोग की बात यह रहे हैं कैबिनेट में डिस्कशन हुआ कि जुगाड़ विलेज रोड पर चलेगा।

(व्यवधान)

मेन रोड पर और सवारी ढोने के लिये भी कहा गया, इसमें आप बता दें।

श्री लाल जी टण्डन–

इसमें उचित होगा, माननीय सदस्य कह रहे हैं इसमें क्या कठिनाई है आपस में हम बैठकर बातचीत कर लेंगे, किसानों को हानि हो ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो या इससे हानि हो इस पर बैठकर विचार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मदन चौहान, नगर विकास मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है यह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है।

एक माननीय सदस्य– एक मिनट मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार का उत्तर आ गया है मैंने दूसरी सूचना ले ली है।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जनपद फैजाबाद में किसान सुनील तिवारी की हत्या हुई .....

(व्यवधान)

(दो सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, अवधेश प्रसाद जी के क्षेत्र की घटना है मैं अपना समय इनको दे रहा हूँ इनको बुलवा लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर सूचना पर हैं वह पहले बोल लें, बाद में अवधेश प्रसाद जी बोल लेंगे। आप बोल रहे हैं या नहीं वरना रामकरन जी को बुला लेता हूँ।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर जो प्रदेश में स्थिति पैदा हो गई है कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है लोग परेशान हैं, सूखे के कारण लोग पलायन कर रहे हैं कहीं हत्यायें हो रही हैं। मान्यवर फैजाबाद में सुनील तिवारी किसान की हत्या फैजाबाद में हो गई।

मान्यवर, यह किसान थे। इनके दो पुत्र और पुत्रियाँ थी। गांव में कुएं में जाकर इन्होंने अपनी जान दे दी भूख से। पुलिस वाले लाश ढूँढने के बजाए इनके ऊपर इनके नाम से रिपोर्ट लिखा दी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह माननीय अवधेश प्रसाद जी के क्षेत्र का मामला है इसको सुन लिया जाय। यह मौके पर गये भी हैं।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम–56 के तहत कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार कहती है कि यह किसी को भूख से मरने नहीं देगी। हम लोगों की सुविधाओं के लिए खाद्यान्न योजनाएं चलायेंगे। मान्यवर, भूख तो समदरसी होती है, वह ब्राह्मण के बेटे को भी लगती है। दलित के भी बेटे को लगती है। मान्यवर, 2/8 रात की यह फैजाबाद की घटना है। श्री सुनील तिवारी के दस वर्षीया बेटी, वर्षा, आठ वर्षीया पुत्र आनन्द, मनीष कुमार, आयु चार साल तथा किशुना डेढ़ वर्ष के बच्ची है। भूख नहीं बरदास कर पाये तो कुएं में कूदकर जान दे दी। इस राज्य में आदमी भूख से मर जाता है, वह आत्महत्या करता है और यह सरकार कहती है कि हम धनधान्यपूर्ण हैं। मान्यवर, यह तो वैसे ही हुआ कि एक पागल राजा ने ढिंढोरा पीटा कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं है। मान्यवर, मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य में अकाल पड़ा, तमाम भूखे लोग हैं, कोई टी०वी० का पेसेन्ट होगा, किसी को ज्वर होगा, किसी को मस्तिष्क ज्वर होगा और आने वाले दिनों में वह तड़प-तड़प कर मरेंगे और सरकार यह कहती है। वह रोग से परेशानी से मर गया।

मान्यवर, इंसान के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। जब उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो वह बीमारियों का शिकार हो जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। मान्यवर, हमारे आपके बच्चे हैं अगर हम उनको भोजन नहीं देंगे तो वह रोने लगेंगे और फिर हमारे मन में यह आयेगा कि ऐसी जिन्दगी से तो मौत ही अच्छी है जब हम अपने बच्चों को भोजन नहीं दे सकते हैं तो इस जीने से क्या फायदा। मान्यवर, सुनील तिवारी जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। लेकिन जिलाधिकारी और कप्तान मिलकर दूसरी रणनीति बना रहे हैं। वे बार-बार इस आत्महत्या को छिपाना चाहते हैं यह सरकार छिपाना चाहती है क्योंकि सबके सामने उनकी पोल खुल जायेगी। यह सरकार कहती है कि हम गरीबों, दलितों के हिमायती है और मेरे राज्य में कोई भूखा-प्यासा नहीं मरेगा, सबका सम्मान होगा, सबको अनाज मिलेगा लेकिन इसी राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में लाखों लोग भूखों से मरेंगे और यह कह देंगे कि रोग से मरे हैं, परेशानी से मरे हैं। आप इस पर ध्यान दें। मैं सदन की कार्यवाही को रोककर इसपर चर्चा की मांग करता हूँ। यह लोक महत्व का विषय है अविलम्बनीय है इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह अवधेश जी के क्षेत्र का मामला है आप कृपया सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम करन आर्य, श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल जी के हस्ताक्षर हैं। पहले मैं उनको सुन लूंगा। उसके बाद इन्हें अवसर दे दूँगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुकम्पा का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस हृदयविदारक और लोम हर्षक घटना पर सुनने का अवसर दिया.....

मान्यवर, यह मर्मआहत करने वाला विषय है। यह राजनीतिक विषय नहीं है। आजादी के 56 वर्ष के बाद भी ऐसा हो रहा है। हम लोग इस सदन के सदस्य हैं और यह सरकार गरीबों की और दलितों की हितैषी होने का दावा करती है तो इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि क्या आजादी के 56 वर्षों के बाद भी प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि एक पिता और एक माँ जो अपने बच्चे को 9 माह अपनी कोख में रखती है, प्रसव पीड़ा सहती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक पिता अपने क्रूर हाथों से अपने 4-4 बच्चों को कुएं में फेंक दे और वह भी सिर्फ इसलिए कि वह उनको खाना नहीं दे सकता। सोचिए कि किन परिस्थितियों में उस पिता ने अपने बच्चों को अपने हाथों से कुएं में फेंका। यह इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है।

मान्यवर, यह व्यवस्था का मामला है। यह नियम 56 में नहीं आता बल्कि यह नियम 56 की ग्राह्यता से भी ऊपर है। सुनील कुमार तिवारी जो फैजाबाद में एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। बाद में वह एजेंसी बंद हो जाने के कारण बेकारी का शिकार हो गया, भुखमरी का शिकार हो गया और अपने गांव में आया। मान्यवर, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और सत्र के प्रारम्भ में ही हम इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं कि प्रदेश में भयंकर सूखा और अकाल की स्थिति है उसी का शिकार वह किसान हुआ। बटवारे के बाद उसके पास 5 बीघा जमीन थी लेकिन सूखा पड़ने के कारण वह भी बेकार हो गयी और उसकी रोजी-रोटी मुश्किल में पड़ गयी। इसी भुखमरी के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसके पास बच्चों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। आज यह घटना फैजाबाद में हुई है। आज यह प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं हो रही है। यह जो मौतें हुई हैं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अन्न पैदा नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से राहत सहायता नहीं दी जा रही है। जिस तरह से सुनील कुमार तिवारी की मौत हुई है उसी तरह से दूसरे परिवार भी मारे जायेंगे और यह प्रदेश के लिए शर्म की बात होगी। आज प्रदेश में उड़ीसा के कालीहाट जैसी स्थिति हो गयी है। यह गंभीर घटना है। यह तात्कालिक भी है यह इसी 26 तारीख की घटना है। सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए इस पर चर्चा करानी चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज बहुत दुखी मन के साथ माननीय सदस्य इस बात को नियम 56 में रख रहे हैं। मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है। जिनका हृदय होगा वह जरूर दुखी होंगे। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में नहीं कह सकता। यह सरकार तो इतनी हृदयविहीन है कि शर्म भी नहीं आती। मुझे याद नहीं कि विगत कई वर्षों में कोई ऐसी घटना हुई हो कि किसी बाप ने अपने 4 बच्चों को अपने हाथों से जिनमें 10 साल से 15 साल तक के बच्चे थे, को बारी-बारी से मार दिया। वह भी केवल इसलिए कि वह उनकी परवरिश नहीं कर सकता था। यह उत्तर प्रदेश की आज की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। आज उत्तर प्रदेश में निराशा क्यों है? इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। इससे शर्मनाक कोई स्थिति नहीं हो सकती।

मान्यवर, मैं जानता हूँ कि यह कहा जा सकता है कि क्षणिक आवेश में किया गया, नशे की हालत में किया गया, बीमार या इसलिए किया गया लेकिन इस दलील को मैं नहीं मानता हूं। मान्यवर, वह सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात था, काम कर रहा था और अपने खेत में खाद डाल रहा था इस तरह से वह श्रम करने का भी आदी था तो उसमें कौन सी कुण्ठा और निराशा थी कि उसने अपने चार मासूम बच्चों को मारा। मान्यवर, एक व्यक्ति का कृत्य नहीं है यह प्रदेश की जनता की निराशा को परिलक्षित करता है कि मौजूदा राज्य में लोग मरना पसन्द कर रहे हैं जीना पसन्द नहीं। आप इसे उत्तर प्रदेश के कलंक के रूप में लें। कल-परसों जब यह खबर छपेगी तो हमारा सिर तो झुकेगा ही लेकिन यह जो सरकार है यह तो बेशर्मी की सारी इंतहा ही पार कर गयी है।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि प्रदेश में भुखमरी नहीं है, अकाल नहीं है। आज यह साबित हो गया है कि सरकार ने गलत बयानी की है। आज अकाल के कारण लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यह घटना प्रदेश के मौजूदा शासन के लिए एक कलंक है कि जब परिवार को भोजन न मिले तो उनका बाप अपने चार बच्चों की कुएं में फेंक कर मार दे। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण घटना है। माननीय विधायक अवधेश प्रसाद जी के विधानसभा क्षेत्र की घटना है वे मौके पर गये भी थे उनको भी सुनने का कष्ट करें और इस घटना पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल का गांव दक्षिणपारा है जिसमें 4 मासूम बच्चों की कुएं में लाश बरामद होती है। यह घटना 25 तारीख की है मैं स्वयं फैजाबाद गया था और दस बजे जानकारी हुई कि कुएं में 2 बच्चे बरामद हुए हैं श्री सुनील कुमार के और उसमें पुलिस के अधिकारी भी गये हैं।

मान्यवर कल उस कुँवें में पानी पूरा निकाला गया और निकालने के बाद 4 बच्चों की लाश निकली और उसमें एक बच्चा जो है वह 4 साल का है, एक डेढ़ साल का है, एक आठ साल का है और एक दस साल का है। मान्यवर, गाँव वालों ने जैसा बताया कि वह खाद ढो रहा था। वह अपने 4 बच्चों को साइकिल से लेकर गाँव से निकला और गाँव से निकलने के बाद फिर उनका पता चला नहीं, 4 बच्चों का पता चला और जब खोजवीन शुरू हुई तो पता चला इन 4 बच्चों की लाश का। यह बहुत ही दुखद और लोमहर्षक घटना है यह घटना इस तरह की घटना है कि श्रीमन, हमने अपनी जिन्दगी में कभी इस तरह की घटना नहीं सुनी। यह होता था कि कुछ महिलायें अपने बच्चों को घर की किसी परेशानी को लेकर जान दे देती थी कुँवें में कूदकर या ट्रेन से, कट जाती थी लेकिन यह घटना बहुत ही दुखदाई है, लोमहर्षक है, हृदयविदारक है, पूरे गाँव में मातम है और हजारों हजार की संख्या में लोग उस कुँवें को देखने के लिये आ रहे हैं। और हालत यह है कि यह सुनील कुमार तिवारी जिसकी उम्र 40 साल के लगभग है वह भी गायब है और जिस साइकिल से गया था जिससे बच्चों को लेकर गया था उसका भी पता नहीं, यह भी पता चला है कि उसकी पत्नी भी घर पर नहीं है। यह बड़ी दुखद घटना है।

हम सरकार से माँग करते हैं कि इसकी बहुत ही उच्चस्तरीय जाँच करके 2-3 दिन के अन्दर सरकार इस पर वक्तव्य दे। इसमें दो तीन बिन्दु हैं एक तो 4 बच्चों की लाश, दूसरे यह जिनके बच्चे हैं वह घर से गायब है और उनकी पत्नी भी नहीं है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया है। मान्यवर, यह एक लोमहर्षक घटना है वहाँ का वातावरण बड़ा हृदय विदारक है। इसलिये में माँग करता हूँ कि इस हृदय विदारक घटना पर सरकार जाँच पड़ताल करके उच्चस्तरीय जाँच करके वक्तव्य दे जिससे कि सारी स्थिति साफ हो सके और इस घटना पर पूरी तरह से इस आदरणीय सदन को अवगत हो का मौका मिले।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, घटना अत्यन्त ही हृदयविदारक है। संवेदनशीलता और मानवता इंसानियत से हटती जा रही है यह उसका एक संकेत है। दिली तौर पर दुखी होकर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को जिन्दगी देने का हक नहीं है तो लेने का भी हक नहीं है लेकिन आज करोड़पति भी आत्महत्या कर ले रहा है और भीख माँगने वाला भी आत्महत्या कर ले रहा है। मान्यवर, आखिर कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि वह दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाता है अभी आपने तमाम अखबारों में पढ़ा और सुना होगा कि बड़े-बड़े डाक्टर और आई० ए० एस० आत्महत्या कर रहे हैं, जो परिपूर्ण हैं, सम्पन्न हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब कुछ उनके पास हैं फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। यह कहीं न कहीं विवेक शून्यता का सवाल है जो दुखद घटना घटी है। यह 25-8-02 की घटना है 12 बजे दिन की इसमें 4 बच्चों को कुँएं में डालकर जो हत्या की गयी और इस प्रकरण को मान्यवर, इसलियें संवेदनहीन कहा गया कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसकी पत्नी ने खुद ऐसा कहा कि मेरे पति की वजह से घर में पारिवारिक कलह थी। मेरे पति भांग का सेवन करते थे, और सभी इससे परेशान थे। उसके पास जमीन भी है छोटामोटा कारोबार भी है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है कोई कारोबार भी नहीं है वह भी संघर्ष करके जिन्दा रहने के लिए तैयार हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी मान्यवर, पत्नी ने कहा कि पति ने हत्या किया है मेरे बच्चों की। पारिवारिक कलह थी भाँग का सेवन करते थे। इस तरह की जो मार्मिक घटना हुई है। माननीय सदस्यों ने कहा कि उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय कि यह घटना क्यों घटी है।

इस संवेदनशील घटना को हम अकाल से जोड़ दें तो कहीं न कहीं आप दूसरे मद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस परिवार में एक अनाज का दाना भी न हो ऐसे परिवार भी कहीं न कहीं जिन्दा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी को दाना उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं, ऐसे परिवार अभी भी मिल रहे हैं। इस सूचना के संदर्भ में यह ही कहना है कि एक लम्बी पारिवारिक कलह थी और श्री सुनील कुमार तिवारी भाँग का सेवन करते थे। चार बच्चों के साथ जो किया गया वह हृदय विदारक है, दुःखी करने वाला है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बच्चों की मौत का मामला है, उच्च स्तरीय जाँच या जैसा भी कहा जाये ठीक है। इस संवेदनशील घटना के बीच कहीं न कहीं पारिवारिक कलह, कहीं न कहीं बुरी आदतों के परिणाम हैं कि बच्चों को इस दुनिया से जाना पड़ा। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। इसमें उनकी पत्नी का सीधा-सीधा आरोप रहा है इसलिये यह सूचना नियम 56 में ग्राह्य नहीं है।

* नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खाँ)–

अधिष्ठाता जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बड़े लोग आत्महत्या करते हैं तो उनकी बड़ी समस्याएं होती हैं "कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली" बड़े लोगों से इस गरीब आदमी के 4 बच्चों की हत्या को नहीं जोड़ा जा सकता। जो बड़े लोग हत्यायें करते हैं, उनका फाइव स्टार, थ्री स्टार होटल का झगड़ा होता है। यहां दो तरह की बातें आ गयी हैं एक तो प्रमोद तिवारी ने घर के हालात के बारे में बात की है, अभी तिवारी जी खुद नहीं मिले हैं। सरकार के बयान में यह बात नहीं आई कि बच्चों का बाप कहां है। चार बच्चों को डुबोकर मारा है या कैसे मारा है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है। पहले मारा है बाद में फेंका है या डुबोया है। दूसरे कि बच्चों का बाप कहाँ है? सरकार की तरफ से यह भी जानकारी मिलनी चाहिए, कल तक मिल जाये और यह भी जानकारी मिले कि बच्चों का बाप कहाँ है? बच्चों के लिए आदमी जीता है और उन बच्चों को मार दे।

यह बताना मान्यवर, बहुत सुन्दर बात नहीं है कि वह भांग खाता था, नशा करता था। इसका मतलब यह है कि नशा करने वाले तमाम लोग अपनी औलादों के दुश्मन हैं, यदि नशा ऐसी चीज है तो सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक तरफ तो शराबखाने खोले जाते हैं। गांजा, भांग से सरकार को आमदनी होती है। यह कहना कि नशा की वजह से चार बच्चों को डुबो दिया गया, यह बात अच्छी नहीं लगी। यह बात साफ होनी चाहिये कि बच्चों को मारने की वजह क्या थी, पैसे को लेकर हो या हालात को लेकर हो, यह जिम्मेदारी किस पर आती है। सरकार पर आती है, ऐसा कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बावरिया गिरोह था, उसने मार दिया या कच्छा बनियान गिरोह ने मार दिया। इस तरह आप पल्ला नहीं झाड़ेंगे कि अन्दरूनी कलह थी, मियाँ-बीबी का झगड़ा था इस बात के लिये था कि बच्चों के लिये खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है। क्या इसके लिये एक बाप अपने 4 बच्चों को ले जाकर डुबो देगा, मार देगा? गरीबी हावी हो गयी तो एक बाप अपने 4 बच्चों को मारने के लिये मजबूर हो जायेगा? यहाँ सदन में किसी अमीर आदमी की हत्या की बात आज तक नहीं उठी, गरीबों के लिये ही उठी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भी सदन में किसी पूँजीपति की मौत या आत्महत्या के लिये नियम-56 में सवाल नहीं लाया गया, गरीब आदमी की मौत पर सवाल लाया गया है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जवाबदेही करनी चाहिए। सरकार को यह देखनी चाहिए कि खानदान खुशहाली से चले, घर खुशहाल हों, पैसे की समस्या न हो। अकाल की बात आयी है। क्या अकाल के असरात शहरी लोगों पर या किसान के अलावा दूसरे लोगों पर नहीं पड़े हैं? आज जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वह नाकाफी है। कल बच्चों के बाप का पता चलना चाहिए कि वह कहाँ है, बच्चों की माँ के साथ सरकार ने क्या हमदर्दी का बर्ताव किया है? कल तक सरकार जवाब दे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी दुःखी मन से इसको स्वीकार करेंगे और शायद इस घटना से प्रेरणा लेकर उनके गोदामों में जो अनाज भरे हुये हैं, किसी खास योजना के अन्तर्गत "फूड फार वर्क" की घोषणा कर देंगे जिससे और मौतें न होने पायें। सूखा, अवर्षण और अकाल के कारण लोगों ने मौत को गले लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी एक सुरक्षागार्ड था, जिसके पास बच्चों के इलाज के लिये पैसा नहीं था बच्चे की हत्या की। उसकी स्थिति का अंदाजा दुःखी मन से लगा सकते हैं जब उसे सब तरफ से अंधेरा दिखायी दे रहा होगा, कोई उजाले की किरण नहीं नजर आ रही होगी नहीं तब उसने मासूम बच्चों को मौत के हवाले किया होगा। आज कोई ऐसी योजना की घोषणा कर देते जिससे फैजाबाद जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये। कहा गया कि भांग खाकर हत्या कर दी गयी। भाँग खाकर वह अपने परिवार की हत्या नहीं कर सकता। भाँग खाकर तो लोग देश और प्रदेश चला रहे हैं। मान्यवर, ये भाँग खाकर पूरे प्रदेश को कुँए में न ढकेल दें। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि जो मौत हुई है वह भूख के कारण, अकाल के कारण, अवर्षण के कारण हुई है। सरकार द्वारा भूखों को सहायता न दे पाने के कारण हुई है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम करन आर्य, श्री अवधेश प्रसाद, श्री सीताराम निषाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार मा० नेता प्रतिपक्ष एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने सदन में जो सूचना दी है, वह अविलम्बनीय और लोक महत्व की है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कानपुर में गंगा के किनारे सिविल लाइन स्थित एक विशाल छात्रावास है डी० ए० वी० कालेज छात्रावास, जिसमें दो से तीन हजार विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है लेकिन मान्यवर, 12 नवम्बर, 1981 को प्रबन्धतंत्र की साजिश से प्रशासन के द्वारा उस छात्रावास की सख्ती से प्रशासन ने खाली करा दिया, जिसमें मान्यवर कानपुर देहात, फतेहपुर, बगल में हमीरपुर और जालौन, कन्नौज, उन्नाव, फर्रुखाबाद आदि आस-पास के कई जिलों के निर्धन और गरीब परिवार से सम्बन्धित छात्र थे, किसान परिवार से सम्बन्धित थे, जिनका यहां पर रहने का कोई स्थान नहीं था, उन गरीब परिवार के विद्यार्थी वहां उस छात्रावास में रहकर अध्ययन करते थे। मान्यवर, उस छात्रावास को खुलवाने के लिए छात्रों ने आन्दोलन किया और वह छात्रावास ऐतिहासिक छात्रावास है। आजादी की लड़ाई से जुड़ा छात्रावास है। जिस छात्रावास में रहकर के शहीद चन्द्रशेखर और भगत सिंह जैसे लोग आजादी की लड़ाई की रणनीति बनाते थे और वहां रणनीति बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मान्यवर जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ये भी उस छात्रावास में रहकर के विद्या अध्ययन करने का काम करते रहे हैं।

मान्यवर, इस छात्रावास के बन्द हो जाने से छात्रों में आक्रोश है, विशेषकर हमारे गांवों के किसान के गरीब परिवार से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों को दिक्कत है। मान्यवर, डी० ए० वी० कालेज में 20 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज वह रहने के लिए भटकता है। मान्यवर, कानपुर जैसे नगर में अगर किसान परिवार से सम्बन्धित छात्र है तो मान्यवर, उसको छात्र के नाम पर कमरा नहीं देते और सिविल लाइन से दूर 15-20 किमी० दूर इन छात्रों को रहना पड़ता है और साइकिल से वह कालेज आता है। इसको खुलवाने के लिए छात्र नेताओं ने, मैं भी 12 नवम्बर, 1981 में मैंने बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था और उस कालेज में छात्रावास में मुझे भी 4-5 महीनों तक रहने का अवसर मिला है, वहां पर रहने पर घोर संकट है और इसको खुलवाने के लिए छात्र नेताओं ने आन्दोलन किये, यहां तक कि पद-यात्राएं की गईं, कई-कई बार जेल भरो आन्दोलन हुए। 1984 में कानपुर में जेल भरो आन्दोलन हुआ, जिसमें तीन महीने जेल में रहकर उन्होंने अपनी आवाज को बुलन्द किया, उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे श्रीपति मिश्र जी, उनके यहाँ तक आवाज आयी, उन्होंने एस०डी० बागला जो उस समय इलाहाबाद में कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाकर, इसकी जाँच सौंपी थी। इसके बाद सभी विद्यार्थी नेता और विद्यार्थी जेलों से बाहर आ गए, इस उम्मीद से कि अब छात्रावास खुल जाएगा लेकिन प्रबन्ध-तंत्र की साजिश से, जिसका दयानन्द शिक्षण संस्थान है कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं हैं, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत के सबसे बड़े माफिया हैं जिनके 35-40 के करीब, डिग्री, इण्टर, कालेज और पब्लिक स्कूल हैं उन्होंने इस संघर्ष विद्यार्थी आन्दोलन की आवाज को सदैव दबाने का काम किया है।

1993 में मैंने इसी सदन में इस छात्रावास के खोले जाने के बारे में मांग की थी। आज इस छात्रावास के प्रबंधक इसको पुलिस के लोगों को और अन्य कर्मचारियों को किराये पर उठाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। आज छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है। छात्र आंदोलित हैं। मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस छात्रावास को तत्काल खुलवाये। लखनऊ विश्वविद्यालय का आवासीय छात्रावास भी खाली कराया गया था लेकिन उसको फिर छात्रों को आवंटित किया गया। मेरी यह भी मांग है कि जो बागला कमीशन की रिपोर्ट है जो छात्रों के हित में है उसको सदन में रखा जाय और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस छात्रावास को खुलवाने का काम करे। यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह महाविद्यालय निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित है और यह छत्रपतिसाहू जी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। छात्रों के संबंध में माननीय सचान जी ने जो कहा है, मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रकरण लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें क्या परिस्थितियां हैं इसको मैं दिखवा लूंगा और माननीय सचान जी से सहयोग चाहूँगा। माननीय सचान और हम लोग बैठकर निर्णय ले लेंगे और नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। नियम-56 में यह ग्राह्य नहीं है।

श्री राकेश सचान–

आप तो दलितों के मसीहा हैं इसको खुलवाने में परेशानी क्या है?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सचान जी ने बागला कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है। जब आप सचान जी के साथ इस विषय पर विचार करें तो उस रिपोर्ट को देखकर विचार करें और जो भी छात्रहित में निर्णय ले सकें वह लीजिये। कार्य स्थगन के रूप में इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री सूरज सिंह शाक्य–

अधिष्ठाता महोदय, आपने नियम 56 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। 20-8-2002 को सुबह 6.30 बजे गंज डुंडवारा के अन्तर्गत अखतई गांव में अपने घर दो शाक्य धर्म पाल एवं एक अन्य बैठे हुए थे। एक अन्य श्याम वीर सिंह अपने साथी के साथ हथियार

लेकर आये और उन पर फायरिंग किया। वह लोग छुप गये। फायरिंग करने वाले चले गये। बाद में वह पुलिस से मिलकर फिर फायरिंग किये जिसके कारण, यह शाक्य लोग त्राहि-त्राहि चिल्लाने लगे। पुलिस ने गुण्डों के साथ मिलकर 4 लोगों को पकड़ लिया जिसमें हरी किशन, राकेश, निरंजन, ओम प्रकाश को पकड़ ले गई। यह ठाकुर लोग फायरिंग कर रहे थे सी०ओ० भी आ गये। इन्होंने ठाकुरों की तरफ जाँच की और उनमें से एक छत्रपाल के घर से पुलिस ने एक बोरा कारतूस, 20-25 असलहे, कट्टे व अन्य हथियार व देशी बम बरामद पाये। यह विडम्बना देखिए उस पुलिस ने उन ठाकुरों सबको छोड़ दिया और शाक्य समाज के 4 लोगों को धारा 307 के अन्तर्गत जेल भेज दिया और ठाकुर समुदाय के लोगों छत्रपाल सिंह जिनके घर से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी एक बोरा कारतूस मिले थे उसे छोड़ दिया व दूसरे आदमी श्याम बहादुर सिंह का 3 कारतूस लगाकर दफा 25 में चालान कर दिया गया। कहावत है कि सैंया भए कोतवाल अब हमें डर काहे को। उन लोगों का हौसला बढ़ गया और निरंकुश तरीके से 21 तारीख को शाक्य समाज के लोग एस०पी० साहब के पास गये उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई एस०पी० मिले नहीं जिसके कारण वह शाम 6 बजे लौट रहे थे तो गदहपुर के पास 10-12 बदमाशों ने जाकर उनको रोका उनके हाथ में कट्टे थे उन्होंने फायरिंग की। उन्होंने रमेश व हरी सिंह दो लड़कों को उतार लिया व उनको गोली मार दी। एक लड़का रमेश अपनी मां की गोद में छिप गया उसको भी मार दिया। गंज डुन्डवारा थाने की पुलिस ऐसे अपराधी लोगों से मिली हुई थी। 20 तारीख की घटी घटना की शिकायत करने एस०एस०पी० एटा से करने गये थे रास्ते में यह घटना हुई। गंज डुंडवारा की पुलिस पहले से ही मिली हुई थी। पुलिस ने ठाकुर समाज के मुल्जिमों को पहले ही छोड़ दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ एस०एस०पी० एटा को जो उनको सूचना मिली उन्होंने सभी थानों को आदेश दिया कि जो मुलजिम मिलें उसको अरेस्ट कर लिया जाए।

मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस इस तरह बदमाशों से मिलकर हत्या करा रही है। इसमें सी०ओ० व थानाध्यक्ष भी मिले हुए हैं। जैसे ही एस०एस०पी० को पता चला उन्होंने सी०ओ० व एस०ओ० को हटा दिया। मेरी मांग है कि हटा देना पर्याप्त नहीं है उनके खिलाफ 120 बी० का मुकदमा दर्ज किया जाये। यह लोग जहां कहीं जायेंगे इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या कराते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अपराधियों को पुलिस से सांठ-गांठ न करने दें व जो दो लड़के रमेश व हरी सिंह निवासी अखतई मारे गये हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए व एस०ओ० निगम और सी०ओ० त्रिपाठी पर 120 बी० का मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यही मेरी आपसे मांग है। व आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाए।

[समय 3.00 बजकर 20 मिनट]

* श्री शिशुपाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह घटना जघन्य है और जनता में रोष है। यहाँ पर दो दिन के अन्दर इतनी बड़ी घटना घट गई वह भी केवल पुलिस के बदमाशों के मिले होने की वजह से। घटना बिल्कुल साफ है। 20 तारीख को जो घटना हुई शाक्यों के ऊपर फायरिंग की गई। हथियारों का जखीरा जब पकड़ा गया था यदि उसी दिन पुलिस कार्यवाही कर देती तो 21 तारीख की घटना न घटती। 20 तारीख को घटना के दिन जिनसे हथियार पकड़े गये उसमें सिर्फ तीन कारतूस लेकर दिखा दिया लेकिन जिनके पास हथियार नहीं थे, शाक्य जाति के लोग, उन पर 307 लगाकर चालान कर दिया गया। विशेष बात यह है कि घटना जिस गांव में हुई वह अमारपुर थाने से मात्र डेढ़ कि०मी० दूर है। हत्यारे हत्या करने के बाद 21 तारीख को सीधे गंज डुंडवारा थाना पहुँचते हैं जो कि घटनास्थल से 7 किमी० दूर है। अमारपुर से थाना केवल डेढ़ कि०मी० दूर है। यह साफ निकलता है कि हत्यारे पूरी तरह से गंज डुंडवारा थाने की पुलिस से मिले थे। सीधे अपनी गाड़ी से गये और वहाँ जाकर सरेन्डर कर दिया।

---

* अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह चाहते थे कि दफा 25 या और किसी में चालान कर दिया जाय। एस०एस०पी० को जानकारी हो गई और उन्होंने घेराबन्दी कर दी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो सी०ओ० हैं वहाँ पर मिस्टर त्रिपाठी। मान्यवर, जब वह कानपुर में थे आपको शायद ध्यान होगा कि थाने के अन्दर एक हत्या कर दी गई थी, उस समय यह कानपुर में मौजूद थे। कहते भी हैं कि जहाँ रहता हूँ एक आध मर्डर हो जाता है। मेरा आग्रह है कि इन दोनों अधिकारियों को पटियाली के सी०ओ० और गंज-डुंडवारा के सी०ओ० के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। जो पीड़ित परिवार के आश्रित हैं उनको 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाय। इस जघन्य घटना को देखते हुए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री सुखदेव राजभर–

20 तारीख को साढ़े छः बजे घटना घटित हुई उसी सन्दर्भ में बताया गया है। मान्यवर, शाक्य लोग जा रहे थे और कुछ बदमाशों ने हमला किया जिसमें यह हत्या हो गई। यह गम्भीर घटना है और हमने इसको गम्भीरता से लिया है। दबंगों ने मारा है, हमला किया है इस सन्दर्भ में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, हम चिन्हित करके दर्ज कर रहे हैं। आतताइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक आतंकित रूप से शाक्य समाज पर हमला किया है। मान्यवर, यह नियम-56 में ग्राह्य नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसको अग्राह्य पाता हूँ। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई.....

श्री सूरज सिंह शाक्य–

मान्यवर, 24-25 साल के जो लड़के मारे गये हैं। उनके सम्बन्ध में मृतक आश्रित को सहायता दिलवाई जाय। जिनका एक-एक बेटा था। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिये। उनके लिये घोषणा करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसमें जांच कराई जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। एक विवाद हुआ और उसका एक सदस्य बन गया। 20 तारीख को हुआ फिर 21 तारीख को हो गया।

श्री शारदानन्द अंचल–

जवान पत्नी है उसके भरण-पोषण का क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री और माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई हैं। श्री राम बिशुन आजाद, श्री बैजनाथ दुबे, श्री शिवप्रताप यादव, श्री रामजीत राजभर, श्री रामकिशुन, श्री किरनपाल सिंह, श्री कैलाश यादव, श्री शारदानन्द अंचल, श्री रामविशुन आजाद, श्री बैजनाथ दुबे, श्री शिव प्रताप यादव, श्री दिनेश सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री विजय कुमार मिश्र, श्री परमेश्वर दयाल, श्री कौशल किशोर, श्री आर०के० चौधरी इन सूचनाओं के चयनित न होने के कारण इनको अस्वीकृत करता हूँ।

(व्यवधान)

कानपुर के डी०वी०एस० कालेज के छात्रसंघ चुनाव में श्री प्रदीप यादव की मौत से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना।

श्री अधिष्ठाता–

विशेष उल्लेख के तहत श्री शिव कुमार बेरिया जी अपनी बात कहें।

श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख के तहत कानपुर की गम्भीर घटना को उठाने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सारे उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति व्याप्त है। कहीं गोरखपुर को गोधरा बनाने की साजिश की जा रही है कहीं बाराबंकी में गोली चल रही है। 3-3 बच्चों को गोली से उड़ाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत आपकी सूचना को लिया गया है। आप सूचना से संबंधित बात कहें।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर कानपुर में डी०वी०एस० कालेज में छात्रसंघ के चुनाव हो रहे थे उसमें दो गुट एक तो संदीप ठाकुर दूसरा मनोज यादव, दोनों का आपस में गेट पर झगड़ा हो गया। उसके बाद मनोज यादव का जुलूस कानपुर स्थिति बर्रा कार्यालय से चला। संदीप गुट के लोगों ने असलहे सहित जाकर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव को गोली से उड़ा दिया।

(व्यवधान)

पूरी तौर पर प्रशासनिक अक्षमता है एक तरफ तो यह कहते हैं कि शासन छात्र संघों के चुनाव कायदे से करा रहा है लेकिन मान्यवर, एक दिन पहले झगड़ा हुआ तो पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए था, सख्ती करनी चाहिए थी, क्या कारण था कि प्रशासन के रहते हुए लोग कट्टे, बन्दूक लेकर, रायफल लेकर चुनाव प्रचार में गये और एक जवान लड़के की मौत हो गई। मुझे लगता है इसमें प्रशासन ने सांठ-गांठ करके हमारी पार्टी के तेज तर्रार कार्यकर्ता को गोली से भुनवा दिया। जवान लड़का मार दिया गया किसी माँ बाप की अकेली संतान होगा, उसकी परवरिश होती, हो सकता है वह डाक्टर होता, इंजीनियर होता, कोई बड़ा अफसर होता। आज वह लड़का मार दिया गया उसके परिवार का सारा सुख-चैन छिन गया है। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, चूँकि प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही से घटना हुई है इसलिए इसमें कार्यवाही की जाए और इसमें उचित मुआवजा दिया जाए। मैं दस लाख मुआवजा देने की इसमें मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर विशेष उल्लेख में माननीय बेरिया जी को सुना। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर सरकार को संज्ञान लेने का निर्देश देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री राकेश सचान–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस सूचना पर बोलेंगे तो नहीं बोलने दिया जाएगा।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं भी कानपुर का हूँ। मुझे भी सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या–17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने अगली मद पुकार ली है। माननीय मंत्री जी आप सभी मदों को एक साथ रख दें। बाद में अलग-अलग कटौती रख दी जायेगी।

आवास एवं नगर विकास मंत्री–(श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,20,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,42,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,68,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (लालजी टण्डन)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,22,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,17,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या–90, संस्थागत वित्त विभाग, (मनोरंजन तथा बाजीकर) अनुदान संख्या–91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

आवास नगर विकास, पर्यटन, श्रम संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,85,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत के अतिरिक्त 90,04,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,62,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 22,80,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–22 खेल विभाग, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग, अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग

श्री लाल जी टण्डन—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,20,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 12,07,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,65,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि की जाये।

(इस बीच श्री वसीम अहमद अपनी बात कहने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

आपका अनुरोध है कि आप खेलकूद के बारे में अपने सुझाव देना चाहते हैं। जब इस पर मतदान होगा तो इसका संज्ञान में लेंगे।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध-शाला विकास) अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (क्रमागत)

माननीय मंत्री जी आप मद संख्या-13 की उप मद संख्या 1 से 5 पर विचार करें, बाकी पर विवाद नहीं है।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, पशुधन विभाग एक कल्याणकारी एवं रोजगारपरक विभाग है। इस बजट में संसाधनों की कमी के बावजूद भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, इस समय जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या निरन्तर घटती जा रही है। इसके कारण आने वाले समय में हमारे लिये कई तरफ के संकट पैदा हो सकते हैं। दुधारू पशुओं की संख्या लगातार गिरती जा रही है। यह इस बात का संकेत है कि अभी से सचेत न हुआ गया तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यवर, इंटीरियर में जो दुग्ध उत्पादक रहते हैं और उनको उनके दुग्ध उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है उनके लिये वहां पर छोटे-छोटे मिल्क पाउडर या चीज बनाने के कारखाने लगाये जाएंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके दुग्ध उत्पादों का उचित मूल्य भी उन्हें मिलेगा। मान्यवर, एक समस्या गौ पशुओं की हैं। जो सुन्दर नस्ल की गाय हैं, क्रास गाय हैं, विदेशों से जो लायी गयी हैं उनको ठीक करने में बहुत खर्च हो जाता है। जितना उनको ठीक करने में खर्च होता है उतना एक गाय को खरीदने में खर्च नहीं होता। कई तरह के रोग उनमें दिखाई दे रहे हैं। पहले यह गाय काफी दूध देती हैं लेकिन बाद में उनमें बाँझपन पैदा हो जाता है। और उसका खर्च झेलना मुश्किल हो जाता है। इसलिये घूम-फिरकर यह बात आ रही है कि हमारी देशी नस्ल की जो गायें हैं उनकी नस्ल के सुधार के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार निर्देशित किया गया है। मान्यवर, दुग्ध विकास के लिये आवश्यक है कि देशी नस्ल की गायों के सुधार की कार्यवाही शुरू की जाये यहां भी खोज शुरू हो रही है, विदेशों में हो रही है। पहले, बात थी कि यहां की देशी गाय अलाभकारी हैं। उनके ऊपर खर्चा ज्यादा होता है, दूध कम होता है आज मान्यवर, दूध जो है वह बाई-प्रोडक्ट है। उनके

मूत्र और गोबर की सारे विश्व में मांग है। आज जो धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है उसमें उसको खाद के रूप में विकसित करने की फिर से चेतना जागृत हो रही है। गोबर बिक जाती है और गो-मूत्र 5 रुपये लीटर तक बिक जाता है इस तरह से वह अलाभकारी नहीं है। इसलिये देशी गाय की नस्ल सुधार करायी जाये और उसका एरिया बढ़ाने के लिये वह हर घर में पाली जा सकती है, उसकी डेयरी बनायी जा सकती है।

इसी प्रकार मत्स्य विभाग में हम कठोरता के साथ लागू करने जा रहे हैं कि जो जनजीवी जाति हैं, जो परम्परागत तरीके से मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे हैं उनके नाम पर कुछ लोग धन व्यय कर के एक फर्जी सोसाइटी बनाकर किस तरह सारा लाभ हड़प लेते हैं उसका चेक करने की बात है। हम नियम बनाने जा रहे हैं कि सोसाइटी का परीक्षण होगा कि इसमें उस वर्ग के लोग हैं कि नहीं फिर उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उसमें यह भी देखा जायेगा कि कोई परदे के पीछे छिपा हुआ आदमी पैसा इन्वेस्ट करके शोषण करने का काम तो नहीं कर रहा है। अगर सोसाइटी के साथ आर्थिक संसाधनों की कमी होगी तो उसको बैंकों से ऋण दिलाने की योजना भी विचाराधीन है ताकि उस वर्ग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, हर योजना में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो अति गरीब हैं, अति पिछड़े हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिले और रोजगार मिल सके। मान्यवर, दुग्ध विकास तथा पशुपालन का एक दूसरे रिश्ता है और उसमें कई प्रकार के सुधार की बातें चल रही हैं।

मान्यवर, श्रम विभाग की जो बात है आज बदली हुई स्थिति में इस विभाग का जो काम है वह महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है उसके ऊपर चिन्तन शुरू हो गया है। मान्यवर, यह जो सेवायोजन कार्यालय हैं आज उनकी उपयोगिता बहुत कम हो गयी है। आज रोजगार दिलाने के लिये वैकल्पिक कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग के विभिन्न बहुत से ट्रेडस् ऐसे हैं जो अभी ट्रेनिंग सेण्टर हैं वहां पर वह नहीं चलाये जा रहे हैं। पुराने जमाने की चीजें चलाई जा रही हैं। पढ़ने-लिखने और प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार के अवसर आज कम हो गये हैं। आज इलेक्ट्रानिक्स की बहुत सी चीजों में जिनका निर्यात हो रहा है जिनमें एक स्किल लेवर की जरूरत है।

अगर उस पर ट्रेनिंग दी जाय और उनकी संख्या और अधिक बढ़ाई जाय तो मैं समझता हूँ कि लोग फिर से एक प्रशिक्षित मजदूर की तरह, और टेक्निकल जानकार की तरह समाज में काम कर सकते हैं वह स्वरोजगार करके कमाई कर सकते हैं तो यह सारे विभागों में योजना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो और जो सीमित संशोधन हैं उससे उनको कैसे लाभ पहुँचाया जाय जो उसका लाभार्थी है।

मान्यवर, खेल के बारे में हमारे जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे उसे पूरा विचार किया जायेगा लेकिन मान्यवर, मुख्य रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश खेल का माहौल बदल रहा है कई बच्चों को विदेशी की टीम के लिये चुना गया है कई लोग यहां के नाम कर रहे हैं सारे देश में आज उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है लेकिन जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है।

मान्यवर, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक उत्तर भारत में पहला रीजनल स्पोर्ट सेन्टर लखनऊ में बन रहा है बहुत बड़ी धनराशि से वह बनेगा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वह सेन्टर होगा। इसका लाभ सारे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। केवल एक नगर की बात नहीं है पहले यह प्रस्ताव था किसी और राज्य में जाने का लेकिन यह प्रयास करके उत्तर प्रदेश को मिला और लखनऊ में स्थान भी मिल गया और सारी अनुकूल स्थिति मिल गयी इसलिये यहां पर वह शुरू हो रहा है। जो खेल के मैदान हैं स्टेडियम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं हमारी कोशिश होगी कि उनको पूरा करें और प्राथमिक जरूरत यह है कि खेल के प्रति आकर्षण बढ़े ताकि बच्चों में जो प्रतिभा है वह उनके बाल्यकाल से सामने आने लगे और वह देश विदेश में खेल के जगत में नाम कर सकें।

मैं संक्षेप में इतने सारे विभागों के बारे में आपको बता रहा हूँ अगर आप इन विभागों के बारे में मेरे संक्षिप्त इंट्रोडक्शन से संतुष्ट हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ।

श्री कमाल युसूफ मलिक--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने पशुपालन, मत्स्य और दुग्ध विकास का बजट रखा और कोई खास बात नहीं कही उन्होंने कहा कि गायों की नस्लों में सुधार होना चाहिए। गाँवों के अन्दर जो गायें हैं उनका सुधार होना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इतना महत्वपूर्ण बजट रखा है। मान्यवर, मैंने एक सवाल किया था और उसके जवाब में इन्होंने कहा 25 हजार रुपया एक साल का एक अस्पताल का यह देते हैं। 60 रुपया 50 रुपया एक दिन का एक अस्पताल का पड़ता है। यह उनका बजट है और यह लेते कितना हैं यह एक आदमी से लेते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए 30 रुपये और प्राकृतिक गर्भाधान के लिए भी 30 रुपये।

मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है और कृषि पर आधारित सारा कारोबार है। आज गांव की हालत क्या है? गांव की हालत यह है कि चारागाह नहीं रह गये हैं। जानवरों की संख्या घटती जा रही है। हम लोगों के गांव में जिनके घरों में 4-5 भैंसे रहती थीं आज उनके घरों में जानवरों की कमी आती जा रही है। दूध में भी कमी आ रही है। यह कह रहे हैं कि दूध में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह किताब आपने पढ़ी है विभाग कितना जिम्मेदार है। तस्वीर में लिखा है देखें मा० श्री सोमपाल शास्त्री श्री रेवती रमण सिंह, भूतपूर्व कृषि मंत्री। दिवाकर विक्रम सिंह को रेवती रमण सिंह बना दिया यह इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं और इसके अन्दर आंकड़े पेश कर दिया। इनको क्या जरूरत है दवाओं की। हमारे निदेशक महोदय, भ्रष्टाचार के कटघरे में हैं। अखबारों में रोज विभाग के बारे में छपता है। जांचों के बावजूद कुर्सी पर काबिज, पशुपालन घोटालों में जांच के आदेश, पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी में भारी हेराफेरी, तूल पकड़ता जा रहा है। पशुपालन में वैक्सीन का मामला, जानवरों की महामारी में अफसरों की महामारी, मनचाही फर्मों से खरीदी गयी करोड़ों की घटिया दवाएं, खरीदनी थी दवा खरीद ली तौलिया, आर०सी० स्कीम के पैसे में खरीदी जा रही हैं तौलिया। रोज अखबारों में छपता है लेकिन विभाग ने कभी इसको नहीं देखा कि हमारे लिए क्यों लिखा जा रहा है। इनके संगठन में जो लोग हैं वह गये मंत्री के पास कि साहब यह लिखा गया है हमें साहब क्यों बदनाम कर रहे हैं अखबार वाले। कभी कंट्राडिक्ट नहीं किया। हम गलत हों तो हमें सजा मिले अखबार वाले गलत हों तो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया जाये।

जब फागू चौहान मंत्री थे तो उन्होंने 27-07-2001 तथा 23-11-2001 को "जिसकी कार्यवाही" उन्होंने कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा यह तौलिया कितने में खरीदी गयी हैं, उत्तर मिला एक सौ रुपये में, सचिव ने कहा कि 80-85 रुपये में। फिर इसमें जांच के आदेश दिये गये। इसमें बहुत से बिन्दु हैं। दवाओं की जांच के लिए कितने नमूने गये। सात नमूने। सात में कितने खराब हैं। सात में एक खराब है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब सात में एक खराब है तो क्यों खरीदे गये।

मान्यवर, जो जानवरों में खुरपका और मुँहपका की बीमारी हो जाती है, उसके संबंध में विभाग की तरफ से दिनांक 26-7-2001 को एक सरकुलर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस रोग में पशु सुस्त हो जाते हैं, उनको तीव्र ज्वर के साथ कंपकपी, लार का गिरना, बार-बार खुर पटकना आदि लक्षण होते हैं। इसी के साथ एक मुफ्त की दवाई भी बताई गई है। जो देवरहा बाबा समाधि स्थल, राजीव गुप्ता, सचिव, पशुधन एवं मत्स्य अथवा श्री शैलजाकांत मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। यह सरकुलर श्री ए०के० सिंह, निदेशक की तरफ से जारी हुआ है, इसमें है कि पहले पशुओं को चिन्हित किया जाय फिर रोगी पशु की पीठ पर एक ओर गेरू से श्रीकृष्ण लिखकर 12 बार श्रीकृष्ण लिखा जाय उसके बाद उसी क्रम में पशु की दूसरी पीठ पर 12 बार एक ही स्थान पर गेरू से अंगुली द्वारा श्री अर्जुन के नाम का अंकन किया जाता है। इस सरकुलर में पूरे विस्तार से खुरपका और मुंहपका रोग के उपचार हेतु पूरी उपचार विधि बताई गई है।

इस प्रकार मान्यवर, आप समझ सकते हैं कि यह विभाग कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। यदि इसी तरह जानवर ठीक हो जायं तो फिर विभाग की क्या आवश्यकता है। जो साहित्य दिया है, उसमें लिख दिया है कि खुरपका और मुँहपका में टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो एक तरफ तो किताब में कहते हैं कि बहुत आवश्यक है और दूसरी तरफ सरकुलर भी इस तरह का जारी कर देते हैं। मान्यवर, प्राधिकरण के नाम पर तमाम औजार खरीद लिये गये और बधियाकरण का प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में घटकर 7.76 प्रतिशत रह गया। पहले 10.28 था उससे पहले 10.65 था। इस प्रकार आपने सामान ज्यादा खरीदा और काम कम हुआ, इसकी चिन्ता माननीय मंत्री जी ने भी की है, यह तो इस विभाग का हाल है इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके अस्पताल हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है, आप गाँव के अस्पताल को देख लें, न वहाँ दवा है, न पशुओं के बाँधने की ठीक से जगह है, न कोई घर है, वह टपक रहे हैं, टूट रहे हैं और वहाँ जानवर नहीं रहते हैं और हम अपने को कृषि प्रधान प्रदेश कहते हैं।

अब मान्यवर, मत्स्य की बात आई, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि मत्स्य में जो जल क्षेत्र है, वह जल क्षेत्र मत्स्य विभाग के अन्दर होना चाहिये, चाहे वह जंगल का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, उसे मत्स्य विभाग की तकनीकी देखरेख में रखना चाहिये। इसी तरह मान्यवर, इनका जो मत्स्य बीज निगम है, उसे हाथी की तरह खड़ा कर रखा है, यह कितने घाटे पर है। आपके बड़े-बड़े जलाशय जमींदारी उन्मूलन के बाद आपके पास आये थे, आपने उनको मत्स्य बीज निगम को दे दिया, वह लगातार घाटे पर जा रहा है और वहाँ खाने-पीने का धंधा हो रहा है, उसने तमाम लोगों की प्राइवेट हैचरियाँ खुलवा दीं। आपने स्पष्ट कह दिया कि हैचिरियां खुलेंगीं फिर आप सरकुलर जारी कर देते हैं कि प्राइवेट हैचिरियों से बीज नहीं खरीदा जाएगा। आप क्यों नहीं बीज निगम से लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 80 प्रतिशत तो उसमें नैनी होती है और 20 प्रतिशत में अन्य रेहू वगैरह। आप प्राइवेट हैचिरियां खोल रहे हैं तो उनमें कम्पटीशन कर देंगे। मान्यवर, अब मेरा सुझाव है कि जो जल क्षेत्र हैं, मत्स्य विभाग का उन पर कन्ट्रोल होना चाहिए, कोई अन्य विभाग इसकी बेहतर जानकारी नहीं रख सकता। मान्यवर दुग्ध विकास की तमाम गांवों में तमाम जिलों में समितियां हैं अभी किसी माननीय सदस्य ने नियम 51 की सूचना में बताया कि तमाम पैसा बाकी है। गाजीपुर में जिला सोसाइटी उनसे दूध ले लेती है लेकिन पैसा नहीं देते हैं। सिद्धार्थ नगर में इसके विकास हेतु 36.62 लाख रुपये अवमुक्त किया जाता है, लेकिन इसमें अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, आप इसमें पता लगाएं। मान्यवर, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा था, एक कोई संस्था है जिसने कहा था कि अगर दूग्ध उत्पादन हालत यही रही तो दूध के मामले में हम बहुत संकट में पड़ जाएंगे इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण अंचलों में दूध नहीं है बल्कि उनके दूध की सही खपत नहीं है, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है सही दामों पर। उनके दूध का आप इन्तजाम करें तो उनका ध्यान भी दुग्ध उत्पादन की तरफ जाएगा। मैं इसी के साथ अपने तमाम साथियों से कहता हूँ कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दें और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।

डा० वकार अहमदशाह–

मान्यवर, अब इसमें मतदान करा लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो इस पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय मैं अनुदान का समर्थन करते हुये बालश्रमिकों के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार देना चाहूँगा। हम सब यह जानते हैं कि किसी भी माँ के लिए यह बड़ा दुर्भाग्य है कि वह जीविकोपार्जन के लिए अपने बच्चों से श्रम करवाये। हम सब चाहते हैं कि बालश्रमिक की समस्या का समाधान हो, लेकिन जब तक यह समस्या समाप्त नहीं होती, कोई न कोई ऐसा रास्ता हमें निकालना चाहिए जिसमें श्रम करते हुए बालक अपनी शिक्षा और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें इसलिए सुझाव है कि बालश्रमिकों के संदर्भ में सांध्यकालीन विद्यालय हर जिले में खोले जायं और जहां बालश्रमिकों का पंजीकरण न हो, उन अनियमितताओं के लिए सजा का प्रावधान किया जाय, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाय। उनको न तो भोजन मिलता है, न तो बीमारियों की रोकथाम के टीके लगते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो श्रम पर कटौती रखी नहीं गयी है। जब श्रम विभाग की कटौती रखी जायेगी तब उस पर बोलिएगा।

डॉ० राधामोहन दास अग्रवाल–

कुछ बिन्दु हैं जो पशुधन विभाग से सम्बन्धित हैं, अनुदानों का समर्थन करते हुए उन बिन्दुओं को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पशुओं की तस्करी की संख्या बढ़ी है, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर आदि में तस्करी चल रही है। अभी पिछले 6 अगस्त को 4 ट्रकों में 36 गायों को पकड़ा है। कहीं न कहीं यह प्राविधान अवश्य होना चाहिए कि जिस भी थाने में ऐसे अवैध पशुओं को ले जाते हुये पकड़ा जाये उस थाने के खिलाफ स्पष्ट कार्यवाही के निर्देश जो संवैधानिक प्राविधान हैं उसमें किया जाये। अभी मान्यवर, गौ-शाला की चर्चा हो रही थी, मेरा आग्रह यह होगा कि गौशाला के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो सके जिससे गाय के दूध का उपयोग बढ़ सके, डेयरी बढ़ सकें। गौ-मूत्र की चर्चा नहीं हो सकी, गौ-मूत्र की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तमाम औषधियाँ गौ-मूत्र से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गौ-मूत्र पर अनुसंधान के लिए विशेष केन्द्र खोलें और वैज्ञानिकों की नियुक्ति करें। मुझे लगता है कि बहुत कम लागत पर दवायें बनायी जा सकती हैं। चौथी चीज एक बहुत बड़ी समस्या पशुधन से संबंधित है। अपमिश्रण एक बड़ी समस्या है। दूध में पानी मिलाना, नकली दूध बनाना या कुछ और चीजें मिलना। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मंत्री जी स्पष्ट प्राविधान करेंगे और ग्वालों का पंजीकरण करेंगे। धन्यवाद।

* श्री किरनपाल कश्यप–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पशुधन और मत्स्य विभाग पर श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मत्स्य विभाग ऐसा विभाग है जो हमारे समाज से संबंधित है। प्रदेश के लाखों लोग इस उद्योग धन्धे पर निर्भर करते हैं। मान्यवर, 20 जनवरी, 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक शासनादेश जारी किया था कि जितने जलाशय, तालाब, पोखरे हैं वह निषाद, मल्लाह समुदाय को पट्टे पर 10 साल के लिए दे दिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने वह शासनादेश निरस्त कर दिया। मैं पूँछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की है? मान्यवर, कोई पैरवी नहीं की गयी। मछुआ समुदाय के लाखों लोग बेरोजगार हैं और भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मत्स्य निगम बना है उसमें आई०ए०एस० अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, दो नम्बर का अधिकारी इसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाता है। हैचरियाँ प्राईवेट सेक्टर में ज्यादा हैं जबसे निगम बना है बड़े-बड़े तालाब, पोखरे निजी क्षेत्रों में चले गये हैं। निगम से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इन तालाबों पोखरों को निगम से निकालकर मछुआ समुदाय को एक कमेटी या सोसाइटी बनाकर दे दिया जाये। अभी हमारे संज्ञान में एक मामला मुजफ्फरनगर में आया, एक अधिकारी ने जब 1994 में गजट हुआ था उसके अनुरूप न करके, जबकि केवल मछुआ समुदाय के लिए लिखा गया था, माहीगीर शब्द जोड़ करके दूसरे लोगों को कब्जा करा दिया गया है।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ० सुरेन्द्र पाल वर्मा पुनः पीठासीन हुए।)

इस तरह से पूरा का पूरा विभाग मानसिक रूप से कमजोर है। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग इस धन्धे को नहीं करते या इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनको इस विभाग का कार्य नहीं देना चाहिए। जो लोग इस विभाग का कार्य जानते हैं इस धन्धे से लगे हैं उनको इस विभाग के कार्य को देखना चाहिए। हमारे वरिष्ठ मंत्री टण्डन जी एक दिन में अगर पांच मछली पकड़ कर दिखा दें तो मैं मान लूंगा जो लोग केवल कागज पर मछली मारने का काम करते हैं उनको इस विभाग से हटाकर जो लोग मछली मारते हैं, मछली पालते हैं और इसकी जानकारी रखते हैं उन अधिकारियों को इस विभाग का कार्य लेना चाहिए नहीं तो हमारे समाज का इससे कल्याण होने वाला नहीं। अगर सरकार चाहती है कि इस समाज के लोगों को रोजगार मिले तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हमारी वकालत करनी चाहिए और हमारी पैरवी करनी चाहिए तब हम मानेंगे कि यह सरकार हमारे लिए कुछ कार्य कर रही है। मत्स्य पालन का कार्य मछुवा लोगों की सोसाइटियों को दिया जाये और जो इस विभाग में सेकेण्ड क्लास अधिकारी हैं उनको हटाकर आई०ए०एस० अधिकारी की नियुक्ति की जाये।

* श्री धर्मराज निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे मत्स्य विभाग पर मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उस पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मछली एक उत्तम पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जिसमें उच्च कोटि के विटामिन एवं विभिन्न प्रकार के विटामिन पाये जाते हैं। मत्स्य पालन मछुवा समुदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे उनकी रोजी-रोटी चलाती है। सरकार के जो यह विभाग है इसको 1947 में पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्थापित किया था और 1966 में मत्स्य विभाग को पशुपालन विभाग से अलग किया गया तब से लेकर ये पूर्णरूप से कार्य कर रहा है। मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को स्थानान्तरित कर दिये गये और विकास कार्य प्रारम्भ किये गये। प्रदेश में मत्स्य बीज की बड़ी मांग है। प्रदेश सरकार ने मत्स्य बीज की पूर्ति हेतु बड़ी-बड़ी हैचरियाँ स्थापित की हैं और छोटी-छोटी हैचरियां भी स्थापित की हैं। छोटी हैचरियों के लिए 8 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है जिसमें से 80 हजार रुपये का अनुदान बैंक से दिया जाता है। ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन एवं विकास प्राधिकरण प्रयारारत है इसके द्वारा तालाबों का पट्टा दिया जाता है। यह पट्टा 10 साल के लिए दिया जाता है और सरकार द्वारा तालाब खुदवाने के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है और 30

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हजार रुपया मत्स्य के आहार के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत अनुदान भी सुलभ है। मान्यवर, मछुवा समुदाय के लिए जो लोग निजी भूमि पर तालाब खोदकर मछली पालन का कार्य करते हैं, सरकार ने उनके लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था की है जिसमें 20 प्रतिशत सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

मान्यवर, मत्स्य पालकों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 50-50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाता है उनके तालाबों की मिट्टी व पानी की निःशुल्क जांच की जाती है। चूँकि मत्स्य पालन हमारे मछुआ समुदाय में मत्स्य पालन एक रोजी रोटी के रूप में देखा जाता है। अतः अच्छी किस्म की मछली भेजी जाए इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। बड़े-बड़े तालाबों का पंजीकरण करके मछुआ समुदाय को दिया गया है। भारत सरकार ने मछुआ समुदाय की आवास योजना बनाई है। वैसे जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है एक आवास की कीमत 20 हजार रुपये और 10 आवास के साथ-साथ 10 हजार 500 का एक हैण्ड पम्प दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो हमारी मत्स्य समुदाय की सोसाइटियाँ हैं उनके सदस्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं मृत्यु हो जाती है उनको भी आर्थिक सहायता दिया है। जो भी विकलांग हो जाते हैं उनको भी सरकार ने आर्थिक सहायता दिया है। इस प्रकार से हमारी सरकार मत्स्य समुदाय के लिए कार्य कर रही है। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ जनपदों में तालाब कई हैक्टेयर में हैं जो गहरे नहीं हैं और जहाँ खेती भी नहीं हो सकती है उनको तालाब बनाकर मत्स्य समुदाय के लोगों को पट्टे पर दिया जाए। इससे आय के श्रोत भी बढ़ जायेंगे और रोजी रोटी की समस्या भी हल हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री धर्मराज निषाद–

मै आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मत्स्य पालक लोग तालाबों में मछली पालते हैं। बड़ी-बड़ी झीलों में मछली रहती हैं तो उनमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं उससे मछलियाँ मर जाती हैं। जो जानवर उसमें पानी पीते हैं वह जानवर भी मर जाते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब होता है तो ऐसी कीट नाशक दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। जो हमारे मछुआ समुदाय के लोगों को आवास दिया जा रहा है तो जिस तरह से हर विधायक को 50-50 हैण्डपम्प दिया गया व 5 गांवों के विद्युतीकरण का अधिकार दिया गया उसी तरह से हर विधायक को 50-50 आवास बनवाने की घोषणा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूँ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे सौभाग्य है कि माननीय नगर विकास मंत्री ने वरिष्ठता और अपने अनुभव के आधार पर पशुपालन का विभाग आज सदन में प्रस्तुत किया । यह विभाग किसी भी विभाग से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक विभाग तो वह होता है जो मानव जाति और मानव प्रेरणा से सम्बंधित होता है। यह विभाग पशुओं पर आधारित है। पशुपालन विभाग है जिनका जीवन मार्ग जिनकी सारी जिन्दगी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल मानव जाति के कल्याण के लिए होती है। इसलिए मैं चाहता था कि नगर विकास मंत्री पशुपालन का कार्य कर सकेंगे। बड़े विस्तृत आधार पर, अनुभव के आधार पर वह बजट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मुझे खेद हुआ कि नगर विकास मंत्री ने कुछ बातों को स्वीकार करते हुए कारण बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ कि पशुओं के पालन की संख्या में कमी आ रही है.....

[समय 4.00 बजकर 20 मिनट]

हर पांच साल में यह विभाग पशुओं की गणना करता है। 1993 में पशुओं की संख्या गणना हुई थी वह 625.63 लाख थी। इतने पशु हमारे प्रदेश में पाये गये थे। 1993 के बाद पाँच साल बाद 1998 में जब विभाग द्वारा पशुओं की गणना कराई गई तो वह आई 614.57 लाख इस तरह से 5 साल में 5.57 प्रतिशत घटा पशुओं की संख्या का। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यही हाल रहा तो जब 2003 में यह पशुओं की संख्या की गणना की जायेगी तो निश्चित रूप से 10-11 प्रतिशत की कमी आ जायेगी और इसी तरह से यदि 20 साल बाद गणना कराई जाती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा पशुधन समाप्त हो जायेगा। मेरा कहना है कि इसमें कुछ कार्य-योजना बनायें और उन कारणों का पता लगायें जिनकी वजह से पशु संख्या कम हुई है उसको दूर करें। बतायें कि हमारी सरकार इसके लिये वचनबद्ध है इसलिये हम यह कार्य-योजना ला रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि गोवंश के बारे में कहा गया। गोवंश के प्रसार के लिये उनके कृत्रिम गर्भाधान के लिये उत्तर प्रदेश में 17 मण्डल हैं जिनमें से मात्र 10 इस तरीके के केन्द्र हैं जहाँ पर आपके साँड़ों के रख रखाव की व्यवस्था है। हम मानते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लिये आपने विदेशों से सीमन एक्सपोर्ट किया है। लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बिजली के अभाव में आपके इन केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर वह सीमन अधिक समय तक रखा जा सके। नेचुरल गर्भाधान के लिये आपको अच्छी किस्म के साँड़ों के रख-रखाव की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि उनसे उन्नतशील प्रजाति के अच्छी किस्म के पशु पैदा कर सकें। मैं चाहूँगा कि इस तरह के केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाय। नहीं तो आप तब तक पशुधन में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी चारागाह थे, सभी आवंटित हो चुके हैं। मान्यवर, आपके पड़ोस में बिहार राज्य है जो कि विकास से पिछड़ा है इसके बावजूद भी वहाँ चारागाह हैं और वहाँ पर पशुधन में सम्वृद्धि हुई है और उसके अपेक्षा आपके यहाँ पशुधन में कमी हो रही है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि बहुत से कटनीघर चल रहे हैं वहाँ 100-200 पशु प्रतिदिन काटे जाते हैं। अलीगढ़ में सेन्ट्रल डेरी फार्म की स्थापना की गई थी। हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों में नीलाम हो गई। अलीगढ़ के एक व्यापारी ने कुछ समय पहले आन्ध्र प्रदेश में इस तरह का फार्म खोला। मान्यवर, मेरा कहना है कि अलीगढ़ में जो कटनीघर है, उसको बन्द करने की आवश्यकता है। मान्यवर, वहाँ डेरी फार्म में अच्छे अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। डेरी फार्म में डायरेक्टर बाबा हरदेव को वहाँ से हटा दिया गया लेकिन जो जी०एम० थे वह कहते थे कि आपकी सरकार में हमको हटाने की ताकत नहीं है कि हमको हटा सके। मान्यवर, मेरा कहना है कि अच्छे अधिकारियों को नियुक्त करें तो विभाग अच्छे से चलेगा। अभी आज किसानों को जुगाड़ के इस्तेमाल करने की छूट देने की बात कही। यह अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। कटनीघर को रोकने के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह की जब सरकार थी तो भाजपा ने आन्दोलन चलाया। आज आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

यह संवेदनशील हैं गरीबों के मसीहा हैं तो गरीबों की रोजी-रोटी के साधन बंद हों ऐसा क्यों करना चाहते हैं?

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें। (श्री आर०के० सिंह पटेल का नाम पुकारा गया)।

श्री विजेन्द्र सिंह–

डी०आर०डी०ए० की योजना थी उससे गरीबों का भला हो जाता था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। एक तरफ तो दबे कुचले लोगों की दुहाई देते हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है

श्री विजेन्द्र सिंह–

इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री आर०के० सिंह पटेल–

मान्यवर, आपने मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता हूँ मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर मैं अपने दुग्ध विकास मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद चित्रकूट में सहकारी दुग्ध संघ है वह दो वर्षों से बंद पड़ा है। मान्यवर, लगभग 8 लाख रुपया किसानों का बकाया है आज तक भुगतान नहीं किया गया है और मान्यवर दो वर्षों से वहां के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण वह कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, बहुत से कर्मचारी पलायन कर गये हैं। दुग्ध संघ में दो वर्षों से ताला लगा है, करोड़ों की मशीनें कर्वी दुग्ध संघ में कई सालों पहले लगवाई गई थीं उनमें जंग लग गई है वह जर्जर होकर बरबाद होने की स्थिति में है। सहकारी दुग्ध संघ कर्वी को शीघ्र चालू किया जाये, ऋण उपलब्ध कराया जाये, चाहे जो व्यवस्था हो इसको चालू किया जाए। सहकारी दुग्ध संघ बंद होने से क्षेत्रीय किसानों को जो ऋण की सुविधा थी, गाय-भैंस खरीद लेते थे वह नहीं करा पा रहे हैं ऋण का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बकाया पैसा 8 लाख न मिलने से बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। सूखे की भयावह स्थिति सामने खड़ी है। मेरे जनपद की हालत ऐसी स्थिति में बहुत खराब हो गयी है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनपद चित्रकूट की डेरी चलवाने की व्यवस्था करायें। मेरे जनपद में मान्यवर जंगली एरिया है जंगल में देशी गाय लाकर लोग जंगल में छोड़ जाते हैं। जंगली गायों को मारने की परमीशन मिल जाती है लेकिन जंगल के किनारे की जो देशी होती हैं जिनको हम घरों में पालते हैं ऐसी गाय हजारों की संख्या में जंगल में हैं नियमों के हिसाब से उन गायों का शिकार करना वर्जित है। मैं चाहूँगा पशु-पालन विभाग के कर्मचारी के जरिए आप व्यवस्था करायें कि उन गायों को पकड़कर उनको व्यवस्थित किया जाए, उनका लालन-पालन किया जाये ताकि गायों का जीवन सुरक्षित हो सके। चित्रकूट में पशु चिकित्सकों की कमी है। मात्र दो चिकित्सक हैं जो पूरे जनपद को चला रहे हैं। जो फार्मेसिस्ट है, स्वीपर है वह दवा देने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनपद चित्रकूट में पशु चिकित्सक की कमी को पूरा करके तथा नये चिकित्सालय खोले जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पशुधन, मत्स्य तथा दुग्ध विकास पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय श्री कमाल यूसुफ मलिक जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना इसलिए मैं आपके माध्यम से दो तीन बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक तो, श्रीमान, भारत गांव का देश कहा जाता है और गाँव में जो लोग बसते हैं, तो किसानों की आमदनी का जीवकोपार्जन का दो ही साधन है। एक तो खेती और दूसरा है पशुधन। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी आर्थिक आमदनी का जरिया है पशुधन है। खेती से खाने का काम चल जाता है लेकिन जो गरीब किसान है उनकी जो नकद आमदनी होती है वह होती है पशुधन से। वह गाय, बैल, बछिया, भैंस बेच कर आर्थिक आमदनी करता है और अपना जीवन सुखमय बनाने का काम करते हैं।

मान्यवर, डी०आर०डी०ए० के माध्यम से किसानों को गाय, भैंस आदि खरीदने की व्यवस्था थी इससे गरीब आदमी पशु खरीदता था और बेचता था लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। दूसरा जो बाहर से पंजाब, हरियाणा से सांड़ और भैंसा क्रास कराकर बढ़िया नस्ल पैदा कराकर मजबूत पशु बनाते थे तो वह योजना भी बंद हो गयी। कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाने की दिशा में काम करें तो अच्छी गाय, भैंस उत्पन्न होंगे जिससे आर्थिक तरक्की होगी। मान्यवर, अभी हमारे जनपद बलिया में मा० श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री जब वह थे तो गये थे। उन्होंने हनुमानगंज में इस तरह की योजना को प्रारम्भ किया था जिस पर 25 लाख रु० व्यय हुआ लेकिन आज तक एक भी पशु के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई। वह खराब पड़ा है। लखनऊ से इंजीनियर जाते हैं और वह लौट जाते हैं किसानों को लाभ नहीं हुआ या तो इस मशीन को ठीक कराया जाय या फिर नयी मशीन लगायी जाय। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि पशु कटाई नहीं होनी चाहिये। जैसे कि अभी माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पशुधन कम हो रहा है और इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया। मान्यवर, देहातों में सभी धर्म के लोगों में बीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उनका एक जरिया है धन कमाने का वह गाय भैंस खरीदते हैं। मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद, आर०एस०एस० और भारतीय जनता पार्टी ने यह जो नारा दिया कि पशुओं की कटाई नहीं होनी चाहिए इससे कोई सहमत हो या नहीं लेकिन मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो पशुओं को पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। उसको थाने पर रोक लिया जाता है उससे काम लिया जाता है, उसके पशुओं को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से उसकी कमर टूट जाती है।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए कोई नियम बना दीजिए। पंजाब से लोग अच्छी नस्ल के पशु लाते थे। उसके जरिए गरीब अपनी जीविका चलाने का काम करते थे। आज पंजाब का एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता। बाहर से कोई पशु नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ की नस्ल प्रभावित हो रही है। एक नियम बना दीजिए जिससे 30 प्रतिशत लोग जो बाजार मे आजीविका चलाते हैं उनकी आमदनी बरकरार रहे और पशु बध भी न हो। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आपका दुग्ध विकास विभाग है यह क्यों खोला गया? यह इसलिए खोला गया कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का हो, बनिया हो, ठाकुर हो, पण्डित हो वह इसका लाभ उठाकर अपनी जीविका चला सके। इसलिए हमारा मानना है कि यह बढ़िया विभाग है। दुग्ध समितियों के माध्यम से, दुग्ध विकास, दुग्ध संघ के माध्यम से लोग अपना पालन-पोषण करते हैं। मान्यवर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बलिया जिले का जो दुग्ध विकास फार्म का जो डेरी फार्म है उसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने किया था।

मान्यवर, बलिया पिछड़ा जिला है। वहां पर डेरी से वहाँ के 80 प्रतिशत पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अगड़ी जातियों के लोगों का भरण-पोषण होता था। वहां के मैनेजर श्रीवास्तव जी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि आज बलिया दुग्ध विकास बंद होने के कगार पर खड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता चाहता हूँ कि बलिया के दुग्ध समिति निदेशक ने बलिया दुग्ध विकास संघ को बंद करने का निर्णय लिया है। 35 लाख रुपये बलिया के किसानों का दुग्ध संघ पर बकाया है वह नहीं मिल रहा है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि दुग्ध संघ को अनुदान देकर के चालू किया जाय और दुग्ध समितियों का किसानों पर जो बकाया है उसको देने का काम किया जाये। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम विधायक लोग आपको आपके घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। वहाँ पर नये लाइसेन्स निर्गत कराने के लिए आप आदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, माननीय पशुधन, दुग्धशाला विकास, मत्स्य मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने और उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश किसानों का और कृषि प्रधान प्रदेश है यहां की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। यहां उद्योग हैं नहीं और माननीय मंत्री जी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की है मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं यहां उन्होंने खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। आपको सदन और पूर्वांचलवासियों की तरफ से बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आज पशुपालन चिन्तनीय स्थिति में है। आज सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। उस चिन्ता को दूर करने के लिये आपको सुदृढ़ उपाय निर्धारित करने पड़ेंगे। आज मुझे कष्ट है कि जो बजट की प्रगति पुस्तिका रखी है अधिकारियों ने इसे देखा भी नहीं है और पूर्व कृषि मंत्री श्री दिवाकर विक्रम सिंह की जगह रेवती रमण सिंह लिखा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का आप काम करेंगे। वे लोग इन भोले भाले किसानों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। मान्यवर, भारत सरकार के द्वारा यह जो कृषि प्रदर्शनी आयोजित की गयी है उसमें करोड़ों रु० का घोटाला निदेशक महोदय द्वारा कराया गया है उसकी जांच करायी जाये। जो दोषी हैं उनको दंडित करने का काम किया जाय। मान्यवर, गोशाला जगह-जगह पर खोली गयी हैं। ऐसी गोशाला जनहित के लिये और पशुपालन की रक्षा के लिये खोली गयी हैं। इन गोशाला में जो धन का बंदरबाट किया गया है वह गो की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पशुओं को तमाम संक्रामक बीमारियां होती हैं दवायें मिलती नहीं हैं। जो किसान गाय भैस 25 हजार रु० में खरीद कर लाता है वह दवा के अभाव में अक्सर बीमार होकर मर जाती हैं। मान्यवर, बीमार जानवरों को दवायें नहीं मिल पाती हैं। आप इस पर विशेष ध्यान रखिये। इसकी एक आप एक कमेटी बना दें अधिकारियों की आप कमेटी बना दें। ताकि इस प्रदेश के पशुपालकों को प्रोत्साहन मिल सके और उनके पशु की रक्षा हो सके। जो पशुओं की घटती हुई स्थिति है उस पर उत्तरोत्तर रोक लगनी चाहिये। मान्यवर, मत्स्यपालन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर जलीय भूमि है। इसमें मछली पालन का काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। मान्यवर, इसी तरह का वेस्ट लैण्ड प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लागू है वहां लोगों को खाद्यपन्न और न्यूटरीशन फूड मिल रहा है और लोगों को रोजगार और लाभ मिल रहा है। आप इसे यहां नियोजित तरीके से करें। हर तीन साल से 500 करोड़ रु० का उत्पादन हो जायेगा इससे इस प्रदेश का बहुत-बड़ा कल्याण हो सकता है। लोगों को न्यूटरीशन फूड मिलेगा। हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी जलीय भूमि होते हुए भी बाहर के प्रदेशों से मछली यहां पर आती है। यह शर्म की बात है। इसमें भी दूसरी योजनागत मदों से धन देकर प्रोत्साहन देने का काम करें। इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पशुपालन विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस समय प्रदेश के अन्दर सूखा पड़ा हुआ है और सूखे के कारण पशुओं के चारे में जहर फैल गया है आज इस चारे को खाने से पशु बीमार हो रहे हैं बहुत से पशु मर गये हैं। मान्यवर, अस्पताल में पशुओं की दवाई नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है। पशुओं के लिए दवा की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पशुओं के अस्पताल हैं, जो उसके सेन्टर हैं वहां पर दवाई की कमी है। जब भी अस्पताल में कोई किसान अपने पशु को लेकर जाता है तो वहां डाक्टर हैं कम्पाउण्डर नहीं मिलते हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाय और जहाँ डाक्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टर की पोस्टिंग कराई जाय। मान्यवर यह निर्देश आप अपने स्तर से देने का कष्ट करें। मान्यवर, पशुओं को अगर कुत्ता काट लेता है तो सुई नहीं मिलती है चाहे भैंस हो, गाय हो, कोई जानवर हो वह कुत्ता के काटने से मर जाता है और पशुपालक किसान को दवा, सुई नहीं मिलती है मेरा अनुरोध है कि सुई की व्यवस्था कराई जाय।

मान्यवर, जो बैल हैं उसे व्यापारी हरियाणा से पंजाब से, लेकर आते हैं जाते हैं। प्रदेश में जो बैल बाजार हैं वहां व्यापारी बैल लेकर चलते हैं तो उनको थाने के लोग पकड़कर गोवध में चालान करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि गोवध के लिए पशु कलकत्ता जाते हैं और उनको काटने वाले रात में लेकर चलते हैं 5-5, 6-6 ट्रकों में चलते हैं और पुलिस थानों के लोग खड़े होकर पैसा लेकर उनको जाने देते हैं। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाय। तो ऐसे व्यापारी जो बैलों को या गाय को लेकर बेचने के लिए बाजार जाते हैं उन पर यह कार्यवाही न की जाय। इस समय पशुओं का चारा महंगा हो गया है जैसा भूसा है, खली है सब महंगा हो गया है और दूध के दाम कम हैं इसलिये दूध की कीमत बढ़ाई जाय ताकि दूध बेचने वाले भाइयों को लाभ मिल सके। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुर्घटना में जिन जानवरों की मृत्यु हो जाती है। हमारे क्षेत्र में एक किसान की कम से 10 भेड़ रेलवे से दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गई। इसके लिए उसे कोई सहायता नहीं मिली है। मैं स्वयं इसके लिये जिलाधिकारी आजमगढ़ के पास गया था मगर उन्होंने कह दिया कि उसे कोई सहायता नहीं मिल पायेगी। मेरा अनुरोध है कि जो पशुपालक किसान हैं उनके जानवर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता का प्राविधान होना चाहिए और इसके लिये कोई कार्ययोजना बननी चाहिये। कम से कम सरकार उसको मुआवजा देने का काम करे।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो दुग्ध का फार्म है उसमें जो दूध आता है, उसका जो दूध लाने वाले हैं उनका आज भी पैसा बकाया है। हमारे यहां जो दुग्धशाला है जो पैसा सरकार द्वारा उसमें आता है आज तक उसमें घाटा ही घाटा हुआ है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मा० श्री कमाल यूसुफ साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पशुपालन और दुग्ध मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी बहुत से माननीय विधायकों ने अपने सुझाव रखे हैं। मैं आपका ध्यान जनपद बलिया की ओर आकर्षित करता चाहता हूँ। हमारे जनपद बलिया के श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने अपनी बातें रखी हैं। बलिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में 25-30 लाख रुपये से अधिक डेरी उद्योग घाटे में चल रहा है और अच्छा होता कि भाई राम गोविन्द चौधरी जी सदन में मौजूद रहते। जो भी डेरी में घाटा हुआ है उसके लिये जो डेरी के चेयरमैन लोग चुनकर आये थे। पिछले 10-15 वर्षों से देख रहा हूँ सारे घाटे के लिए वही अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम भी गांव के हैं हमारे घर पर भी डेरी थी, हम भी किसान के परिवार के हैं, पशुपालन हम भी करते हैं। जनपद में डेरी में घाटा इसीलिए हुआ, जो चुने हुए लोग थे उन्होंने जिला प्रबन्धक से मिल करके डेरी उद्योग को चौपट करने का काम किया। बलिया जिले में डेरी का जो भी घाटा है। जितने चेयरमैन बने हैं उन्होंने किया है। डेरी गरीब किसान की है। गरीब पशुपालक जो 4-10 पैसे रखकर अपने परिवार को रोजी रोटी देने का काम करते हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम किया है। जो डेरी के चेयरमैन हैं, सबके नाम मुझे याद हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता। श्री राम गोविन्द चौधरी जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं और हम उनका आदर करते हैं। आप भी जानते हैं कि जितने चेयरमैन हुए हैं वह चाहे सिकन्दरपुर इलाके के हों या कहीं अन्य के उन्हीं लोगों ने लूट-खसोट करने का काम किया है डेरी के प्रबन्धकों से मिल कर। हम कहना चाहते हैं कि गुजरात प्रदेश में आनन्द डेरी है। डेरी उद्योग से गुजरात कितना खुशहाल हो गया। गुजरात में डेरी उद्योग कितना बढ़ा हुआ है पूरे गुजरात प्रदेश के पशुपालक कितने खुशहाल हैं। हमारे प्रदेश में दूध का दाम बहुत कम है। दूध का दाम जितना होना चाहिए वह उससे कम है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए। बलिया डेरी उद्योग चौपट हो गया और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं हिन्दुस्तान में जितना दूध बलिया में पैदा होता है। बलिया जनपद का नाम इतिहास में है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बलिया जनपद का आजादी की लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद, मेंदनीपुर, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र के सतारा जिले, इन तीन का नाम आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। लेकिन आज बलिया विकास के नाम पर सबसे पिछड़ गया। तमाम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर बलिया जनपद को खुशहाल करना है तो वहाँ के डेरी उद्योग को विकसित किया जाय। बलिया जनपद में इतना दूध का उत्पादन हो सकता है कि आधे उत्तर प्रदेश को, पूरब के सब जिलों को वह दूध की सप्लाई दे सकता है। गंगा-सरयू का किनारा और इतनी उपजाऊ जमीन, उसके बावजूद वहाँ का डेरी उद्योग मर गया है।

मान्यवर, पिछले 15 वर्षों में बलिया के डेरी उद्योग को चाहे चेयरमैन हो, महाप्रबन्धक हो, जिला प्रबन्धक हो, चाहे वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी हों, लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ जाँच बिठाई जाय। मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ के डेरी उद्योग को विकीसत करना है तो एक महीने के अन्दर यह जांच कराई जाय और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। साथ ही उन लोगों से पैसे की रिकवरी भी की जाय। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के घाटे को पूरा करने के लिये तत्काल 50 लाख रुपया सरकार/विभाग की ओर से दिया जाय। मान्यवर, वहाँ डेरी उद्योग को विकसित करने में करोड़ों रुपया खर्च हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री चन्द्रशेखर जी ने दूध को ठंडा करने का प्लान्ट लगवाया था, उसमें भी लोगों द्वारा पैसा खाया गया है, उसकी भी आप जांच करवाइये। करोड़ों रुपये का यह प्लांट आज बरबाद हो गया है। चाहे वहाँ के ठेकेदार हों, चाहे कोई भी करे, उसके खिलाफ आप जाँच कराइये और कार्यवाही सुनिश्चित कराइये।

हमारे जिले में, हमारे इलाके में जो पशु चाहे वह गाय हो, बैल हो, भैंस हों, गाड़ियों में, ट्रकों में लद करके कलकत्ता जाते हैं, उसके बाद कोई भी पशु लौट करके कलकत्ता से नहीं आते। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारी के भेस में जो कसाई का काम जो लोग करते हैं, उन पर अंकुश लगाने की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी पुलिस को मिलाकर के व्यापारी मवशियों की सप्लाई कलकत्ता करते हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां पशु चिकित्सालय जयप्रकाश नगर, करमानपुर पशु चिकित्सालय जैसे चार पशु चिकित्सालय हैं, लेकिन वहां पर किन्हीं में डाक्टर नहीं हैं।

मान्यवर, हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के दिनों में बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि पशुओं को समय से टीका लगाने की व्यवस्था की जाय। अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का और पशु पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहां, जहां भी पशुओं को टीका समय से नहीं लगे हैं, वहां तत्काल टीका लगवा दिया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट लाया गया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी पशु संस्थान बलिया को कितने दिनों में पूरा करायेंगे उसके बारे में भी बतायें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने कमाल यूसुफ साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पशुधन को चिरकाल से ही महत्व दिया गया है और यह कहावत तो सर्व विदित है कि "मानुष हो तो वही रसखान, बसे बृज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा बस मेरौ चरोनित नंद की धेनु मझारन" परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां दो वर्ष पूर्व दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय बनाया गया था, वहां पर पहले वेटनरी कालेज हुआ करता था, उसे अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ और अभी कृषि मंत्री भी उनके साथ बैठे हुए थे, जो आज इस कालेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह कालेज अंग्रेजों के जमाने में एशिया का वेस्ट वेटनरी कालेज माना जाता था आज वहां की हालत जर्जर है, वहां के स्टाफ को सेलरी नहीं मिलती है, वहां के लैब्स खराब पड़े हैं मान्यवर वहां कोई ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं है कि छात्र ठीक से पढ़ाई कर सकें। चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर में है, ये लोग माधुरी कुंड फार्म का एक करोड़ रुपये का सामान उठाकर ले गये हैं। यदि आप वास्तव में पशुधन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो दीन दयाल पशु विश्वविद्यालय को अपग्रेड किया जाय। उसके लिए आप प्रॉपर बजटिंग करिये, लैब की अच्छी व्यवस्था करिये, कर्मचारियों को समय से सैलरी देने की व्यवस्था करिये और उसे विश्वविद्यालय की पूरी मान्यता दीजिए। वाइस चांसलर की नियुक्ति तत्काल कराइये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा में, अभी तमाम साथियों ने भी इस बात को रखा कि गऊ चारण के लिये चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 6.67 एकड़ जमीन मथुरा–वृन्दावन रोड पर गऊ चारण के लिए व्यवस्था करायी थी। मान्यवर, इसके अलावा 43.15 एकड़ जमीन गऊ चारण के लिये इस्तेमाल होती थी श्री राम प्रकाश गुप्ता जी पूर्व मुख्य मंत्री ने उस जमीन को साध्वी ऋतम्भरा को आवंटित कर दिया वात्सल्य ग्राम के नाम पर। मान्यवर, यहां पर बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें और सीमेन्ट के स्ट्रक्चर खड़े हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी अब समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, एक तरफ चारागाहों को बचाने की बात हो रही है दूसरी तरफ इस तरह के एलाटमेन्ट किये जा रहे हैं अब गायें कहाँ चरेंगी मान्यवर, गुप्ता जी जो आगरा मण्डल के कमिश्नर रहे उन्होंने गायों को बचाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण काम किये। मान्यवर, आज पशुधन की स्थिति यह है

कि तमाम शहरों में गायें पॉलीथीन खाकर मर जाती हैं। माननीय मंत्री जी आप पॉलीथीन उद्योग के ऊपर पशुधन विभाग की ओर से प्रतिबंध लगवाइये। जो गायें पॉलीथीन खा लेती हैं उनके ऑपरेशन की व्यवस्था कराइये जिससे उनकी जान बच सके। ऑपरेशन फ्लड के तहत किसानों को रोजगार देने के लिए स्कीम चलायी गयी थी। ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत न किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है न रोजगार परक योजना बनायी जा रही है जबकि दूसरी तरफ रसायनिक दूध बनाया जा रहा है जिससे हजारों लोगों की जान चली जाती है इस तरह के दूध पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी अब बैठ जाइये।

* श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त पशु अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है, किसानों के पशुओं के लिए वहां दवायें उपलब्ध नहीं है। जहाँ आप अच्छे नस्ल की पशुओं की बात कर रहे हैं उसके लिए अस्पतालों में सीमेन उपलब्ध नहीं हैं तो अच्छे नस्ल के पशु कैसे उत्पन्न कर पायेंगे। मान्यवर, इसी के साथ मैं भाई कमाल यूसुफ मलिक द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम शंकर पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पशुधन एवं दुग्ध विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ। मान्यवर, यह विभाग हिन्दुस्तान के 78 प्रतिशत किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। पशुधन विभाग गाँवों के किसानों से जुड़ा हुआ है और इस विभाग की उदासीनता के चलते आज गाँव के किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आयी है। मान्यवर, इस विभाग का कार्य अगर पूरी तरह से गांव में अभियान की तरह चलाया जाता तो किसानों का पशुधन बढ़ता और उनकी इनकम बढ़ती। पशुधन बढ़ने के साथ खाद बढ़ती जो खेती के काम आती। हमारे माननीय मंत्री जी ने पशुधन को बढ़ाने के लिये एक योजना तैयार की है जिसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस देश और प्रदेश में यदि दुग्ध को बढ़ावा दिया जाय तो किसान की स्थिति ठीक होगी। जो लोग दुग्ध उत्पादन करते हैं उनको किसी प्लान में लिया जाय। आज पंजाब और हरियाणा में वहां का किसान खुशहाल है क्योंकि वहां इसको बढ़ावा दिया जाता है लेकिन हमारे प्रदेश का किसान हतोत्साहित है। जौनपुर में कई करोड़ रुपया किसानों का पशुपालन विभाग पर बाकी है। इसी तरह से उन्नाव में जो दुग्ध संघ है उस पर लोगों का काफी पैसा बकाया है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि दूध को बढ़ावा देने के लिये जो लोग इस काम से जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय। मछली पालन और दूध को बढ़ावा देने के लिये ऐसी नीति नहीं बनायी गयी है जिससे सहायता मिलती।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि प्रदेश के वह लोग जो इस धंधे से जुड़े हैं उनको सरकार सहायता दे। मेरे विधान सभा में एक चिली प्लांट लगा है वह अत्यन्त दयनीय दशा में है। उसकी जाँच करवा लें और अगर वह चल सकता है तो उसको चलायें। मेरे यहां बांगर मऊ में दूध की सम्भावनायें हैं, वहां पर कोई कार्यक्रम चलाये जैसे हरदोई और अन्य जनपदों को शामिल किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि पशुपालन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है वहां गांव में रहने वाले लोग खेती से अपना समय निकालकर अपनी माली हालत ठीक करने के लिये पशुओं को पालने का काम करते हैं। मान्यवर, पशुओं का इस्तेमाल खेती के लिये सदियों से होता चला आ रहा है। यह जरूर है कि नयी टेक्नालाजी और विज्ञान के आने के कारण अब मशीन का युग है और हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं

लेकिन यह भी अकाट्य सत्य है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मैं नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, इसलिये करूँगा कि सौभाग्य से उनके पास आवास विभाग है, पशुपालन विभाग भी है, पशुपालन करने वाले किसान अपने दूध को लेकर नगरों के बाजारों में साइकिल से जाते हैं तो वहाँ पर उनके खड़े होने की जगह नहीं मिलती है और अपनी साइकिल पर से ही दुकानों को दूध बेचता है। नगर विकास मंत्री भी आप हैं इसलिए घोषणा करें कि दूध बेचने वालों के लिए आप दूध की मण्डी बनवाएंगे। यह सभी शहरों में बनवाएंगे जिससे कि दूध का धन्धा करने वाले व्यापारी तथा दूध बेचने वाले किसान अपने दूध को सुरक्षित स्थान पर रखकर बिक्री कर सकें। यह महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी तरफ एक और बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पशुओं के रखरखाव के लिए कोई अस्पताल नहीं हैं डाक्टर हैं लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। अगर पशुओं की संख्या के आधार पर आप आंकलन करें तो डाक्टरों की संख्या नगण्य निकलेगी। जनपद में जो अस्पताल हैं वहाँ डाक्टर हैं लेकिन ब्लाक स्तर पर जो पशु अस्पताल हैं यहाँ पर कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं कहीं-कहीं पर कम्पाउंडर और कहीं-कहीं पर चौकीदार ही उसके डाक्टर बन जाते हैं। जब किसान अपने पशु को लेकर जाता है तो अस्पताल में कह दिया जाता है कि डाक्टर नहीं हैं।

हमारे जनपद जौनपुर में डी०एल०ओ० के अलावा बहुत से अस्पताल हैं बरसठी से लेकर मड़ियाहू तक कोई डाक्टर नहीं हैं। गांवों में अतिरिक्त पशु चिकित्सालय बना दिया गया वहाँ पर केवल चौकीदार है किसी में किराये के मकान में अस्पताल खोल दिया और 20-25 सालों से यह चल रहा है। लेकिन भवन नहीं बनवाया जा रहा है। डाक्टर नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। यह पशुधन विकास कार्य सीधे-सीधे इस देश के किसान से जुड़ा है। यह सीधे-सीधे देश के किसानों की माली हालत ठीक करता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ब्लाक स्तर पर या गांवों में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ अनिवार्य रूप से डाक्टरों की तैनाती की जाये जिससे किसान सुचारू रूप से अपने पशुओं को रोग का उपचार कर सके। दुग्ध का सीधा-सीधा मतलब होता है नगर विकास क्योंकि बगैर दूध के नगरों की चाय की दुकानें नहीं चलेंगी। इसलिए शहरों में दुग्ध मंडियों का इंतजाम करें जिससे दूध का धन्धा करने वाले एवं उसका व्यापार करने वाले सुचारू रूप से अपना दूध सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकें व नगर के लोगों को सुविधा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री राम इकबाल–

अधिष्ठाता महोदय, आपने पशुधन एवं दुग्ध विकास पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ। महोदय, नगर विकास एवं पशुधन मंत्री ने जो बजट पेश किया है यह बजट ऐतिहासिक बजट है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं इस बजट के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। हम सभी गाँवों की समस्याओं से वाकिफ हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक नगर पालिका नहीं है। आज गांवों में करोड़ों लोग बेकार हैं। पशुधन के द्वारा गोपालन के द्वारा उन्हें रोजगार दिया जाये। यह राम, कृष्ण और गांधी का देश है। कृष्ण भगवान गाय पालते थे, गांधी जी बकरी पालते थे। गाँधी जी इस बात को जानते थे कि यह गरीबों का देश है यहाँ 72 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। गरीब को अगर हाई ब्लीड बकरी दी जाये तो आर्थिक आधार खड़ा हो सकता है।

[समय 5.00 बजकर 20 मिनट]

जब माँ मर जाती है, छोटा सा बच्चा तब घर में चिल्लाता है, रोता है, चीखता है तो महोदय उस समय उसको गाय और बकरी का दूध ही दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने गाय का और गांधी जी ने बकरी का पालन किया था। महोदय, आज इन दोनों के ऊपर खतरा है। दोनों का ही कत्लेआम हो रहा है। इस कत्लेआम को रोका जाय। गाय हमारी माता है, हमारे ऋषियों ने भी गोवंश का पालन किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। गौमूत्र दवा के काम आता है। "मान्यवर, आप भी जानते हैं कि आज जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है क्योंकि खाद में केमिकल का प्रयोग हो रहा है। अगर मान्यवर, किसानों को गोपालन की सुविधाएं दी जायं तो फिर से ऊसर जमीन की उर्वरा शक्ति वापस लाई जा सकती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गांव में नौजवानों को बिना सूद का गाय, भैंस पालन हेतु धन मुहैया कराया जाय इससे बेरोजगारों के लिये एक आशा की किरण जागृत हो सकेगी। आप इस देश में पेप्सी, कोका कोला ले आइये, जितनी भी मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, दे यहाँ आ जायं लेकिन जब तक रोजगार गांव को नहीं मिलेगा हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा नहीं मिलेगा गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लोगों को मुफ्त का अनुदान मिले तो वह गोबर गैस प्लान्ट लगा सकता है। आज हिन्दुस्तान में बिजली की बड़ी किल्लत है। गोबर गैस प्लान्ट के माध्यम से विद्युत पैदा करके वह अपने घरों में बिजली जला सकता है, ट्यूबवैल चला सकता है। इसके लिये क्रांतिकारी प्रचार की जरूरत है। गांवों की तरफ प्यार से देखने की जरूरत है। जो राम गोबिन्द जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि बलिया की डेरी को चलाया जाय। दूध संघ का जो बकाया है उसको दिलवाया जाय। महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी से कि जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जनरेटर नहीं हैं। जो हाई ब्रीड सीजन वहां रखा जाता है वह एक्सपायर हो जाती है क्योंकि वहाँ 8 घंटे बिजली मिलती है। बिना बिजली के वह रह नहीं पाता है। न्याय पंचायत में पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की जाय क्योंकि पशु हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं कहा गया है–

गौधन, गजधन, बाजिधन और रत्न धन खान

जब आये सन्तोष धन, सब धन धूल समान।

पहले हमारे यहाँ गाय का व्यापार होता था। हाथी का घोड़े का व्यापार होता था। हाथी दाँत से खिलौने बनते हैं। गाय के मूत्र से दवाएं बनती हैं। कैन्सर जैसी बीमारी की दवा के लिये गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। गाय को संरक्षण देने के लिये स्पेशल स्कीम चलायें। इसी के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के कटौती से प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हम लोगों ने सपना संजोया था कि जब तक हमारा पशु स्वस्थ नहीं होगा हमारा किसान, नौजवान स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसके लिये तमाम रिसर्च किये गये। मान्यवर, तमाम सुझाव लाये गये। अधिकारी करोड़ों करोड़ रुपये खर्च करके रिसर्च करने गये एक गाय जो अस्सी लीटर दूध देती है और हमारे देश में 2/3 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती। पता करें कि क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे पशु पालन विभाग के अधिकारी उदासीन हैं। निदेशालय स्तर पर इसको देखने की आवश्यकता है। चक गजरिया फार्म है वहाँ घोटाला हुआ पशु खरीदे गये। साढ़े चार महीने पशु विभाग में रहने का मौका हमको मिला है। बड़ी अनियमितता हुई है, भारत सरकार का करोड़ों रुपया आया और आज जो निदेशक पद पर बैठे हैं, करोड़ों का भ्रष्टाचार, प्रदर्शनी, दवाओं, पशुओं, चारा खरीद में किया गया है जाँचे हुई लेकिन दवा दी गयी पुनः नये सिरे से विजलेंस जाँच कराकर भ्रष्ट अफसरों को दण्डित किया जाय। करोड़ों की धनराशि का मान्यवर, सही उपयोग नहीं किया, मान्यवर जिस तरह से निदेशालय स्तर पर गड़बड़ की जाती है, घोटाले किये जाते हैं और फिर उनको दबाया जाता है। जब तक इसमें सख्ती नहीं करेंगे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है जिस तरह से पानी का स्रोत ऊपर से चलता है उसी तरह से भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे की ओर चलता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा आज इनका बजट है, जो फार्म हाउस घाटे में चल रहे हैं जिस तरह मछुआरों की स्थिति है यह भुखमरी के कगार पर हैं। जब 1993-94 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस समय उन्होंने दस वर्षों के पट्टे प्रदान करने के

आदेश दिये थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने उसको निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, आत्म हत्यायें हो रही हैं, जान दे रहे हैं, पूरा मछुआरा समुदाय भुखमरी की कगार में हैं। तालाबों को पक्षी बिहार बना दिया गया है। मान्यवर, हम देखते हैं कि आज 80–90 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं नदियों में जो छोटी मछलियाँ और अंडे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है इस स्थिति में कैसे सुधार हो इसको देखने की आवश्यकता है। नदियों में पानी नहीं है छोटी-छोटी मछलियों को निकाल लिया जाता है। नदियों की जिला परिषदों द्वारा नीलामी की जा रही है, नीलामी समाप्त कर सहकारी समितियों को पट्टे दिये जायं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा। पशु स्वस्थ रहें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है लेवी बढ़ा दी है। जिस तरह से पुरुष/महिला जिला अस्पतालों में सात रुपया पर्चा कर दिया गया। उसी तरह पशु चिकित्सालयों में ली जा रही है जब तक लेबी खत्म नहीं करेंगे, बढ़ावा नहीं मिलेगा, पशु पालक जागरूक नहीं हैं पशुओं का इलाज नहीं कराते हैं, पशु पकड़कर आप इलाज करायें, लेवी को मुक्त करना चाहिए। पशु चिकित्सकों की कमी है, दवाओं का अभाव है। जिला योजना से बजट जाता है–"ऊँट के मुंह में जीरा" होता है। इसमें मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ जनपद बांदा के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक नहीं हैं उनकी व्यवस्था कराई जाए।

(व्यवधान)

(श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद और श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल दोनों एक साथ बोल रहे थे।)

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे नये सदस्य को इस सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मैं दुग्ध विकास बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ माननीय मंत्री जी ने सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन इसमें मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा देश किसान पर निर्भर करता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है ग्राम के किसानों के पास दूध केवल अकेला ऐसा साधन है जिसे बेचकर नकद पैसा प्राप्त करता है हमें दूध देने वाले पशुओं को कटने से बचाना चाहिये इस बजट में स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि देहात में बीमार पशुओं के चिकित्सालयों की कमी है वहां पर बीमार पशुओं के लिए ज्यादा अस्पताल होने चाहिये। देहात में 10-20 किलो दूध लाने वाले किसानों का नमूना भरने के नाम पर उत्पीड़न नहीं होना चाहिये। दुग्ध से बने उत्पादों पर व्यापार कर की दरें कम होनी चाहिये। यह सदन केन्द्र सरकार से भी आग्रह करे कि हमारे देश व प्रदेश में दूध की कमी नहीं है। विदेशों से आने वाले वटर आयल व पाउडर पर रोक होनी चाहिये रोक न लगने की स्थिति में उन पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी अधिक होनी चाहिये जिससे देश प्रदेश का व्यापारी प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। .....

मैं इस बजट पर बल देते हुए समर्थन करता हूँ और पक्ष और विपक्ष दोनों का आभारी हूँ। मान्यवर, दूध पर जो टैक्स लगाने की बात चल रही है, यह ठीक नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी यह टैक्स नहीं लगाये जाते हैं।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं मत्स्य विभाग तक ही सीमित रहूँगा। मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिणिक उत्थान के लिए और लोगों को मछली के रूप में पौष्टिक आहार देने के लिए में जो प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के अन्य पोषक तत्व पाये जाते हैं। जैसे-फासफोरस,

कैल्सियम और लोहा आदि। इसलिए मछली का बहुत महत्व है। आज जब एडलटरेशन बढ़ रहा है उस समय मछली की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा है और उसके खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह विभाग ऐसा है जिससे मछुआ समुदाय का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिणिक उत्थान जुड़ा है। मान्यवर, मछुआ समुदाय का काम मछली पालन, मछली का शिकार करना है। यह इनका कस्टमपरी राइट्स है। गांव सभाओं में जलाशयों में पोखरों में और अन्य जो विभागीय जलाशय हैं, बंधे हैं उनमें परम्परागत तरीके से मछली पालन मछुआ समुदाय का पेशा रहा है।

मान्यवर, भारत के संविधान में कस्टमरी राइट्स का उल्लेख है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जिस किसी का कस्टमरी राइट्स है उसे किसी भी कानून से नहीं छीना जा सकता है इसलिए उत्तर प्रदेश में नाले, पोखरों, झीलों, पोखरों, जलाशयों में मछली पालन और मछली आखेट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया था। समय-समय पर शासनादेश भी जारी हुए थे कि बिना नीलामी बोली के मछुआ समुदाय और मछुआ सहकारी समिति को फिसिंग पट्टे दिये जायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लाखों मछुआ समुदाय के लोगों को तथा हजारों की संख्या में जो इनकी सहकारी समितियां हैं उनको लाभ हो रहा था। लेकिन इसी अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश में संकट पैदा हो गया। माननीय उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ में श्री राम भरोसे लाल की याचिका में यह फैसला दिया गया है कि जो राज्य सरकार की अधिसूचनाएं हैं उनको असंवैधानिक करार दिया है और यह लिखा है कि जो मछली पालन करते हैं, केवट, मल्लाह, धीवर आदि जो यह धंधा करते हैं उनको न दिया जाय और यह सार्वजनिक नीलामी के जरिये किया जाय। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर, 1975 से लेकर सन् 1980-81 तथा 94 में जो मछुआ समुदाय के लिए शासनादेश जारी हुए हैं उसके जरिए नदी, नाले, पोखरों, जलाशयों आदि में बिना नीलामी के पट्टे दिये जायेंगे, मछुवा समुदाय का कस्टमरी राइट्स है, इसको भारतीय संविधान में संवैधानिक संरक्षण दिया है।

मान्यवर, उच्च न्यायालय के फैसले से एक संकट उत्पन्न हो गया है। इससे मछुआ समुदाय के लोगों की रोजी-रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह लाखों मछुआ समुदाय के लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। इसके लिए सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर करनी चाहिए और जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है उसको निरस्त कराके जो मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट सम्बन्धी शासनादेश पूर्ववत् जारी था उसी को जारी करवाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब वह उत्तर देंगे तो वह इस पर जवाव भी दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विशेष याचिका दायर की है या नहीं। यदि नहीं तो कब तक कर दी जाएगी। मान्यवर, मछुआ समुदाय जो छप्पर के मकान में रहने वाले लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश में कई लाख मछुआ समुदाय के लोग रहते जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। उनके लिए केन्द्र सरकार ने एक मछुवा आवाज योजना बनायी थी। लेकिन इस बजट में केवल 2 हजार मकानों की व्यवस्था है। मैं मांग करता हूँ कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 1 लाख मछुआ समुदाय को मछुवा आवास देने की योजना बनायी जानी चाहिए और मत्स्य सहकारी संघ का जो प्रबन्ध निदेशक होता है उसका पद ए श्रेणी का होना चाहिए। ऐसा करके मत्स्य सहकारी संघ को सुदृढ़ किया जा सकता है और मत्स्य जीव सहकारी समितियों को ऋण अनुदान देकर आत्मनिर्भर बनाने का उपाय किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राजेश कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, लखीमपुर खीरी में सहकारी दुग्ध संघ है वहाँ पर दूध का किसानों का लाखों रुपया बकाया है। आपसे अनुरोध है कि उनका पैसा दिलाया जाय,

और वह सहकारी दुग्ध संघ फिर से चलाया जाय। मेरे जनपद में पशुओं की संख्या अधिक है और दुध का उत्पादन अधिक होता है। मान्यवर, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें अच्छी किस्म के जानवरों को खरीदकर किसानों को दिया जाए। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। हमारे जनपद में जंगल का इलाका अधिक है वहाँ पर जानवरों को जगंल में चरने की अनुमति दी जाए। दूसरी बात मैं जिला पशु चिकित्सा अधिकारी के क्रिया कलापों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लखीमपुर खीरी में जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने जनपद लखीमपुर में कई डाक्टरों को मानसिक और आर्थिक रूप से उप निदेशक पशुपालन विभाग जिसका नाम डा० मंगूलाल खरे है के इशारे पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर इदरीस खान वेंडर कम्पांडर है। उसका कई बार दूसरे जिले में ट्रान्सफर किया गया। उसके बाद फिर वह जनपद खीरी में आ गया। बताया गया फिर उसे दूसरे जनपद में स्थानांतरित करने का काम किया जा रहा है। जो डाक्टर खरे उप निदेशक पशुपालन विभाग के क्रियाकलापों की जाँचकर इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। वह कहते हैं कि हमारा जुगाड़ है इस तरह से मान्यवर यह स्थिति है और माननीय मंत्री जी इनके उप निदेशक, पशुपालन विभाग कार्यकलापों की जांच कराके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री लाल बहादुर यादव–

मान्यवर, आपने मुझे दुग्ध विकास एवं पशुपालन के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 70 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है और जो खेती पर आधारित है और पशुओं का रख-रखाव कर के अपनी जीविका चलाती है। मान्यवर, आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत डी०आर०डी०ए० योजना आती है। मान्यवर, उसमें बहुत से किसानों के लिए पशुओं के खरीदने की व्यवस्था की जाती है जो पशुओं को खरीद कर दुग्ध उत्पादन तथा अन्य व्यवसाय करते हैं। मान्यवर, अस्पतालों में पशु चिकित्सकों के न रहने पर कभी-कभी लाभार्थी का पशु दवा के अभाव में मरता है। यह भी सही है कि जहां उसको लोन के अंतर्गत पशु दिलाया जाता है उसका डाक्टरी परीक्षण न होने के नाते उससे वसूली की जाती है और वह बेचारा मारा-मारा फिरता है। मान्यवर, जौनपुर दुग्ध संघ को हस्तान्तरित करके उसको वाराणसी दुग्ध संघ में मिला दिया गया है। मान्यवर, जौनपुर के दुग्ध व्यवसायियों का लगभग सवा करोड़ रुपया उस दुग्ध संघ पर बकाया है और विगत 6 महीनों से उनके पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, अगर 6"–6 महीने से पैसा रखा रहेगा तो उनके बच्चे भी भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे और जानवरों के लिए चारे का अभाव की वजह से निश्चित रूप से जानवर भी मरने की कगार पर पहुंच जायेंगे। क्योंकि वहां का किसान अपने पशुओं को रखकर दुग्ध का बिजनेस करता है जो डेयरी पर पहुंचता है और डेयरी के माध्यम से दुग्ध संघ को जाता है। मेरा निवेदन है कि जौनपुर दुग्ध संघ को पुनः बनारस से जौनपुर में उसके पुराने अस्तित्व में लाया जाये और किसानों के बकाया सवा करोड़ को जल्दी से जल्दी दिलाया जाये। मैं इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हाजी याकूब–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पशुपालन एवं दुग्ध विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज यह मछली पालन की बात करते हैं। मान्यवर, पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें मछुआ के नाम से एक अध्यादेश पास किया था जिसमें मछुआ मुसलमान माहीगीर जो मछुआ मल्लाह समुदाय के नाम से मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको हटाकर केवल मल्लाहों को कर दिया था जिससे लाखों मुसलमान मछुआ माहीगीर समुदाय के लोग बेरोजगार हो गये थे लेकिन अब हमारी सरकार ने मछुआ और माहीगीर दोनों को कर दिया है कि वह तालाब में मछली पालन कर सके। यह शासनादेश हो गया है और जिलाधिकारी को जाना है। मेरी गुजारिश है कि तत्काल इस शासनादेश को भिजवाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विलोकन नहीं किया।

मान्यवर, दूध के बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी कीमत बहुत कम है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे यहाँ माँ ने पूत को फेंककर दूध को समेटा है तो दूध की इतनी कीमत है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दूध की कीमत विदेशी पानी की कीमत से कम है। विदेशी पानी की कीमत 12 रुपये हैं और दूध की कीमत 7 रुपया किलो है। मेरा अनुरोध है कि किसान को सहूलियत दी जाय और दूध की कीमत बढ़ाई जाय।

मान्यवर, एक आदेश पारित कर दिया गया कि जानवर एक जिले से दूसरे जिले में न जायं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस वाले पैसा लेते हैं। मान्यवर, अगर जानवर पैदल चलेगा एक दिन दो दिन तो उसका दूध घटेगा इसलिये ट्रकों से जो गाय भैंस जाते हैं उनको जाने दिया जाय उत्तर प्रदेश पुलिस रुपये वसूल न करे, गाय भैंसो के जाने में कोई पाबन्दी नहीं लगाई जानी चाहिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री राजेन्द्र प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे दुग्ध विकास के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि लखनऊ जनपद की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरह से दूध का उपयोग भी बढ़ रहा है लेकिन दूधिया भाइयों के साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यहाँ दूधिया लोगों ने दूध के किसानों से हड़ताल की थी और दूध को नदी में बहाने का काम किया था। हमारे तमाम भाई जो दूध को बेचकर अपना पालन पोषण का काम करते हैं। उनको नगर से हटा दिया गया है उनका कोई पुरसाहाल नहीं है जो गर्मी में, बरसात में, जाड़ों में तालाबों और नदियों के किनारे जंगल में पड़े हैं उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। यह सरकार दूध किसानों का शोषण कर रही है। मेरे क्षेत्र के अधिकांश किसान जिनकी जमीनें लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास ने अधिग्रहीत कर ली हैं आज वह किसान भुखमरी की कगार पर हैं। मान्यवर, 1993 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने गोमतीनगर में एक पशु चिकित्सालय के लिए 12 लाख रुपये दिये थे आज उस रुपये का कहीं पता नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि गोमतीनगर में पशु चिकित्सालय की स्थापना तुरन्त कराई जाय तथा दूध उत्पादकों के लिए लखनऊ के कानपुर रोड, रायबरेली रोड, फैजाबाद रोड, हरदोई रोड, सुलतानपुर रोड, सभी मुख्य मार्गों पर डेयरी की मंडी की स्थापना कराई जाय (व्यवधान) इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर जो कमाल यूसुफ साहब ने रखा है उस पर बोलने का मौका दिया। पशुपालन मंत्री ने लगातार कई मदों को एक साथ करके साबित कर दिया है कि मुझको इन विभागों के प्रति गंभीरता नहीं है, मेरे लिए तो नगर विकास विभाग ही काफी है। यह थोक में व्यापार करने के आदी हैं। थोक में बजट रख दिया कि लोग कटौती के प्रस्ताव पर 2-4 मिनट का समय पायेंगे तो इसके बारे में कितना कहेंगे। किसानों का यह प्रदेश है गांव में जहां खेती है। उसके साथ-साथ बिजनेस के रूप में पशुपालन है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों को बिजनेस करके खेती का भार घटाना चाहिए। तब से पशुपालन विभाग का काम बहुत अच्छा हुआ और श्री मुलालय सिंह यादव को सबसे पहले पशुपालन विभाग दे करके कहा कि दक्षता के साथ इस विभाग को पढ़ाने का काम होना चाहिए। तब से यह काम हो रहा है। विश्व बैंक पूरी तरह से सहयोग देता है सभी विभागों को प्रोत्साहित करने के लिए दुनियां के देशों की ओर से हर तरह के प्रोत्साहन मिल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आज हर जगह घाटा है जितने निगम हैं मंत्री जी ने बताया नहीं कि उनमें कितना घाटा है, उसमें कितना फिजूलखर्च है। कितने पदों पर रिक्तियां हैं और उन रिक्तियों को हम भर नहीं पाये हैं। पूरे प्रदेश में फैले हुए अस्पताल, पशु चिकित्सालय हैं वहां डाक्टरों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अभाव है, कम्पाउंडर अस्पताल चला रहे हैं और पूरी तरह से लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। सारे के सारे पशु चिकित्सक शहर की तरफ भागते हैं और कोशिश करते हैं कि शहर में निवास करें और कुछ समय के लिए अस्पताल जायें। इन्होंने बताया नहीं है कि कितनी रिक्तियां है कितनी भर पाये हैं और बाकी को भरने का काम कब तक करेंगे जितने परिक्षेत्र हैं सब घाटे में है, परिक्षेत्र बेचने के कगार पर हैं। बकरी पालन, भेंड़ पालन आदि पशुपालन के अन्य परिक्षेत्र हैं जो कि बेकार पड़े हैं। उनके बारे में क्या कार्य योजना मंत्री जी की है यह उन्होंने नहीं बताया। यह भी नहीं बताया कि पशुपालन निगम जो है उसकी क्या हालत है। पशुपालन सहकारी संघ जिसमें श्री मुलायम सिंह यादव के जमाने में चुनाव कराया गया था उसको लोकतंत्री व्यवस्था से जोड़ने का काम हुआ था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सहकारी समितियों के बारे में कुछ नहीं बताया। बाकी सभी जगहों पर हैदराबाद के अन्दर महाराष्ट्र के अन्दर, गुजरात के अन्दर यह उद्योग बड़े अच्छे ढंग से चलाये जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी हर हाथ को काम देने के प्रति इस योजना को कर दें तो बजट में बढ़ोत्तरी होगी, विकास का काम होगा।

मान्यवर, बलिया डेरी में वहां के प्रबन्धक श्रीवास्तव ने अपने साढ़े 3 वर्ष के कार्यकाल में उसका बंटाधार कर दिया। आज भी वहां पर 36 लाख रुपये काश्तकारों का बकाया है। 50 हजार से ऊपर का कारोबार करने वाले काश्तकार उसके मेम्बर बन गये थे, अब डेरी समाप्त होने जा रही है और घाटा, फिजूलखर्ची के चलते दुग्ध संघ का बंटाधार हुआ है। अब इसको वाराणसी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस डेरी को 50-60 लाख का विशेष अनुदान देकर चलाया जाय और वहाँ के मैनेजर को हराने का आप काम करें वहाँ तमाम फिजूलखर्ची हो रही है, ए०सी० चलाकर विभाग को नुकसान करने का काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जब आप उत्तर देने के लिये खड़े हों तो कृपया बताने की कृपा करें कि कितने कर्मचारियों पर जाँच चल रही है, कितनों पर आर्थिक अपराध शाखा की जाँच चल रही कितनों पर अनुशासनिक जाँच चल रही है, और उस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे, वहाँ पर आज पूरी तौर से भ्रष्टाचार पनप रहा है इसलिये जिन लोगों पर जाँच चल रही है, उसको आप यहाँ बताने का काम अवश्य करें।

मान्यवर, आज अस्पताल में वहाँ पर डाक्टरों की काफी जगह खाली हैं, उनको आप कब तक भरने का काम करेगे। इसके अलावा मछली के पट्टे मल्लाह जाति के लोगों को कैसे देंगे। इसी के साथ मैं माननीय कमालयूसूफ साहब के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। केवल अपने हरदोई जनपद के संबंध में 2-3 बात कहना चाहता हूँ। हमारे हरदोई जिले में एक पराग डेरी है, वहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घपला है। जिसकी कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई डेरी होगी, जिसमें इतना ज्यादा घपला हो। इसलिये में आपसे माँग करता हूँ कि इसकी जाँच कराई जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय साथ ही वहाँ के बोर्ड को भंग कर दिया जाय क्योंकि वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस डेरी पर किसानों का लाखों रुपया बकाया है जो दूध के किसानों को नहीं दिया गया है। वह रुपये उनको दिलाने का काम किया जाय। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में और जिले में लगातार पशुधन की कमी हो रही है। जितने जानवरों के अस्पताल हैं, वहाँ डाक्टर नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे हरदोई जिले के हरपालपुर, सांडी, बिलग्राम में जानवरों के जो अस्पताल हैं, वहाँ डाक्टर और दवाइयाँ नहीं हैं। 5-6 नदियों के बीच का इलाका है और इस सम्बन्ध में मेरी माँग है कि वहाँ जो अस्पताल हैं, वहाँ कम से कम दवाइयों और डाक्टर्स की व्यवस्था अवश्य की जाय। जो जानवर बीमारियों से मर जाते हैं, उनके लिये कम्पलसरी बीमा योजना पालिसी लागू की जाय ताकि पशुधन को बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। मान्यवर, अब तो प्रदेश में काफी बड़ी-बड़ी ग्राम सभायें बन गई हैं, 5-5 हजार आबादी की। तो हर एक ग्राम सभा के एक-एक जानवरों का अस्पताल अवश्य खोला जाय।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि शहरों में दूध 18 रुपये, 20 रुपये लीटर पर बिकता है, जबकि किसानों से 5-6 रुपये में नदियों के किनारे से समितियाँ खरीद लेती हैं, इस तरह से उनको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये उनसे खरीदे जाने वाले दूध का रेट 10, 15 अथवा 12 रुपये फिक्स कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रणवीर राणा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, साथ ही माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। मान्यवर फिर भी हर चीज में कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाया करती है। मान्यवर, आज हर जगह फैक्ट्रियां बन्द हो रही हैं, कारखाने बन्द हो रहे हैं और गरीब भूखों मरता जा रहा है, इसमें मात्र एक सहारा पशुधन को जो आज हमारे ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, गरीबों, मजदूरों को, कृषकों को रोटी–रोजी प्रदान कर रहे हैं।

मान्यवर, इसलिए आज इस विभाग को बचाना बहुत जरूरी है मान्यवर, जहां-जहां सहकारी डेरियां चलाई जाती हैं वहां-वहां भ्रष्टाचार पहुंच जाता है। सहकारी डेरियां पहुंचती हैं रोजी-रोटी देने के लिए लेकिन होती है इसके माध्यम से लूट। मेरा पहला सुझाव है कि जहां पर इस प्रकार की सहकारी डेरियां कार्य कर रही हैं, वहां भ्रष्टाचार है, वहाँ के मैनेजर, उसके मानीटर और उसके एक कर्मचारी और सचिव को जरूर शामिल करके उसको भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार माना जाय। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकेगा। मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पशुओं की देख-रेख के लिए समुचित रूप से डाक्टर और दवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है, इसको दूर करना पड़ेगा, जो पशुपालक हैं, सरकार की तरफ से उसके पशुओं का बीमा होना चाहिये और उसके साथ ही साथ जहां-जहां जरूरत है वहां दवाओं के साथ-साथ अस्पताल बनाये जाने चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में चार साल से लगातार हर साल बीमारी फैल रही है वहां आल इण्डिया की टीम, यू०पी० की टीम डाक्टरों की टीम वहां पहुंची और उसका बाकायदा "आजतक" समाचार दर्शन है उसमें पूरा ब्योरा दिया गया है, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है वहां एक अस्पताल अवश्य बनाया जांय क्यों कि डाक्टरों का कहना है कि इसी बहरामपुर गांव से ही सारे जिले के पशुओं में बीमारी फैलती है।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और इस पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विकास के बजट का समर्थन करती हूँ। मान्यवर, हमारे देश में एक नारा था कि मेरे यहां दूध की नदियां बहती रहें, परन्तु आज यह नारा गांव से बहुत दूर होता चला जा रहा है, इसके पीछे कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज हमारे पास भू-भाग कम हो रहे हैं जो पशुओं के लिए भू-भाग होते थे, प्राकृतिक चारागाह थे, उन पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, आज पशुओं को जो उनका हरा-भरा आहार था, वह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोगों को अपने घरों में पशुओं को बांध कर रखने की बाध्यता हो गई है, क्योंकि चारागाह लुप्त होते जा रहे हैं। मान्यवर, आज सूखा पड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में जल संकट सामने आने वाला है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो आप केन्द्र से सहायता मांग रहे हैं उस सहायता को बहुत बड़े पैमाने पर मांगें। दूध एक सम्पूर्ण आहार है और महिलाओं और बच्चों के विकास में बहुत लाभदायक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अपने क्षेत्र की समस्या बतायें।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा—

आज बच्चों को सम्पूर्ण आहार न मिल पाने से कमजोर हो रहे है आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से आहार न मिल पाने से कमजोर हो गई है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पशुधन की, मत्स्य पालन की, क्योंकि सूखा पड़ने से तालाब खाली पड़े हैं और तालाबों को भरने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए चाहे सूखा राहत के माध्यम से इसको कराया जाय। इसी तरह से पशु बहुत मंहगे हो गये हैं। आज गाँव का पशुधन पालने वाला व्यक्ति है वह पशु खरीद नहीं पा रहा है। इसके लिए एक पशुधन क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए जिससे उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से अधिक से अधिक कर्ज मिले और लोग अपने घरों में पशु पालकर दुग्ध उत्पादन करें। इससे केवल दुग्ध ही नहीं, बायोगैस से बिजली की समस्या का समाधान होगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए पुनः आभार। मेरा सुझाव है कि इस बजट को और बढ़ाकर गाँव के सूक्ष्म कोने तक पहुँचाने की आवश्यता है।

श्री शंखलाल माँझी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पशुधन, दुग्ध और मत्स्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय मंत्री जी ने सीमित संसाधनों में अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी तरफ से चन्द सुझाव देना चाहता हूँ। दुग्ध उत्पादन के बारे में दुग्ध विकास के द्वारा जो सुविधायें दी गयी हैं, विपणन हेतु स्टोरेज और चिलिंग सेण्टर लिमिटेड जनपदों में ही हैं। हमारे पूर्वान्चल में गोरखपुर मण्डल में गोरखपुर में है, बस्ती, सन्त कबीर नगर में नहीं है। इसी तरह से क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादकों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सुचारू रूप से न होने की वजह से जो ग्रामीण दुग्ध उत्पादक हैं उनको दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि चिलिंगसेण्टर प्रत्येक जनपद में बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही दुग्ध संबंधी डेयरी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जांय, जिससे जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको उनकी उत्पादकता का सही मूल्य मिल सके।

मान्यवर, जहां तक मत्स्य विभाग की बात है, अभी सीताराम निषाद जी बता रहे थे कि मत्स्य पालन मछुआ समुदाय का कस्टमरी राइट है और यह संविधान द्वारा संरक्षित है। उसके आधार पर मछुआ समुदाय के लोग जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकऔर राजनैतिक सभी स्तरों से गिरी दशा में हैं आज उनकी स्थिति अनुसूचित जाति से भी दयनीय है। उनका पैतृक पेशा मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट का था उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया इससे मछुआ समुदाय के लिए आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। मैं माँग करता हूं कि माननीय मंत्री जी एडवोकेट जनरल से राय लेकर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा जो रोक लगायी गयी है उसके आदेशों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दाखिल करके ध्यान आकृष्ट किया जा सके ताकि मछुआरों की जो रोजी-रोटी छिनने की आशंका पैदा हो गयी है वह दूर हो सके। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मछुआरों की प्रदेश स्तर की एक संघ बनी है इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–30 में स्पष्ट है कि किसी शीर्ष संस्था का प्रबन्ध निदेशक प्रथम श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं होगा परन्तु उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०, लखनऊ में प्रबन्ध निदेशक एक द्वितीय श्रेणी, सहायक निबन्धक स्तर का अधिकारी नियुक्त है जिसके बारे में संघ के निर्वाचित सभापति ने माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराया तथा मा० मंत्री जी ने तुरन्त निस्तारण करने का आदेश दिनांक 4-6-2002 को दिया परन्तु उक्त अनियमित पदस्थ प्रबन्ध निदेशक को अभी तक नहीं हटाया गया। मान्यवर, यहां पर जो मत्स्य विभाग के प्रबंध निदेशक हैं उनके द्वारा साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मान्यवर, मत्स्य निगम द्वारा मत्स्य आहार को संघ से न क्रय करके खुली बाजार से क्रय किया जा रहा है। मा० मंत्री जी, यदि मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों व निगम

की हैचरियों में प्रयोग होने वाला मत्स्य आहार संघ से क्रय किये जाने का आदेश कर दें तो मछुआरों की यह सहकारी संस्था स्वावलम्बी हो जायगी और मत्स्य उत्पादन भी बढ़ेगा। मान्यवर, मछुआ दुर्घटना बीमा प्रदेश में चलायी जा रही है लेकिन इसका लाभ मछुआरों को नहीं मिल रहा है। यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित है। लेकिन इसका लाभ निदेशालय की निष्क्रियता के कारण नहीं मिल पाता है इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये। मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री शंख लाल माँझी – [x x x]

* श्री कौशल किशोर—

मान्यवर, आपने जो बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर पशुधन लगातार घट रहा है। बकरियों, भेड़ों, गाय, भैंसों, टट्टुओं, खच्चरों की संख्या गिरती चली जा रही है दूसरी तरफ सुअरों और सुअर के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूध का उत्पादन घट रहा है लेकिन उसकी खपत बढ़ती जा रही है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाना चाहिये। जो कर्ज लेकर दुधारू पशु खरीदते हैं उनके लिये बीमा योजना लागू की गयी है। यदि जानवर बीच में मर जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि जब तक दुधारू पशु गाय-भैंस के कर्ज का सारा पैसा अदा न हो जाय तब तक यह बीमा योजना लागू की जानी चाहिये। इसी तरह से पशुओं के चिकित्सालयों के लिये सही योजना नहीं बनायी गयी है जिससे लगातार पशुओं की संख्या घट रही है। 1995-96 में 1965 चिकित्सालय थे जिनकी संख्या घटकर 1758 रह गयी है। इसका प्रभाव पशुओं पर पड़ रहा है। इसी तरह से जो पशुओं के चारागाह थे उन पर मकान बनाकर कब्जे हो गये हैं और पशुओं का चारण बंद हो गया है अतः पशुओं के लिये चारागाहों की व्यवस्था की जानी चाहिये। मान्यवर, मत्स्य पालन के लिये जो पट्टे किये जा रहे हैं वह केवल एक जाति विशेष के लोगों को किये जा रहे हैं। मत्स्य की जो ट्रेनिंग दी जाती है वह किसी जाति विशेष के लोगों को नहीं दी जाती है। हर जाति और हर बिरादरी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिये जब पट्टे दिये जायं तो सबसे पहले उनको दिये जायं जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गयी है और उसके बाद बच जायं तो दूसरे लोगों को पट्टे दिये जायं। मान्यवर, दुधारू पशुओं के जो काटने की प्रक्रिया चल रही है इसको पूरी तरह से रोका जाय और दुधारू पशुओं का जो मांस खाया जाता है उस पर पूरी तरह से रोक लगायी जाय।

दुधारू पशुओं को बढ़ाने पर जब तक कोई योजना नहीं बनाई जाएगी तब तक किसी भी प्रकार से पशुधन की बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं। यह जो बजट यहाँ पेश किया गया है इसमें कोई इस तरह का कार्यक्रम पेश नहीं किया गया है। हर चीज घटोत्तरी में दिखाई जा रही है। पशुधन की घटोत्तरी हो रही है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव जो रखा गया है पर बल देता हूँ।

श्री रिजवान अहमद खाँ–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह पशुधन विभाग ऐसा विभाग है जिस पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ पर पशुओं के चिकित्सालय चल रहे हैं वहाँ पर कोई डाक्टर नहीं हैं। मेरे क्षेत्र मुरादाबाद जिले में फरैदी गांव में 12 साल से अस्पताल खराब पड़ा है। वहाँ पर 12 साल से कोई डाक्टर नहीं आया है। न कोई स्टाफ मैन है न कोई सुनवाई की गई। हम लोगों ने

नोट–[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारी को लिखकर दिया धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन आज तक 12 साल में फरैदी गांव के लिए डाक्टर नहीं आया। बिल्डिंग भी टूट-टूट कर गिर चुकी है। इसी तरह से दूसरी जगहों पर न डाक्टर हैं न स्टाफ वहाँ से कुंदरकी 7 कि०मी० दूरी पर है 7 कि०मी० जानवरों को ले जाते हैं। इससे परेशानी बढ़ जाती है। पहले पशु चिकित्सालयों में बड़े पैमाने पर हाजमे के चूर्ण आता था। कुंतलों चूर्ण आता था लेकिन आज एक छटांक चूर्ण नहीं आता है। इससे पशुओं का अगर पेट दर्द हो या अन्य बीमारी हो तो दिक्कत होती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रिजवान अहमद खाँ–

चारागाहों की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा अहम सवाल बैल बाजारों का है इन बाजारों से किसान खरीदकर लेता है लेकिन उसे पुलिस इतना परेशान करती है। इसलिए या तो इन बाजारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए या फिर पुलिस उत्पीड़न को रोका जाए। चकबन्दी आज चल रही है इसलिए चारागाहों को छुड़ाया जाए। यह बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ श्री कमाल यूसूफ साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है। उस पर मैं बल देता हूँ।

श्री दिनेश सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय पशुधन मंत्री जी ने बजट का प्रस्ताव रखा तो हमारे माननीय कमाल यूसुफ साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा। पशुधन पर कटौती का जो प्रस्ताव कमाल साहब ने रखा है। मैं चाहूंगा कि पशुधन किसी का मोहताज नहीं होता है। वह छीनकर खाता है। पशुधन जिस प्रकार से किसी का मोहताज नहीं होता है उसी प्रकार पशुधन मंत्री भी मोहताज नहीं होंगे। वह कटौती के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ।

[समय 6.00 बजकर 20 मिनट]

वह सत्ता पक्ष के हैं और आप विपक्ष के हैं। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ जरूर निवेदन करना चाहता हूँ और आपके संज्ञान में पीठ के माध्यम से लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने एक चिन्ता व्यक्त की है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिये चिन्ता व्यक्त की है। मान्यवर, यह चिन्ता की बात है, हमारे यहाँ पशुओं की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है और इसका असर दूध पर भी पड़ रहा है। आपके संज्ञान में लाते हुए आपको यहाँ से अपने निर्वाचन क्षेत्र सिद्धार्थनगर की ओर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ 14 ब्लाकों में 4 डाक्टर हैं वे संक्रामक रोगों से कहां तक बचा पायेंगे। यह चारों डाक्टर, जो पशु पोस्टमार्टम के लिये आते हैं उसमें सुविधा शुल्क भी दिया जाता है, उसी काम को करने में लगे रहते हैं और इसके अलावा आई०आर०डी० के लोन से खरीदे गये पशुओं के छल्ले लगाने में ही लगे रहते हैं तो यह पशु जो संक्रामक रोग से पीड़ित हैं उनको कब देखेंगे। मान्यवर, यह मनुष्यों के जीवन से जुड़ा सवाल है। किसान, मजदूर इसी के द्वारा अपने को गरीबी से ऊपर उठाकर विकास के रास्ते की ओर ले जा सकता है, यही सोच गांधी जी की थी।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, बड़ी मुश्किल से तो आपने दो मिनट का समय दिया है। एक मिनट और। मान्यवर, एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो देशी गाय की नस्ल थी हरियाणा, साहीवाल, गंगा तीरी कनवरिया आदि यह सब विलुप्त होती जा रही हैं। माना कि इनका दूध कम होता था लेकिन इनके बछड़े हमारे किसान की धरती का पेट फाड़ते थे और अन्न उपजाकर हमको खाने को देते थे। जहाँ

विदेशी जातियों को आज बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें दूध की मात्रा ज्यादा जरूर है लेकिन उनके बछड़ें किसी काम के नहीं होते हैं सिर्फ इसके कि बड़े होकर यात्रियों को मारने का काम करते हैं। हमारे यहाँ बाजार में एक साँड़ ने तीन लोगों की हत्या कर दी।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री दिनेश सिंह – [x x x]

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से हरीशंकर तिवारी जी का आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने मेरी शंकाओं को पुख्ता कर दिया मैंने अखबार की कतरने आपको दी, इसको गम्भीरता से लीजिए। अगर अखबार में आया है तो जाँच होनी चाहिए। इस पर हरीशंकर तिवारी जी ने बल दिया है इसको संजीदगी से लेना होगा। मैं चाहता हूँ बलिया के मामले में कहा गया, इनके संघ जो दूध के बंद हैं उनको खुलवाने के लिए अनुदान दीजिए किसानों का बकाया दे दीजिए। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ गोमतीनगर में 12 लाख रुपया मुलायम सिंह यादव जी ने एक अस्पताल बनाने के लिए दिया था, जो जमीन है वह झगड़े में हैं आज नगर विकास मंत्री जी भी हैं इसकी व्यवस्था करा दें। अस्पताल जो चल रहा है मकान को किराए पर लेकर चलाया जा रहा है मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं मैं उस पर बल देता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं कमाल साहब का आभारी हूँ कि इन्होंने जिस तरह से बहस शुरू की वह एक पाजीटिव तरह से विभाग का सारा चित्रण हमारे सामने आया इससे हमेशा लाभ मिलता है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो कहा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जायेगा। जिनके-जिनके खिलाफ आरोप आ रहे हैं उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

दूसरी खुशी इस बात की है इस विषय में लोगों की राजनीति नहीं आई सबने पाजीटिव सुझाव रखे चाहे इधर के माननीय सदस्य हों चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, एक सर्वानुमति बन गई, एक आम राय बन गई जो गोबर उठा रहे हैं उसको रोकना चाहिए। जो घटती संख्या दुधारू पशुओं की है उसको कैसे रोका जाए। यह भविष्य के लिए खतरा है। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे कहा जाए कि अनुचित है। इसमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आम सहमति है जहाँ यह विभाग रोजगार का सृजन करता है। इसमें जिस तरह से काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो 1991 के दुग्ध संघ हैं इसमें 16 बन्द हो गए हैं। अब मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ। बलिया की बात आई मैं बताना चाहता हूँ केवल दस साल के पिछले आंकड़े हैं। दस साल लगातार घाटे में रहे। सरकार कैसे बर्दाश्त करे। यह फेडरेशन सरकार के आधार पर चल रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूँ इन सबका स्पेशल आडिट करायेंगे कि यह पैसा कहाँ गया यह जनता का पैसा है जो दुरुपयोग हुआ है इसमें जवाबदेह होना पड़ेगा और अगर आर्थिक अनियमितता आयी तो उत्तर प्रदेश की अपराध शाखा उसे बख्शेगी नहीं। कहीं न कहीं कठोरता करनी पड़ेगी अन्यथा खत्म हो जायेगा। जब भगवान ने इंसान को पैदा किया था तो उसके साथ जानवरों को भी पैदा किया था। ताकि वह उनकी हिफाजत कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। लेकिन आज यह एक-एक करके जा

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहे हैं। हालांकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन अगर आप देखें कितनी प्रजातियां लुप्तप्राय हो रही है। जैसे कि गिद्ध का उदाहरण देना चहूँगा। यह एक ऐसा पशु था जिसे कुदरत ने पैदा किया कि जो आदमी या जानवर मरे उसे यह खा जाता था। उनकी सद्गति हो जाती थी। लेकिन वह गायब हो गये हैं। कैसे गायब हो गये यह पता नहीं है। इसी प्रकार से दुधारू पशु पर संकट मड़रा रहा है इसमें हमको सचेत होना चाहिए। आप सबका सहयोग होना चाहिए।

यह राष्ट्रीय निधि है यह आम किसान और मजदूरों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर पशु नहीं है, दूध नहीं है तो वह किसके बल पर जिन्दा रहेगा। जो गाँव का आम आदमी है वह विटामिन की गोलियां नहीं खाता है। उसके लिए तो दूध और मट्ठा ही उसका विटामिन है। ज्यादा से ज्यादा घी वह खा लेता है। अगर यह व्यवस्था बिगड़ जायेगी तो कयामत आ जायेगी। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ। दो जगह के रिकार्ड बता सकता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। जौनपुर का बताऊँगा वहाँ पर 92-93 में .99 लाख का घाटा, 93-94 में 12. 28 लाख, 94-95 में .53 लाख 95-96 में 2.50 लाख तथा आखिर में 2001-2002 में यह पहुंचा है चार करोड़। तो इस प्रकार से बराबर घाटा होगा तो कितने दिन चलेगा। इसमें कहीं न कहीं पहले सुराख बंद करने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास यह पैसा जा रहा है या जिन लोगों ने पार किया उसके कारण जो यह गरीब व्यक्ति कष्ट में आ रहा है उसके लिए चिन्तित हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि चार करोड़ चौबीस लाख का घाटा है। इसके बाद जो फेडरेशन में घाटा हुआ है जो बंद पड़े हैं यह जिम्मेदारी तय की जायेगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका काम देखना है उनसे लापरवाही हुई है, यूनिट बिगड़ी तो यह सजा के पात्र होंगे।

श्री लाल बहादुर यादव–

मान्यवर, जौनपुर में काश्तकारों का पैसा बकाया है। उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। सूखा भी पड़ा है उनको पैसा दिलाया जाय।

श्री लालजी टण्डन–

वह चार करोड़ सबका बकाया है और यह कही से भी प्रबन्ध करके दिया जायेगा। पशु चिकित्सालय के बारे में कहा गया कि सब जगह नहीं हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जो वित्तीय स्थिति है झूठ कह देने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग नयी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट डाक्टर प्रेक्टिस करते हैं। इसी प्रकार से अस्पताल खोले जायेंगे। इसको सरकार को ज्यादा से ज्यादा यह करना होगा कि बैठने के लिए व्यवस्था करनी होगी जहाँ तक दवाइयों की बात है आंकडे तो बताते हैं कि सब जगह कुछ न कुछ पहुँच रहा है लेकिन हकीकत में कम पहुंच रही हैं इसमें छिपाने की बात नहीं है। सरकार की ट्रान्सपिरेन्सी होनी चाहिए। मेरे पास यह विभाग अभी आया है। जब मंत्रि परिषद् का विस्तार होगा तो यह किसके पास रहेगा मुझे नहीं पता। मेरे पास रहेगा या किसी और के पास। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ यह सब आदेश जारी होने के बाद उस पर कारवाई होने के बाद ही यह विभाग जाएगा। जो बातें माननीय सदस्यों की ओर से सुझाव के रूप में सामने आयी हैं इनके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने एक नुकसान किया कि जितने भी गोपाल थे सबको राजनीति में ले आये। जो समितियों से गौ की रक्षा करते थे उनको गोपाल कहा जाता था। गोपाल कृष्ण का रूप है वह सबके सब राजनीति में आकर डूब गये। और उन्होंने गौ पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो आज जो स्थिति है उसमें मैं चाहता हूं कि इसमें आप हमारा सहयोग दें। इसे हम सबको एक राष्ट्रीय संकट के रूप में ग्रहण करना चाहिए।

(व्यवधान)

दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान मथुरा इसके लिए बजटरी प्रावधान कर दिया गया है। पहले लेखानुदान में तनखा का पैसा रिजर्व कर दिया गया है बाकी के लिए अनुदान के लिए भी व्यवस्था कर दी है। यह हिन्दुस्तान में पहला विश्वविद्यालय होगा जो गौ के

संबंध में अनुसंधान करेगा और वहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाएगी। मान्यवर, यहाँ पर दो उच्चाधिकारियों के बारे में बातें कहीं गयी हैं। आपने जो सूचना दी है उसके अनुसार यह गंभीर मामला है। उसमें जांच चल रही है। बस एक रिपोर्ट आ जाय और आप देखेंगे कि मैं उनको कहाँ भेजता हूँ। मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं कर सकता। बस आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग रहेगा तो हम सबको ठीक कर देंगे। मान्यवर, मत्स्य पालन के बारे में बात आयी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि के साथ-साथ अगर यह पशुपालन भी चले तो हमारी जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है उसमें सुधार हो सकता है। जिनका जीवन सदियों से मछली पालन में जुड़ा है उससे, उनकी रोजी-रोटी चलती है। सारे जलाशय उन्हीं को दे दिये जाएं। उनकी सहकारी समितियाँ हैं। इस पर कुछ प्रतिबंध है। यह इसलिए कि कहीं कोई और इसे ले ले और जो असली हकदार है उसको नहीं मिल पाये तो यह ठीक नहीं होगा यह असली हकदार को मिले इसके लिए जो समितियां हैं जिनके पास आर्थिक संकट है और किसी और से पैसा लेकर लाना पड़ेगा तो इसके लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था हो रही है। अभी मुकदमें की बात आई। अगर उसमें स्पेशल अपील होनी है तो वह की जाएगी। उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सारी चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप कह रहे हैं तो मैं उल्टा जवाब दूँ। आप कहें कि भ्रष्टाचार है और मैं कहूँ कि नहीं है तो मैं कितना छिपा लूँगा। जो बहस का सार था उसका उत्तर देने की कोशिश की है। अब एक-एक बात की कन्सेस बन रही है। एक बात आई थी कि जो व्यापारी हैं जो कहीं से पशु लाते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसे पशुओं के परिवहन पर कोई बाधा न पहुंचे उसको हम देखेंगे। जो रास्ता रोककर स्लाटर हाऊस की तरफ जाता है। उस रास्ते को बन्द कर देंगे, जो लोग पशुओं को बेचने का काम ईमानदारी से करते हैं और पशुपालन को प्रोत्साहन दे रहे हैं वो लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं उनको परेशान किया जाता है तो शासन सक्षम है उन तत्वों से निपटने के लिए। आप निश्चिन्त रहें। अभी हाजी साहब चले गये उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय में जो माही हैं तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें विवाद नहीं है मजहब के आधार पर। जो लोग मछली पालने का काम करते रहे हों, वैसे एक ही वर्ग ज्यादा उसमें काम करता है दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कुछ काम करते हैं तो उनका भी वही अधिकार बनता है जो किसी दूसरे का बनता है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर जिन्होंने मछली पालन का प्रमाण-पत्र लिया है उनको वरीयता दी जाय।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जो जलाशय हैं सरकारी हैं ऐसे समाज के लोगों को ही दिये जाते थे रोजी-रोटी चलाने के लिए। दूसरा यह है कि हैचरी लगाकर मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं उनको पूरी सरकारी सुविधा अलग से है और उन्हें अनुदान भी है। आप हैचरी लगाकर काम करें पूरा अनुदान मिलेगा विभाग से।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, उनको पट्टे मिलने में परेशानी आती है, छठवें सातवें नम्बर पर उनका नाम आता है।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, आपके सामने जो व्यवहारिक कठिनाई है उनको मुझे लिखकर दे दीजिए मैं विचार करूँगा। मान्यवर, कोई बागवानी करता है, कोई उद्यान का काम करता है, कोई सब्जी बोता है, कोई मछली पालन करता उसे सरकार अनुदान देती है। मान्यवर, जो कृषि उत्पादन है वैसे ही मछली उत्पादन है और उनके लिए अलग सुविधाएँ हैं। उनके लिए अलग व्यवस्था है वह इस व्यवस्था में शामिल नहीं।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

जो प्राइवेट हैचरियां हैं जिनको आपने अनुदानित किया है उनको बेचने पर क्यों रोक लगा रहे हैं?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, किसी के ऊपर कोई बिक्री की रोक नहीं है आप बाहर भी बेच सकते हैं यह इसलिए है कि जो आपको पैसा अनुदान के रूप में दिया गया है तो आप उनके हाथ मछली बेचते हैं, तो यह प्रमाण रहता है कि सारा काम चल रहा है। अगर यह रिश्ता टूट जाता है तो वही होता है जैसा फेडरेशन में हुआ है। मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बजट है और उस पर आपके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं आपको धन्यवाद।

श्री किरनपाल कश्यप–

मान्यवर, मछली का पट्टा करते समय गरीब आदमी को देखा जाता है कि उसमें सबसे गरीब को दिया जाये। लेकिन जिसके पास बैंक में रखने के लिए जमीन नहीं होती है तो वो क्या करे? गारंटी कहां से दे जब जमीन नहीं है? मेरा सुझाव है कि उसको भी ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह इस तरह के उत्पाद को भी यह सुविधा मिले इसके लिए हमारा प्रयास हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मलिक साहब, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

नहीं मान्यवर, मैं बल दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,20,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,42,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,68,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (क्रमागत)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कटौती के माध्यम से कुछ सुझाव अपने बड़े भाई और एक ऐसे मंत्री को देने जा रहा हूं जो स्वयं स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं जिनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है अन्यथा मंत्रिमण्डल में सभी के ऊपर बाध्यता है। उससे नहीं लगता कि स्वविवेक से इस सदन में कोई बात कही जाये। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिससे लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार वाकई में श्रमिकों के हित की बात करती है। तीन-चार साल से मैं बजट पढ़ रहा हूं हर बजट में वही नियम, कानून हैं। कोई बदलाव नहीं हैं। कानून का स्वरूप और हो गया चाहे लगने लगा हो कि जो श्रमिकों के लिए कानून बने थे उससे संरक्षण मालिकों को मिलने लगा। बहुत से श्रम सम्मेलन हो रहे हैं। जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ। श्रम सम्मेलन में तमाम कानूनों पर विचार विमर्श भी हुआ तमाम श्रमिकों के पक्ष में कानून बनाये गये।

मैं विभाग की किताब देख रहा था। श्रम विभाग में श्रम निदेशालय है उसके अन्तर्गत तमाम अधिकारियों की लम्बी फौज है। क्या उस लम्बी फौज ने श्रमिकों के हित में कोई भी कार्यवाही की है। एक भी पूंजीपति आज तक जेल में नहीं बन्द हुआ। इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना। बी०आई०एफ०आर० एक्ट बना। एक्ट जैसे पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए बना है। जिसके ऊपर बैंकों का बकाया हो गया हो श्रमिकों का बकाया हो गया हो वह बी०आई०एफ०आर० की शरण में चला गया। अब उसकी वसूली नहीं हो सकती। वित्तीय संस्थाएं मारी–मारी घूम रही हैं। जिनको वसूलने का अधिकार था। आपने बाल श्रमिक रोकने के लिये कानून बनाया। श्रम मंत्री जी बताइये उत्तर प्रदेश में बालश्रम को रोकने के लिए कौन सी कार्यवाही की गयी। रायल होटल के दरवाजे पर या कहीं भी जाइये, एक चाय मंगाइये, छोटा सा बालक चाय लेकर आ जायेगा।

रिक्शा चलाते हुये बाल श्रमिक पाया जाता है, जो कानून बने हैं, वह कानून उन कमजोर लोगों को संरक्षण देने के लिये है या बड़े लोगों को संरक्षण देने के लिये। मान्यवर, लेबर को हम 4–श्रेणियों में बाँट सकते हैं, स्किलड लेबर, जो संगठित हैं। अनस्किल्ड लेबर जो असंगठित हैं। इसके बाद बाल श्रमिक और बीड़ी श्रमिक। श्रीमन् इस प्रकार इन चार श्रेणियों के श्रमिक हैं, लेकिन हमारे कानून इन चारों श्रेणियों के श्रमिकों को कोई संरक्षण नहीं दे पा रहा है। मान्यवर, संगठित श्रमिकों के लिये तमाम कानून इस देश में बने, उनके लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन आज धीरे–धीरे इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है और जो रोजगार में थे, उनका रोजगार खत्म होता जा रहा है।

भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही इस प्रदेश में भी प्रतिवर्ष 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो रहा है। अभी उस दिन एक प्रश्न आया था, सवाल था कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी या बेरोजगारी भत्ता देगी, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की शर्तें लगी हुयी हैं। एक तरफ आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ विश्व बैंक की शर्तें हैं। अमेरिका, इंग्लैंड तो अपनी शर्तें हिन्दुस्तान पर थोपना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक तो जब चाहे, हिन्दुस्तान में बेरोजगारी बढ़ा दे। आपने भी स्वीकार कर लिया और मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ले लिया कि 2 प्रतिशत नौकरियों में कमी करेंगे और जो रिटायर हो जायेंगे, उनके सैंक्शन पदों की जगह को डेड करते चले जायेंगे।

मान्यवर, रिपोर्ट है कि 1995 से 2000 के बीच में 5 करोड़ लोग और इस बेरोजगारों की संख्या में बढ़ जायेंगे। इन बेरोजगारों के लिए हमारी कोई योजना नहीं है, आपने बेरोजगारी भत्ता देने से भी मना कर दिया। क्या कभी आपने सोचा कि जो श्रम नीति है, उसके अर्न्तगत हम श्रमिकों को संरक्षण दे पा रहे हैं? न हमारा श्रम निदेशालय श्रमिकों को रोजगार दे रहा है, जो लड़के आई०टी०आई० के माध्यम से ट्रेंड हो रहें हैं, हम इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से उनको भी रोजगार देने की बात नहीं कर रहें हैं। मैं एक-एक चीज पर धीरे–धीरे आऊँगा। वैसे पता नहीं कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाय और आपके पास यह विभाग न रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास यह विभाग रहे, तब तक कुछ ऐसा कर दीजिये कि जो श्रमिकों के कल्याण में हो। मैं ऐसा कोई आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन श्रीमान् सत्यता को आपको स्वीकर भी करना चाहिये कि आखिर सत्यता क्या है ? हम केवल आँख मूँदकर बैठ गये तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। हम यहाँ चुनकर आये हैं, जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। मंत्री जी इसके पहले बजट पर बोल रहे थे तो उन्होनें कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कमियों को दूर करेंगे, लेकिन श्रमिकों को कौन सा संरक्षण मिल रहा है।

आपका जो श्रम निदेशालय कानपुर में है, आज पूरे कानपुर के उद्योग बंद होते जा रहे हैं, जितने बड़े–बड़े उद्योग थे, चाहे लाल इमली, धारीवाल, जे०के०, एल०एम०एम० वेस्पा, आई०ई०एल०, सब बंद होते जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्रियल सिटी था तो वह कानपुर था, आज क्या हालत है, कानपुर की, हम कहाँ संरक्षण दे पाये, कहीं कोई कानून लागू हो पाये। इसी तरह गाजियाबाद हमारा इंडस्ट्रियल सिटी था, यहाँ कानपुर के माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, सलिल। वह जानते हैं। इसी तरह गाजियाबाद के उद्योग सब बंद होते जा रहे हैं। श्रमिकों को कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, स्किल्ड, लेबर को नहीं मिल पा रहा है तो फिर असंगठित श्रमिकों के साथ क्या होगा। आपको असंगठित श्रमिकों के बारे में सोचना पड़ेगा, जिनकी जीविका भगवान के सहारे है, जिसकी मजदूरी फिक्स नहीं है, सरकार का कोई नियम नहीं है।

उसका क्या होगा जो रिक्शा चालक है, भवन बना रहा है, भट्ठे पर काम कर रहा है, कौन सा हमने उनके लिए नियम कानून बनाया? हमने कहा कि, हमने घोषणा कर दी कि स्किल्ड लेबर को इतना रूपये रोज मजदूरी मिलेगी, हमको तो वह कानून बताया जाय। एक आयोग ऐसा बने जिस आयोग के अन्तर्गत इस बात की पुष्टि हो कि जो श्रमिक को पूरा पारिश्रमिक नहीं देगा उसको सजा देंगे।

हमने तमाम आयोग बना रखें हैं, आखिर यह कमीशन भी बने ताकि श्रमिकों को कहीं पर तो संरक्षण मिले। आज 70 प्रतिशत श्रमिक जो है वह स्किल्ड लेबर है, आपने देखा होगा शहारों में बड़े–बड़े चौराहों पर मजदूरों की भीड़ लगती है काम के लिए और तब उसमें उसकी बोली लगती है। कौन सा लेवरएक्ट हमने उनके लिए लागू किया है कहां से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसके तहत हम उनका शोषण रोक सकेंगे।

इसी तरह मान्यवर, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग, पाठर उद्योग, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का उद्योग है, भदोही में कालीन का उद्योग है, यहां इन उद्योगों में बहुत सारे मजदूर हैं, आखिर हम उनके लिए कोई कानून बनायेंगे या नहीं, बारी–बारी से यह सारे मजदूर समाप्त होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से डब्लू०टी०ओ० से हमने संधि कर ली है कि पूरे विश्व को हमने हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए एलाउ कर दिया है, अगर हमारे उद्योग बन्द हो जायेंगे, हमारी दस्तकारी बन्द हो जाएगी तो आप हमारे मजदूरों को कहां से रोटी देंगे, काम कहां से देंगे? लोग हमारे पास जब आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आप लखनऊ गए थे तो वहां से क्या लाए तो वह कहते थे कि नरेश जी आपके लिए लखनऊ से चिकन का कुर्ता लाया हूँ, आज वह बेरोजागार है, सामान कहां से खरीदेंगे कभी सोचा है आपने, इसके लिए कोई कार्यवाई आप कर रहे हैं। गन्ना किसानों का इतना मिलों पर पैसा बकाया है, गन्ना एक्ट में साफ दिया है कि सात दिन में अगर गन्ना का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे उस पर ब्याज देना पड़ेगा। गन्ना किसानों का अभी तक इतना रूपया बाकी है और दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसके भुगतान की कोई कारगर व्यवस्था आपने नहीं की। उत्तर प्रदेश में बड़े–बड़े कारखाने बन्द होते चले जा रहें हैं और इसलिए बन्द होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन शहरों के अन्दर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, उदाहरण के तौर पर अगर आप कानपुर की लाल इमली को बेचेंगे तो कई सौ करोड़ की पूरी जमीन बिकेगी, फिर उसके मालिक को सारी जिन्दगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हम यह कानून बनाये कि जब कोई उद्योगपति अपना उद्योग बन्द करेगा तो उसे दूसरी जगह पर उद्योग लगाना पड़ेगा। इस पर हमको काफी विचार करना पड़ेगा। माननीय वर्मा जी हम तो सत्यता की बात कर रहे हैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। अब आप देख लीजिए सरकार ने ही कानून तोड़ दिया, हमने तय कर दिया कि विद्यालयों में शिक्षा मित्र नियुक्त होंगे। जब नियमित अध्यापक को आप पूरा वेतन देते हैं उसी अध्यापन कार्य के लिए और शिक्षा मित्र को उसी कार्य के लिए सिर्फ दो–ढाई हजार रूपये देंगे ऐसा क्यों, यह भेद–भाव क्यों? सरकार ने दो तरह से ऐसा क्यों किया?

एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाई करने वाले दो व्यक्ति दो तरह की तनख्वाह पायें तो क्या यह श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ ? लेकिन सरकार है, उसके ऊपर श्रम कानून लागू नहीं होते। डाला, चुर्क सीमेण्ट फैक्ट्रयाँ बन्द हो गयी, अपट्रान, माननीय टण्डन जी बहुत जोर लगा रहे थे कि चले लेकिन वहाँ के श्रमिक मारे–मारे घूम रहे हैं, तनख्वाह नहीं दिला पाये, दूसरे निगमों में समायोजन की बात थी लेकिन समायोजित भी नहीं हुये। तमाम सरकारी निगम व इण्डिस्ट्रयाँ बन्द हो गयी, हम क्या कर पाये ? हम उनका ऑक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। स्पिनिंग मिल बन्द कर दी, बहुत सी फायदे में थी, आज उन मिलों के श्रमिक मारे–मारे घूम रहे हैं। सरकार के पास उनको उनका पैसा देने के लिए नहीं है। आखिर कैसे हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। इण्डिस्ट्रयल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं हो रहा है, श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए जो एक्ट बने उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। अगर इनका पालन होता तो श्रमिक अपने को सुरक्षित समझते।

मान्यवर, डाला चुर्क के श्रमिक लखनऊ में प्रदर्शन करने आये थे उनमें से एक श्रमिक मर गया तुरन्त कैबिनेट बुलायी गयी और टण्टन जी आपके साथ हम लोग बैठकरके निर्णय लेकर उनको दो महीने की तनख्वाह देकर वापस किया था इसलिए कि उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन हमने कोई लम्बी योजना नहीं बनायी, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उन श्रमिकों के लिए हमेशा के लिए व्यवस्था हो जाती और श्रमिक समझता कि हमको कुछ मिला। हमको विचार करना पड़ेगा, यदि विचार

नहीं किया तो टण्डन जी धीरे–धीरे श्रमिकों के साथ अन्याय होता चला जायेगा, लोग बेरोजगार होते चले जायेंगे, कानून–व्यवस्था अस्त–व्यस्त होती चली जायेगी। ठीक है औपचारिकता पूरी कर देंगे लेकिन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे और उसका मलाल रह जायेगा और वह जिन्दगी भर के लिए दुःख इस दिल में बना रहेगा। पी०एफ० और ग्रेच्युटी की बात आयी। स्किल्ड लेबर की पी०एफ० और ग्रेच्युटी कट रही है। पिछली बार ऊर्जा मंत्री था तो हड़ताल हुई, जो शर्तें रखी गयी थीं उसमें यह भी था कि प्राईवेट फण्ड का 1000 करोड़ रूपया तुरन्त जमा कराया जाये, ट्रस्ट बनाने की हम लोगों ने घोषणा की, हम और टण्डन जी ने बैठ करके हड़ताल तोड़ी। लोगों का एक हजार करोड़ रूपया जमा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राजी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था। श्रमिकों की बात सही थी कि पैसा क्यों निकाल लिया? आज जो बजट पेश कर रहे हैं घाटा पूरा करने के लिए और पब्लिक एकाऊण्ट से पैसा ले रहे हैं, वह कहाँ का पैसा है? वह प्राईवेट फण्ड और ग्रेच्युटी का पैसा है। प्राईवेट फण्ड और ग्रेच्युटी का है 2081 करोड़ रूपया लोक लेखा से लेने की बात कही है। सेण्ट्रल एक्ट प्राईवेट फण्ड का बना हुआ है, उसका पालन नहीं हो रहा है। प्राईवेट फण्ड का जितना पैसा काट रहे हैं वह सारा पैसा सरकार इस्तेमाल कर रही है, उद्योगपति इस्तेमाल कर रहें हैं और उनको नहीं मिल पा रहा है जिससे मजदूरों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है। प्राईवेट फण्ड के कोई मायने ही नहीं रह गया है। जब हम विपक्ष में थे तब हरदोई शुगर मिल बन्द हो गयी मैंने उस समय उठाया कि श्रमिकों का प्राईवेट फण्ड का पैसा दिया जाये। कह दिया गया कि प्राईवेट फण्ड सेण्ट्रल एक्ट है, स्टेट गर्वन्मेंट एक्शन नहीं ले सकती, सेण्ट्रल गर्वन्मेंट ले सकती है। लेबर सेण्ट्रल एक्ट पूरे देश में समान एक्ट बना हुआ है। लेकिन क्या उन एक्ट का पालन हम सेन्टर गर्वनमेन्ट से करायेंगे क्या यह न्यायोचित होगा। हम गारन्टी दें कि जो मजदूरों की पी०एफ० ग्रेच्युटी है उसको जरूर देंगे। हमने रिटायरमेन्ट की एज 58 से 60 साल कर दिया, इसलिए कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पी०एफ० और ग्रेच्यूटी का पैसा नहीं था। आपने सोचा कि इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा करने से हमारे बहुत से नौजवान ज्यादा उमर के हो जायेंगे और सरकारी नौकरियाँ मिलने के अवसर कम हो जायेंगे। अगर आपने इस पर विचार किया होता तो 58 से 60 न करते पैसा नहीं है इसलिए आपने ऐसा निर्णय लिया। कालान्तर में हमको यह एहसास होगा कि जो बेरोजगार नौजवान थे उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको हम्ने पूरा नहीं किया।

मान्यवर, ई०एस०आई० योजना में बहुत सी डिस्पेन्सरी खोली गई थीं। आज उनकी क्या हालत है न वहाँ पर बिल्डिंग है न वहाँ पर दवाओं की व्यवस्था है तथा डाक्टर भी नहीं हैं। मजदूर इन्शयोरेन्स का पैसा देता है इसलिए उसको डिस्पेन्सरी का लाभ मिलना चाहिए। जब उनको इन्श्योरेन्स का पैसा नहीं मिलेगा तो वह अपने बच्चों को कैसे एजूकेशन दे पायेंगे और कैसे कालेज भेज पायेंगे। मान्यवर, कानपुर में ई०एस०आई कि डिस्पेन्सरी ज्यादा हैं। जो श्रमिक बाहूल्य जिले हैं वहाँ पर केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत यह डिस्पेन्सरीज खोली गयी थी। आज उनकी खराब हालत को क्या कभी लेबर कमिश्नर ने देखा है लेबर इन्सपेक्टर ने देखा है या अन्य किसी विभाग के अधिकारी ने वहाँ जाकर देखा है कि उनकी क्या स्थिति है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जब लेबर बीमार पड़े तो उसे दवा मिले। आप शिक्षा का निजीकरण करते जा रहे हैं। और प्राईवेट क्षेत्रों में स्कूल खोल रहे हैं। जो श्रमिक बेरोजगार है वे अपने बच्चों की फीस कैसे दे पायेंगे और जब उनके बच्चे शिक्षा नहीं पायेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं समझता था कि टण्डन जी, घोषणा करेंगे जिससे श्रमिकों का लाभ होगा, अगर अभी घोषणा नहीं की है तो जब उत्तर देंगे तो उस समय घोषणा करें ताकि लोग यह याद रखें कि टण्डन जी के कार्यकाल में कम से कम एक दो ऐसे निर्णय लिए गये जिससे श्रमिकों को राहत मिली और पूंजीपतियों पर रोक लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कहीं एक भी मिल मालिक को बन्द किया हैं। मिल मालिकों को न्याय आसानी से मिल जाता है लेकिन श्रमिक को न्याय नहीं मिलता है और जब वह न्याय के लिए प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज होता है। हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए। सरकार ने एक लेबर कालोनी बेचने का निर्णय लिया है तमाम ऐसी कालोनी हैं जहाँ

बाहर के लोग रह रहे हैं, यह निर्णय पांच साल पहले लिया गया था कि जो बहुत पुरानी लेबर कालोनी हैं उनको बेचा जायेगा और नई कालोनी बनाई जायेगी और लेबरों को आवास दिया जायेगा। लेकिन इस योजना का कहीं पर कार्यान्वियन नहीं हो रहा है, आप बतायें कि कौन सी पुरानी लेबर कालोनी बेची गयी और कौन सी नई लेवर कालोनी बेची गयी और कौन सी नई लेवर कालोनी बनाई गयी जहाँ पर लेबरों को आवास मिले। इसको कोई भी इन्सटान्स नहीं दिया गया है क्योंकि इस पर कार्य हुआ ही नहीं है। श्रीमन् इनकी सोच अगर पाजिटिव होती तो इस पर कार्यवाही करते। मान्यवर, बीड़ी मजदूर स्किल्ड लेबर हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि इनकी मजदूरी बढ़ायेंगे। फरुर्खाबाद, कन्नौज और तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर बीड़ी मजदूरों की संख्या बहुत है लेकिन उन बीड़ी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। हमने कई बार घोषणाएं की कहीं पर छापे डाले लेकिन उसके बाद भी क्या बीड़ी मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल रही है। बल्कि मालिक मध्य प्रदेश से बीड़ी बनवा लेते हैं वहां दर सस्ती है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसे नहीं रोक पा रही है। कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिस दिन बीड़ी उद्योग समाप्त हो गया उस दिन श्रमिकों की बड़ी संख्या और बेरोजगार हो जाएगी। हमारे पास कोई योजना नहीं है। जिस योजना के तहत श्रमिकों का भला हो सके। बाल श्रमिकों को ले लीजिए। एक्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख बाल श्रमिक हैं और भारत सरकार की रिपोर्ट में 15 लाख बाल श्रमिक बताए गए हैं। बाल श्रमिकों को रोजगार नहीं करने देंगे। यह हमारा संकल्प है हम उन्हें शिक्षा देंगे उनके पेरेन्टस को रोजगार देंगे। कानून के तहत बाल श्रम रोकना चाहिए आपने कितने बाल श्रमिकों को हटाया व उनके परिवार वालों को रोजगार दिया। इस पर प्रकाश डालते तो मैं समझता। बृजेन्द्र सहाय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में जगदम्बिका पाल ने सवाल उठाया था तो उस कमेटी की क्या रिपोर्ट थी यह मैं जानना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई। उस चीज को स्पष्ट करना चाहिए। हम उद्योग प्रदेश बनाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में बड़े जोर-शोर से यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे। भयमुक्त प्रदेश बनाएंगे। बाहर से हम तमाम पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च कराएंगे। एक फैशन सा बन गया है कि जो मुख्यमंत्री बनता है दिल्ली में फिक्की की बैठक कर लेता है। एक जमाने में फिक्की मुख्यमंत्री को बुलाता था आज जमाना यह है कि मुख्यमंत्री फिक्की के सदस्यों की बैठक बुला लेता है। दिल्ली मुख्यमंत्री जाते हैं और लौटकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है कि 20 हजार करोड़ रुपये का एम०ओ०यू० साइन हुआ है। यह 20 हजार करोड़ रुपये बाहर से आयेंगे और उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाएंगे। क्या वास्तव में उद्योग बढ़ रहे हैं कौन सी उद्योगों को सुविधाएं दे रहे हैं। आपने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया यह कहा गया कि एक ही छत के नीचे सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। बिजली है नहीं, सड़क है नहीं, सुरक्षा है नहीं लेकिन हर बार दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके घोषणा जारी हो जाती है। इस वर्ष प्रचार किया गया कि उत्तर प्रदेश के लिएं 7 हजार करोड़ का प्लान स्वीकृत हो गया है। प्लानिंग कमीशन को आंकड़े दे दिए आंकड़ों में राजस्व बढ़ाकर दिखा दिया और प्लानिंग कमीशन ने मान लिया कि राजस्व इतना है तो उस हिसाब से प्लान स्वीकृत हो गया। इसमें 70 प्रतिशत डिस्ट्रिक प्लान में चला गया। हम लोग भी खुश कि अब हमें इतना पैसा मिलेगा। इतने की योजना बना सकेंगे। हमने और माननीय विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं स्वीकृत करा ली। सभी ने घोषणाएं भी करदीं लेकिन जब मार्च आता है तो मालूम पड़ता है कि जितनी योजना डिस्ट्रिक प्लान में दी गई थी उसके 40 प्रतिशत अंशदान कम पहुँचा है। इस बार तो स्थिति और बुरी होगी क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, वसूली भी इसके कारण रोक दी गई है। कैसे उद्योग ज्यादा बढ़ेंगे इस पर भी प्रकाश पड़ना चाहिए।

(समय 7.00 बजकर 20 मिनट)

इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इन चीजों पर कोई घोषणा नहीं की, कोई निर्णय नहीं लिया तो ठीक है सरकार चलेगी। जोड़-तोड़ की सरकार है, जुगाड़ की सरकार है, चल रही है लेकिन हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हो पायेंगे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

टण्डन जी इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में कहना चाहता हूं। सदन में अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट आ गया है इमप्लायमेन्ट एक्सचेंज से कोई नाम नहीं मांगता है। मान्यवर, हमारे हरदोई में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में भर्ती हुई इम्प्लायमेंट से कोई नाम नहीं मांगे गये। यू०डी०सी० की भर्ती हो गई। जब हमारे इमप्लायमेंट एक्सचेंज का कोई कार्य नहीं रह गया है तो उनको बन्द क्यों नहीं कर देते? अगर उसका काम सिर्फ फार्म को अग्रसारित करना हैं तो उनको बन्द कर दिया जाय।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

हमने यह नहीं कहा है कि बन्द कर दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम यह नहीं कह रहे हैं। आपने कहा था कि अब वहां से नाम मंगाने की जरूरत नहीं है जब से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। मैंने यह नहीं कहा कि आपने यह कहा है कि उनको बन्द कर दिया गया। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ। आप दोबारा सुन लें। बहुत ज्यादा अगर इनको रखना है तो रीजन स्तर पर एक–एक कर दीजिये। आंकड़े आपके पास आ जायेंगे। आपने इसमें दिया है कि नौकरी नहीं दे पाये हैं यह इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज। तो क्या ड्यूटी रह गई है इनकी। 2000 –2001 की तुलना आपने करी है इसमें संख्या गिरी है। आप कहते हैं कि इम्प्लायमेन्ट आफिस बेरोजगारी पखवारा मना रहा है, स्वतः रोजगार कार्यक्रम चला रहा है। मान्यवर, यह आप जिला उद्योग केन्द्र को दे दीजिये वे बैंकों पर दबाव भी डाल सकेंगे और उनको विभागों में नौकरी भी दिलवा सकेंगे। आपके यह एक्सचेंज आफिस जो इम्प्लायमेंट के हैं वे प्रार्थना पत्र अग्रसारित करते हैं लेकिन कोई विभाग इनको नौकरी नहीं दिला पाता है। इतने ज्यादा इम्प्लायमेंट एक्चेंज का काम क्या है। उसको कहीं और लगा दिया जाय कि वे रोजगार सृजित करें, ट्रेनिंग दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं कहना चाहता हूं आपकी ही पुस्तक में दिये हैं कि कहीं 2 तो कहीं 3 लोगों को नौकरी दिला पाये हैं। आगरा में दो को और गाजियाबाद में 3 को ही नौकरी दिला पाये हैं। मेरा एक सुझाव है यह इसको स्वीकार कर लें। मान्यवर, मैं आई०टी०आई० की बात बताकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। टण्डन जी आई०टी०आई०- के दो काम हो गये। एक आई०टी०आई० का संचालन, जो प्रिसिंपल हैं और दूसरा है शिक्षित करना बेरोजगारों को अलग-अलग ट्रेडों में और एप्रेन्टिंस दें। आई०टी०आई० भारत सरकार द्वारा एन०टी०बी०सी० के अन्तर्गत बनाया गया। जो उनका मानक है उसके अनुसार आप आई०टी०आई० खोल सकते हैं। आई०टी०आई० से क्राफ्ट्समैन बनाते हैं। इन्जीनियर इन्जीनियरिंग कालेज बनाते हैं, टैक्नीशियन पालीटेक्नीक देते हैं। आपने तमाम आई०टी०आई० खोलने की घोषणा कर दी। तमाम ऐसे आई०टी०आई० हैं जहाँ बिजली नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। मानक पूरे नहीं हैं और आप देख लीजिये। आपने खुद फिगर दिया है। हम इस मारे कह रहे हैं कि एन०सी०बी०टी० के नाम पर जब आप पूरा नहीं कर पाये तो एन०सी०बी०टी० ने उत्तर प्रदेश के तमाम पालिटैक्निक की मान्यता समाप्त कर दी। आपने उसी तरह से एस०सी०वी०टी० बना दिया। इसकी कोई मान्यता नहीं है। आप जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पास कर रहे हैं, जिनको एस०सी०बी०टी० के अन्तर्गत प्रशिक्षण दे रहे हैं उसकी कोई मान्यता हिन्दुस्तान में नहीं है। वह बच्चा

कहां जाएगा। उसकी डिग्री फर्जी कहलाएगी अगर एन०सी०बी०टी० की मोहर नहीं लगेगी तो वह प्रशिक्षण सही नहीं कहलाएगा मान्यवर, 48 हजार 48 सीटें एन०सी०बी०टी० की थीं लेकिन जब एन०सी०बी०टी० ने कड़ाई की तो 11 हजार 828 रह गई। एस०सी०बी०टी० की 12 हजार 300 सीटें हैं, आज तमाम स्कूल धोखा धड़ी कर रहे हैं, आप अगर मानक पूरे नहीं हैं तो मानक पूरे कर दें। स्पेसिफिकेशन चाहते हैं कितने कमरे होने चाहिए, कितने आपरेटर होने चाहिए, अनुदेशक जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसकी एजूकेशन निश्चित होनी चाहिए, 50 परसेन्ट अनुदेशक ट्रेन्ड नहीं हैं, अगर डिग्री नहीं है वह नहीं पढ़ा सकते हैं तो इसको देखिए। मान्यवर, जो सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उसका नाम बदलकर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर दिया गया। मान्यवर, जिस प्रदेश में इतने बड़े प्रदेश में तमाम पालिटैक्निक बन्द होने जा रहे हों यह सोच का विषय है जो पालिटेक्निक खुले हैं वह भी रोजगार परक नहीं हैं, सोचा यह गया था कि डिग्री अगर मिलेगी तो स्वतः रोजगार में चले जाएंगे, लेकिन अगर मान्यता नहीं है तो यह सोच का विषय हैं, इस पर विचार करने की बात है। आई०टी०आई० ट्रेंड लड़कों को सर्विस देने की योजना बनाएं। तमाम प्रिंसिपल तदर्थ रूप से 1988 से नियुक्त हैं 13 परमानेंट कर दिए गए हैं 8 को परमानेंट नहीं किया गया है क्योंकि वह अधिकारियों की सेवा नहीं करते। तीन चार लोग तो ऐसे हैं जो योग्यता और अर्हता पूरी नहीं रखते हैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसको आप देखें किसने किया है, कौन दोषी है। भ्रष्टाचार हो रहा है इसको देखने की जरूरत है। गाजियाबाद में आई०टी०आई के प्रिसिंपल 10 वर्षों से हैं सबसे ज्यादा अप्रेन्टिस को स्थान मिलना चाहिए अप्रेन्टिस का एक्ट 1961 में बना आई०टी०आई० को अप्रेन्टिस मिलेंगे, इस एक्ट में 1973 में अमेन्डमेंट हुआ, 1996 में 10+2 का जो आदेश था उसको जोड़ दिया गया, पहले 2002 में 10,215 थे, 2002 में इसको घटाकर 13,774 कर दिया गया। यह सब मिलीभगत है और फिर जो ट्रेण्ड अप्रेन्टिस हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए इन बिन्दुओं पर विचार कर लें, इन्हीं शब्दों के साथ दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से कहूँगा, मेरा अनुरोध है आरोप को छोड़कर अच्छे सुझाव देंगे। मैं नहीं चाहता व्यक्तिगत आरोपों से सदन चले। अच्छे सुझाव देंगे इससे सरकार को लाभ होगा। कटौती में हमें लगे बहुत सी चीजों को रखा है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सहयोग किया है, अच्छे विचार दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री– (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, आज बहुत उच्च कोटि की बहस हो रही है। भाई नरेश जी ने जितना कहा है....

(सभी सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि हम लोगों को दो-दो मिनट सुन लिया जाय)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जब भाई नरेश जी बैठे तो कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए मैंने उत्तर देने का काम शुरू कर दिया।

* श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर समर्थन करने के लिए अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, श्रम मंत्री जी ने बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से विभाग के बारे में आंकलन किया है। मान्यवर, श्रम एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। श्रमेव जयते अर्थात हर काम श्रम से होते हैं। मान्यवर, जब हाथ उठता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मान्यवर, जब मनुष्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेहनत करता है तो वह पत्थर से पानी निकालकर सिंचाई करता है। श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिक चाहे वह संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, दैनिक वेतनभोगी हो, बंधुआ मजदूर हो, बाल श्रमिक हो इन्हें शोषण से मुक्त करें, इनका संरक्षण करें, इनका हित करें यही इस विभाग की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। माननीय नरेश जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुत अच्छे तरीके से आलोचना की थी। मैं तो यह समझ रहा था कि बहुत विद्वान है, सुझाव देंगे लेकिन उन्होंने सुझाव नहीं दिया। हाँ तीखी आलोचना जरूर की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नरेश जी को बताना चाहता हूँ कि श्रम विभाग के द्वारा 33 श्रम अधिनियम का पालन कराया जा रहा है। चाहे न्यूनतम वेतन मजदूरी हो, पेंशन हो ग्रेच्यूटी हो, 33 कानून द्वारा श्रम विभाग में काम करने वाले श्रमिक हैं। उनकी बातें इन्हीं अधिनियम के माध्यम से सुनी जाती है। अभी यह विषय आया था कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। आपने बीड़ी मजदूर का संज्ञान लिया था। अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र में तत्कालीन सरकार ने बहुत काम किये हैं। बीड़ी मजदूर, जिस दल में माननीय नरेश जी हैं, उनके नेता, प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया था वह श्रम मंत्री रहे। जब वह श्रम मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे तो बीड़ी मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ायी गयी। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि बीड़ी मजदूर में नियानवे प्रतिशत मुसलमान काम करते हैं और एक प्रतिशत हिन्दू काम करता है इसके लिए हमारी सरकार बहुत चिंतित थी। मान्यवर, बीड़ी मजदूर की मजदूरी बढ़ाकर 30 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गयी है। किसी भी मजदूर के पास रहने के लिए आवास नहीं है। अगर उसके पास कोई जगह है तो सरकार द्वारा उसको 20 हजार रुपये दिया जायेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा और जो हुजुर का बच्चा है वह हुजूर ही रहेगा। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि बीड़ी मजदूर का बच्चा डाक्टर, इंजीनियर बन सके इसकी व्यवस्था की और इसमें उसको एक लाख रुपये तक अनुदान देने की बात कही गयी है। इसकी व्यवस्था भी की है कि यदि किसी बीड़ी मजदूर का गुर्दा का खराब हो जाता है तो उसके गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए सरकार उसको 50 हजार रुपये देगी। माननीय सदस्य ने कहा कि छापा नहीं मारा गया मैं बताना चाहता हूं कि सरकार छापे मार रही है और कार्रवाई भी शुरु कर दी है। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी गयी है। पहले खेतीहर मजदूरों की मजदूरी 40 रुपये थी जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 58 रुपये कर दिया है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है। बाल श्रम की बात आई है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ने 61 हजार बाल श्रमिकों को चिन्हत किया है। इसमें 49 हजार 617 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराया गया है। इनको 100 रुपये मासिक इंस्टालमेन्ट भी देने की व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं कारपस निधि का इसमें प्रावधान किया गया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस बार के बजट में इसका उल्लेख नहीं आया है। पिछली बार के बजट में इसका उल्लेख आया था और इसमें बाल श्रमिकों के पुनर्वास का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको लिख लें ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इसके साथ-साथ वर्ष 1999–2000 में आयोजनागत मद में 1.15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी और जिसके द्वारा काफी बाल श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जा सका। बंधुआ मजदूरों को शिक्षित करने का काम भी श्रम विभाग करता है। जो बंधुआ मजदूर हैं उनको चिन्हित करने और इन बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करके सरकार के द्वारा उनको काम दिया जाता है और उनको घर भी भेजा जाता है ताकि वे सम्मानजनक जीवन बिता सकें। श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय मित्रों की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए श्रम न्यायालय बनाए गये हैं ताकि श्रमिकों को न्याय मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि कालम-19 में और कालम–9 में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालयों की स्थापना हेतु इसमें वर्ष 2000–01 में 252.59 लाख रुपये की व्यवस्था है। अगर श्रमिक गलती करता है तो उस पर लाठी

चलाई जाती है अगर मालिक गलती करता है तो उसको मदद मिलती है। मान्यवर, मंत्रियों और आई०ए०एस० की बिरादरी एक है। यह एक ही तरह की सोच रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी उद्यम बंद हो रहे हैं वह श्रमिकों की वजह से नहीं बंद हो रहे हैं। इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है अगर उद्योग बंद हो रहे हैं तो कुप्रबन्धन के कारण से बन्द हो रहे हैं। पारिवारिक झगड़े दूसरा कारण है और तीसरे बैंकिंग कैपिटल का अभाव। इन तीनों चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो जो आज ग्लोबोलाइजेशन हो रहा है उसमें निश्चित रूप से श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अभी कुशल श्रमिक तैयार करने की बात आई है। मान्यवर, आई०टी०आई० के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण देंगे तो सफलता मिलेगी। मान्यवर, प्रदेश में इस समय 189 आई०टी०आई हैं जो एन०सी०बी०टी० से मान्यता प्राप्त हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ 42 मान्यता प्राप्त संस्थायें है (व्यवधान) आप जिस तरीके से प्राईवेट कालेजों को नियमों में छूट देकर उन्हें मान्यता देते हैं उसी तरह से जो सरकारी कालेज हैं उन्हें मान्यता देने का काम किया जाय। माननीय मंत्री जी उसमें सुधार करें। मान्यवर, जैसे आई०ए०एस० होता है वह कहीं भी पूरे देश में काम कर सकता है उसी तरह से आई०टी०आई० का भी डिप्लोमा करें। वह पूरे देश में आई०टी०आई० ट्रेन्ड व्यक्ति एन०सी०बी०टी० का हो, आई०सी०बी०टी० का न हो। मान्यवर, मेरे आवँला क्षेत्र, बरेली में आई०टी०आई० का शिलान्यास हो चुका है काम प्रारम्भ नहीं हुआ है उसमें पैसा भी जा चुका है शीघ्र उसमें काम प्रारम्भ कराने का कष्ट करें। मान्यवर, अभी राज्य कर्मचारी बीमा अस्पतालें का कुछ विषय उठा था। प्रदेश में 15 ऐसे चिकित्सालय कार्यरत हैं और उन्हें पूरी सुविधाएं प्राप्त हैं मान्यवर, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा में होने के बाद में उसमें दवायें प्रायः नहीं मिलती हैं। मान्यवर, इसमें जो दवायें दी जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर इसमें 11 आयुर्वेदिक, 11 होम्योपैथिक की चिकित्सकीय सुविधायें हैं और 22 एम्बुलेंस भी संचालित होती हैं। इनको चलाने की ठीक व्यवस्था कर दी जाय। मान्यवर, यह जो अभी बेरोजगारी के सम्बन्ध में बात आई थी जो सेवायोजन का काम है। मान्यवर सरकार के द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मान्यवर, वास्तव में बेरोजगारी और गरीबी शोषण का प्रतीक हैं इसको ठीक से चलाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। मान्यवर, मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि यह गरीबों और असहायों का बजट है। इसमें कटौती की आवश्यकता नहीं है इसको सर्वसम्मति से पारित करा दिया जाय।

मैं अन्त में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए इस पर बल प्रदान करता हूँ।

श्री शहजिल इस्लाम–

मान्यवर, आपने नये सदस्य को बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपने सभी नये सदस्यों और वरिष्ठ सदस्यों का स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव को बल देते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान बरेली जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बरेली जनपद में श्रम विभाग से संबंधित 3 फैक्ट्रिया बन्द पड़ी हैं। अभी जो पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह जी बोल रहे थे। वह सरासर निराधार है उन्होंने अपने जनपद बरेली में

फैक्ट्री खुलवाने की बात तो दूर रही और फैक्ट्री बन्द करा दी। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी बरेली आये उस समय केन्द्रीय मंत्री भाजपा के सन्तोष कुमार गंगवार जी पूर्व श्रममंत्री धर्मपाल जी और राज्यमंत्री बहोस लाल मौर्य आये और उन्होंने घोषणा करा दी कि जो फैक्ट्री बन्द है उसको खुलवा देंगे। मान्यवर, एशिया की जो सबसे बड़ी रबड़ फैक्ट्री है वह भी बन्द पड़ी है उसको भी कहा था कि खुलवा देंगे मान्यवर, ये फैक्ट्री खुलवा तो नहीं सके उसको बन्द जरूर करवा दी। हमारे यहाँ नेकपुर चीनी मिल बन्द है। मान्यवर, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यह घोषणा करके आये थे कि हम एक महीने के अन्दर फैक्ट्री चालू करवा देंगे उसके बाद वह कानपुर गये और वहाँ कहा कि फैक्ट्री खुलवाकर आ रहे हैं। मान्यवर, पहले वह घोषणा सिंह हो गये थे लेकिन अब वह उससे हटकर भूलनाथ सिंह हो गये हैं। माननीय टण्डन जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके जमीन की नीलामी हो रही है और उसमें कार्यरत हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और भुखमरी की कगार पर हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मान्यवर, बरेली जनपद के तीनों मंत्री भा०ज०पा० थे तो तीन फैक्ट्री बन्द हो गयी, वह तो कहो चौथा मंत्री नहीं हुआ नहीं तो चौथी फैक्ट्री भी बन्द हो जाती। मान्यवर, पूर्व श्रममंत्री माननीय धर्मपाल जी ने उत्तर प्रदेश में क्या अपने जनपद बरेली में भी कोई विकास का कार्य नहीं किया है।

श्री विद्या सागर गुप्ता–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश के उद्योगों की दशा बहुत खराब है तमाम उद्योग बन्द हो चुके हैं उसके कई कारण हैं और उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि श्रम के जो कानून हैं वह बहुत जटिल हैं। 50 साल पुराना कानून है और वही चला आ रहा है और उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। जो लेबर परमानेन्ट हो जाता है वह अपना टोकेन जमा कराता है और उसके बाद काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। कारखाने में काम टेम्परेरी लेबर से चलता है। मान्यवर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेरा एक सुझाव है। केवल 2 प्रतिशत जो परमानेन्ट श्रमिक है उनको उद्यमी को निकालने की पावर दे देनी चाहिए ताकि जो परमानेन्ट श्रमिक हैं वह यह समझे कि कहीं ऐसा न हो कि हम काम नहीं करेंगे तो निकाल दिये जायेंगे। आज हालत यह है कि जो फैक्ट्री है, श्रमिक चाहे जो हो उसको निकाल नहीं सकती और धीरे–धीरे करके वह फैक्ट्री सिक हो जाती है जो पुराने कानून बने हुये हैं उसमें से एक कानून यह भी है कि मिनिमम वेजेज। कोई फैक्ट्री बीमार हो जाती है और व्यय नहीं कर पाती है तो उसका 10 गुना उसको देना पड़ता है, तो वह कभी पनप नहीं सकती। अगर एक लाख देना है, वह नहीं दे पाती है, तो 10 लाख देना पड़ता है। मान्यवर मेरा सुझाव है, कि श्रमिकों के लिए 15-20 साल से कोई भी श्रमिक कालोनी नहीं बनी हैं। 20 साल पहले बनी थी आज श्रमिकों के रहने के लिए बहुत परेशानी है। बड़े शहरों में कम से कम एक–एक कालोनी का प्रावधान कर दिया जाये। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहन देव शंखवार–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं फिरोजाबाद जनपद में टूण्डला विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की चूडियां और कांच के सामान बहुत दूर–दूर तक प्रसिद्ध है। यहां के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है इस औद्योगिक नगर फिरोजाबाद में कभी भी कानूनों का पालन नहीं हुआ है। यहां मजदूर आठ घंटे के बजाय 12 घन्टे काम करते है। श्रम विभाग और जिला प्रशासन एवं सेवायोजक सारे के सारें मिलकर आठ की जगह 11-12 घण्टे काम मजदूरों से कराते हैं। मजदूरों के अधिकारों का खुला हनन हो रहा है। दिनांक 12-11-82 में शासन से एक जी०ओ० प्रकाशित हुआ था जिसमें मजदूरों के काम करने के लिए समय और वेतन निर्धारित किया गया था।

स्थाईकरण की व्यवस्था थी तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं थी किन्तु वहां के जिला प्रशासन ने उस जी०ओ० का पालन नहीं कराया। अन्त में सेवायोजकों ने शासन से मिलकर उसे विखण्डित करा दिया। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिलाधिकारी फिरोजाबाद को निर्देशित करें और 12 घंटे के बजाय आठ घंटे काम चलवायें। चूड़ी जब कारखाने से बनकर निकलती है उसके बाद उसकी जुड़ाई होती है उसमें आठ घंटे में 14 मजदूर लगते हैं। मान्यवर, वहां एक मजदूर 18-18 घंटे काम करता है और कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है। परन्तु उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको पेट भरकर खाना नहीं मिलता है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि दिनांक 12-11-82 के जी०ओ० को पुनः लागू कराया जाये।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो श्री नरेश अग्रवाल ने कटौती का प्रस्ताव किया है उनसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस कर लें। उन्होंने तमाम सारी बातें कहीं, प्राविडेंट फंड की बात आई हो, खेतिहर मजदूरों की बात आई हो ढावों में काम करने वाले क्रमिकों की बात आई हो आई०टी०आई० का उल्लेख किया हो। लेकिन बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने स्पेशल सेवायोजन केन्द्र की चर्चा नहीं की। जो हमारे फिजिकली हैन्डीकैप हैं, ऐसे विकलांगों के लिये यह सुविधा है कि वह वहाँ पर जायें और अपना रजिस्ट्रेशन करायें। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि चाहे इस पक्ष के सदस्य हों, चाहे उस पक्ष के सदस्य हों, सभी का संबंध गाँव से जरूर है। जिस प्रकार मजदूर दिन में काम करता है उसी प्रकार खेत मजदूर रात में काम करता है, रात में खेतों की कटाई होती है, जिस समय थ्रेसर में श्रमिक काम करता है और चीजों में तो तमाम वैज्ञानिक चीजें आ गई, सेफ्टी के आइटम आ गये, लेकिन गाँव में जो कटिया मशीन होती है, उसमें सेफ्टी की कोई चीज नहीं लग पाई है और जब रात में कटिया मशीन चलती है तो नींद के झोंके में अक्सर उसका हाथ चला जाता है और वह जीवन भर के लिये विकलांग हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ पर हमारा श्रमिक काम करता है, वहाँ पर मशीनों पर काम करते हुये वह विकलांग हो जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जब कोई मालिक चीज लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ देना भी चाहिये। मान्यवर, विकलांगों को दवा नहीं चाहियें, कृपा नहीं चाहिये. केवल सरकार का सहयोग चाहिये। कहीं पर भी आप एक सकलांग के साथ विकलांग को खड़ा कर दीजिये, वह उससे ज्यादा काम करके दिखाता है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे भाई विकलांग हो जाते हैं, उनके लिये श्रम अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे उनके हितों का पर्याप्त संरक्षण हो सके। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं एम०ए० में था, मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा विवाह हो गया, मैंने कहा कि हाँ विवाह हो गया। उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, वर्ना कौन सा ऐसा व्यक्ति होता जो अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथों में देता जो दोनों हाथों से उसकी बेटी का हाथ भी थाम न पाता। तो मान्यवर, विकलांगों की ऐसी स्थिति होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो विकलांग हो जाय, उनके लिये आप सोचने का प्रयास करें। अंत मे मैं बजट का समर्थन करते हुये और माननीय नरेश अग्रवाल जी से सारे विकलांगों की ओर से आग्रह करता हूँ कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसी के साथ एक बार पुनः बजट का समर्थन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीम भाई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने श्रम विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव का जो माननीय नरेश अग्रवाल जी ने रखा है, पर बल देने के लिये मुझे समय दिया, उसके लिये आपको, बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया। हम जिस क्षेत्र से आये हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ की बात को हम माननीय सदन में उठायेंगे। मैं फिरोजाबाद से चुनकर आया हूँ जो मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है। मजदूरों के अधिकारों की आवाज उठाना मेरा फर्ज है।

.फिरोजाबाद का मजदूर जो पूरे हिन्दुस्तान में सुहाग की प्रतीक चूड़ियां और घरों को सजाने के लिए झांड-फनूस और पानी पीने के लिए गिलास पूरे हिन्दुस्तान में मुहैया करता है उस फिरोजाबाद के मजदूर का आज से नहीं 40-45 सालों से उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उधर कुछ सालों के लिए जब इस माननीय सदन के माननीय सदस्य स्वर्गीय राजाराम यादव जिन्दा थे, तब उनकी ताकत और बल पर वहां के मजदूरों का उत्पीड़न नहीं हुआ था, उनके बाद से आज तक लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, देश प्रदेश में नहीं होता लेकिन फिरोजाबाद में होता है। जिस मजदूर से आठ घण्टे काम लिया जाना चाहिए उससे 12 घण्टे काम लिया जा रहा है। 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भट्ठी के सामने जब वातावरण का तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस होता है तब वह मजदूर काम करता है। हम और आप उस भट्ठी के सामने पांच मिनट नहीं खड़े रह सकते हैं लेकिन जो मजदूर 12 घण्टे खड़े होकर काम करते हैं और ऐसा श्रम कार्यालय, जिलाधिकारी, कारखानेदार, थानेदार हैं मिलकर उसका उत्पीड़न करते हैं। जबकि हमारे जो अन्य मजदूर हैं जो चौराहों पर से काम के लिए कहीं ले जाये जाते हैं अपनी कीमत खुद तय करते हैं वह काम, करते हैं आठ घंटे और उसमें से एक घंटा उन्हें खाना खाने, बीड़ी पीने के लिए मिलता है लेकिन फिरोजाबाद के मजदूरों की यह मजबूरी है कि उसे लगातार 12 घंटे काम करना पड़ता है और उसे एक मिनट भी छुट्टी नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम मंत्री जो श्रम विभाग देखते थे यहाँ बहुत से सवाल-जबाब होते थे और वह विचलित हो जाते थे, उन्हें गुस्सा आ जाता है, सवाल का जवाब देने में लेकिन आप विपक्ष की बातों को सुझाव मानते हैं, उसे आलोचना नहीं मानते हैं, और 40-45 साल से मानवता के नाते, इन्सानियत के नाते इन मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। मजदूर को फैक्ट्री जाने के लिए और फैक्ट्री से घर जाने के लिए दो घंटे और लग जाता है इसलिए कुल मिलाकर उन्हें 14 घंटे लगते हैं। जब वह घर से चलता है तो उसे अपने बच्चे को सोते हुए जाता है और जब वह फैक्ट्री से घर आता है तो भी उसे बच्चे सोते हुए मिलते हैं। आखिर उसका भी परिवार है, उसकी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी है, अतः मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि फिरोजाबाद के मजदूरों जिनकी संख्या लाखों में है के लिए मानवता के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर ऐसा सख्त कानून बनाये जिससे 12 घंटे के बजाये उनसे सिर्फ 8 घंटे काम लिया जाय। इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के मन में जो पीड़ा है उसको उन्होंने अपने बजट भाषण में उपस्थित किया है फिर भी मैं एक-दो बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, बड़े शहरों में विशेष रूप से कानपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि यह एक औद्योगिक सिटी है जहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग थे, समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गुजरता चला गया मिल मालिकों और मिल मजदूरों दूरी के बीच की बढ़ती गयी। कानपुर शहर में श्रमिकों की आबादी ज्यादा होने के नाते वहां पर श्रमिक कालोनिया ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 18 हजार श्रमिक कालोनियाँ हैं इनमें आधे से ज्यादा कानपुर में हैं। जो लोग पात्र श्रेणी के अन्तर्गत आते थे वह इन्हीं कालोनियों में रहा करते थे, मान्यवर मिलें बन्द होने के बाद, उनका किराया पहले की तरह ही लिया जाता है।

उसमें आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व इस बात का निर्णय लिया गया था कि जब उन कालोनीज का पूरा पैसा किराये के रूप में जमा हो जायेगा तो उस कालोनी को उसमें रहने वाले लोगों को आवंटित हो जायेगा। कुछ सालों से इस ओर मैं सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। जो किराया आता है वह बहुत कम होता है और खर्चा उससे अधिक होता। इस बारे में मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया, संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी बातचीत की उसका नतीजा यह हुआ कि विगत कुछ वर्षों से किराया लेना बंद कर दिया गया। आज उन कालोनीज में जो मजदूर रह रहे हैं वह अनिश्चितता के वातावरण में रह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बहुत सी कालोनीज श्रमिकों के नाम पर हैं लेकिन पूँजीपतियों ने उन कालोनीज को ले लिया है और वह वहाँ रहते हैं। मान्यवर, इसको चिन्हित किया जाये कि जो मूल आवंटी थे जो मिल के अन्दर काम करने वाले मजदूर थे या सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूर थे, अगर वह रह रहा है तो उसको आवंटित कर दिया जाये। शिकमी किराये के रूप में जो रह रहे हैं उनके लिए कोई अलग नीति बनाकर, चाहे वर्तमान दर लगाकर या अलग से कोई नीति बनाकर उनको रेगुलराइज कर दिया जाये। दूसरे कानपुर जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इण्डस्ट्रीज ग्रेव यार्ड के रूप में है। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री डंकन जिसने भारत सरकार का करोड़ों रुपया ले लिया जब भारत सरकार ने शिकंजा कसा और पुराना पैसा वापस लेने के लिए रिकवरी जारी किया तो वह पैसा न दे सके और फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय ले लिया और लॉक-आउट हो गया, इल-लीगल घोषित कर दिया और उसके खिलाफ वारण्ट निकाल दिया है। माननीय मंत्री जी आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इन मालिकों के खिलाफ कार्यवाई करके कानपुर महानगर का जो डंकन इण्डस्ट्री है, उसके पन्द्रह सौ से पच्चीस सौ मजदूरों के परिवार को बचा सकेंगें, उनका कल्याण हो सकेगा। इतनी बात कहकर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इतने प्रयास के बाद आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, इस प्रदेश के मजदूरों, श्रमिकों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। उसने न केवल उत्तर प्रदेश का सृजन किया बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर महाराष्ट्र गुजरात, पंजाब और हरियाणा को बनाने में योगदान दिया है। इस हिन्दुस्तान से निकलकर श्रमिक दुनिया में जिस जगह गया उस देश को बनाया, उस देश के राज सत्ता पर कब्जा किया। चाहे फिजी, ब्रिटिश गुयाना या त्रिनिदाद हो। एक बात कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार के श्रमिक हैं– संगठित और असंगठित–संगठित वह है जिसको सारी सुविधायें देते हैं, उसके लिए दवा, रहने का इंतजाम, ग्रेच्युटी, प्राईवेट फण्ड का इंतजाम करते हैं। जो असंगठित मजदूर है, खेत में काम करता है, जो रोज शहरों से आकर घर बनाने, ईंटा गारा देने का काम करता है, उसके लिए आपने कोई योजना अभी तक नहीं बनायी। सुझाव देना चाहता हूँ कि इन असंगठित मजदूरों को जो गांवों से चलकर कानपुर, बरेली आते हैं उनके लिए भी दवा का इंतजाम करवाईये या कोई रैन बसेरा टाईप का बनवाईये।

जहाँ यह शाम को जाकर सोने का काम करते और अपना जीवन यापन करते। हमारी तरफ के बहुत से रिक्सा चालक यहां हैं जो रिक्शे पर ही सो जाते हैं कई बार ऐसा हुआ कि जब वे रिक्शे पर सोये तो वे ठण्ड से मर गये और उनकी लाश उनके घर पहुंचाई गयी। जो असंगठित मजदूर हैं उनको कोई पूछता नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर जब गांव जाता है तो कहता है कि आपने कम मजदूरी दी है

मिनीमम वेजेज एक्ट के अनुसार मजदूरी नहीं दी है और दबाव डालकर पैसा वसूलने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि गांव में रुपया भी दिया जाता है और अनाज भी दिया जाता है उसमें आप एक ऐसी व्यवस्था बना दें कि इतना अनाज देना है ताकि लेबर इंस्पेक्टर गांव में जाकर लोगों को परेशान न कर सके। उसको जो असीमित अधिकार मिला है उसको सीमित किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे यहां डुमरियागंज में एक आई०टी०आई० खोला गया है। जब मैं सरकार में पहले मंत्री बना था तो मैंने जमीन दिलाई थी। जमीन चौखड़ा में मिली, लेकिन उसका पैसा बस्ती चला गया और बाद में ट्रान्सफर होकर आया। जो जमीन मिली थी वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जाकर डिग्री कालेज का शिलान्यास कर दिया और जो वहां पर पत्थर लगा था उसको दूसरी जगह फेक दिया। आज वह स्कूल किराये के भवन में चल रहा है, अध्यापकों की जब मर्जी होती है आते हैं और मर्जी नहीं होती है नहीं आते हैं। जब अध्यापक नहीं आयेंगे तो छात्र भी पढ़ते नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक आपके पास श्रम विभाग है तब तक, हमारे इस आई०टी०आई० को चला दीजिये। मैं नहीं जानता कि कब तक आप के पास यह विभाग रहेगा। हमारे जिले में करोड़ों रुपये का बजट गया है लेकिन पता नहीं वह कहां पर खर्च किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मुंशीलाल गौतम–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान चाहता हूँ जो ईंट पथोंरों के बच्चे हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं, उनके बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करायी जाये। इसी तरह से जो श्रमिक नालियों की सफाई करते हैं, सड़क बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं लेकिन खुद अपने वाहन से उन सड़कों पर चलने का अवसर नहीं पाते हैं। दूसरों के डिजाइनदार घर बनाते हैं लेकिन खुद खुले आसमान के नीचे रहते हैं। जूते बनाते हैं लेकिन सड़क पर नंगे पैर चलते हैं, रिक्शा चलाते हैं और उसी रिक्शे पर सो जाते हैं, उनके लिए कोई रैन-बसेरा नहीं है। उनको न्याय और सम्मान नहीं मिलता। यही वह लोग हैं जो भूमि की सीना फाड़कर अन्न उगाते हैं और शाम को भूखे पेट सो जाते हैं। जब तक इन लोगों को सहारा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। जो श्रमिक बेरोजगार हैं, जिनके पास घर नहीं हैं उनके लिए रैन-बसेरे बनाये जायें ताकि वह इतने बड़े शहर में खुले आसमान के नीचे न रहें। मेरे यहां एक टैक्सटाईल, कताई मिल है वहाँ के मजदूरों को दो वर्षों से वी०आर०एस० का पैसा नहीं मिला। सहकारी में यह पैसा नहीं दिया। गया है जिससे वहां की किसान यूनियन धरना और प्रदर्शन कर रही है। एक महीने से धरना और प्रदर्शन चल रहा है। श्रमिकों का 9 करोड़ 88 लाख 41 हजार रुपया बकाया है जिसको दिलाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, यह बजट बहुत अच्छा बजट है और इससे श्रमिकों और मजदूरों को लाभ मिलेगा और प्रदेश की तरक्की होगी। इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम लाल अकेला–

अधिष्ठाता महोदय, आपने श्रम विभाग के बजट पर माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिए हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस देश में जबकि मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित नहीं ये लक्ष्य उनका सामने था लेकिन मजदूरों के लिये जब कोई अधिकार निर्धारित नहीं था तो मजबूरों ने अपने हक हकूक की लड़ाई की। शिकागो में बहुत बड़ी मजदूरों की क्रांति हुई थी। उस मजदूर क्रांति के बाद मजदूरों के लिये कानून बने। यह जो सरकार है मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि डा० भीम राव अम्बेडकर बाबा साहब जो भारत के पहले श्रम मंत्री थे उन्होंने मजदूरों के लिये चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों उनके लिये कानून बनाए, नियम बनाए। लेकिन आज जिस इमारत के नीचे बैठ कर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी इतनी शानदार दीवारें दिखाई पड़ती हैं आज लेकिन जिन कारीगरों ने इस

इमारत को बनाने में अपना खून पसीना लगा दिया और इतनी मजबूत इमारत खड़ी कर दी। उनके बारे में आपने सोचा, पत्थर तोड़ने का काम मजदूर करता है। जो मजदूर कताई मिलों में काम करता है उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं काटन के कारण ऐसे मजदूरों के स्वास्थ्य का कोई इन्तजाम नहीं है। न्यूनतम वेतन का कानून बना है। लेकिन आज जो मजदूरों का शोषण है। श्रम मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मजदूरों के हक के लिये अगर गहराई से विचार करेंगे तो आज जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी क्या हालत है। उसकी भलाई के लिये काम करना चाहिए। हमारे रायबरेली जनपद में स्वदेशी काटन टेक्सटाइल, मोदी कारपोरेशन, कृषक पेपर मिल, भावना पेपर मिल आदि तमाम फैक्ट्रियाँ लगाई गई, पिकप से लोन लिया गया लेकिन साल-दो साल बाद फैक्ट्रियाँ बन्द हो गई लोग लोन लेकर चले गये। मजदूरों को काम पर लगाया कोई बाहर काम करता था वह काम छोड़ कर वह रायबरेली की इन फैक्ट्रियों में काम करने लगा लेकिन कारखानों के बन्द होने के बाद वह मजदूर बेकार हो गये और एक-एक रोटी के लिये वह मजदूर भटक रहे हैं। श्रम कानून बने हैं जो लेबर इंस्पेक्टर आपके जनपदों में हैं यह फैक्ट्री मालिकों की बात करते हैं और उनके सामने मजदूरों के अधिकारों पर आरी चलाने का काम करते हैं। इंस्पेक्टर मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। रायबरेली जनपद में जिस तरह से उद्योगों के ऊपर आरी चलाई जा रही है। हमें आपके ऊपर भरोसा है कि रायबरेली में जो एक उद्योग बचा है भारतीय टेलीफोन उद्योग आज वह उद्योग भी बन्द होने जा रहा है। काम नहीं मिल रहा है। मजदूर परेशान हैं। मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ अगर रायबरेली में भारतीय टेलीफोन उद्योग भी बन्द हो गया तो व्यापारियों का काम ठप हो जाएगा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध करना चाहूँगा कि रायबरेली की फैक्ट्रियों की जो हालत है मजदूरों की जो दुर्दशा है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी निश्चित रूप से विचार करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और श्री नरेश अग्रवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूँ।

[समय 8.00 बजकर 20 मिनट]

* श्री मो० मुजतबा सिद्दीकी–

मान्यवर, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इलाहाबाद जनपद में जो श्रम विभाग बना है श्रमिकों के और मिल मालिकों की समन्वय समिति बनाकर बनाया गया था लेकिन श्रम विभाग के अधिकारी अपने दायित्व निभाने में असफल हो रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में एक सहकारी कताई मिल जो सरकार की तरफ से बनी थी, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसमें 1500 लेबर काम करते हैं। इनको तीन महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने इसकी सूचना डिप्टी लेबर कमिश्नर को दी और उन्होंने इसको सही पाया। मान्यवर, श्रमिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भविष्य निधि उनकी 94 से काटी जा रही है। मान्यवर, आठ साल से भविष्य निधि की कटौती होने के बाद भी वह जमा नहीं की जा रही है। मजदूरों का हक मारा जा रहा है। इसी से संबंधित मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में इफ्को का कारखाना है वहां पर ठेके की भर्ती से मजदूरों का काम लिया जाता है। लेबर ऐक्ट के हिसाब से एक लेबर को 65 रुपये मिलने चाहिए लेकिन वह ठेके वाले उनको सिर्फ 40 रुपया देते हैं और 25 रुपया उनका हजम कर जाते हैं। इस बारे में भी मैं सभी अधिकारियों को सूचना दे चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध के अवगत कराना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। लेबर का जो हक छीना जा रहा है उस पर न्याय करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीना नाथ भास्कर–

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये समय दिया है, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भदोही जनपद से चुनकर आया हूँ। भदोही कालीन उद्योग के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है और भदोही में प्रतिवर्ष 1600 करोड़ रुपये का टर्न ओवर है और साथ ही साथ भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद का पूर्वी इलाका जौनपुर और बनारस का पश्चिमी इलाके में पूरे का पूरा समाज चाहे वह जिस जाति, सम्प्रदाय का हो, वह कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ है और लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा मजदूर इस कालीन उद्योग में जुड़े हुए हैं। हम भाषण नहीं देना चाहते हैं 2-3 मुख्य बिन्दुओं पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि बुनकरों के लिये भदोही में कोई भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि भदोही प्रापर (शहर) में जहां पर ढाई लाख की आबादी है, उस ढाई लाख की आबादी वाले नगर में एक अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बुनकरों के बच्चों के लिये वहां पर जो विद्यालय चलाये जा रहे हैं वह मात्र कागजों पर बन्द होकर रह गया है। वह वास्तव में अमली जामे का रूप धारण नहीं किये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपेक्षा करुँगा आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप भदोही आएं कालीन नगरी है आपको वहां की व्यवस्था देखना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा जो वहां पर विद्यालय चलाये जा रहे हैं कागजों पर हैं। पैसा वसूल हो रहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि अचानक बड़े अधिकारियों के माध्यम से आप जाँच करायें और सही रूप से उन विद्यालयों को संचालित करायें ताकि बुनकरों के बच्चे पढ़ सकें। चाइल्ड लेबर के बारे में कहना चाहूँगा, कि लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर के द्वारा परेशान किया जाता है।

[लाल बत्ती होने पर]

मैं कहना चाहता हूँ कि लेबर कमिश्नर और लेबर डिप्टी कमिश्नर अपने इंस्पेक्टरों के माध्यम से छापा मारते हैं और जो 18 साल के ऊपर के बुनकर होते हैं उनको 14 साल का दिखा कर उनका चालान कर देते हैं बाद में उन कालीन निर्यातकों से पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है इस तरह से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करुँगा कि इस पर ध्यान दें।

श्री अधिठाता–

समाप्त करें।

श्री दीनानाथ भास्कर–

जो अत्याचार, कालीन निर्यातकों के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है इसमें मंत्री जी आदेश देने का कष्ट करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दीनानाथ भास्कर–

दो मिनट का समय और दे दीजिये।

(दो सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दीनानाथ भास्कर–

मान्यवर, भदोही के कालीन विदेशों में जाते हैं कैलाश सत्यार्थी व अग्निवेश द्वारा फर्जी फिल्म बनाकर विदेशो में यह प्रचार किया जा रहा है कि भदोही में बच्चों के खून से कालीन बन रहे हैं, इसी कारण जो 26 सौ करोड़ का टर्न ओवर था वह 16 करोड़ रह गया है इसमें आप कार्यवाही करें। इसी के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देता हूँ।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने जो मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। बजट के समर्थन में बोलने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय नरेश अग्रवाल जी ने पिछली सरकार के बारे में जिक्र किया। सरकारी सेवा की अवधि 58 वर्ष से 60 वर्ष कर दी गई उस समय यह कैबिनेट मंत्री थे उस समय इनको एतराज था तो अनुरोध करना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था अब इस समय अनुरोध करने का औचित्य क्या है यह खेद का विषय है। श्रम विभाग श्रमिकों के संरक्षण का काम करता है आज तमाम लोग श्रमिकों के हितकारी होने का तमगा लगाते हैं, लेकिन इस पर समुचित विचार नहीं हो रहा है। पूँजीवादी लोग ही पूँजीवाद का विरोध करते हैं सभी सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं, बड़ी संख्या में उद्योग धन्धे बन्द हो चुके हैं जहां सबसे ज्यादा कारखाने हैं श्रीमन् कानून की आड़ में श्रमिक यूनियनों ने कम्पनियां बंद करने का काम किया है। जो कम्पनी में काम करने वाले श्रमिक हैं, काम चोर हैं, वह यदि काम नहीं करेंगे तो दुनिया में हम पिछड़ जायेंगे। आजकल प्रतिस्पर्धा का जमाना है। इस कारण से ऐसे काम चोरों को रोकने के लिये श्रमिक कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, बुलन्दशहर इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र चौपट हो रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी पूँजीपतियों और फैक्टरियों का समर्थन करते हैं। इसमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि जो हमारे लेबर कोर्टस हैं उसमें समस्याओं को निपटाने के लिये समय सीमा निर्धारित करनी होगी। दस-दस सालों से निर्णय नहीं हो पाते हैं। इसके लिये कोई समय सीमा नहीं है। नोएडा में लेवर पार्टी नहीं है। गाजियाबाद के साथ सम्बद्ध है और वहाँ सुनवायी करने के लिये जज कम हैं। इसलिये बड़ी संख्या में लेवर कोर्ट होने चाहिए और समय सीमा साल भर निर्धारित होनी चाहिए। 1997-98 के श्रमिक विभाग के बजट में दादरी में ई० एस० आई० हास्पिटल खोलने की घोषणा की गयी थी लेकिन उसका अभी कोई अता पता नहीं है। उसकी तत्काल व्यवस्था करायी जाय। देवू मोटर कम्पनी किराये की मोटर कम्पनी है वह लगभग बंद है और यह मिसमैनेजमेंट के कारण है। जो मशीनें हैं उन्हें बड़ी कीमत पर आयत करके बताया गया है। सरकार उसको बंद करने से पहले यह सोचे कि कैसे श्रमिकों का हित हो। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में आई० टी० आई स्कूल खोलने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूँ।

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूँ। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, अभी माननीय नरेश जी के ऊपर जिम्मेदारी इधर के सदस्य बता रहे थे। मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि इसी सदन में विभिन्न मंत्रालयों का बजट आया और सत्ता पक्ष के अधिकतर लोगों ने आलोचना की, क्या पूरा मंत्री मंडल इसमें इस्तीफा देगा। दूसरा गाजियाबाद में, किस्मत से आवास विकास विभाग भी आपके पास है, गाजियाबाद के अन्दर बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ जो दो आने, चार आने गज में लगायी गयी थी उन फैक्टरियों को बंद करके प्लाटिंग करके आवास विकास की परमिशन लेकर प्लाटिंग की जाती है। उन श्रमिकों को फैक्टरियां बंद करके बेरोजगार किया जाता है। मैं अनुरोध करुँगा कि किस धारा के अन्तर्गत फैक्टरियों को बंद किया जाता है या प्लाटिंग करके लाभ पहुँचाया जाता है। आज उन जमीन की कीमत दो हजार या चार हजार रुपये गज है। वहां पर न तो सीवर की सुविधा है, न पानी की। ई० एस० आई० अस्पताल गाजियाबाद में हैं। लेकिन अनुरोध करुँगा कि वह बूचड़खाना लगता है। लेवर कालोनी में तीस-तीस सालों से लोग रह रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, जो फैक्टरियों में काम करते थे उनके परिवार के लोग रह रहे हैं। उसमें कहीं आना जाना नहीं है। किराये पाँच रुपये हैं। उस समय की कीमत पर मकान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवंटित किये गये थे। मेंटीनेंस भी बंद हो जायेगी जो फैक्टरी मालिक हैं, फैक्टरी बंद कर चुके हैं और दरख्वास्त देकर एलाट कराने का काम करते हैं। वह उनको दे दिया जाय इससे शोषण भी बचेगा। मान्यवर, मैंने कल समाज कल्याण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से पूछा कि उसको कितना पैसा मिल रहा है तो उसने बताया कि मात्र 45.50 रुपये मिल रहा है। जबकि सरकार ने 58 रुपये करने का निर्णय लिया है।

(व्यवधान)

(इस बीच सदस्य श्री भरत सिंह अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, अभी नोएडा में 24 नौकरियाँ दी गयी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह नौकरियाँ रोजगार कार्यालय के द्वारा दी गयी हैं या किसी व्यक्ति विशेष की ओर से दी गयी हैं। मान्यवर, महिला प्रतिशत की बात है। महिला पुरुष से ज्यादा काम करती है। इसलिए दोनों को बराबर मजदूरी मिलनी चाहिए। मान्यवर, जो कपड़ा मिल थी उसको भी बंद कर दिया गया है। उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का भुगतान कराया जाये। इन्हीं बातों के साथ में मैं इस कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आठ घण्टे की ड्यूटी होती है अभी पौने नौ हो गया है। यह कब खत्म होगा। आपसे अनुरोध है कि अब इसे समाप्त कर दें।

श्री घूरा राम–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस बजट पर बल देता हूँ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो विचार यहाँ व्यक्त किये गये हैं क्या इसका किसी को वास्तव में श्रमिकों के दुख और कष्ट का अहसास है? मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी बाल श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं मांग करता हूँ कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ काटन सहकारी मिल थी। उसमें 1500 सरकारी लेबर काम करते थे। अब वह मिल बंद हो गयी है। श्रमिकों की, अधिकारियों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उस मिल को फिर से शुरू किया जाय। उससे 1500 मजदूरों के लगभग 10 हजार लोगों का जीवनयापन होता था। वहां के व्यवसाय को भी क्षति हुई है। इसलिए मैं इसे संचालित करने की मांग करता हूँ और इस बजट पर बल देता हूँ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं उन सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बजट की चर्चा में भाग लिया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो मा० सदस्य नहीं बोल पाये हैं अगर उनका लिखित सुझाव आ जाय तो इन सुझावों पर भी उसी रूप में ध्यान देकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। श्रीमन् दुश्यंत जी की मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि–

["कहीं तो तय था चिराग हर एक घर के लिए,
कहीं चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।"]

माननीय टण्डन जी, मंत्री परिषद का शीघ्र विस्तार होने जा रहा है। हमने संविधान में मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को पढ़ा है। माननीय धर्मपाल सिंह जी जिस तरीके से मंत्री जी की ओर से उत्तर देने लगे क्या पूर्व मंत्री को यह अधिकार है कि सामूहिक जिम्मेदारी को वो संभाल ले 94 वर्ष तक उन्होंने लेबर विभाग का बजट यहां पेश किया उन्होंने अभी 33 कानूनों के बारे में जो लेबर विभाग के हैं बताया। लेकिन उन्होंने इन 4 सालों में एक बार भी अपने बजट भाषण में उन कानूनों के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गयी नहीं बताया है। उसका कोई भी उल्लेख उन्होंने नहीं किया था। आप कह रहे थे

हमने यह कर दिया, वह कर दिया। हमने तो आफीशियल फीगर्स जो ई० एस० आई० की हैं कि क्या पोजीशन है। एम्पलाएमेन्ट एक्सचेंज की क्या पोजीशन है, कुशल और अकुशल श्रमिकों की क्या स्थिति है और कितनी फैक्टरी बन्द हो रही हैं उनके बारे में बताया। आपने इन 33 ऐक्ट के अन्तर्गत एक भी पूँजीपति को बंद किया हो तो आप उन 4 सालों के अन्तर्गत नाम बताते। आपने पूंजीपतियों से मिलकर 3 फैक्टरी बरेली में जरूर बंद करा दी। अब श्रम विभाग आप को दे दें तो बरेली में जो फैक्टरियाँ हैं वह भी बंद हो जायेंगी। धर्मपाल जी ने कहा कि हमने बीड़ी की दर तय करा दी।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, जब यह ऊर्जा मंत्री थे तो जो आज बिजली की अव्यवस्था है वह इन्हीं की देन है। इतने रद्दी किस्म के ट्रान्सफार्मस खरीदे गये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आप 29 तारीख को चर्चा में भाग ले लीजियेगा। मान्यवर जो आपके ई० एस० आई० के हास्पिटल हैं वहां पर कुछ मानसिक रोग के डाक्टरों की भी नियुक्ति कर दी जाये जिसमें कुछ माननीय सदस्य भी इलाज करा सकें।

श्री भरत सिंह–

मा० नरेश अग्रवाल जी बतायें जो लखनऊ में इन्होंने कोठी बनाई है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इन्हें बरेली भेज दिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे ख्याल में बीड़ी मजदूर वाले पर भी आप प्रकाश डालेंगे। माननीय टण्डन जी जब आप जवाब देंगे तो एक-एक पर प्रकाश डालेंगे जो माननीय सदस्यों ने कहा है। यह ठीक है कि सत्तापक्ष के सदस्य का नैतिक कर्तव्य होता है कि वह समर्थन करे लेकिन सुझाव देखेंगे तो आलोचना ज्यादा नजर आयेगी यह प्रजातांत्रिक तरीख है। हम इधर बैठे हैं कटौती के पक्ष में बोलते हैं, सुझाव आलोचनात्मक ही रहते हैं लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि सत्तापक्ष के सुझाव भी आलोचनात्मक ही होंगे। हमें यहाँ सुझाव देना है हम आलोचना कर रहे हैं इससे विभाग की कमियां आपको पता लगेगीं और जब जानेंगे तो विभाग में सुधार लायेंगे। हमने शुरु में ही कहा कि मुझे खुशी है कि आज कटौती किसी वरिष्ठ मंत्री के सामने रखने को मिली। जो सुझाव आये हैं आशा है उसको गम्भीरता से देखकर कुछ कार्यवाई करेंगे। मान्यवर आपकी बताना चाहता हूँ कि आई० टी० आई गाजियाबाद का प्रधानाचार्य 10 वर्ष से लगातार गाजियाबाद में था अभी अनको नोएडा स्थानान्तरित किया गया इसके साथ ही साथ आई० टी० आई० गाजियाबाद के जो अधिकार थे वह भी नोएडा स्थानान्तरित कर दिये गये जो अप्रेन्टिस की भर्ती वगैरा का है। यह दिखवाइये कि ऐसा क्यों किया गया। 10 वर्ष एक जगह रहा उसके बाद का हटाकर नोएडा भेज दिया गया तो गाजियाबाद की आई० टी० आई० का सारा अधिकार भी स्थानान्तरित कर दिया गया इसका कारण क्या था, इसको भी आप दिखवा लें। माननीय मंत्री जी मैं एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रदेश में झाँसी, हापुड़ और लखनऊ में, सेवेन्थ डे एडवेन्टिस्ट मिशन द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों में सी० पी० एफ० योजना लागू है लेकिन इन विद्यालयों में सी० पी० एफ० के पैसे का गबन कर लिया और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिला इसी तरह से लखनऊ में ही डालीगंज में "गन्ना मिल एरिया" में श्रम विभाग का पुनर्स्थापन केन्द्र है। इसके प्रभारी कोई सिंह साहब हैं, सारा धन एवं जमीन उक्त विस्थापितों के पुनर्स्थापन केन्द्र का उनके परिवार के लोग हड़प गये हैं इसको भी दिखवाले अगर सही है तो कार्यवाही करें। इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के नाम से एक कार्यालय है वहाँ रामस्वरूप नाम का कर्मचारी है जो दिन भर शराब पिये रहता है और छात्र छात्राओं से अभद्र व्यवहार भी करता है इसकी वजह से छात्राऐं उस कार्यालय में

जाने से कतराने लगी हैं और उसका लाभ नहीं उठा पा रहीं हैं। अगर यह बात सही है तो विश्वविद्यालय में ऐसा कर्मचारी काम करें, मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि अपनी शक्ति भर जो भी मैं विभाग में जान सका यह ठीक है कि मैं श्रमिक नहीं हूँ कभी श्रम की लीडरशिप में नहीं रहा हूँ लेकिन मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और जन-प्रतिनिधि होने के नाते सबके पास जाता रहता हूँ। मैने जो बातें आपके सामने रखी हैं वह तथ्य गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं लेकिन अपनी कोशिश भर आपको सुझाव दिये हैं हमारा अनुरोध है कि हमारी इस कटौती प्रस्ताव को आप स्वागत करिये आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति एक मिसाल कायम करें वैसे भी आपकी मिसाल है, आप पूरा प्रदेश रक्षा बंधन में दे रहे हैं। एक छोटे भाई का उसके लिए कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए मान्यवर, इस पर मैं बल देता हूँ मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने सुझाव दिये हैं उस पर आप कार्यवाही करेंगे।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं अपेक्षा करता था कि नरेश जी कटौती के बजाय बजट में कुछ बढ़ोत्तरी की बात करेंगे, कि इसमें कुछ बढ़ा दिया जाये। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस संबंध में एक विद्वतापूर्ण चित्रण आपने किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि विपक्ष को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि वह आरोप लगाने वाली मशीन है। आपके द्वारा बहुत सी जानकारियां मुझे प्राप्त हुई। कोई भी मंत्री हो उसके दिमाग में कोई कम्प्यूटर तो नहीं इजाद हुआ है। कि वह सारे चित्र उसके पास आ जायें और वह कार्यवाही कर सके। एक माध्यम यही है कि जो मित्र बैठे हैं अपने सुझाव जब हमें देते हैं तो उस पर कार्यवाही करने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूं कि आपकी बात यथार्थ के बहुत करीब है क्योंकि आपने मजदूरों के हितों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है और साथ में कठोरता की भी बात कही है। आज की परिस्थिति में यह मजदूर और उद्योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उद्योग बंद होंगे तो मजदूर बेकार होंगे उद्योग जीवित रहेंगे तो मजदूर जीवित रहेंगे। मजदूरों के जब काम की गारंटी होगी तो उनकी लेबर यूनियन संगठित होगी और उनमें संघर्ष करने की इच्छा पैदा होगी। सब कारखाने बंद हो रहे हैं बेकारी की आलम हो रहा है और वह उसकी जगह जो वैकल्पिक है उद्योगीकरण है वह उस गति से नहीं हो रहा है। सभी यह कह रहे हैं कानपुर जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था आज उसकी हालत क्या हो गयी है। मजदूरों के हितों की रक्षा करना भी काम है उद्योगों को बचाना भी काम है क्योंकि उद्योग मिट गये तो मजदूर कहां जायेंगे। एक नारा इस देश में उधार लेकर लाया गया था। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो और इस नारे ने सारा वातावरण छिन्न-भिन्न कर दिया। कानपुर में जो चिमनियां धुएं उगलती दिखायी देती थीं वह आज नहीं हैं। उन कारखानों में ताले पड़े हैं। व्यावहारिकता के साथ चीजों को हमें देखना चाहिए। अभी आपने अपने भाषण में डब्ल्यू०टी०ओ० का जिक्र किया। यह विवशता थी। यहां कोई ऐसा नहीं हो सकता जो केन्द्र में सरकार में रहा हो और उसको सहमति न दी हो। आखिर में जब सरकार की ड्यूटी होती है कई बार जो चीज हुई आज उसे साकार होना है। आज औद्योगीकरण हो रहा है। जिस देश में आज सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए संसाधन नहीं हों वहां कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

अमेरिका और इग्लैंड दोनों जगह बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

श्री लालजी टण्डन—

केवल सरकारी जगहों पर या जिनके बड़े-बड़े उद्योग हैं और कई हैं उनमें से एक बंद हो गया, वहां से जो मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे उनके लिए भत्ते दिये जायेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

नहीं, सभी बेरोजगारों को भत्ता इग्लैंड और अमेरिका देते हैं।

श्री लाल जी टण्डन–

हवाई किले बाँधने से कोई काम नहीं चलेगा। यथार्थ पर चलना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं छिपाना भी नहीं चाहता। श्रम कानूनों का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिये, आपने कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आज जो थोड़े बहुत कारखाने बचे हैं, उनके मालिक कहते हैं कि लो हम बंद कर देते हैं तो आज सवाल यह है कि जिनके पास रोजी है, उनकी रोजी बची रहे और वह बेकार न होने पाये। जितनो को हम बचा सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश करें और जितना नया पूँजीनिवेश, नई तकनीक दुनियां से कम्पटीशन करके इस स्थिति में आ जाय। थोड़ा यह संक्रमणकाल ऐसा होता है, जब देश की अर्थव्यवस्था बदलती है। इस समय यही हो रहा है। आज बड़े से बड़े कारखाने जो सरकार ने लगाये थे, जो हमारी शान के प्रतीक थे, आज उनका डीआर्गनाइजेशन हो रहा है। भारत सरकार शायद शीघ्र ही एक नया कानून श्रमिकों के हित के लिये ला रही है। अभी तक कई जगह ऐसा हुआ है कि बड़ी संख्या में बैंकों से छटनी नहीं की गयी, बल्कि उन लोगों को वी० आर० एस० दिया गया है। यानि उन्हें पूरी सर्विस का लाभ दिया गया और उन्हें उतने दिन का फण्ड, ग्रेच्युटी आदि मिलाकर इतना पैसा मिल गया है कि उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी, उससे कई गुना ज्यादा आमदनी उन्हें होने लगी, उस पैसे से यह प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ यहीं ऐशबाग रोड़ पर एक कारखाना था और वह बंद हो गया था, मजदूर तनख्वाह के लिये चिल्ला रहे थे, उस समय आप भी थे, सरकार में। वहां वी० आर० एस० का जिक्र आया मैंने कहा कि यह बहुत लम्बा होगा और तब तक सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, इसलिये इसमें नया प्रयोग करिये। फैक्टरी को बंद कर दीजिये और सारे एसेट्स को बेच दीजिये और वी० आर० एस० दे दीजिये। उसकी सारी जमीन बिक्री, वह हाऊसिंग बोर्ड ने खरीद ली और मैंने विधायकों से, वायदा किया था कि एक मकान चाहे लखनऊ में ले लें या अपने गृह जनपद में चाहें, ले लें भूखण्ड चाहे तो ले लें। मैं यहाँ विधायकों के लिये फेज बनवा देता हूँ। किसी को कल्पना नहीं थी, आज वहां मकान बन गये और लोगों को मिल गये। चूँकि पहले से बुक थे, इसलिये उनका आवंटन हो गया। आज एक भी मजदूर ऐसा नहीं रहा, जिसका एक भी पैसा बाकी हो। सब खुश-खुश चले गये और सम्पत्ति का सदुपयोग हो गया। आज वहाँ एक कार्मर्शियल काम्पलेक्स बन रहा है, एक बड़ा स्कूल बन रहा है और विधायकों का आवास बन चुका है। इस तरह से हमें आज सोचना होगा। अभी कानपुर के कारखानों के बारे में बोल रहे थे, कल यदि उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो जाती और कारखाना बंद हो जाता तो ढाई हजार मजदूर के बेकार होने का खतरा था, उनको सड़कों पर आना पड़ता। आप बदचलन भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कौन सा रास्ता प्रिफर करेंगे। कौन ऐसा है जिसने मजदूरों का शोषण नहीं किया। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। आज वह बेहतर पोजीशन में हैं, उनका शोषण करने की स्थिति में। वह कह सकते हैं कि लो हम बंद कर देते हैं, मान्यवर, इन उद्योगों को हमें बचाना होगा जैसे कुछ चीजें सामने आयीं, अजीम भाई तो अजीम हैं, उन्होंने जो कहा, उनकी बात भी होगी लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न इस सत्र में रखा था जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या श्रम मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से आठ घण्टे के बजाय 12 घण्टे काम लिया जाता है उत्तर था जी नहीं, फिर था, यदि हां तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, उत्तर था प्रश्न नहीं उठता, लेकिन फिर भी जो प्राविजन था, उसके अनुसार कार्रवाई कराई जा रही है, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की न तो मजदूरों ने और न उसकी यूनियन ने।

श्री अजीम भाई–

मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मजदूर 14 घण्टे काम करते हैं।

श्री लालजी टण्डन–

अगर ऐसा है तो गलत सूचना देने वाले को दण्डित किया जाएगा।

श्री अजीम भाई–

अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा।

श्री लालजी टण्डन–

बाल श्रमिकों के लिये ही 10 कार्यालय स्थापित हैं और भारत सरकार ने छः नये खोलने की योजना की है। मान्यवर अभी बाल श्रमिकों के बारे में माननीय भाष्कर साहब बोल रहे थे कि जाकर वहां पर छापा मारते हैं मिलवाले जो 18 साल के लड़के मिलते हैं उसे 14 साल का बता देते हैं, अगर वहां बाल श्रमिकों के ऊपर कोई दबाव बनाया नहीं जा रहा है, उन्हें काम से अलग नहीं किया जा रहा है तो यह छापे क्यों पड़ रहे हैं। एक रिकार्ड भी हमारे पास है कि कितनों को पढ़ाई में लगाया गया, कितनों को रिहैबिटेशन का लाभ दिया जा रहा है अगर आप सच-मुच सोचेंगे और आपके दिल में बाल श्रमिकों और मजदूरों के लिये दर्द है तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के सामने भीख मांगते हुए छोटे-छोटे बच्चे दिखाई देते होंगे, उनके लिये भी दिल में दर्द होना चाहिए। मान्यवर, देखा कि छोटा बच्चा दस्तकारी के काम में लगा है और उसे बाल श्रमिक मान लिया जाय तो वह कहाँ जायेगा, वह अपना पुश्तैनी पेशा छोड़कर क्या भीख मांगने का काम करे? जहाँ पर इन बच्चों के जीवन के लिये, उसके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, ऐसा उद्योग है जहाँ इन बच्चों की जिन्दगी आगे चलकर तबाह हो जाएगी इस जगह पर उन्हें इस काम से अलग करना चाहिए, लेकिन भीख मांगने के लिये उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यवर, आपका इतना विद्वतापूर्ण भाषण था, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि आज आप बहुत अध्ययन करके आये होंगे। मैं अपना बजट पेश कर रहा हूँ, इसलिये मेरी स्थिति कुछ दयनीय हो सकती है फिर भी आपने कई बातें कहीं, कई सुझाव दिये, अगर आप अपनी बातें हमें लिखकर करके दें तो उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन परिस्थितियों के साथ आपको और हमको, पक्ष या विपक्ष हो। कल यह पक्ष विपक्ष में बैठता है तो वही जो आप वहां पर बैठ करके कह रहे हैं, अगर आपको यहां से उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ तो आपका उत्तर दूसरा होगा, वहाँ बैठकर दूसरा होगा। यह लोकतंत्र की परम्परा है। आपने बहुत तैयारी की इसके लिये मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने उद्योग और श्रमिक के बारे में विस्तृत रूप से बताया मैं समझ ही नहीं पाया कि आप श्रमिकों के पक्ष में कह रहे हैं या उद्योग के पक्ष में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,22,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,17,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या–88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) अनुदान संख्या–90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15, 85, 93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,04,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,62,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,80,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या–22, खेल विभाग अनुदान संख्या–40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि.....

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था उन्होंने कहा था कि जब खेलकूद विभाग का बजट आयेगा उस वक्त मुझे अवसर दे दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर विवाद नहीं होगा। आप बैठिये। आप खेल मंत्री को लिखकर दे दीजियेगा।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बोलने का अवसर दे दिया जायेगा।

* श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे खेल-कूद विभाग पर अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया है। आज प्रश्न इस बात का है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के स्तर पर खेलों का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? मैंने पिछले पांच सालों में कटौती का प्रस्ताव रखने का काम किया है। उस समय भी मैंने सुझाव दिये थे और आज भी सुझाव देना चाहता हूं। जो गांव के गरीब किसान के बेटे हैं उनको खेलों से दूर रखने का काम पिछली सरकार ने किया है जिसमें आप भी भागीदार थे। पिछली सरकार ने जो बच्चे स्टेडियम जाते थे उनके ऊपर 30 रुपये सालाना फीस लगायी थी लेकिन इस सरकार ने फीस बढ़ाकर 50 रुपये प्रति महीना कर दिया। पहले तो 30 रुपये सालाना फीस लगती थी और अब जो 50 रुपये किया गया है यह कहां तक उचित है? इसी तरह से जो बच्चे बैडमिंटन हाल कोचिंग लेने के लिए जायेंगे, पहले उनको तीस रुपये महीने देना पड़ता था अब 300 रुपये महीना देना पड़ेगा। इस तरह से सभी खेलों की फीस बढ़ा दी है। खेलों को फ्री होना चाहिए लेकिन आपने फीस बढ़ा दी है। इसको समाप्त कर दिया जाये ताकि खेल आगे बढ़ सके। इसी तरह से आप के जो खेल विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने एक शासनादेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि खेलों में भी आरक्षण होगा। मान्यवर, फिजीकल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है उसके बाद एडमीशन होता है ऐसा जो आदेश निकाला गया है वह दिमागी दिवालियेपन का सबूत है। खेलों में कहां आरक्षण हो सकता है? इस तरह का जो प्राविधान किया गया है ऐसे प्राविधान को समाप्त किया जाये, ऐसा प्राविधान नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने खेल को एकदम पीछे छोड़ने का काम किया है। जब कटौती का प्रस्ताव आता था तो सुझाव आते थे। उसको भी समाप्त कर दिया गया इसको फिर से लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह से खिलाड़ियों के बारे में आपने कहा कि हम उनको लक्ष्मण अवार्ड देते हैं, लक्ष्मीबाई एवार्ड देते हैं यह तो पूर्व से चले आ रहे हैं। 1976 में हम जैसे लोग जब खेलते थे तो चेन्ना रेड्डी ने संजय मोदी और बालीबाल में इलियास साहब को दिया था। जो हमारे उस्ताद थे। खिलाड़ियों के उस्तादों को प्रशिक्षकों को अलग से एवार्ड देना चाहिए। इस तरह की कोई नीति बनाने का काम करेंगे? इसी के साथ-साथ हमने उस वक्त भी कहा था कि खेल नीति बनाई जाए वह नहीं बनाई गई। जो टेक्निकल हैं उनको इस विभाग का चार्ज दिया जाए। खेल विभाग का बजट हर साल कम होता जा रहा है। पिछली बार 16 करोड़ का था इस बार यह 13 करोड़ रुपये का है इससे खेलों का कैसे उत्थान हो सकेगा। मैंने इसी लिए इस पर अपने विचार रखे। ताकि इनकी व्यवस्था की जाए। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,20,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,12,07,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या —92— संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,65,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के लिए एलोपैथिक मेडिकल कालेज आगरा, मेरठ, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में हैं। इसके अलावा.....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, समय हो गया है। इसे स्थगित कर दिया जाए।

श्री रामवीर उपाध्याय–

इसके अतिरिक्त लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, के०जी०एम०सी० मेडिकल कालेज लखनऊ में हैं।

(समय 9.00 बजकर 20 मिनट)

अगर कोई गरीब असाध्य या संक्रामक रोग से पीड़ित है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इसमें कोई संशोधन तो है नहीं। प्रवर समिति को दिये जाने की बात है। इसमें मतदान करा लें कि प्रवर समिति में जाय कि नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त में अपनी बात रखिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, यह विधेयक जो आया है उसका रूप वही है कि कोई बढ़िया अपने मकान में रहता हो और हम तुरन्त उस मकान में अपना बोर्ड लगा लें और उसमें प्रवेश कर जायं। मुझे दुःख है कि इस विधान सभा का गठन विधान बनाने के लिये हुआ है और हमारी प्राथमिकता जो है कि हम कानून बनायें, और वह कानून जो, जनहित में हों या जन विरोधी हों उस पर विस्तार से चर्चा करके रखें। कानून हम जनता के लिये बनाते हैं। मैं दुःख के साथ और भारी मन के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग सदन में बैठे हैं। मैं सुन रहा था सत्ता पक्ष के 99 प्रतिशत माननीय सदस्य इस बात का हम पर दबाव डाल रहे थे कि जल्दी से इसको पास होने दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक का प्रारूप रखा है और उनकी बातों को मैंने सुना। इन्होंने गोरखपुर, मेरठ और कहां-कहां के मेडिकल कालेज की बात कही। किंग जार्ज मेडिकल कालेज हिन्दुस्तान का सबसे पुराना मेडिकल कालेज है। हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कोई भी इतना बड़ा अस्पताल नहीं है जिसमें के०जी०एम०सी० के पढ़े हुए डाक्टर न हों। मान्यवर, के०जी०एम०सी० का नाम बाद में महात्मा गांधी के नाम में परिवर्तित किया गया। मुझे नहीं पता और दुःख है कि गांधी जी के नाम से सत्ता पक्ष के लोगों को कितनी एलर्जी है कि उनका नाम हटा कर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया। शाहू जी बड़े व्यक्तित्व के आदमी हैं लेकिन हिन्दुस्तान में गाँधी जी के व्यक्तित्व के बराबर किसी का व्यक्तित्व नहीं है हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनिया के लोग इसको मानते हैं। मेरा सुझाव है कि इसको छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गांधी जी मेमोरियल एसोसिएटेड अस्पताल कर दिया जाए। पहले यह किंग जार्ज मेडिकल कालेज गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड कालेज था...

(व्यवधान)

छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम रहेगा आप इसे छत्रपति शाहूजी महाराज गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड अस्पताल कर दीजिए। इससे छत्रपति शाहू जी का भी नाम रहेगा और गांधी जी का भी नाम रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करिए।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

अभी मैं बोल रहा हूँ। बोलने दीजिए– यह जो मान्यवर, विधेयक है इसके सेक्शन 12 (2) में प्राविधान किया गया है–"तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि का आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के कक्ष में आरक्षण कर सकता है।" इसमें मेरा स्पष्ट सुझाव है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

इसमें प्रतिबन्ध नहीं कर सकते हैं। यह कानून है जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक बोलेंगे, यह कोई बजट भाषण नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

आरक्षण की व्यवस्था की जाए और 50 प्रतिशत की जाए प्रदेश में लेक्चरर, प्रोफेसर की नियुक्ति में रोगियों की भर्ती में भी, बेड में भी 5 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दीजिए। सेक्शन-9 में यह व्यवस्था है "लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य सेवक जो संस्थाओं के कार्यकलाप के संबंध में" यह काफी लम्बा है पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। जो प्रिसिंपल हैं वह कुलपति हो जाएंगे यह किया है जो लेक्चरर, प्रोफेसर, कर्मचारी फार्मेसिस्ट हैं टेक्नीशियन हैं उनके लिए प्राविधान नहीं किया गया जब मेडिकल को समाहित कर रहे हैं प्राचार्य को जब कुलपति बनाने का प्राविधान कर दिया तो इसमें भी प्राविधान करना चाहिए जितने मेडिकल कालेज के कर्मचारी हैं उनको भी समाहित करना चाहिए वह नहीं किया गय यह आपने नहीं किया। सब बातों को मिलाकर यह एक झंझटिया विधेयक है। माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं कि हम लोग 11.00 बजे से बैठे हैं। हम लोगों का काम कानून बनाना है। हम लोग कानून बनाने के लिए ही चुनकर आये हैं। लेकिन होता क्या है यह मद तब आती है जब विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होने को आती है। मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रकार के विधेयक जब जाते हैं तो उनको जीरो आवर में लेना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात की सिफारिश आनी चाहिए। मान्यवर, होता क्या है यह पास आखिरी में होता है और अस्सी प्रतिशत विधायकों को यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा विधेयक बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सुझावों पर बल देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह अपने आप में झंझटी बिल है। गाँधी जी को अपमानित करने के लिए यह विधेयक लाये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कोई विद्यालय खुले इसके लिए हमें आपत्ति नहीं है और विश्वविद्यालय खुलना जरूरी है और शिक्षा का विकास करना यह सरकार का दायित्व है यह हमारा अधिकार है कि इस प्रकार विश्वविद्यालय खोले जायें। लेकिन उसकी कुछ व्यावहारिकता आचार, नैतिकता इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी के नाम से खुले मैं आपत्ति नहीं करता हूँ। लेकिन आश्चर्य है कि छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से कानपुर में पहले से ही हैं, दूसरा और आप खोलने जा रहे हैं। इसमें कितने धन की आवश्यकता है अपने उद्देश्य और कारण में बताया है। छः सौ करोड़ की आवश्यकता है। हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है हम तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है छः सौ करोड़ हमें चाहिए। इसमें 11 करोड़ अनावर्तक और चार करोड़ आवर्तक इस प्रकार से पन्द्रह करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। तमाम प्रकार के जिला बनाने गये लेकिन क्या जिला मुख्यालय बन पाये। क्या वित्तीय संसाधन है इसमें बहस चलेगी तो लम्बा चलेगा। यह सही है कि वह महान व्यक्ति थे लेकिन उनके नाम से पहले ही एक विश्वविद्यालय है तो पहले से ही जब महात्मा गाँधी का नाम है तो उसे क्यों छीना जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 10(4) में लिखा है कि एक दूरस्थ चिकित्सा विभाग स्थापित करना। तो यह कहाँ स्थापित होगा। पूना में होगा, शोलापुर में होगा जब माननीय मंत्री बोले, तो इसका भी उत्तर दे दें। दूसरी बात किसी विश्वविद्यालय एक्ट में इतने छात्रों की भर्ती सीमित हो, पात्रता सीमित कर दी जायेगी आपने इस एक्ट में किया है। विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता सीमित कर सकते हैं इसका क्या अर्थ हुआ मान्यवर, अगर विश्वविद्यालयों के अधिनियम में इस प्रकार का प्राधान रहा तो जो खुली शिक्षा नीति है वह अपने आप समाप्त हो जायेगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग ऊब चुके हैं और इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेडिकल कालेज को पी०जी०आई० का दर्जा दिया गया तो लखनऊ के साथ-साथ पूरे प्रदेश की जनता ने इस कदम का स्वागत किया। पी०जी०आई० में मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही थी और वहां पर गरीब नहीं जा सकता था। इसलिए इसकी स्थापना की जा रही है। इसके लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गयी है और बाकी को 2004 तक कर ली

जाएगी और इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसमें प्रवेश से लेकर सबमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी जी हमारे लिए पूज्यनीय हैं। श्री छत्रपति शाहू जी महाराज भी इन्हीं महापुरुष के समान थे। इसलिए उनका नाम लिखा गया। उन्होंने उस हालत में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया था जब इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह ठीक है कि इसे लखनऊ में बनना चाहिए। इसका हर तरफ से स्वागत हो रहा है। इसे प्रवर समिति में भेजने की मेरे खयाल से कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं सत्तारूढ़ दल का होने के नाते बल देता हूँ और साथ ही उ०प्र० का विधायक होने के नाते कुछ बिन्दु रखना चाहता हूँ। इस सदन में दिनांक 14-7-98 में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा सदन में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय शिवाकान्त ओझा जी द्वारा की गयी। उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के ओ०एस०डी० की नियुक्ति की गयी। इसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। इसमें काम भी शुरू किया गया। उस समय भी मैंने अपनी बात रखी थी तो मुझे बताया गया कि इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। मैंने कहा कि एक अलग से भारतीय चिकित्सा पद्धति के आधार पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जिसमें यूनानी, आयुर्वेदिक और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण होगा। इसके लिए मैंने बनारस यूनिवर्सिटी का उदाहरण भी दिया था। तत्कालीन डायरेक्टर श्री के० उड़प्पा को लालच दिया गया कि अगर वह इसका नाम बदल देंगे तो उनको मेडिकल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना दिया जायेगा और वह लालच में आ गये। उसके बाद वही हुआ उनके बाद आज तक फिर मा० चि० पद्धति का निदेशक नहीं आया श्री कलराज मिश्र जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनकर आये और उन्होंने इसका नाम बदलकर धनवन्तरि विश्वविद्यालय रख दिया।

एक कुल मिलाकर भी उस समय संदेह और संशय व्यक्त किया था आज भी इस ऐक्ट में प्राविधान है कि प्रिंसिपल कुलाधिपति होंगे। मान्यवर, ऐलोपैथिक वाला हमारे ऊपर शासन करेगा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक और प्राकृतिक योग चिकित्सा पर भारतीय चिकित्सा पद्धति पर वह शासन करेगा। मान्यवर, छत्रपति शाहू जी के नाम पर मतभेद नहीं है वह समाज के आदरणीय हैं ये मेरी बात का अर्थ का कदाचित न लें कि महापुरुष के नाम पर आपत्ति कर रहा हूँ। मान्यवर, 9 मई, 2000 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा धनवन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा की गयी। मान्यवर, धनवन्तरि चिकित्सा पद्धति के आदि प्रवर्तक हैं तब इस पर कोई मतभेद नहीं था। मान्यवर, 50 लाख रुपये की व्यवस्था उसमें की गयी उससे उसका दफ्तर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था उसमें शुरू हुई अब उसको एकदम से समाप्त करके इस तरह की व्यवस्था करना यह उचित नहीं है। मान्यवर, मेरी कोई के०जी०एम०सी० के नाम पर प्यार नहीं है। मान्यवर, वह आटोनामस है और उसको एक्वायर करने का अधिकार सरकार को कहां से मिल जायेगा। उसका एक्वीजीशन कैसे कर लेंगे? मान्यवर, 1905 में के०जी०एम०सी० की स्थापना हुई थी। महाराजा अयोध्या और महाराजा बनारस और उस समय के जो ताल्लुकेदार थे उनका ट्रस्ट बना हुआ था उस ट्रस्ट में यह शर्त थी कि नाम में परिवर्तन कभी नहीं किया जायेगा। अगर यह नाम में परिवर्तन करने की स्थिति में होते तो पहले की सरकारों का विचार बना था, पहले सरकार नाम परिवर्तित नहीं कर सकती। इस मेडिकल कालेज का नाम के०जी०एम०सी० रहने दिया गया और अस्पताल का नाम गांधी मेमोरियल ऐसोसिएटेड हास्पिटल किया गया। मान्यवर, इसी सदन में 14-7-98 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा और इसी सदन में 1-5-2000 को धनवन्तरि विश्वविद्यालय नाम किये जाने की घोषणा। मान्यवर, उनके नाम पर इस नाते कोई आपत्ति नहीं है कि वे चिकित्सा पद्धति के आदि प्रवर्तक थे और मान्यवर, 9 मई, 2000 को यह घोषणा हो चुकी है। मान्यवर, उस समय भी हमारी सरकार थी और आज भी हमारी सरकार है फिर अचानक इतिहास क्यों नहीं बताया जा रहा है? उस समय की विभागीय पत्रावली अधिकारीगण सरकार के सामने क्यों नहीं रखते हैं? अगर वह सब

बातें मंत्री जी के सामने रखी गयी होती तो आज सरकार इस तरह की बात न करती। मान्यवर, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 में आया और जो ऐक्ट, 1973 था उसके चैप्टर-4 के क्लाज 10 के रहते हुए हमने कुलाधिपति के बारे में क्या व्यवस्था कर ली। मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 1994 जिसको इस सदन में पुनर्जीवित किया गया था उसकी आरक्षण व्यवस्था को हमने परिवर्तित कर लिया है। यह हमसे कोई गलती हुई है क्या? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, 2002 के बारे में यही कहना है कि कोई व्यक्ति यदि न्यायालय में जाकर खड़ा हो गया तो विषम स्थिति उत्पन्न होती। मान्यवर नियम 300 में हमने इसको उठाया तो कहा गया कि यह न्यायालय के माध्यम से हो सकता है। मान्यवर, सरकार की भावना अच्छी थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 का जो नाम था वह हमारे परम श्रद्धेय हैं तो उस समय भी बात आई थी कि उसको कोई न कोई व्यक्ति न्यायालय में रोक देगा। (व्यवधान) मान्यवर, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक हूँ। अगर विधेयक पास करने के लिए प्रश्न उपस्थिति होगा तो मैं सरकार के पक्ष में मतदान करूंगा और यह विधेयक पास होगा यह मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि इतिहास को भुलाकर इतिहास को छोड़कर इस सदन में दो वर्ष, तीन वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम के जरिए निर्णय के जरिए, घोषणा के जरिये यह हुआ था अब यह निर्णय करने की आवश्यकता क्यों हुई यह प्रश्न अभी तक अनुउत्तरित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कृपा करके विचार कर ले बाकी जो सरकार का निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वाजपेयी जी, ने जो रखा है यह धनवन्तरि विश्वविद्यालय अलग है यह के०जी० एम०सी० को अपग्रेड करने का मसला है। धनवन्तरि विश्वविद्यालय तो एफीलिएटेड है। वह धनवन्तरि विश्वविद्यालय अलग है।

डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, अगर मंत्री जी यह कह रहे हैं धनवन्तरि की बात वह अभी तक अलग है तो मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करूंगा और अगर धनवन्तरि की स्थापना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हम भूमि भी उपलब्ध करायेंगे, अगर ये घोषणा कर दे कि धनवन्तरि, विद्यालय वह भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वविद्यालय के रूप में होगा तो हम आभारी होंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वाजपेयी जी कह रहे हैं यह अलग है, एफीलेटेड यूनिवर्सीटी रहेगी। छत्रपति साहू जी महराज के नाम से वह अलग है जो धनवन्तरि विश्वविद्यालय है वह एफीलिएटेड यूनिवर्सिटी रहेगी। यह तो के०जी०एम०सी० को अपग्रेट कर रहे हैं और हम उसे विश्व विद्यालय का स्वरूप दे रहे हैं। इनको अपग्रेट करके यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जा रहा है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी इसको वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, ने बीच में जो अपनी बात कही इस सदन में 1984 में जहाँ तक हमको याद है उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पं० लोकपति त्रिपाठी, एक विधेयक लाये थे। यह संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल का और इस सदन में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यह जो संजय गांधी मेमोरियल हास्पिटल है यह सबसे सही हास्पिटल होगा और उसको चार चरणों में पूरा करेंगे। आज उसको संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा।

इतने दिन सन् 1984 के बाद से आज तक जो चार चरणों में बनना था एक ही चरण केवल पूरा हो पाया है और इन्होंने भी यह प्रावधान किया है मेडिकल कालेज को ही अधिगृहीत कर ले रहे हैं, नया बनाना भी नहीं है। सबसे पुराना कालेज मेडिकल कालेज है। कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें, पूरब के जिलों में कर दें या पिछड़े जिले है वहां कर दें। लखनऊ में तो संजय गांधी, किंग जार्ज मेडिकल कालेज है, पूरब में कहीं भी एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं है कि लोग अपनी दवा करा सकें। यह अस्पताल पूरब के क्षेत्र में आजमगढ़ मण्डल वनारस मण्डल आदि में से किसी भी जिले में होता तो हम इसका स्वागत करते। यहां पर सेवा सुविधाएं मौजूद हैं इसलिए मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

बहुत छोटी सी बात माननीय मंत्री जी, कम से कम 100 करोड़ की मशीनें बेकार पड़ी है अगर माननीय मंत्री जी थोड़ा सा योगदान दें तो पी0जी0आई0 चलने दें। मैं माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। खोलना है तो इंडियन मेडिकल कालेज कहीं खोलिए। लखनऊ में आवश्यकता है लेकिन इस तरह से अपना बोर्ड लगाकर अपनी संकुचित भावना का ही प्रदर्शन सरकार कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपूर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 57 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

लखनऊ विश्वविद्यालय से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हास्पिटल्स को अंतरित करके छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2-इस अधिनियम में, - परिभाषाएं

(1) 'विद्या परिषद्', 'सभा' और 'कार्य परिषद्' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्, सभा और कार्य परिषद् से है;

(2) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है,

(3) 'दन्त चिकित्सा' और 'चिकित्सा' के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए क्रमशः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है,

(4) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है,

(5) 'गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल' का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लीनिक एण्ड हास्पिटल (क्षय रोग), बाल चिकित्सालय, दन्त विज्ञान संकाय से सम्बद्ध हास्पिटल, कुष्ठ हास्पिटल और रक्त बैंक, पुनर्वास एवं कृत्रिम केन्द्र से है और इसके अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, औषधालय और प्रयोगशालायें भी हैं जो पूर्वोक्त किसी चिकित्सालय और रक्त बैंक से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों,

(6) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो,

(7) 'संस्था' का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल से है,

(8) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अन्तर्गत उसके दन्त संकाय को सम्मिलित करते हुए समस्त औषधालय, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाऊस भी हैं जिनका प्रयोग उक्त कालेज के सम्बन्ध में या उसके उप साधन के या सहायक के रूप में किया जाता है,

(9) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है,

(10) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' का तात्पर्य परिनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा स्नातक भी सम्मिलित है जिसने नियत दिनांक के पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के छात्र के रूप में कोई चिकित्सा उपाधि प्राप्त की हो,

(11) 'परिनियम','अध्यादेश' और 'विनियम' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है,

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो,

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3-विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण कर रहे कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्य परिषद्, सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज इत्यादि का लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरण किया जाना

4-नियत दिनांक को और उसी दिनांक से -

(क) ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबन्ध जो दिनांक 1 मार्च, 1921 से कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार से लखनऊ विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया था उससे सम्बन्धित समस्त ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों के, जो उक्त अन्तरण के समय विद्यमान थी उसके किन्हीं अनुवृद्धियों और अधिमिलनों के साथ नियंत्रण और प्रबन्ध सहित लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायगा,

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो जिसके अन्तर्गत संस्था के नाम में या उसके लेखे में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा धृत कोई नकद धनराशि भी है चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तरित हो जायेगी और विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगी,

(ग) धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार शक्ति और विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व और आभार,जो किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हो, विश्वविद्यालय के अन्तरित हो जायेंगे,

(घ) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन किसी आस्ति या दायित्व के अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में किसी संदेह या विवाद को राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा,

(ङ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा मानों उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थान पर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया हो।

आस्तियों इत्यादि का उपयोग

5-धारा 4 के आधार पर विश्वविद्यालय को अन्तरित सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज का विश्वविद्यालय में अन्तरण

6-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी-

(क) किंग जार्ज मेडिकल कालेज नियत दिनांक से लखनऊ विश्वविद्यालय के संघटक विद्यालय के रूप में नहीं रह जायेगा और उन्नत हो जाएगा 'और' विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएगा; जिसे एततूपश्चात इस धारा में नया विश्वविद्यालय कहा गया है, 'और'

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज का कोई छात्र जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा और नए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा।

कुलपति और कर्मचारी वर्ग की प्रथम नियुक्तियाँ

7-(1) नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, प्रधानाचार्य के पद के समाप्त किये जाने पर उसी दिनांक से कुलपति के रूप में नियुक्त हो जायेगा जब तक कि इस अधिनियम के अनुसरण में कुलाधिपति द्वारा कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाएगी।

(2) कुलपति द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से प्रति-कुलपति और हास्पिटल का एक मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) दंत संकाय को छोड़कर, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य चिकित्सा संकाय का अध्यक्ष होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और तत्पश्चात् ज्येष्ठता-क्रम के अनुसार पद चक्रानुक्रमित होगा।

(4) नियत दिनांक के ठीक पूर्व दंत संकाय के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करता रहेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्षों पर ज्येष्ठता के क्रम में पद चक्रानुक्रमित होगा।

अंतरिम कार्य परिषद्

8-इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के लिए नई कार्य परिषद् के गठन हो जाने तक एक अंतरिम कार्य परिषद्, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, कार्य परिषद् के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) संकायों के अध्यक्ष;

(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न);

(ङ) उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ का ज्येष्ठ न्यायाधीश या किसी बैठक के लिये उसके द्वारा नामित उस पीठ का अन्य न्यायाधीश;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य;

(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, या किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिये उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य;

(ञ) किंग जार्ज मेडिकल कालेज जैसा कि वह नियत दिनांक के पूर्व था, के दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और दो सेवानिवृत्त आचार्य जो कि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जाएंगे;

(ट) कुलाधिपति द्वारा नामित, चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक प्रख्यात व्यक्ति।

अध्यापकों का अन्तरण

9-लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य सेवक जो संस्थाओं के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से सशक्त हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस रूप में संस्थाओं में सेवारत हो जब तक कि वह नियत दिनांक से नब्बे दिन के भीतर विश्वविद्यालय को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य सेवक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य विषय के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन धारणकर्ता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसार उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

10-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) चिकित्सा और दन्त विज्ञान में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना;

(ख) विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके एक बहुआयामी अति विशिष्ट हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करना और उन्हें उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित करना;

(ग) अपने हास्पिटलों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) एक परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना;

(ङ) पुनर्वास एवं अंग केन्द्र, पैथालाजी प्रयोगशालाओं, डाइग्नोस्टिक सेन्टरों और रक्त बैंकों को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना;

(च) एक दूरस्थ चिकित्सा विभाग स्थापित करना;

(छ) एक पुनःउत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रण अनुसंधान का विकास करना;

(ज) एक जैनटिक्स विभाग विकसित करना;

(झ) एक पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान विकसित करना;

(ञ) ट्रान्सफ्यूशन चिकित्सा का विकास करना;

(ट) एक पोषण अनुसंधान केन्द्र का विकास करना;

(ठ) चिकित्सा एवं दन्त विज्ञान में जीन थिरैपी मालीकुलर बायोलाजी, रोबोटिक सर्जरी, बायोइन्फारमेटिक्स, अंग प्रत्यारोपण, बायोटेक्नालाजी इम्यूनोलाजी तथा क्लीनिकल एपीडयूनोलाजी और अद्यतन मानकों के अनुरूप सुविधाओं को विकसित करना; और

(ड) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक केन्द्र स्थापित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्त्तव्य

11-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) चिकित्सा और दन्त चिकित्सा की ऐसी शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(दो) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ संस्थित करना और प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षायें और परीक्षण को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तों को अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ स्वीकृत और प्रदान करना जिन्होंने-

(क) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो,

या

(ख) विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया हो,

(पांच) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(छः) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यानों और अनुदेशों की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(आठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (यात्रा करना अधिछात्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य या, किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियन्त्रण करना और विश्वविद्यालय संस्थाओं के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(सोलह) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये व्यवस्था करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे उपयुक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

विश्वविद्यालय के सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

12-जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा-

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय -

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्रता सीमित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण तथा जांच

परिदर्शन

13-(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय-तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

14-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रति-कुलपति,

(घ) वित्त अधिकारी,

(ङ) कुल सचिव,

(च) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो,

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष,

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

15-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

कुलपति

16-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा:

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगें।

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद-त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के

उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो धारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिए जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के संबंध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा।

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिये जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा-

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात् में;

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उप-धारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहां प्रति-कुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

17-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और:-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 53 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, सभा, विद्या परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्रधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय को सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) जहां कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रति कुलपति

18-(1)यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति को एक हजार रुपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

(5) प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायं।

वित्त अधिकारी

19-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्ही परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमिततायें न की जायं और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जायं।

कुल सचिव

20-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जैसी विहित की जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा विहित किये जायं या अपेक्षित हो किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथाउपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

21-(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायं या जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहाँ परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

अन्य अधिकारी

22-कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जायं।

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय प्राधिकारी

23-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगें:-

(क) कार्य परिषद्;

(ख) सभा;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) संकायों के बोर्ड;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायं।

कार्य परिषद् का गठन

24-(1) कार्य परिषद् में धारा 8 में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ-साथ सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामावलिगत न हों या उसकी सेवा में न हो।

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह, होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरणः- इस धारा में 'नातेदार' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

25-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(एक)-विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि-छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझें;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों, या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझें, या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तें वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फ़ीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद, सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझें और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझें, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

सभा

26-(1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

वर्ग-1-पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कार्य परिषद के सदस्य;

(तीन) वित्त अधिकारी;

वर्ग-2-आजीवन सदस्य

(चार) ऐसे भारतीय, जिन्होंने विश्वविद्यालय को दो लाख रुपये से अन्यून का संदान किया है;

(पांच) ऐसे अप्रवासी भारतीय जिन्होंने विश्वविद्यालय को दस हजार से अन्यून पाउण्ड स्ट्रेलिंग या उसके समतुल्य कोई अन्य विदेशी मुद्रा का संदान किया है;

वर्ग-3-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधित्व

(छः) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और अन्य सभी विभागाध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रावासों के प्रोवोस्टों और वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति से चक्रानुक्रम में किया जाना है;

(आठ) दस अध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जाना है।

वर्ग-4-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(नौ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जैसा विहित किया जाए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगें जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों।

वर्ग-5-छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्नातक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मेडिकल उपाधि के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो।

वर्ग-6-राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(ग्यारह) विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य;

(बारह) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सिवाय वर्ग 1,2 और 5 के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियां और कर्तव्य

27-सभा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये एक सलाहकार निकाय होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किये जांय सलाह देना; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का संपादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जांय।

सभा का अधिवेशन

28-(1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को होगा जो कुलपति द्वारा नियत किया जाये और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(2) कुलपति जब कभी ठीक समझे सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

विद्या परिषद्

29-(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए:-

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति;

(दो) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) किंग जार्ज मेडिकल कालेज या राज्य मेडिकल कालेजों के सेवानिवृत्त दो प्राचार्य जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा;

(छः) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(सात) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(नौ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से सहयोजित किये जायेंगे।

वित्त समिति

30-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

संकाय

31-(1) विश्वविद्यालय में केवल दो संकाय होंगे, अर्थात् चिकित्सा और दन्त।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह:-

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; और

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी:

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पदधारण किये रहेगा जिन पर उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायं।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

32-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धांतों या प्रतिमानों का अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति प्रवेश के लिए मापदण्ड या रीति जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये।

(6) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के लिए प्रयोज्य उपबन्धों द्वारा शासित जारी, होते रहेंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

33-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायेगी।

(2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परिक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परिक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्ट या किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

34-(1) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायं।

अध्याय-6
अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

35-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी यदि, यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी तब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश न दे दिये जायं।

(3)-(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिये होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद पर परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहां कार्यपरिषद यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्त के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) संबद्ध विभागाध्यक्ष:

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब संबद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊंचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम् आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा:

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें,

(iii) किसी आचार्य या सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-(2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा:

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे -

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें ।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्यपरिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सहयुक्त प्राचार्य एवं प्राचार्य के पद पर पदोन्नति

36-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक प्राचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय में पदोन्नत कोई सहयुक्त प्राचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायं, को क्रमशः सहयुक्त प्राचार्य या प्राचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

37-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी ।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

38-विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्यनिधि गठित करेगा जिसे वह ठीक समझे जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

39-(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्ही कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण : "पारिश्रमिकीय पद" शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी हैं ।

माध्यस्थम् अधिकरण

40-(1) धारा 37 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे ।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर अबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(ग) तीन संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना ।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी ।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो:

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय छः

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

41-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम् अर्हता और अनुभव भी है) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना उनका उत्सादन और पुनः संगठन;

(ड) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या न्यूनतम् अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो करना; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

42-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे, परन्तु जब तक कि प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायें, नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबंधित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपांतरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्य परिषद नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद, किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रभावी होगा।

(6) पूर्ववर्ती उप धाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी ।

अध्यादेश

43-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात् —

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलियत होना और इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग के लिए या नये छात्रों का उनके ज्येष्ठ छात्रों द्वारा किसी उग्र या अश्लील रैगिंग के लिए निलंबन, निष्कासन या विनिष्कासन भी सम्मिलित है;

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके;

(झ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेश द्वारा किये जायें।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

44-(1). विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यादेश होगा जैसा कि नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त है जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हों:

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हो, कर सकेगा जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और यह उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से पढ़ा जाये जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद समय-समय पर नये अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये धारा 45 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हो या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो; या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद की उपधारा (3) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या यह उसे विद्या परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे ।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो । इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

विनियमन

45-(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा—

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;.

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम-काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्य परिषद, सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन किन्हीं विनियमों के बनाये जाने तक लखनऊ विश्वविद्यालय के सुसंगत विनियम, जैसा कि वे नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, बने रहेंगे।

अध्याय-सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

46-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी ।

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के संबंध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे ।

लेखा तथा संपरीक्षा

47-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी श्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) कार्य परिषद ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी ।

(6) कार्य परिषद जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी ।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी।

(8) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो:

परन्तु धारा 17 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पचास हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा ।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के संबंध में हो।

अधिभार

48-(1) धारा 14 के खण्ड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

49-(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में, के सदस्य यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

50-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय के प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

51- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :-

(क) उसमें कोई रिक्त अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्त में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

52-सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्ही आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

53-यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश -

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में --

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा,

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

54-(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय-नौ
संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकारियों का गठन

55-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जायगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा।

56-लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में संस्थानों का अंतरण होते हुए भी,

(क) किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी की गयी, प्रदत्त, मंजूर या की गयी समझी जाएगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य आदेश में अधिक्रांति न कर दिये जांय, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों, की संस्तुतियों के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियां, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, विधिमान्य मानी जाएगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी और उसी प्रक्रम में जारी रखी जायेगी जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी।

(ग) जब तक कि धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता तब तक, कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान हों, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा.

परन्तु यह कि उक्त धारा की उपधारा (5) स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध के इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे;

(घ) जब तक विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी द्वारा पालन किए जायेंगे;

(ङ) जब तक कि विश्वविद्यालय में कोई कुल सचिव नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन कुलसचिव के कृत्य कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

57-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जहाँ तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अपने बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–57 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, विधेयक, 2002 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 27-8-2002 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के दिवस में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं कारण की मदें दिनांक 28 अगस्त, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के उपरान्त रख ली जाय।

2— मा० श्री समरपाल सिंह व अन्य सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक घंटे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के उपरान्त रख ली जाय :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करते हुए उसे तीन भागों में विभाजित कर हरित प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड का सृजन किया जाय।"

3— विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्रभद्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

सदन को एक सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या 07, दिनांक 26 जुलाई, 2002 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के अपने फैक्स सन्देश 26 अगस्त, 2002 जो इस सचिवालय में दिनांक 27 अगस्त, 2002 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री चन्द्रभद्र सिंह उर्फ सोनू, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर) ने दिनांक 26-8-2002 को अभियोग संख्या 459/02 धारा 323/308 भा० दं० विधान की धारा जिले 304 में परिवर्तित किया गया, के अन्तर्गत ए० सी० जे० एम०, तृतीय सुल्तानपुर के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और वह जेल भेंजे गये।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 27 अगस्त, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुई।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

श्री रमेश कान्त लवानिया की	आगरा जनपद की खैरागढ़ तहसील में पीने के पानी व सिंचाई के पानी की भयंकर कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री समरपाल सिंह की	जनपद फतेहपुर के कस्बा बिन्दकी में अनियमित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की	प्रशासनिक सेवा में प्रदेश के सम्पूर्ण पी० सी० एस० संवर्ग में व्याप्त कुण्ठा को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में।
श्री ओम प्रकाश की	जनपद गाजीपुर में किसानों द्वारा लिफ्ट कैनालों में समुचित जल आपूर्ति को लेकर किये जा रहे धरना, प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, निदेशालय, इन्दिरानगर में सहायक निदेशक के पद पर अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

श्री श्यामसूरत उपाध्याय की	जिला इलाहाबाद की तहसील हण्डिया के विकास खण्ड प्रतापपुर में विद्युत पारेषण की अत्यधिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए 32 के० वी० ए० का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री प्रमोद तिवारी की	जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली कुण्डा के ग्राम बसहीपुर में एक युवा महिला को निर्वस्त्र कर अपमानित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौधरी बाबू लाल की	जनपद आगरा में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत ताज के आस-पास के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री संजय गर्ग की	उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
श्री बंधीधर राज की	जनपद खीरी के तहसील मुहम्मदीपुर में सूखे से उत्पन्न टिड्डी के प्रकोप को रोकने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में एवं
श्री नवाब सिंह नागर की	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु लिये जाने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर लिखित परीक्षा कराने एवं सभी वर्गों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्रीमती माया प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्र में निर्धन, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिये आवास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री उदयराज	श्री अवधेश चन्द्र दुबे, मुख्य लेखा परीक्षक अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
डॉ० विनोद तिवारी	जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड के केशव नगर में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राम करन आर्य	जनपद बस्ती के नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र में लालगंज पुल को जोड़ने वाली एप्रोच रोड को पिच कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री घूरा राम	जनपद बलिया के सी० एच० सी० खेजूरी में स्थापित अस्पताल में धन के अपव्यय की जांच के सम्बन्ध में।
श्री मूल चन्द व श्री रामवीर सिंह	डूडा के तत्कालीन निदेशक एवं वर्तमान में जिलाधिकारी, लखनऊ की संस्तुति के उपरान्त भी भ्रष्ट परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री राम विशुन आजाद	देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत सहकारी गन्ना विकास समिति, बभनान, बस्ती द्वारा गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान न किये जाने के बारे में।
श्री राकेश सचान	जनपद कानपुर के घाटमपुर में क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री छोटे लाल यादव	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा नेपाल में कार्यरत निगम के सैकड़ों मस्टर रोल कर्मियों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ में आंधी से दीवाल गिरने से हुई मौत के एवज में आर्थिक सहायता प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री महबूब अली	निदेशालय, महिला कल्याण को समाज कल्याण विभाग में समायोजित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में एवं
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	जनपद लखनऊ के महानगर, रहीमनगर में खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

जिन सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं उनके नाम इस प्रकार हैं। 1—डा० वकार अहमद शाह, 2—श्री आर० के० चौधरी, 3—श्री ओम प्रकाश, 4—श्री बैजनाथ दुबे, 5—श्री आलम बदी, 6—श्री शिशुपाल सिंह यादव, 7—श्री कालीचरण राजभर, 8—श्रीमती अरुणा तोमर, 9—कु० सन्ध्या कठेरिया, 10—श्री शैलेन्द्र यादव ललई, 11—श्री उमाशंकर कुशवाहा 12—श्री कैलाश चौरसिया 13—श्री मदनगोपाल वर्मा 14—श्री सलिल विश्नोई 15—श्री रियाज अहमद 16—श्री राकेश कुमार वर्मा 17—श्री रणवीर राणा 18—श्री जगन प्रसाद गर्ग 19—श्री कौशल किशोर 20—श्री योगेश प्रताप सिंह 21—श्री जियाउद्दीन रिजवी 22—श्री कौविद कुमार सिंह 23—श्री सुरेश कुमार खन्ना 24—श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा 25—श्री राम बिशुन आजाद 26—श्री शारदानंद अंचल 27—श्री रामवीर सिंह यादव 28—श्री सुरेन्द्र पटेल और 29—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या—17, 18, 19 पर अंकित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, सीतापुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गेहूँ को पहुँचाने का कार्य बिना टेण्डर लिये कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

(दी गई सूचना पर सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

खाद्य एवं रसद मंत्री—(श्री बाबू राम एम० काम०)

[प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य भण्डारण निगम से प्राप्त सूचनानुसार, सीतापुर राज्य भण्डारगृह पर खाद्य एवं रसद विभाग के खाद्यान्न स्टाक के हैण्डलिंग कार्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पर दिनांक 27-3-2001 को प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर 67 प्रतिशत बिलों शेडयूल रेट की दर पर श्री श्याम लाल यादव को दिनांक 12-7-2001 को एडहाक ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ ने यह अवगत कराते हुए कि 67 प्रतिशत बिलों शिडयूल रेट की दर कार्य योग्य नहीं है तथा ठेकेदार के संबंध में काफी समय से डाला आदि लेने (अवैध वसूली किये जाने) की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं अतः इन्होंने दिनांक 01-08-2002 को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पर खाद्य एवं रसद विभाग के खाद्यान्न स्टाक के हैण्डलिंग कार्य हेतु नई व्यवस्था के लिये कुटेशन्स प्राप्त किये। कुटेशनों में न्यूनतम दर 105 प्रतिशत एवं शिडयूल रेट श्री राम नारायण त्रिवेदी से प्राप्त हुई थी। प्राप्त न्यूनतम दर पर तदर्थ रूप में कार्य आवंटित किये जाने की संस्तुति भी क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा की गयी थी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा सूचित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुटेशनों में प्राप्त न्यूनतम दर 105 प्रतिशत एवं शिडयूल रेट पर श्री राम नारायण त्रिवेदी को तदर्थ रूप में ठेकेदार नियुक्त किये जाने तथा श्री श्याम लाल यादव के एडहाक ठेके को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की गयी। साथ ही नियमित व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु आदेश भी दिये गये जिसके क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ ने श्री राम नारायण त्रिवेदी को 105 प्रतिशत एवं शिडयूल रेट की दर पर तदर्थ ठेकेदार के रूप में दिनांक 16-8-2002 से नियुक्त किया गया। इस संबंध

में यह उल्लेखनीय है कि एडहाक ठेकेदार की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और यदि ठेकेदार के कार्यकलापों से निगम की छवि प्रभावित होती है या निगम के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में एडहाक ठेकेदार को तत्काल हटाया जा सकता है। उपरोक्त क्रम में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 23-8-2002 को प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा अन्य केन्द्रों के साथ-साथ सीतापुर केन्द्र पर नियमित ठेकेदार की व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं।]

जनपद आजमगढ़ मण्डल बनने के उपरान्त गोरखपुर मण्डल में लम्बित मुकदमों को आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गाप्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)

[मा० सदस्य, श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना पूर्व में भी नियम-56 के अन्तर्गत दिनांक 19-8-2002 शासन को प्राप्त हुई थी।

2—मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1994 में गोरखपुर मण्डल से पृथक करके एक नया मण्डल आजमगढ़ सृजित किया गया, किन्तु पूर्व के सभी लम्बित वादों को गोरखपुर मण्डल से आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित न किये जाने के कारण वादकारियों को आज भी गोरखपुर जाना पड़ता है, जिसमें वादकारियों का धन एवं समय नष्ट होता है। मा० सदस्य द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि ऐसे वादों/मुकदमों को तत्काल गोरखपुर मण्डल से आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित कर दिया जाय।

3—उक्त सम्बन्ध में सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 19-8-2002 द्वारा प्राप्त आख्या में यह अवगत कराया गया है कि गोरखपुर मण्डल में आयुक्त एवं अपर आयुक्त के न्यायालयों में जनपद बस्ती के कुल 2818, जनपद सिद्धार्थनगर के 872, जनपद आजमगढ़ के 2626 तथा जनपद मऊ के 381 वाद लम्बित हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि मण्डलायुक्त, गोरखपुर एवं मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल द्वारा राजस्व परिषद् से गोरखपुर मण्डल में लम्बित समस्त वादों को यथाशीघ्र आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4—उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आजमगढ़ मण्डल से सम्बन्धित वादों को गोरखपुर मण्डल से आजमगढ़ मण्डल में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ एवं शासन स्तर पर प्रचलित है।]

जनपद वाराणसी में दाल मण्डी मुहल्ले में जल निगम द्वारा निर्मित नलकूप को ठीक न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र दलहट्टा मुहल्ला में जल निगम द्वारा एक नलकूप का निर्माण वर्ष 1998 में किया गया, जिसकी गहराई 134.88 मीटर है। उक्त नलकूप को जल संस्थान द्वारा मई, 1999 में हस्तगत कर लिया गया था। हस्तगत करने के उपरांत एक वर्ष के अन्दर नलकूप से ग्रेवेल आने लगा, जिसके कारण नलकूप को कन्ट्रोल करके चलाना पड़ा। ग्रेवेल आने के कारण जल संस्थान द्वारा 41 हार्स पावर के स्थान पर 25 हार्स पावर का पम्प लगाया गया तथा पम्प के सेक्शन साइड पर जाली भी लगा दी गयी ताकि पम्प सुरक्षित रहे एवं पाइप लाइन में ग्रेवल न जाने पावे। जल निगम द्वारा फरवरी, 2001 में नलकूप की मरम्मत की गयी, लेकिन कुछ माह के

पश्चात् पुनः बालू निकलना शुरू हो गया। उक्त नलकूप को इसी अवस्था में कन्ट्रोल करके चलाया जाता रहा ताकि वह कम से कम बालू दे किन्तु दिनांक 30-6-2002 को नलकूप से मिट्टी भी आने लगा, जिसके कारण नलकूप को बन्द करना पड़ा। यह नलकूप किन परिस्थितियों में बन्द हुआ है इसकी तकनीकी जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को दिये जा रहे हैं। तकनीकी जाँच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् यदि कोई कर्मी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद वाराणसी को रु० 79.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि से जनपद में कराये जाने वाले राहत कार्यों की प्राथमिकता जिलाधिकारी के स्तर पर सूखा राहत कार्यों के चयन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स को ध्यान में रखते हुए योजना अनुमोदित की जानी है। अतः जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय के निर्देश दे दिये गये हैं कि वह अविलम्ब इस नलकूप से संबंधित कार्यों पर भी सूखा राहत की गाइड लाइन्स के अधीन विचार कर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में आंकलन कर आवश्यक कार्यवाही करायें।]

जनपद बाराबंकी में पुलिस की गोली से हुई किसान की मृत्यु के दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-20 को स्थगित किया जाता है।

जनपद शाहजहाँपुर के 94 राजस्व गाँवों को कर्मचारियों सहित तहसील–पूरनपुर जनपद पीलीभीत में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की सहमति से इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[...यह अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा जनपद शाहजहांपुर के 94 ग्रामों को जनपद पीलीभीत में स्थानान्तरित करने की अधिसूचना जारी की गई है। उक्त गांवों के पुवांया तहसील से पूरनपुर तहसील में स्थानान्तरण की कार्यवाही चल रही है किन्तु उक्त गांवों के शिक्षा, ब्लाक/पंचायत आदि में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जनपद शाहजहांपुर के अपने विभागाध्यक्षों की सांठ-गांठ से जनपद शाहजहांपुर में स्थानान्तरण करा रहे हैं। परिणामतः वहाँ के कई विद्यालय शिक्षक के अभाव में बन्द हो गये हैं तथा ग्राम विकास अधिकारियों (पंचायत) के अभाव में कई ग्राम सभाओं का विकास कार्य बाधित हो गया है।

2—उक्त सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा० सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में उक्त सूचना दी गई है, जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मा० सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना का समादर करते हुए शासन के पत्र दिनांक 26-8-2002 द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है, जिसके प्राप्त हो जाने के उपरान्त तद्नुसार मा० सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।]

[समय—10.00 बजकर 20 मिनट]

विधायक निधि को स्वतंत्र रूप से विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह यादव आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–मद संख्या -22 एवं मद संख्या -23 को स्थगित किया जाता है।

जनपद बलिया में नया ब्लाक भीमपुरा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदानन्द अंचल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

गाजियाबाद अरबन कोओपरेटिव बैंक लि० गाजियाबाद के सचिव द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

(गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है। (वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[..... लि०, गाजियाबाद के सचिव श्री आर०डी० शर्मा, उप सचिव श्री जितेन्द्र दत्त शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी करके बैंक को करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाने के संबंध में माह जून, 2001 में तत्कालीन मा० सहकारिता मंत्री जी को सम्बोधित श्री राजकुमार व श्री उमेश यादव का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। जिसके क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत तत्कालीन विशेष सचिव, उ०प्र० शासन सहकारिता विभाग.(डा० आर०सी० दुआ) से जांच कराने का निर्णय लिया गया।

जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 22-11-2001 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की पुष्टि होना पाते हुये जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करते हुये उसकी प्रति निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अर्ध शा० पत्रांक–487/एम/49-1-2001–500(67)/2002 दिनांक 15-4-2002 द्वारा जांच आख्या की प्रति निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ० प्र० को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही/आख्या से शासन को शीघ्र अवगत कराने के आदेश भेजे गये। इस सम्बन्ध में निबन्धक से आवश्यक सूचना प्रतीक्षित है। अतएव, यह कहना सही नहीं है कि प्रकरण से संबंधित जांच आख्या को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

जहाँ तक मामले में महाप्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी बैंक लि०, लखनऊ द्वारा की गई दूसरी जांच आख्या में दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की बात है के संबंध में उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ० प्र०, मेरठ द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

सम्प्रति निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र० से प्राप्त सूचनानुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 20 मई, 2002 के क्रम में उ०प्र० सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1965 की धारा 90(बी) (2) के अन्तर्गत गाजियाबाद अर्वन कोआपरेटिव बैंक में संचालक मण्डल को अवक्रमित करते हुए ए०डी०एम० (सिटी) गाजियाबाद को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है तथा श्री रामेश्वर प्रसाद जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र० गौतमबुद्धनगर को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार विभिन्न बिन्दुओं पर जांच प्रचलित है जिसे शीघ्र ही पूरा किये जाने की अपेक्षा की गई है।]

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्यारहवें वित्त आयोग की धनराशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 25 को स्थगित किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 26 एवं 27 पर अंकित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुये माने गये।)

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की लम्बित संस्याओं के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योगों एवं रेशम उद्योग मंत्री– (श्री सुखदेव राजभर)–

[**मा० सदस्य** द्वारा दी गयी उक्त सूचना में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत **विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों** की समस्याओं यथा पंचम वेतनमान दिये जाने, उप शिक्षा निदेशक **(संस्कृत)** एवं पूर्णकालिक निरीक्षक नियुक्त किये जाने, संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने तथा संस्कृत विद्यालयों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में पूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

2—इस सम्बन्ध में मा० सदन को यह अवगत कराना है कि तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षकों की पंचायत में की गई घोषणाओं के अनुपालन में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु मा० मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन तत्कालीन मा० वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया था। इस उप समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में तत्कालीन मा० मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। मा० मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों का बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

(1) मा० मंत्रिपरिषद द्वारा संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के वर्गीकरण किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में परिपत्र भेजकर विद्यालयों से "विकल्प" मांगा गया है और विकल्प की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2002 निर्धारित है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त विकल्पों के आधार पर विद्यालयों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

(2) संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति अनुमोदन करने की कार्यवाही अभी तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही थी। अतः माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के गठन के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "उत्तर मध्यमा" स्तर तक के संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा करायी जाय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाय। इन निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। अधिनियम में संशोधन हो जाने एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् रिक्तियों की संख्या अवधारित होने पर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी।

(3) यह निर्णय लिया गया था कि "उत्तर मध्यमा" स्तर तक की परीक्षाओं का संचालन उ०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा कराया जायेगा। इस निर्णय के क्रियान्वयन में वर्ष 2001-2002 की उत्तर मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं का संचालन उ०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा कराया गया है और आगामी वर्षों में भी इसी प्रकार परीक्षाओं का संचालन कराया जाता रहेगा।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4) यह निर्णय लिया गया था कि माध्यमिक शिक्षकों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी सामूहिक जीवन बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाय। इस निर्णय के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से व्यवस्था करा ली गई है। विद्यालयों के वर्गीकरण के पश्चात् शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू कर दी जायेगी।

(5) संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की वास्तविक संख्या के सत्यापन किये जाने एवं संस्था में प्रशासकीय/वित्तीय अनियमितताओं के निराकरण हेतु संस्कृत विद्यालयों में प्रतीक के रूप में प्रथमा के विद्यार्थियों से रु० 2/- पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा के विद्यार्थी से रुपया 5/- तथा शास्त्री व आचार्य के विद्यार्थी से रु० 10/- प्रतिमाह लिये जाने का निर्णय लिया गया है इस सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

(6) संस्कृत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य शिक्षकों की भांति संस्कृत शिक्षकों को भी पंचम वेतन आयोग द्वारा अनुमन्य वेतनमान दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। चूंकि माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिये जाने का आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा निर्गत किया गया है इसलिए संस्कृत शिक्षकों के सम्बन्ध में भी वांछित आदेश तदनुसार ही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(7) संस्कृत विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत विद्यालयों के 871 अनुदानित विद्यालय पूर्व से वेतन संदाय में हैं तथा शेष 246 विद्यालयों को किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रदेश शासन द्वारा अपनाई गई मध्यकालीन राजकोषीय सुधार नीति के अन्तर्गत नई शिक्षण संस्थाओं को आवर्तक अनुदान सूची पर लेने पर रोक है। अतः भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में संशोधित प्रस्ताव भेजे जायें। तदनुसार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

(8) संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु पूर्व मध्यमा, उत्तर माधमा, शास्त्री तथा आचार्य स्तर पर छात्रवृत्ति की वर्तमान दरें रु० 10/-, रु० 16/-, रु० 30/- व रु० 40/- प्रतिमाह के स्थान पर क्रमशः रु० 50/-, रु० 60/-, रु० 90/- व रु० 120/- प्रतिमाह एवं अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा रु० 3600/- वार्षिक के स्थान पर रु० 50,000/- वार्षिक कर दिया गया है।

(9) उक्त के अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा को जनोपयोगी एवं रोजगारपरक बनाने हेतु वैदिक गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कर्मकाण्ड जैसे विषयों के अध्ययन करने, संस्कृत साहित्य/दर्शन सम्बन्धी पाण्डुलिपियों की खोज एवं प्रकाशन करने तथा सत्यमेव जयते/सत्यम शिवम् सुन्दरम्, चरैवेति चरैवेति जैसे वाक्यांश खोजकर प्रचारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में वांछित आदेश सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं और तदनुसार कार्यवाही गतिमान है।]

3—उपर्युक्त के अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा संस्कृत शिक्षण को समसामयिक व रोजगार मूलक बनाने हेतु उ०प्र० संस्कृत शिक्षा विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि के संचालन हेतु उ० प्र० संस्कृत शिक्षा विकास निधि नियमावली, 2001 का प्रख्यापन किया गया है। इस निधि हेतु एक करोड़ रु० की धनराशि शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2002 द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से अर्जित ब्याज का उपयोग निधि के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

4—उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के पद पर पदधारक पूर्व से ही नियुक्त है और निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, मुख्यालय का कार्य सम्प्रति सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कार्य में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के इलाहाबाद स्थित कार्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि संस्कृत शिक्षा के विकास, उन्नयन एवं विकास हेतु पूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार संस्कृत शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु अग्रसर है।]

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लकड़ी की नक्काशी का कार्य करने वाली लाखों दस्तकारों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया तो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

-[उल्लेखनीय है कि जनहित रिट याचिका संख्या-202/95 टी०एन० गोडाबर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4 मार्च, 1997 को यह आदेश दिया था कि उ० प्र० में केवल वही आरा मिल चल सकती है, जो उक्त तिथि को वैध थी और साथ ही मा० सर्वोच्च न्यायालय ने नई आरा मिलों की स्थापना पर रोक लगा दिया। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नियमों में किसी प्रकार का संशोधन या शिथिलता प्रदान न की जाए।

2—अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु उ०प्र० आरा मिल की स्थापना और विनियमन नियमावली–1998 मे दूसरा संशोधन दिनांक 26 जून, 1998 की अधिसूचना द्वारा किया गया। इस दूसरे संशोधन (उ०प्र० आरा मिल की स्थापना और विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998) के द्वारा तीन हार्स पावर तक की क्षमता से चलने वाले इंजन को आरामिल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया। तात्पर्य यह है कि तीन हार्सपावर तक के इंजन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसी दूसरे संशोधन के माध्यम से नियम-II–क भी बढ़ाया गया, जिसमें सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वनों की वृद्धि एवं संरक्षण के लिए यथावश्यक कतिपय उद्योगों को नियमों से छूट दी जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करनी होगी।

3—उक्त दूसरे संशोधन पर मा० सर्वोच्च न्यायालय से सहमति मांगी गयी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके विपरीत मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29/30 अप्रैल, 2002 द्वारा तीन हार्सपावर तक की क्षमता वाले इंजन लगाने सम्बन्धी प्रावधान को निरस्त कर दिया। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आरा मशीन, चाहे वह जिस क्षमता की हो, और चाहे, जिस प्रकार चले, उसके लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही नये लाइसेंस निर्गत करने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

उल्लिखित नियम—11–क पर मा० सर्वोच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त न होने के कारण उसके अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती, इसके अतिरिक्त ऐसी कोई अधिसूचना नहीं जारी की जा सकती, जो मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भावना के प्रतिकूल हो। ऐसी स्थिति में लकड़ी की नक्कासी का कार्य करने वाले दस्तकारों के उत्पीड़न का प्रश्न ही नहीं उठता।

4—उपरोक्त से स्पष्ट है कि आरा मशीन को लाइसेंस दिये जाने सम्बन्धी समस्त प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और उनके निर्देशों/आदेशों के विपरीत कार्यवाही से मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी। अतः सूचना में किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।]

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द ग्राम-मरौली के मजरा क्योटरा में जनता द्वारा केन नदी का गन्दा पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–28 को स्थगित किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 पर अंकित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़े हुये माने गये।)

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरण राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र 213 जहूराबाद गाजीपुर के अन्तर्गत कासिमाबाद-सिधागर घाट मार्ग से पर्जीपार चट्टी से बरेसर मार्ग पर राजापुर के पास गोधनी नदी पर तत्काल पुल बनवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद-सिधाघर घाट मार्ग से निकलने वाली पर्जीपार चट्टी से महरौर मार्ग के कि०मी० 3 में गोधनी नदी पर राजापुर स्थान पड़ता है। उक्त स्थल पर वर्ष 82-83 में निर्मित 8×1 मीटर का ह्यूम पाइप से वेन्टेड काजवे मौजूद है। यह काजवे पूरी तरह सुरक्षित है और पिछले लगभग 20 वर्षों से इस पर किसी क्षति की सूचना नहीं है। स्थानीय जनता नदी को पार करने हेतु इस काजवे का उपयोग करती है। उक्त स्थल से थोड़ा पहले एक स्थानीय नाले के मिलने तथा नाले में अतिरिक्त पानी आ जाने से काजवे का पहुंच मार्ग कभी-कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी मरम्मत करायी जाती है और इसके कारण मार्ग बन्द नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस स्थान से लगभग 300 मीटर अपस्ट्रीम में 2×5 मीटर स्पैन की एक आर०सी०सी० पुलिया बनी हुई है।]

कानपुर में कुख्यात बावरिया गिरोह द्वारा अमरजीत सिंह जनसेवक सदस्य विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० विधायक श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि दिनांक 5/6 जुलाई, 2002 को उनके पाण्डुनगर जनपद कानपुर नगर स्थित आवास में घुमन्तू आपराधिक गिरोह द्वारा हमला किया गया तथा आवास पर रखे शास्त्र उठा ले गये और उक्त आपराधिक गैंग के लीडर सोमनाथ उर्फ जोधन से मा० विधायक व उनके परिवार को खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जांय।

प्रकरण से संबंधित तथ्य यह है कि दिनांक 6 जुलाई, 2002 को उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना काकादेव पर अपराध संख्या 246/2002 अन्तर्गत धारा 457/380/411 पंजीकृत किया गया था तथा अपराधियों को जनपद बाराबंकी में गिरफ्तार कर लूटे गये असलहे बरामद किये गये। विवेचना से यह प्रकाश में आया कि घटना में सात अपराधी अन्तर्ग्रस्त थे जिनमें से 6 अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये है और सातवां अपराधी, सोमनाथ जो इस गैंग का लीडर बताया जाता है, फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है। उपरोक्त अपराधीगण घुमन्तू प्रवृत्ति के है।

मा० विधायक श्री अमरजीत सिंह जनसेवक को जनपद कानपुर से स्थानीय तौर पर एक शैडो दिनांक 14 जुलाई से 29 जुलाई, 2002 तक दिया गया था तथा 2 सशस्त्र सिपाही मा० विधायक के पाण्डुनगर स्थित आवास पर सुरक्षा हेतु तैनात किये गये हैं, इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष काकादेव, कानपुर नगर द्वारा भी मा० विधायक के पाण्डुनगर स्थित आवास की सुरक्षा के संबंध में सर्तक दृष्टि रखी जा रही है।

जनपद फतेहपुर द्वारा मा० विधायक श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की सुरक्षा हेतु एक मुख्य आरक्षी (स्टेन गन के साथ) तैनात किया गया है तथा जनपद फतेहपुर के थाना बिन्दकी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित मा० विधायक जी के गांव में स्थित उनके आवास पर पुलिस की गार्द लगायी गयी है।]

जनपद ज्योतिबा फूलेनगर अमरोहा क्षेत्र में पानी की निकासी न होने के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मा० सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि 74 वे संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अन्तर्गत 12 वीं अनुसूची के बिन्दु संख्या 6 में लोक स्वास्थ्य, सफाई और कूडा करकट आदि से संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु नगरीय निकाय को उत्तरदायी ठहराया गया है। इस संबंध में इसी क्रम में जिलाधिकारी, ज्योतिबा फुले नगर से प्राप्त की गयी सूचनानुसार यह अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, अमरोहा द्वारा अपने स्रोतों एवं समय-समय पर शासन से प्राप्त अनुदानों से जल निकासी हेतु प्रतिवर्ष नाले एवं नालियों की सफाई करायी जाती है। अमरोहा नगर में वर्षा का सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही माह अप्रैल/मई में सभी नालों एवं नालियों की समुचित सफाई करायी गयी है और वर्तमान में इस वर्ष अमरोहा नगर में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जिसके कारण नगर में कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं है और न ही इस कारण कोई गंदगी है। नगर पालिका परिषद द्वारा नियमित रूप से नगर में सफाई करायी जाती है एवं कीट नाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाता है और मच्छरों को मारने हेतु फॉगिंग कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शुद्ध जल की आपूर्ति हेतु नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर डलवाया जा रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर में किसी संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका नहीं है, फिर भी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मच्छरों के विनाश एवं संक्रामक बीमारी को फैलाने के सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।

जनपद गाजीपुर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि० गाजीपुर द्वारा किसानों के लाखों रुपये को भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत दुग्ध विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री कैलाश यादव माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गाजीपुर के अन्तर्गत जनपद में 200 दुग्ध उत्पादक समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों से गांव के गरीब किसान अपना दूध देते हैं और इससे प्राप्त धनराशि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। विगत वर्षों में विभागीय अधिकारियों के चलते दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गाजीपुर द्वारा किसानों का रु० 44.00 लाख का बकाया था, जो आज तक नहीं दिया गया और गरीब लोगों को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि घाटा हो गया है तो पैसा कहां से दिया जाये। इससे जनपद गाजीपुर के किसानों और गरीबों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संघ के अधिकारियों द्वारा ही गरीबों के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इस वजह से जनपद गाजीपुर का दुग्ध संग्रह कार्य बन्द है, इससे किसानों, गरीबों में बहुत ही असंतोष है।

उक्त सूचना पर प्रबन्ध निदेशक, पी० सी० डी० एफ० से प्राप्त आख्या के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, गाजीपुर का गठन वर्ष 1985 में किया गया था तब से लेकर अब तक इस दुग्ध संघ में बहुत कम दुग्ध उपार्जन के कारण प्रतिवर्ष लगातार हानि होती जा रही है। मार्च, 2002

तक उक्त संघ की कुल रु० 182.00 लाख की संकलित हानि हो चुकी है। दुग्ध उत्पादकों का अप्रैल, 2002 तक कुल रु० 44.06 लाख दुग्ध मूल्य का भुगतान अवशेष है। विगत 10 वर्षों का वित्तीय तथा भौतिक विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	दुग्ध उपार्जन किग्रा० प्रतिदिन	दु० उपा० प्रति समिति किग्रा० प्रतिदिन	दुग्ध बिक्री ली० प्रतिदिन	नगद लाभ/हानि (लाख रु०)
1990-91	1380	24.64	0890	(-) 05.56
1991-92	3210	38.67	0680	(-) 01.10
1992-93	4480	46.66	0730	(-) 04.27
1993-94	6230	54.64	0760	(-) 24.41
1994-95	5980	38.56	1050	(-) 04.19
1995-96	6740	36.04	1260	(-) 14.48
1996-97	6000	29.70	1500	(-) 11.41
1997-98	5710	27.45	1320	(-) 38.56
1998-99	6090	2781	1760	(-) 34.69
1999-2000	5680	32.09	1600	(-) 23.37
2000-2001	4660	32.14	1750	(-) 21.17
2001-2002	4660	–	1750	(-) 13.49*

*आपरेटिंग ट्रेडिंग विवरण के अनुसार[1]

दुग्ध संघ गाजीपुर की कार्यक्षमता में सुधार हेतु मार्च, 1995 में मऊ मार्ग पर 20,000 लीटर क्षमता प्रतिदिन के दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गई थी, परन्तु जनपद में दुग्ध उपार्जन कभी भी 7,000 कि०ग्रा० प्रतिदिन से ऊपर नहीं हो पाया। लगातार हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर, 2000 में दुग्ध संघ गाजीपुर का प्रबन्धन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, वाराणसी को सौंपा गया। दुग्ध उपार्जन में जनपद गाजीपुर से परिवहन इत्यादि के अधिक व्यय के कारण लगातार हो रही हानि से वहां से दुग्ध उपार्जन भी मई, 2002 में बन्द करना पड़ा।

इस समय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, वाराणसी से लगभग 1200 लीटर प्रतिदिन दूध प्राप्त कर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गाजीपुर द्वारा उसकी बिक्री की जा रही है। इस समय इससे इस दुग्ध संघ को लगभग रु० 0.808 लाख प्रतिमाह की आय हो रही है। वाराणसी के निकट वाले मिल्क रूट जमनियां और भदौरा को पुनः चालू करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। इसके उपरान्त स्थिति में सुधार की संभावना है दुग्ध संघ के लाभ में आ जाने अथवा इसे कोई अनुदान प्राप्त होने पर अवशेष दुग्ध मूल्य का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जाना संभव होगा।]

[1]नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सहायक अभियंता अवर अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने एवं उनको नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में श्री कौशल किशोर, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री-(श्री सुखदेव राजभर)-

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुये निम्नवत् उल्लेख किया गया है कि:-

"हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक संख्या-748 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) के 91 पद, सहायक अभियंता विद्युत/यांत्रिक के 12 पद तथा अवर अभियंता (सिविल) के 436 पद व अवर अभियंता विद्युत/यांत्रिक के 50 पदों पर चयन हेतु आई०आई० टी० कानपुर द्वारा 31 अगस्त, 1997 में परीक्षा ली गयी थी। उक्त के संबंध में हमें कहना है कि-

1—आज तक उक्त पदों पर परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया।

2—उक्त पदों के चयन के विरुद्ध मा० पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति दिनांक 26-7-1999 द्वारा आरक्षण अधिनियम-3 के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही को प्रतिकूल बताया गया और अधिनियम-3 के अनुरूप भर्ती का निर्देश उ०प्र० जल निगम को दिया गया था जो कि न्याय संगत नहीं है।

3—उक्त पैरा सं०-2 के संबंध में कहना यह है कि 25 जून, 2002 के सरकारी गजट द्वारा उ०प्र० अधिनियम सं०-4 सन् 1994 की धारा-3 के संशोधन के अनुसार संशोधन-2(ख) के उपधारा-(2) द्वारा यह कहा गया है कि 50 प्रतिशत आरक्षण के दो की भर्ती पृथक वर्ग के अनुरूप पृथक-पृथक करना आवश्यक है।

4—उक्त संशोधन द्वारा नियुक्ति पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो जाती है। 3 अगस्त, 1997 का परीक्षा परिणाम घोषित करने से लगभग 50 प्रतिशत गज-ओवर हो चुके बेरोजगार अभियंताओं का भविष्य सुरक्षित हो जायेगा।

मान्यवर उक्त परीक्षा दे चुके अभियंता विगत दिनांक 19-7-2002 से विधान सभा समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि 25 जून, 2002 के अनुरूप उ० प्र० जल निगम द्वारा 495 अभियंता व 103 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिये अभी तक न करा अति लोक महत्व का मामला है। इसलिये मान्यवर आप सूचना ग्रहण कर अन्य कार्यवाही को स्थगित करके सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जल निगम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा पूर्ण करने हेतु शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 1997 द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के 60, सहायक अभियंता (वि०/यां०) के 05, अवर अभियंता (सिविल) के 338, अवर अभियंता (वि/यां)/के 61 एवं नैत्यिक लिपिक के 16, कुल मिलाकर 480 अधिसंख्य पदों को दिनांक 28-2-1998 तक की अवधि के लिये सृजित किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जल निगम द्वारा उक्त पदों पर चयन के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ष 1997 में परीक्षा आयोजित की गयी। इसी बीच पिछड़ा वर्ग विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा० पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मुख यह वाद प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये ही रिक्त पद भरने की कार्यवाही आरक्षण पूरा करने के लिये विशेष चयन के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण पूरा करने के लिये कोई विशेष चयन की कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि शासनादेश के अनुसार विशेष चयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग सबके लिये किया जाना चाहिये।

इस प्रकरण में मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनांक 28-10-97 को राज्य आयोग राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1, सन् 1996 की धारा-10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा की गयी कि इस वाद में आयोग की संस्तुति होने तक चयन प्रक्रिया स्थगित रखा जाय। मा० आयोग द्वारा की गयी अपेक्षानुसार शासनादेश दिनांक 2-12-1997 द्वारा इस वाद में आयोग की संस्तुति होने तक चयन प्रक्रिया स्थगित रखे जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को निर्देश दिये गये।

इस प्रकरण में दिनांक 26-7-1999 को मा० आयोग द्वारा सारत्व में यह संस्तुति की गयी जल निगम शत-प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित करते हुये उनका आरक्षण का बैकलाग पूरा करने के लिये जो नियुक्ति/चयन कर रहा है, वह न करें। जल निगम केवल आरक्षण अधिनियम का धारा-3 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये ही रिक्तियों में विभिन्न वर्गों के लिये प्राविधान करते हुये चयन/नियुक्ति करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गयी उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करने हेतु सृजित किये गये अधिसंख्य पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत नियुक्ति आरक्षण अधिनियम की धारा-3(4) के प्राविधानों के अनुसार ही की जायेगी। आरक्षण अधिनियम की धारा-3 की व्यवस्था अभी प्रभावी है। अतएव इसका अनुपालन किया जाना है। मा० आयोग एवं कार्मिक विभाग के परापर्श से यह स्पष्ट पाया गया कि अधिसंख्य सृजित पदों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये भी पद आवंटित करने आवश्यक होगे। मा० आयोग द्वारा की गयी उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुये शासन के पत्र दिनांक 3-9-2001 द्वारा तद्नुसार कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को निर्देश दिये गये।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने अपने आदेश दिनांक 25-1-2001 द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि यदि ली गयी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों के लिये पुनः विज्ञापन जारी करने पर विचार कर लिया जाये।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 20-9-1997 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा किये जाने हेतु सहायक अभियंता/अवर अभियंता एवं नैत्यिक लिपिक अस्थायी पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 28 फरवरी, 1998 तक की अवधि के लिये कुल 480 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया था। प्रश्नगत अवधि व्यतीत हो चुकी है, अतएव उक्त पद अब समाप्त हो चुके हैं। उक्त पदों पर चयन के संबंध में वर्ष 1997 में परीक्षा आयोजित कर चयन कार्यवाही सम्पन्न की गयी थी, इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि किसी भी परीक्षा के फलस्वरूप तैयार किये चयन सूची केवल एक वर्ष के लिये प्रभावी रहती है। स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त विद्यमान नहीं हैं एवं चयन सूची प्रभावी नहीं रह गयी है, अतएव उक्त चयन का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 17-6-2002 द्वारा लोक सेवा और पदों पर भर्ती/पदोन्नति तथा विज्ञापन पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है तथा कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 25-6-2002 द्वारा विधायी विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-6-2002 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 25-6-2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के

लिये आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को राज्याधीन सेवाओं हेतु प्रभावी किया गया है। सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 20-7-2002 द्वारा उपरोक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2002 एवं (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों पर प्रभावी किया गया है एवं सार्वजनिक उद्यम अनु०-2 के आदेश दिनांक 22-7-2002 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को तद्नुसार आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग को पूरा कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में मुख्य अभियंता (कार्मिक), उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा यह सूचना दी गयी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3 में अधिसूचना दिनांक 25-6-2002 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वर्ग के अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।]

उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में विद्युत तारों की लगातार हो रही चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

[विद्युत लाइन की तार चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती हैं तथा तार चोरी की घटनाओं की अधिकता हो जाने पर सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को भी कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में तार चोरी की घटनाओं के बढ़ने पर निरोधक कार्यवाही हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक एवं मण्डलीय आयुक्त से भी अनुरोध किया जाता है। उन्नाव एवं अन्य समीपवर्ती जनपदों में तार चोरी की घटनाओं में हुई बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में, महाप्रबंधक लखनऊ क्षेत्र के पत्र सं० 769 म प्र (ल क्षे)/ कार्य, दिनांक 31-7-2002 द्वारा आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ क्षेत्र को निरोधक कार्यवाही किये जाने हेतु पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों में भी तार चोरी की घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विद्युत लाइन की मरम्मत का कार्य सम्पन्न कराते हुये विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र चालू करते हुए तार चोरी की गम्भीर घटनाओं को पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी/पुलिस उपमहानिरीक्षक/आयुक्त के संज्ञान में भी लाया जाता है।

तार चोरी की घटनाओं के कुछ मामलों में घटना की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रथम सूचना दर्ज कराने में विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना एवं अन्य निरोधात्मक कार्यवाही सम्पन्न करने में विलम्ब हो जाना स्वाभाविक है, इसे पुलिस की उदासीनता की संज्ञा देना उचित नहीं प्रतीत होता है। जहाँ तक तार चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज न किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेषित किये जाने की भी व्यवस्था है। तार चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन सदैव प्रयत्नशील है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक एसोसियेशन द्वारा अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के अनौपचारिक शिक्षा विभाग में समायोजन न किये जाने को लेकर धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बंशीधर राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 21-8-2002 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक एसोसिएशन द्वारा अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों का विभागीय समायोजन किये जाने हेतु विगत 12 माह से धरना व प्रदर्शन चल रहा है परन्तु शासन द्वारा अभी तक विचार न किये जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। दिनांक 26-9-2001 को विधान सभा के समक्ष धरना व प्रदर्शन कर रहे अनुदेशकों पर लाठी चार्ज में चोट खाये एक अनुदेशक श्री कन्हैया लाल की मृत्यु हो गयी थी। मा० सदस्य द्वारा शिक्षकों की कमी के आधार पर शिक्षण कार्य हेतु पुनः नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत अनुदेशकों का चयन अंशकालिक होता था। ये शासकीय कर्मी नहीं थे तथा मानदेय के आधार पर कार्यरत थे। नियमित कर्मचारी भी नहीं थे। प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है। बेसिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्य चर्या व शिक्षण विधा में समानता नहीं है। बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का प्राविधान है। अतः इनको प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समान नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद बांदा के टाउन एरिया मटौन्ध व तिन्दवारी में रोड पर बैरियर लगाकर जबरदस्ती अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सुश्री आशा किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है कि :–

"मैं आपका ध्यान तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र जनपद बाँदा को टाउन एरिया मटौन्ध व तिन्दवारी में बाँदा महोबा रोड तथा बाँदा तिन्दवारी बहराईच मार्ग पर चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी की मिली भगत से रोड से गुजरने वाले जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक व अन्य से जबरदस्ती अवैध मनमानी लाखों रुपये की वसूली महीने में की जा रही है। जिससे हजारों लोग पीड़ित होकर अपमानित होकर गुण्डा टैक्स देकर जाते हैं यहाँ तक कि चलते वाहन में न रुकने पर शीशे तोड़ दिये जाते हैं तथा अधिशासी अधिकारी मटौन्ध, तिन्दवारी द्वारा प्रतिमाह लाखों की वसूली की जा रही है जिसकी जांच कराकर मुकदमा कायम कराना अवश्यक है।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, बांदा से सूचना प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, बांदा ने अवगत कराया है कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मटौन्ध एवं तिन्दवारी से स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी, उप जिलाधिकारी, बांदा के माध्यम से जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि नगर पंचायत मटौन्ध एवं तिन्दवारी के प्रश्नगत मार्गों में कोई बैरियर स्थापित नहीं है। जांच में शिकायत सही नहीं पायी गयी। इस प्रकार नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की पुष्टि नहीं होती है। नगर पंचायत मटौन्ध एवं तिन्दवारी द्वारा उप नियमों के अन्तर्गत तहबाजारी की वसूली शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है। शिकायत सही न पाये जाने के कारण चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा संस्थित कराने का औचित्य नहीं बनता है।

जनपद संत कबीरनगर के ग्राम मुखलिसपुर में कुआनों नदी पर पथकर वसूली समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री शंखलाल मांझी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद संत कबीर नगर, ग्राम-मुखलिसपुर में स्थित कुआनों नदी सेतु की कुल निर्माण लागत पहुँच मार्ग सहित रु० 6.12 लाख है। इस सेतु को यातायात के लिये दिनांक 1-10-1963 से खोला गया है और इसी तिथि से सेतु पर पथकर वसूली भी प्रारम्भ किया गया। प्रश्नगत सेतु पर अब तक कुल धनराशि रु० 44,67,633.00 की वसूली की जा चुकी है।

प्रमुख जिला मार्ग पर स्थित प्रश्नगत सेतु पर भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 2 के अधीन पथकर से सम्बन्धित निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या 5662/23-2-94-92/89 दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पथकर वसूली की जा रही है। इस अधिसूचना में प्राविधान है कि किसी पुल पर पथकर का उद्ग्रहण उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत जिसके अन्तर्गत पुल के निर्माण पर किये गये कुल व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, किया जायेगा।

उक्त प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत सेतु पर पथकर लगाने की प्रथम तिथि से 50 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है लेकिन सेतु के निर्माण लागत तथा ब्याज, पथकर वसूली में और उसके रख-रखाव में हुये व्यय को सम्मिलित करते हुये वसूली के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ से आख्या/संस्तुति मांगी गयी है। प्रमुख अभियन्ता की आख्या प्राप्त होने पर यदि यह पाया जाता है कि सेतु की लागत मय ब्याज के वसूल की जा चुकी है तो इस सेतु को भारतीय पथकर अधिनियम 1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 2 के अधीन पथकर से मुक्त किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ के वर्ष 1998-99 के बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ मान गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्यगणों द्वारा विधान सभा के नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह संज्ञान में लाया गया है कि आजमगढ़ में वर्ष 1998 व 1999 के बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी होने के बावजूद दिनांक 3-7-2002 को शासन द्वारा नियुक्तियों पर पाबन्दी लगाई गई जो अभी तक हटायी नहीं गयी है। यह विषय बहुत ही गम्भीर है इससे बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियमित बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है। इस नियमावली में कतिपय संशोधन विचाराधीन थे जिसके कारण बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक माह जुलाई, 2002 में लगाई गई थी लेकिन आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए अब यह रोक समाप्त की जा चुकी है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों पर लगाये गये फर्जी बोर्डों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण वीर सिंह आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-39 को स्थगित किया जाता है।

राजकीय पुरुष चिकित्सालय, शाहगंज, जनपद जौनपुर में तैनात डा० यशवन्त सिंह, सर्जन द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव, ललई द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[डा० यशवन्त सिंह, सर्जन राजकीय पुरुष चिकित्सालय, शाहगंज, जनपद जौनपुर में कार्यरत थे। उनके द्वारा रिश्वत लिए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-5-2002 को सायं 5.00 बजे श्री शैलेन्द्र यादव, ललई, मा० विधायक अपने समर्थकों के साथ इस सम्बन्ध में उनसे पूछ-ताँछ करने हेतु चिकित्सालय पहुँचे। डा० सिंह से रिश्वत लेने के सम्बन्ध में जानकारी करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वार्तालाप हुयी। इसी बीच वहां के पूर्व विधायक श्री उमाकान्त यादव अपने समर्थकों के साथ (जिसमें कुछ लोग असलहे भी लिये हुये थे) पहुँचे, जिससे वहां की स्थिति काफी गम्भीर हो गयी। मा० विधायक श्री शैलेन्द्र यादव, ललई के समर्थक डा० सिंह को चिकित्सालय परिसर से मारते-पीटते शाहगंज कोतवाली ले गये और मा० विधायक के निर्देशन पर डा० सिंह के विरुद्ध श्री संतराम पुत्र श्री झिलमिट, सा० डिहिया पहाड़ी चक द्वारा थाना खुटहन, जिला जौनपुर में भ्रष्टाचार का मुकदमा अपराध संख्या–233/2002 धारा–7 (13) (1) (अ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व धारा 504 आई०पी०सी० पंजीकृत कराया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार, फार्मासिस्ट एवं श्री अमरजीत बघेल, फार्मासिस्ट के विरुद्ध उक्त प्रकरण में अर्न्तग्रस्त होने के कारण उक्त धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध भी भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत हुआ। डा० यशवन्त सिंह रात भर कोतवाली शाहगंज जौनपुर में निरुद्ध रहे और दूसरे दिन उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट, वाराणसी भेजा गया। जहां से उनको 14 दिन के रिमाण्ड पर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार, वाराणसी भेज दिया गया। डा० सिंह दिनांक 24-6-2002 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश पर जमानत पर रिहा हुए हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर ने डा० यशवन्त सिंह, सर्जन का स्थानीय तौर पर स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछलीशहर के लिए तथा श्री अमरजीत बघेल एवं श्री सुरेश कुमार, फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण क्रमशः नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेदुका एवं त्रिलोचन के लिए किया जा चुका है। उक्त दोनों फार्मासिस्ट नई तैनाती के स्थान पर कार्यरत हैं।

डा० सिंह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 1-6-2002 से 24-6-2002 तक जिला कारागार, वाराणसी में निरुद्ध रहे। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 (क) के अनुसार यदि कोई सरकारी सेवक 48 घण्टे की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, तो उसे उक्त अवधि के लिए निलम्बित समझा जाता है। अतएव उक्त नियमों को दृष्टिगत रखते हुए डा० सिंह को निलम्बित किए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जौनपुर को निर्देशित किया गया था कि वे प्रकरण की गहराई से छान-बीन कर लें और स्वतः स्पष्ट जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

जिलाधिकारी, जौनपुर ने फैक्स दिनांक 24-8-2002 द्वारा इस सम्बंध में यह अवगत कराया है कि इस प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं। दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच क्षेत्राधिकारी, शाहगंज द्वारा की जा रही है। डा० यशवन्त सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–233/2002 की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है तथा विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। डा० सिंह द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संख्या–0/2002 धारा–147/332/353/323/504/427/148/342 आई०पी०सी० की जांच क्षेत्राधिकारी, शाहगंज के स्तर पर लम्बित है।

उपरोक्त स्थिति में उक्त जांच पूर्ण हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।]

जनपद बदायूँ की तहसील मुन्नौर में बाढ़ की विभिषिका से बचाव हेतु बाँध या ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में जनपद–बदायूँ की तहसील गुन्नौर ब्लाक जुनावई के 10 ग्रामों को भयंकर बाढ़ से बचाने के लिये नगला अजमेरी से मालपुर ततेरा तक बांध या ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है।

अवगत कराना है कि जनपद–बदायूँ की तहसील गुन्नौर के विकास खण्ड जुनवई में दिनांक 10-11/8/2002 को गंगा नदी का जल स्तर ऊँचा होने से 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक पानी आ गया था और नदी का जल स्तर घटने पर 3-4 दिन में पानी उतर गया। इस क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 16.5 किमी० लम्बे तटबंध के निर्माण की परियोजना है। यह परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति एवं गंगा बाढ़ नियन्त्रण परिषद् से रु० 497 लाख की अनुमोदित है। वर्तमान में यह परियोजना नावार्ड से वित्त पोषण हेतु विचाराधीन है।

इस परियोजना पर वर्ष 1998-99 में रु० 14.00 लाख, वर्ष 2000-2001 में रु० 15.00 लाख कुल रुपये 29.00 लाख की धनराशि व्यय करके तटबंध के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य और लगभग 3 किमी० तटबंध के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। तटबंध के माडल स्टडी हेतु अनुसंधान एवं शोध संस्थान, रुड़की को भुगतान किया गया है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल इस परियोजना पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।]

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० विधायक जी द्वारा जनपद-गोण्डा के विधानसभा क्षेत्र मनकापुर हेतु वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000–2001 हेतु कुल 15 ग्रामों को जिला योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत करने हेतु चयनित किया गया था जिसमें से 10 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2000–2001 हेतु चयनित 5 ग्रामों का कार्य अभी अपूर्ण है और प्रगति पर है। पूर्वांचल विकास निधि से 1999–2000 हेतु केवल एक ही ग्राम का चयन किया गया था जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। विधायक निधि से वर्ष 1999–2000 में चार तथा 2000–2001 में एक कार्यों हेतु धन दिया गया था। ये सभी पाँचों कार्य किये जा चुके हैं।

इन सभी ग्रामों तथा कार्यों में लगायी गयी सामग्री स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही लगायी गयी है। अतः इसमें कोई अनियमितता नहीं है।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म कालेज के प्रधानाचार्य पर गोली चलाये जाने एवं जनपद में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चितरंजन स्वरूप द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मा० सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गई कि जनपद मुजफ्फरनगर में अगस्त माह में कतिपय तिथियों में लूट व हत्याओं की हुई घटनाओं के कारण वहां के नागरिक भय व आतंक के वातावरण में रह रहे हैं तथा पुलिस द्वारा इन वारदातों की घटनाओं का खुलासा नहीं किया गया है एवं अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही।

उक्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि दिनांक 11-8-02 को एस०डी० डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य डा० दिनेश कुमार पर हुए हमले की घटना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सूचना पर मु०अ०सं० 547/02 धारा 147, 307, 504, 506 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात थाना नई मण्डी पर पंजीकृत हुआ। दिनांक 11/12-8-02 को श्री श्यौराज सिंह निवासी–500/1, कृष्णापुरी थाना कोतवाली नगर के घर में हुई लूट के संबंध में मु०अ०सं०–587/02 धारा 397/392 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात थाना कोतवाली पर पंजीकृत हुआ। दिनांक 16/17-8-02 की रात्रि श्री शैलेश कुमार व उनके भाई किशोर कुमार पर हुए हमले में किशोर कुमार की मृत्यु हो गई, घटना की सूचना पर थाना खतौली पर मु०अ०सं० 291/02 धारा 394/397/302 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 17-8-02 को वादी श्री विजयपाल जो कूड़ा मण्डी स्थित बिजली घर से बिलों का भुगतान कर रुपया लेकर नगरपालिका कार्यालय जा रहा था, को दो अज्ञात युवकों ने घायल कर 2.62 लाख रुपये छीन लिये जिसका मु०अ०सं०–591/02 धारा 394/397 भा०दं०वि० थाना कोतवाली पर पंजीकृत हुआ। उपरोक्त चारों में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस टीमें गठित कर घटना के अनावरण हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

दिनांक 18-8-2002 को ग्राम सांवली व सांजक के बीच बदमाशों द्वारा मो० इस्लामुद्दीन व याकूब को लूटते वक्त पुलिस बल के मौके पर पहुंचते ही उन पर गोलियां चलाई गईं जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किये फलतः बदमाश भाग गये। तलाश के दौरान एक मृत एवं बन्दूक, कारतूस व लूटे हुए रुपये 2100/- बरामद हुए। घटना के संबंध में मु०अ०सं० 80/02 धारा 307 भा०दं०वि० एवं अप०सं०–81/02 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट बनाम अज्ञात मृतक बदमाश थाना शाहपुर पर पंजीकृत किया गया। मृतक की शिनाख्त कुख्यात अपराधी शेरजान पुत्र कालू नि०–सिकरेड़ा थाना सिखेडा के रूप में हुई जिस पर थाना सिखेडा, मु०नगर पर 7 अभियोग दर्ज थे।]

प्रदेश में कतिपय वर्षों में धान की खरीद हेतु नीति निर्धारण एवं धान क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन स्तर पर समीक्षा करने विषयक श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-44 में प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में धान की खरीद हेतु निर्धारण एवं धान क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जो कृपया इससे सम्बन्धित माननीय सदस्य अपना पक्ष रखें।

(सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी सम्बन्धित सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन की मांग तथा आपूर्ति के अन्तर को दूर करने विषयक दिनांक 20 अगस्त, 2002 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी-क) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री राम करन आर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सत्ता पक्ष के भाइयों को बहुत जल्दी है जाने की। इस नाते आपके माध्यम से चन्द शब्द कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जो परेशानियां विद्युत सम्बन्धी हैं यह तो आयेंगी, इस पर बहस होगी लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, विद्युत व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है, केवल आँकड़ों में ही आती है। इसको मंत्री जी भी जानते हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग जानते हैं कि बिजली की क्या स्थिति है? मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में, शहर में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती है, बहुत परेशानी होती है, देहातों की हालत तो और भी खराब है। मेरे यहाँ दो घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है। मेरा आपसे अनुरोध है। झूठ और फरेब की दुनिया से अलग हो करके मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ किया जाय ताकि आम जनता, किसान को राहत मिल सके। बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, केवल एक ही विकल्प जनता और किसान के पास रह गया है और जब तक अच्छी और समय से बिजली नहीं मिलेगी न तो किसान का भला होने वाला है न प्रदेश का भला होने वाला है। मान्यवर, यह जो सरकार है इनकी केन्द्र में भी भागीदारी है, मायावती जी का बाहर से समर्थन है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो राज ही है। मैं चाहता हूं कि बिजली के सवाल पर उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी से कहकर लाया जाये। मान्यवर, मैं यह जलनवश नहीं कह रहा हूँ। आन्ध्र प्रदेश को पैसा जा सकता है और जगहों पर जा सकता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए जहाँ बिजली व्यवस्था बदतर हो गयी है, आम इन्सान परेशान हैं, यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री जी से बहस करनी चाहिए, ऊर्जा मंत्री जी से बहस करनी चाहिए और गृहमंत्री जी से बहस करनी चाहिए। आपके प्रदेश को बिजली के लिए विशेष धन नहीं दिया जाता है तो जनहित में जरूरी है कि आपके एम०पी०, एम०एल०ए० माननीय प्रधानमंत्री जी पर दबाव डालें। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों किसान विरोधी हैं, जन विरोधी और छात्र विरोधी और पूरे प्रदेश का सत्यानाश करने वाली है। मैं ज्यादा न कहकर एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं और हमारे विधायकगण हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है और जो मेरे क्षेत्र की हालत है वही आपके क्षेत्र की हालत है, बिजली नहीं मिल पा रही है, उसके लिए केन्द्र से विशेष पैकेज मंगवाया जाये ताकि हमारे प्रदेश की बिजली व्यवस्था ठीक हो सके। कुदरत ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, अब केन्द्र सरकार हमारे आपके साथ नाइंसाफी न करने पाये। विशेष धन आना चाहिए ताकि बिजली व्यवस्था ठीक हो सके। हमारे विधान सभा की जो हालत है, 4 महीने से 2 न्याय पंचायत में बिजली नहीं आ रही है। आँधी में खम्भा उखड़ गया, तार उसके चले गये लेकिन अधिकारियों के कान पर जूँ नहीं रेंग रही है.....

मान्यवर, मेरी जो व्यथा है वह पूरे प्रदेश की व्यथा है इसको ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठीक करायी जाए।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)--

आप लोग बोलना चाहें तो बोल लें मैं एक साथ जवाब दूंगा।

श्री मात प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, नियम 49 में चर्चा प्रारम्भ होती है इसके बाद मंत्री जी संक्षेप में जवाब देते हैं फिर माननीय सदस्य बोलते हैं और आखिर में मंत्री जी उत्तर देते हैं। लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन नहीं कर

पाते हैं। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब अपनी आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन करते* हैं लेकिन हमारे यहां बिजली की कमी है और उत्पादन तथा मांग में अन्तर है। हमारे यहां टांडा में एक पावर स्टेशन बना था और एक आशा की किरण जागी थी कि विद्युत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह हमारे हाथ से निकलकर केन्द्र सरकार में चला गया। हमने केन्द्र से जो बिजली ले ली उसका भुगतान नहीं करवाये और अपना पावर स्टेशन उन्हें देना पड़ा। इसी तरह रायबरेली का पावर स्टेशन भी देना पड़ा। ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश के विद्युत उत्पादन केन्द्र दूसरों के हाथ में चले जायेंगे। क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। हम रोज विश्वविद्यालय खोल रहे हैं 600 करोड़ रुपये विश्वविद्यालयों पर खर्च किया जा रहा है तो हमें अपने प्रदेश में एक नये विद्युत उत्पादन गृह को खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। रूस के सहयोग से जो विद्युत गृह बन रहा था वह उत्तरांचल में चला गया। आप औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं लेकिन जब तक प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन नहीं होगा तब तक प्रदेश की गरीबी दूर नहीं होगी। जो हमारी अधिष्ठापित क्षमता है उसका केवल 35-40 प्रतिशत ही उत्पादन होता है जबकि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 60-70 प्रतिशत तक उत्पादन होता है। प्रतिदिन हमें 10 हजार मेगावाट बिजली चाहिए जबकि हमारी कुल अधिष्ठापित क्षमता 5 हजार मेगावाट की है और इसमें भी 3300 मेगावाट से ज्यादा का बिजली उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जैसे आज विश्वविद्यालयों के लिए प्राविधान किया जा रहा है, आप नौजवान है, उत्साही हैं और मुख्य मंत्री जी के करीब हैं आप और संसदीय कार्य मंत्री जी विचार करें और कहीं से 400-600 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर के एक विद्युत प्लाण्ट लगायें। मैं अभी दक्षिण गया था अहमदनगर से नासिक बाईपास होकर मैं गया मैंने देखा कि वहां पर सूखा पड़ा था लेकिन वहां की झोपड़ियों में बिजली जल रही थी। हमारे यहां से जो बिजली 24 घंटे नेपाल जाती है उसकी लाइन हमारे यहाँ से गुजरती हमारे गांव से लाइन गुजरती है लेकिन हमारे गांव को बिजली नहीं मिलती है।

* श्री इकबाल महमूद–

अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर विद्युत की जो हालत है वह दयनीय है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अन्दर जो विधान सभा है इस विधान सभा के अन्दर भी हम लोग इस बात का अनुभव कर चुके हैं कि बिजली कई बार जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा? आज विद्युत विभाग पर चर्चा हो रही है हालांकि हम लाबी का संज्ञान नहीं लेते फिर भी अच्छा होता अगर विद्युत विभाग के अधिकारी वहाँ बैठकर नोट करते। मंत्री जी बैठे हैं यह ही लिख रहे होते। हमारे यहाँ संभल विधान सभा क्षेत्र में हरोड़ा पावर हाउस है। वहाँ पर 10 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्वीकृत है लेकिन केवल 3 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उससे 87 गांव जुड़े हुए हैं सभी वहाँ के लोग परेशान हैं क्योंकि दो-दो घंटे बिजली आती है। गन्ने की फसल खड़ी है अभी थोड़ी सी बरसात हुई नहीं तो परेशानी ज्यादा बढ़ी थी फिर भी बिजली न होने से परेशानी भुगतनी पड़ रही है। वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी मंत्री जी संभल गये थे उनकी भी जानकारी में सारी बातें लाई गई। हम सोच रहे थे कि मंत्री जी कुछ हालत सुधारेंगे। मुरादाबाद से जो लाइन आती है वह 66 हजार की लाइन है। आंधी में तार टूट जाते हैं जिसके कारण 6-6 दिन तक बिजली नहीं आती है। कोई पुरुषाहाल नहीं है। ट्रांसमीसन व डिस्ट्रीब्यूसन में तालमेल न होने से बिजली की अव्यवस्था फैली है। अगर ठीक कराने के लिए कहा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूसन वाले कहते हैं कि यह ट्रांसमीसन वालों का काम है। ट्रांसमीशन वाले कहते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूसन वालों का काम है। लाइन में फाल्ट यह देखेंगे। पूरे शहर को चार हिस्सों में बांट रखा गया है किसी भी क्षेत्र में 8 घंटे बिजली नियमित नहीं आ पाती है। जबकि 18 घंटे बिजली देने का शेड्यूल है। मंत्री जी संभल गये थे आपसे लोगों ने अपेक्षा की थी एक वर्ग विशेष के लोगों ने आमंत्रित किया था। आपसे कहा गया था कि यहाँ की विद्युत व्यवस्था की दुर्दशा देखिए। यह ऐतिहासिक शहर है जो हिन्दुस्तान की राजधानी भी रहा है ऐसे शहर में आप बिजली की कटौती करेंगे तो हमसे लोग अंगुली उठाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि संभल की जो समस्याएं रखी हैं। आप अपनी पूरी कोशिश करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीम भाई–

मैं पहली बार चुनकर आया हूँ। जब मैं विधायक नहीं था तो अपने दिल में यह सोचता था कि सदन में जो एक एक शब्द बोला जाता है वह सच होता है। सच्चाई पर खरा उतरता है। जब जवाब होता है। मैंने टंडन जी से एक सवाल किया था श्रम विभाग के मामले में एक प्रश्न लगाया था उसका जवाब मिला, जी नहीं जी नहीं प्रश्न नहीं उठता। टंडन जी शायद कभी फिरोजाबाद गये भी न हों लेकिन मैंने बचपन से मजदूरों को 14-14 घंटे काम करते देखा है। उनके पास सूचना आई 14-14 घंटे काम नहीं करते फिरोजाबाद के लाखों मजदूर गलत। लेकिन शर्म और अफसोस यह होता है कि इस सदन में बैठकर यह बोला जाता है। चैलेंज और चुनौतियाँ दी जाती हैं विपक्ष के सदस्यों को।

(व्यवधान)

मैं ऊर्जा पर आ रहा हूँ। मान्यवर, हमने एक प्रश्न किया था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर मुरादाबाद, अलीगढ़, भदोही, फिरोजाबाद, इनके उद्योगों को तरक्की देने के लिये बिजली 24 घंटे देंगे। मान्यवर, आप जो चीखते हैं कि उत्तर प्रदेश को उद्योगों से सजा देंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हमने यह पूछा कि उन उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिये 24 घंटे बिजली इन शहरों को देंगे क्योंकि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलता है। मान्यवर, जवाब आता है कि इन शहरों में जो लोग उद्योग करते हैं जनरेटर की व्यवस्था कर लेते हैं हम पर डिपेन्ड नहीं रहते हैं। मान्यवर, फिरोजाबाद जो ताज ट्रिपेजियम जोन में आता है, कहते हैं कि हम 24 घंटे वहाँ बिजली देते हैं। मान्यवर, बिल्कुल [* * *] बोलते हैं। ऊर्जा मंत्री संयोग से हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं उस दिन वहाँ गये थे जिला कलेक्टरी की मीटिंग में। वहाँ लाइट चली गई और जनरेटर चलाकर पंखे चलाये गये। लाइट गयी, पंखे भी बन्द हुए मंत्री जी ने इधर उधर घुर्रा कर भी देखा। यहां [***] बोला जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं नया हूँ। मेरे दिलो दिमाग में इस सदन की एक मर्यादा और एक तस्वीर थी। इस सदन को मजाक में टाला जा रहा है। मैं भी नया सदस्य हूँ और उधर भी नये सदस्य हैं। उधर के लोग 8 बजे ही भागने का नाम लेते हैं। पढ़ो-पढ़ो, पढ़ा हुआ मान लिया जाय कहते हैं। पढ़ा हुआ आपको भी मान लिया जाय। मान्यवर, यह [***] बोल रहे जा रहा है। इतने वरिष्ठ मंत्री हैं मैं विरोध में हूँ, शुरू से ही समाजवादी रहा हूँ। मा० लालजी टण्डन जी हँसी से, उनकी नर्मी से भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने मेरी बात को असत्य मान लिया और उनके आई०ए०एस० अधिकारी जो एयरकन्डीशन कमरे में बैठे रहते हैं उनकी बात को सत्य मान लिया। काम मजदूर करते हैं। उन्हें भी झूठ मानते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सामने लाइट चली गई और कहते हैं कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यह असत्य न बोलिये सत्य बोलिये। सुधार करने की कोशिश करें अपने अपने विभाग में। हम नये लोग हैं आपसे ही हम सीखेंगे। आप लोग असत्य बोलेंगे तो पता नहीं हम लोग भी कितना झूठ बोलें।

* श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मैं बिजली मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। सबसे ज्यादा बुरी हालत पूर्वांचल की है विद्युत के मामले में । विशेष रूप से जो पूर्वांचल का सबसे अंतिम जिला बलिया है, वह विद्युत के मामले में इस समय बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज भी बलिया जनपद में 8 घंटे क्या 6 घंटे बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। एक तो बलिया में उद्योग नहीं हैं। बलिया उद्योग के नाम पर शून्य है उसके बाद भी किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। लगातार हमारे लोगों ने यहाँ तक कि एम०एल०ए० लोगों ने आमरण अनशन किया। राम इकबाल जी बैठे हैं जब यह एम०एल०ए० नहीं थे, अनशन पर बैठे थे और इनकी तबीयत खराब हो गई थी।

*** यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन एम०एल०ए० नारद राय ने आमरण अनशन किया चीफ इंजीनियर गये उनको देखा। शहर के अंदर खम्भे लटक रहे हैं जमीन से उनका कोई वास्ता नहीं है केवल तार जा रहे हैं उसके बल पर खम्भे लटक रहे हैं गांव के भी यही हालात हैं। दो महीने पहले आंधी आई सिकन्दपुर में, बिजली के पोल टूटकर गिर गये हैं सीमेंट के पोल टूट गये हैं लकड़ी के पोल टूट गये हैं। आपके इंजीनियरों ने एक भी पोल नहीं बदला बिजली न आने से लोग त्रस्त हैं जगह जगह पर उनको सड़कें जाम करनी पड़ रही हैं, कैसे व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, कैसे व्यवस्था बदलेंगे बार-बार कहा जाता है कि आपकी सरकार दिल्ली में है आपके समर्थन पर सरकार चल रही है आप क्यों नहीं मांग करते हैं। मान्यवर, पूर्वांचल में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है आपके अधिकारी [**] सूचना दे रहे हैं।

(व्यवधान)

बार-बार बलिया के बारे में कहा गया, बलिया में सुधार हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ विधान सभा का क्षेत्र सिकन्दरपुर है यह पिछड़ा हुआ है यह जनपद बुरी तरह से पिछड़ा है। मलिहर टाउन एरिया है वहां जो सब स्टेशन है वहां 35 के०वी० की व्यवस्था है जो गड्ढे के अन्दर है जब बरसात होती है तो पानी जमा हो जाता है, बी०आर०ए० का इलाका है मलिहर बरसात में डूब जाता है पूरी सप्लाई टाउन एरिया और देहात की बिजली बन्द हो जाती है मैंने प्रश्न लगाया आपने कहा वित्तीय संसाधन नहीं हैं आपके वित्तीय संसाधन कब होंगे जहां सब स्टेशन पानी के अन्दर है, घाघरा का किनारा है, पूरी बिजली व्यवस्था बन्द हो जाये पूरे देहात की बिजली बन्द हो जाये। जो पांच फीडर पर चलने वाला सब स्टेशन है वह दो फीडर पर चल रहा है कोई व्यवस्था नहीं है। उच्चीकरण के लिए पैसा दिया जाता है पूर्वांचल के लिए विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि 11 लाख रुपया लगेगा जहां टाउन एरिया दो फीडर पर चल रहा है 11 लाख रुपया अधिकारियों ने मांगा है ...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

तीन महीने से मलिहर टाउन एरिया में बिजली नहीं है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ विशेष रूप से बलिया सिकन्दरपुर, मलिहर में बिजली की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाए इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री राम इकबाल–

मान्यवर, काफी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष के लोग गम्भीर चर्चा में शिरकत कर रहे हैं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह सब आज सोचने का विषय है यह एक दिन की समस्या नहीं है इसने देश को ऐसे उलझा रखा है.। मेरा यह मानना है कि वर्षों से इस राज्य में जो सामाजिक ताना बाना चरमराया है उससे इस राज्य में विकास की गति अवरुद्ध हो गयी है। आजादी के बाद जो हम एक नम्बर पर थे अब हमारा यह हाल हो गया है कि हम नीचे से तीसरे नम्बर पर आ गये हैं। इसका कारण है विगत पन्द्रह बीस वर्षों में उत्तर प्रदेश में जातिगत साम्प्रदायिक वातावरण बन जाने की वजह से नेताओं और राजनीतिक दलों के पास फुर्सत नहीं थी कि विकास के बारे में चर्चा करें। मान्यवर, बिजली एक ऐसी समस्या है जिससे आज समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। चाहे हम टुल्लू चलाने की बात करें, आटा चक्की चलाने की बात करें, कटाई, मड़ाई सारी चीजें बिजली पर आधारित हैं। लेकिन आज हकीकत यह है कि विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। बिजली मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार की

नोट :- [***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहायता से आनपारा "सी" के लिए पैंतालिस सौ करोड़ देने के लिए जापान के फाइनेंसियल बैंक राजी हो गये हैं। मान्यवर, आंध्र प्रदेश का उदाहरण आया। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार में इस विद्युत के अलावा बहुत सारी संभावनाएं तलाशी। उसने सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का काम किया। आज वहाँ उससे टी०वी० चलाते हैं, छोटा-मोटा काम करते हैं इसलिए अनुरोध करूंगा कि ऊर्जा के इस क्षेत्र में भी प्रयास किया जाय। इसकी वजह से हम ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बलिया की समस्या को भी रखा। मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी में बलिया का योगदान है। यह क्रान्तिकारी जिला है। इसे क्रान्तिकारी जिला मानते हुए जिसे सारी दुनिया और सारे इतिहास ने माना है बलिया जनपद को कटौती से मुक्त कर देना चाहिए। वहाँ पर चौबीस घंटे बिजली देनी चाहिए। छोटा सा वह जिला है। वहाँ पर काफी उद्योग की संभावनाएं हैं। अगर बिजली वहाँ पहुँच जाय हर ब्लाक और हर पंचायत में तो मैं अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज खड़े हो सकते हैं। हम लोग परवल और प्याज से अपनी पहचान बना सकते हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ पर चिलकहर और रतसर में 33/11 के०वी०ए० का जर्जर सब स्टेशन है उसकी मशीनें बदलने की आवश्यकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं उसे बदला जाय जो तार टूटे हैं, खंभे उखड़े हैं उनको बदलने का प्रयास करें.....

(व्यवधान)

(श्री इकबाल महमूद श्री राम करन आर्य सहित कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर मुझे 3 मई 2002 को बहन मायावती जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद प्रदेश के कई जनपदों का मैंने दौरा किया।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री–

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य अपनी बात को लिखकर दे दें तो उनकी बात आ जाएगी।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के दो फीडर हैं। कानपुर फीडर और सीतापुर फीडर। लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि संसाधनों की कमी है मैं कहना चाहता हूँ कि 300 ट्रान्सफर कर दें बड़े अधिकारियों को 10 दिन में वापस ले लें। पैसा आ जाएगा, संसाधन आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कई जनपदों का मैंने दौरा किया। मैं 100 से अधिक गाँवों में गया। वहाँ पर देखा कि कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6 घण्टे बिजली आ रही थी। मैंने मंत्री बनने के 4-5 दिन बाद ही दौरा किया जिसमें मैं संभल, मेरठ तथा आगरा मण्डल गया। वहाँ से लौटने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को हर हालत में 8 घण्टे बिजली दी जाये। उसके लिए हमने 145 फीडरों को, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विधायकों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा डबल ग्रुप करके वहाँ 8 घण्टे बिजली की व्यवस्था करने का प्रयास किया।

माननीय सदस्यों ने जो शिकायतें की हैं मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उनके क्षेत्र में 8 घण्टे से कम बिजली आ रही है तो हम उसका पुरा संज्ञान लेंगे और वादा करते हैं कि 8 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। एक अप्रैल, 2002 को माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार और श्री राज्यपाल की बैठक हुयी और उसमें निर्णय लिया गया कि एन०टी०पी०सी० से और सेन्टर सेक्शन से जो भी बिजली हम उधार ले रहे हैं/थे वह एन०टी०पी०सी० ने देना बंद कर दिया इस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई। एक अप्रैल, 2002 से पहले का पेमेंट हर महीने करीब 17 करोड़ रुपये का था। कर्मचारियों की तनखा देने के बाद, कोयला और तेल आदि का पैसा देने के बाद जितना रुपया बचा वह हमने एन०टी०पी०सी० को दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 11 हजार 6 करोड़ की देनदारियाँ यू०पी०पी०सी० की हो गयीं।

इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब केन्द्रीय सेक्टर से कैश में बिजली मिलेगी। मान्यवर, अप्रैल से हम कैश में बिजली खरीद रहे हैं। मान्यवर वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की जो बात है वसूली पर हमने विशेष ध्यान दिया है और अब तक जो ये 40 से 70 प्रतिशत तक लाइन लास थे चोरियाँ थी उस चोरी को कम करने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लाइन लास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर हमने वसूली के लिए जे०ई० से लेकर महाप्रबन्धक को जिम्मेदारी सौपी है। फीडर-वाइज जिम्मेदार दी है। मान्यवर, मई, जून और जुलाई के महीने में हमने करीब 275 करोड़ रुपये की वसूली पिछले साल की अपेक्षा अधिक की है। मान्यवर, जो नई परियोजना लगाने की बात है हम प्रयासरत हैं। आनपारा सी० के लिए हमारा प्लान है व्यक्तिगत रूप से जा करके दो बार भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी से मिला हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी, मा० प्रधान मंत्री जी से मिलीं और पत्र उन्होने लिखा माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा पिछले माह मैं जापान के एम्बेसडर से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला ताकि लोन मिल जाय और एक हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाय। मान्यवर, ओबरा में पचास मेगावाट की पाँच इकाइयां हैं यह 1970 में लगी थी हम उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत हैं, बैठकें हो रही हैं और पी०सी०एफ० से लोन भी हो चुका है। मान्यवर, ओबरा में दो सौ मेगावाट की पाँच इकाइयाँ हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए 640 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था हो चुकी है। मान्यवर, पारीछा के लिए हम प्रयासरत है उसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। मान्यवर, बी०एच०ई०एल० को कान्ट्रेक्ट के लिए कहा गया है। मान्यवर, जहाँ तक ट्रान्सफारर्मर की व्यवस्था की बात है कहीं खराबी हो रही है, कही लाइन टूट रही है जहाँ कही शिकायत हैं उस शिकायत का समाधान करने लिए पूरे जनपद– के हेडक्वार्टर पर निर्देश हैं अधिकारियों को कि वहाँ पूरे चौबीस घण्ड़े अटैन्ड करेंगे। मान्यवर, मेरा माननीय सदस्यों से कहना है कि जहाँ कहीं भी लाइन टूटती है बिजली की सप्लाई पूरी नही आती है तो आप तत्काल रिपोर्ट हेड क्वार्टर को दीजिए मैं हेड टेलीफोन नं० आपको दे दूँगा।

श्री इकबाल महमूद —

जो माननीय सदस्यों ने आपसे शिकायत किया है उसको आप दिखवा लें।

श्री रामवीर उपाध्याय––

मान्यवर, मैं पहले ही माननीय सदस्यों से कह चुका हूँ कि उनकी जो समस्या है उसका मैं निश्चित रूप से समाधान करवाऊंगा और तीन दिन के अन्दर उनके विधान सभा क्षेत्र में 8 घण्टे बिजली सुनिश्चित करवाऊंगा।

श्री मोहनदेव शंखधार—

मान्यवर, आप 72 घण्टे में ट्रान्सफार्मर बदलने की बात करते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि 72 घण्टे क्या, 72 दिन में भी ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं इसकी आप जांच करवा लें और दूसरा यह है कि कटिया कनेक्शन के नाम पर फर्जी बिल भेजे जा रहे हैं यह जनता का उत्पीड़न है। इन फर्जी बिलों को समाप्त किया जाये। कोई बिजली कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहता है उसको भी दिखवा लें।

श्री रामवीर उपाध्याय----

मान्यवर, अगर कहीं कोई लापरवाही है तो लिखकर दे दें मैं जांच करवाऊँगा और उसके बाद कार्यवाही करूंगा।

श्री अनूप कुमार पाण्डेय----

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामनगर बस्ती में अमरौली सुमाली में ट्रान्सफार्मर चार माह से खराब पड़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र में एक माह के दौरान 50 घण्टे बिजली नहीं रही और इसके संदर्भ में मैं अगले महीने चक्का जाम करने जा रहा हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रान्सफार्मर और है जो महीनों से ठीक नहीं हुआ है। और बिजली के उपकेन्द्रों पर कोई भी बिजली कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहता है।

श्री रामवीर उपाध्याय--

आप लिखकर दे दीजिये मैं दिखवा लूंगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि विद्युत विभाग को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं उन्होंने हमको और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं और वह स्वयं भी हफ्ते में एक बार ऊर्जा विभाग की समीक्षा करती हैं कि कितना सुधार हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऊर्जा विभाग में सुधार करने के लिए संवेदनशील है चूंकि 55 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारी सरकार का संकल्प है ऊर्जा विभाग में पूरा सुधार करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को उसके अनुसार पूरी बिजली देने की व्यवस्था करेंगे।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक दिनांक 24 अगस्त, 2002 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०-1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता--

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक दिनांक 14 अगस्त, 2002 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के संबंध में श्री अवधेश प्रसाद, श्री धर्मपाल चौधरी, श्री राम विशुन आजाद, श्री कौशल किशोर, श्री उदयराज, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री अरविन्द गिरि तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 49 के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा है। श्री अवधेश प्रसाद जी चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री अवधेश प्रसाद----

मान्यवर, दिनांक 14 अगस्त को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानकारी लेनी पड़ी कि प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगार हैं क्या उनको सरकार रोजगार देने पर विचार कर रही है और अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो क्या बेरोजगारी का भत्ता सरकार देगी। श्रीमन्, इसमें जो सरकार की तरफ से उत्तर आया बहुत ही निराशाजनक है जिससे उस उत्तर को सुनकर प्रदेश के लाखों-

लाख जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके मन टूटे।..... किसी देश और प्रदेश की दौलत हीरा-जवाहरात नहीं हुआ करती हैं। बल्कि उस प्रदेश के लोग और नौजवान हुआ करते हैं। बेरोजगारी के नाम पर नौजवानों का मन टूटा है। यह सरकार सत्ता में बैठी हुई फिजूलखर्ची कर रही है। श्रीमन्, इसी आदरणीय सदन में नेता सदन ने अम्बेडकर उद्यान के बारे में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बड़े दम्भ से कहा कि 100 करोड़ नहीं? हजार करोड़ खर्च करना होगा तो डा० अम्बेडकर उद्यान पर हम खर्च करेंगे। कितना अच्छा होता कि प्रदेश की जो एक लम्बी कतार-कतार खड़ी है जिसके सामने रोजी और रोटी की समस्या है, एनाउन्स यह होता है उनकी समस्याओं को दूर किया जायेगा तो प्रदेश के नौजवानों की तरफ से बधाई की पात्र होती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि बेरोजगारी का भत्ता देने के बारे में सरकार का नजरिया बहुत ही निराशाजनक रहा। माननीय सदस्यों ने यहां तक पूंछने का काम किया। जब आप रोजगार नहीं दे सकते हैं भत्ता नहीं दे सकते हैं तो क्या गांव के जो गरीब हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास श्रीमन्, वैकेन्सी निकलती है, विज्ञापन निकलता है नौकरी के लिए फार्म भरना पड़ता है उसके लिए दरख्वास्त लिखनी पड़ती है, उसमें भी पैसा लगता है। ऐसे तमाम नौजवान हैं उनके लिए सवाल पूछा गया था 14 तारीख को कि क्या जो गरीबी की रेखा के नीचे गरीब से गरीब नौजवान हैं, जो रोजगार चाहते हैं क्या उनके लिए कोई सुविधा है। उसमें भी सरकार की तरफ से उत्तर बड़ा निराशाजनक आया। इसलिए यह आवश्यकता हुई कि पीठ से नियम 49 के तहत प्रार्थना करके इस आदरणीय सदन में चर्चा भी चलाई जाये और शायद इस सरकार की बुद्धि ठीक हो जाये, हो सकता है अपने ठीक रास्ते पर आ जाये। मैं बहुत ही आभारी होऊंगा माननीय सदस्यों का कि वह इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं आभारी होऊंगा माननीय मंत्री जी का कि अब वह यह घोषणा करें कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए और अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो श्रीमन्, यह जो डा० अम्बेडकर के नाम पर फिजूलखर्च लाखों करोड़ों रुपये का कर रहे हैं उसको रोक कर कम से कम उसका अंत कर दें। जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले नौजवान हैं किसी तरह पढ़ लिखकर तैयार हुए हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें। क्योंकि यह दे सकते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं एक-एक करोड़ 75-75 लाख के हाथी खरीद कर अम्बेडकर के पार्क में लगाये जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेदकर को हम लोग भी सम्मान करते हैं, सारा देश सम्मान करता है माननीय मुलायम सिंह यादव के सहयोग से डा० अम्बेदकर को मरने के बाद राष्ट्रपिता, इतने बड़े पद से सम्मानित किया गया था। आज जो सड़क है विधानसभा के सामने, उस सड़क का नामा[illegible] सिंह यादव ने 1990 में किया था। आज क्या हो रहा है लखनऊ में अम्बेदकर के नाम पर एक-एक करोड़ के हाथी लगाये जाते हैं, वह भी जिन्दा हाथी नहीं। ..... डा० अम्बेडकर की सोच थी, समतामूलक समाज बनाने की। डा० अम्बेडकर का सपना था, ऐसा हिन्दुस्तान बनाया जाय, जहाँ गरीबों, दलितों के चेहरे पर मुस्कान हो। न जाने आज कितने गरीब, दलित बेरोजगार हैं, जिनको शाम को रोटी मुहैया नहीं होती। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पेट की भूख, पेट की आग के कारण चौराहों पर बच्चे मालिश करने का काम करते हैं, होटलों पर गिलास धोने का काम करते हैं, 8-10 साल के बच्चे, यदि उनका शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, स्कूल जाने का मौका मिले तो वह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, डा० हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, उनमें न जाने कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं। देश की आजादी को 55 साल हो रहा है गाँव का नजारा आपने भी देखा होगा, आप भी सब जानते होंगे, जब कहीं भोज होता है, तो भोज में लोग खाकर पत्तल छोड़ देते है और उन झूठे पत्तलों का खाना खाने के लिये वनमानुष का बच्चा दौड़ता है और दूसरी तरफ कुत्तों का झुंड पहुंचता है तो इस प्रकार इंसान के बच्चे को खाना भी नसीब नहीं होता और दूसरी तरफ कितनी विडम्बना है कि अपने को दलित की बेटी कहने

वाली मुख्यमंत्री भी आज उनकी तरफ नहीं हैं। यह मामला बहुत गंभीर है, बड़ा संगीन है। मैं आपसे माँग करता हूँ कि आप इस आदरणीय सदन में सरकार को कड़ाई से निर्देश दें कि यह सरकार फिजूलखर्ची बंद करें और प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, लाखों नौजवान जिनका मन टूटा है, किसी भी देश या प्रदेश में नौजवानों का मन टूटना अच्छी बात नहीं हुआ करती है, इसलिये में आपसे उम्मीद करता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वह अभी घोषणा करें, वह अच्छी तरह गाँव की गरीबी को जानते हैं। किस परेशानी से बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक धोती लपेटकर जाड़े में किस तरह से वह बच्चे को पढ़ाता है, रिक्शा चलाकर, शहर में मजदूरी करके पढ़ाता है, उसके मन में यह आशा रहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिखकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस दिन दलित की बेटी माननीया मुख्यमंत्री, जी मुख्यमंत्री बनी थीं, उस दिन उन दलितों की, गरीबों की छाती चौड़ी हो गई होगी। लेकिन पिछली 14 अगस्त को अल्पसूचित सवाल आया और माननीय सदस्यों ने सवाल किया कि क्या गरीबी रेखा के नीचे दलितों, अनुसूचित जाति के नौजवानों को यह सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी तो उस दिन उन लोगों को बड़ी निराशा हुयी होगी। मान्यवर, जिस तरह लखनऊ में अम्बेदकर उद्यान के नाम पर फिजूलखर्ची हो रही है, इससे दलितों, गरीबों, बेरोजगारों का कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह जो बड़े-बड़े अफसर हैं, यह वहाँ पर बैठकर बड़ी कीमती-कीमती शराब पीने का काम करेंगे। ऐश आराम करेंगे, अय्याशी का काम करेंगे। जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाने के लिये भोजन नहीं है, आज ही माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि उनको रोजगार देने के लिये नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने के लिये तो हम उनके बहुत-बहुत आभारी होंगे। हम उन माननीय सदस्यों के भी आभारी होंगे, जो इस चर्चा में भाग लेंगे और सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घूरा राम—

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, में आपका बहुत आभारी हूँ। जो आपने चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं भी दलित का बेटा हूँ..... बहुत ही खेद हो रहा है। इनको भी बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति की व्यवस्था से ही सदन में आने का मौका मिला है लेकिन इनको इस बात का बहुत दुःख है कि बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर की नाम पर उद्यान बनाया जा रहा है। ऐरावत हाथी से लेकर बाबा साहेब का चिन्ह हाथी हो या बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी चिन्ह रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर एक पैसा भी खर्च किया जाता है तो इनको बडा कष्ट है, यह तो यह भी चाहेंगे, कि इनके नाम को मिटा दिया जाये, सैफई में पैसा खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, कोई नहीं कह रहा है लेकिन एक महापुरूष के नाम पर स्मारक बनाया जा रहा है तो हमेशा यही कहा जाता है कि उद्यान में काफी पैसा खर्च किया जा रहा है तथा यह भी कहते हैं कि उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग दलित विरोधी हैं। दलित की बेटी जो दलित समाज का गौरव है उस पर कीचड़ जरूर उछालेंगे, माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो यह कहूँगा कि इस चर्चा में जो इस तरह की बातें कही गयी हैं उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। उधर बैठे माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि दलितों के बारे में इस तरह की बातें न करें। मैं जानता हूँ कि यह बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि आपके नेता मुलायम सिंह जी खुश रहें। आप लोग दलित विरोधी हैं। इस चर्चा में बराबर बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की आलोचना, दलित की आलोचना करते रहे हैं उससे लगता है कि आप लोग दलित विरोधी हैं। अम्बेडकर पार्क में हाथी लगाये जाने का विरोध कर रहे हैं। हाथी तो बाबा साहेब का चिन्ह था। ...

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान) (श्री इकबाल महमूद ने अपने आसन

पर बैठे हुये माननीय अधिष्ठाता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हाथी पर चर्चा हो रही है या बेरोजगारी पर) ।

मान्यवर, यह तो इस तरह की बात करते हैं कि हम तो अच्छे हैं लेकिन हमारे बाप बहुत खराब हैं। आपके माध्यम से मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि इस तरह से जो एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी और छींटाकशी करते हैं उनकी इस प्रकार की बातों को रोका जाये।..

(श्री राम करन आर्य के खड़े होने पर)

अभी माननीय सदस्य आर्या जी खड़े होंगे तो यह जरूर चाहेंगे कि अभी जो माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी ने अम्बेडकर उद्यान और दलित की बेटी और दलितों का विरोध करने वाले हैं, यही बात बोलेंगे। में आपसे व्यवस्था चाहूँगा कि इससे हटकर कोई बात करें।.

श्री सीताराम निषाद्–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इम्प्लायमेंट आफिस हैं वहाँ के जो आंकड़े हैं उनको देखें तो स्पष्ट होता है कि जो बेरोजगारों द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसको एक प्रतिशत भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम है कि बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारी के कारण मजबूर होकर शहरों में रिक्शा चलाते हैं या जो मजदूरों की मंडी होती है जहां पर मजदूर काम पाने के लिये खड़े होते हैं वहां पर इस आशा से खड़े होते हैं कि कोई आयेगा और ईंटा गारा का काम मिलेगा और 100-50 रूपये मिल जायेंगे। हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आज छोटे–छोटे कामों को करने के लिये मजबूर हैं। यह सरकार जो डा० अम्बेडकर के नाम पर अपनी दूकान चला रही है।

सदन में कोरम का अभाव

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

घंटी बजायी जाय।

(घंटी बजायी गयी)।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सदन की बैठक स्थगित की जाती है। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 11 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 27 अगस्त, 2002

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(तारां० प्र० सं०–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

अनुपूरक सामग्री

शहरी क्षेत्र में मार्गों का चौड़ीकरण, सौन्दर्यीकरण, पार्क का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य हेतु नगर निगम व नगर विकास प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाओं द्वारा पेड़ों का पालन किया जा रहा है।

वन विभाग में शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आयोजनागत, जिला सेक्टर के अन्तर्गत जिला योजना, "शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना" कार्यान्वित है। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों की "जिला नियोजनों एवं अनुश्रवण समितियों के माध्यम से नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा जनपदवार अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध स्वीकृत बजट के सापेक्ष वृक्षारोपण कार्य कराये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु रुपये 145.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :—

(1) ब्लाक वृक्षारोपण	
1—ब्लाक में	109.9 हे०
2—ब्रिक गार्ड	28189 पौधों का रोपण
(2) वृक्षारोपण अनुरक्षण	
1—प्रथम वर्ष :—	
ब्रिक गार्ड में	
आयरन गार्ड	9786 पौधों का अनुरक्षण
2—द्वितीय वर्ष :—	
ब्रिक गार्ड/आयरन गार्ड में	10023 पौधों का अनुरक्षण
(3) पुरानी पौध का रख-रखाव	822000 पौधों का रख-रखाव
(4) नई पौध उगान	170000 पौध
(5) अग्रिम मिट्टी कार्य (व्यवस्था, भूमि उपचार सहित)	
1—बहुपंक्ति वृक्षारोपण	13.00 हे०
2—नये ब्रिक गार्ड का निर्माण व अग्रिम मृदा कार्य	15497 ब्रिक गार्ड का निर्माण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०–72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	समूह	पदनाम	कुल सृजित पदों की संख्या	सृजित पदों में रोस्टर प्रणाली के अनुसार निर्धारित होने वाला आरक्षण का कोटा			
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"क"	निदेशक	01	आई०ए०एस० संवर्ग का पद है।			
		संयुक्त निदेशक	01	पी०सी०एस० संवर्ग का पद है।			
		उप निदेशक	02	01	01	—	—
		मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	07	05	02	—	—
2	"ख"	लेखाधिकारी	01	01	एकल पद है		
		कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	01	एकल पद है		
		जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	58	33	12	—	13
3	"ग"	कार्यालय अधीक्षक	01	01	एकल पद है		
		आशुलिपिक	04	02	01	—	01
		कम्प्यूटर आपरेटर	01	01	एकल पद है		
		वरिष्ठ लिपिक	67	52	14	01	प्रोन्नति का पद है इसलिए कोटा नहीं बनता।
		कनिष्ठ लिपिक	69	34	15	01	19
		कनिष्ठ लेखा लिपिक	02	01	01	—	—
		लेखाकार	01	01	एकल पद है		
		सहायक लेखाकार	02	01	01	—	—
		वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01	01	एकल पद है		
		लेखा परीक्षक	02	01	01	—	—
		चालक	33	16	07	—	10
4	"घ"	चपरासी	72	36	15	01	20
		चपरासी	01	01	एकल पद है		

नोट—एकल पदों पर आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता०प्र०सं०–79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में आवंटित धनराशि तथा व्यय की गयी धनराशि का पदवार विवरण

आवंटित धनराशि

क्रमांक मद का नाम	**धनराशि (रुपयों में)**
1—वेतन	1,15,000.00
2—महंगाई भत्ता	52,000.00
3—अन्य भत्ते	8,000.00
4—यात्रा व्यय	3,000.00
5—कार्यालय व्यय	10,500.00
6—विद्युत देय	6,000.00
7—जलकर/जल प्रभार	2,500.00
8—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,000.00
9—टेलीफोन पर व्यय	7,000.00
10—अन्य व्यय	9,000.00
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	11,000.00
व्यय की गयी धनराशि	
1—वेतन	63,000.00
2—महंगाई भत्ता	28,146.00
3—अन्य भत्ते	शून्य
4—यात्रा व्यय	शून्य
5—कार्यालय व्यय	10,499.00
6—विद्युत देय	शून्य
7—जलकर/जल प्रभार	शून्य
8—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	शून्य
9—टेलीफोन पर व्यय	4,167.00
10—अन्य व्यय	8,975.00
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	शून्य

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० विधानसभा—28-07-2003–(744)—813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा